राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का ८६ वां दिवस [संख्या २४

मंगलवार, दिनांक २७ अक्टूबर, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(गृह-राजस्व, सहकारिता, न्याय, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण, खनिज, शिक्षा, यातायात, समाज कल्याण एवं अकाल सहायता–विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा !

ग्राम घमरेड में डकैती

६१५. मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) व श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि माह जुलाई, १९६४ की एक रात को करीबन ९ बजे ग्राम घमरेड (तहसील राजगढ़) में श्री बल्लभ सुनार नामक एक व्यक्ति के यहां सशस्त्र डाका पड़ा ? क्या डाका नोटिस देकर डाला गया ? यदि हां, तो पुलिस ने चुप्पी कैसे साधी ?

(२) क्या यह सही है कि डाकुओं ने जो करीबन १५-२० की संख्या में शस्त्रों से लैस थे, श्री बल्लभ सोनी को बुरी तरह पीटा, यहां तक कि एक आंख को जख्मी तक कर दिया और करीब ५-६ हजार रुपये का माल (कैश व जेवर) लेकर चम्पत हो गये ?

(३) क्या यह सही है कि दूसरे दिन इसकी रिपोर्ट राजगढ़ पुलिस थाने में दर्ज कराई गई और बाद में एस० पी०, अलवर घटनास्थल पर जांच करते हेतु गये ? यदि हां, तो अब तक की गई जांच का क्या परिणाम रहा ? क्या पुलिस डाकू दल का सुराग निकालने में कामयाब रही ? यदि हां, तो

Page No. 2

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई यदि अभी तक सुराग नहीं मिल सका तो इसके क्या कारण हैं ?

(४) क्या शिकायत इस आशय की भी की गई कि इस घटना के उपस्थित करने में ग्राम घमरेड के कुछ असामाजिक तत्वों तथा अन्य ग्रामवासियों का सक्रिय सहयोग रहा है और पुलिस द्वारा बयान लेते वक्त भी इस बात की पुष्टि हुई ? यदि हां, तो क्या पुलिस ऐसे अमानवीय तत्वों को प्रकाश में लाने में सफल हुई ? यदि हां, तो ऐसे घृणित कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि ऐसे लोगों का भी पता नहीं चल सका, तो क्यों ?

(५) ऐसी असामान्य स्थिति की पुनरावृत्ति न हो और लोगों में खलबली न मचे, लॉ एएड ऑर्डर की स्थिति डांवाडोल न हो और राजगढ़ में पुलिस स्ट्रेन्थ की अपर्याप्तता को देखते हुए क्या सरकार निकट भविष्य में में ग्राम घमरेड में, जो कि एक अच्छा केन्द्र है, एक २०-२५ व्यक्तियों की सशस्त्र पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है ?

(६) क्या यह सही है कि इसी डाकू दल ने राजगढ़ की ४-५ बड़ी पार्टीज़ को भी डाका डालने का नोटिस दिया हुआ है जिससे पूरे कस्बे के लोगों में घबराहट पैद हो गयी है और उक्त पार्टीज़ में भगदड़ मच गई है ? यदि हां, तो क्या राजगढ़ में भी और सशस्त्र पुलिस तैनात करने का सरकार इरादा रखती है जिससे लॉ एएड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े ?

(७) क्या सरकार ऐसे डाकू दलों को इनीशियल स्टेज पर ही समूल नष्ट करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक इस तहसील में इस सम्बन्ध में क्या प्रेक्टिकल स्टेप्स लिये गये और आगे लिये जाने का इरादा है ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) जी हां, किन्तु उक्त डकैती पूर्व से सूचना देकर नहीं डाली गई; अतएव पुलिस की चुप्पी साधने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(२) जी नहीं, डकैत संख्या में ७ थे और उन्होंने श्री बल्लभ सुनार को लाठियों से आहत किया। उसके आंख को कोई क्षति नहीं पहुंचाई,यद्यपि उसके वाक एवं पैरों पर लाठी प्रहार से चोटें आई थी; R. E. half filled with blood. दस्युदल जेवरात व नकद सहित मूल्य ४०३०) रु. की सम्पति लूटकर ले गये।

(३) जी हां, डाकू दल का पता चल गया है। दल का मुखिया प्रभुसिंह मारा गया व शेष छः डाकू गिरफ्तार कर लिये गये हैं व लूट की सम्पत्ति मूल्य ५८०१) रु० की बरामद कर ली गई है। मुकदमे का अन्वेषण हो रहा है।

(४) जी नहीं। अन्वेषण से किसी भी

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

ग्रामनिवानी घमरेड का उक्त घटना में हाथ होना नहीं पाया गया ।

(५) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । दस्यु प्रभुसिंह के दल का पूर्ण रूपेण सफाया हो चुका है । अतः घमरेण में चौकी कायम करने का औचित्य नहीं है ।

(६) जी नहीं । राजगढ़ में कानून एवं व्यवस्था ठीक तरह से है ।

(७) सम्बन्धित दस्युदल का पूर्ण रूपेण सफाया हो चुका है । किसी भी दस्युदल का संगठन या सक्रिय होने का पता लगते ही पुलिस उसे प्रारम्भ में ही समूल नष्ट करने का हर सम्भव प्रयास हमेशा किया करती है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जो प्रभुसिंह आप कहते हैं कि मारा गया और इसके साथ जो ६ डाकू थे गिरफ्तार कर लिए गये तो किस तारीख को प्रभुसिंह मारा गया और किस तारीख को ये गिरफ्तार किये गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रभुसिंह ७–८–६४ को मार गया और दूसरे डाकू जगन्नाथ और लालिया को स्पॉट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे ५ डाकू १२ और १५ अगस्त के दर्म्यान में गिरफ्तार कर लिये गये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १२ और १५ अगस्त को जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या इस बात का कोई कारण बता सकते हैं कि यह इन्वेस्टीगेशन अभी तक कम्प्लीट क्यों नहीं हुआ है जब कि इसको दो महीने होने को आये हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एक डाकू का और पीछा किया जा रहा है । वह इधर उधर है । शनाख्तगी का प्रश्न उसमें है और एप्रूवर बनाने का भी कुछ प्रयास है । इस तरह से हम यह चाहते हैं कि केस किसी तरह से कामयाब हो । उस प्रयत्न में उसका अन्वेषण है । अधूरा हम उसका इन्वेस्टीगेशन नहीं चाहते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, जब कि एक डाकू फरार है और उसका पीछा किया जा रहा है तो मेरा निवेदन यह है कि इन ६ डाकूओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो आप केस को कम्प्लीट करके उसके खिलफ ५१२ की कार्यवाही करके उस केस को इमीजियेटली कोर्ट के सामने क्यों नहीं लाना चाहते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया कि हमको इस तफतीश में विलम्ब करने में कुछ लाभ नहीं है । उसकी एवीडेन्स की कड़ी के अन्दर ही वैलबिल्ट करने का प्रयास कर रहे हैं । मैं आपको विश्वास दिलाऊ कि इसमें कोई डिले नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी प्रयास चलाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब इन्वेस्टीगेशन कम्प्लीट नहीं है तो किस आधार पर

Page No. 4

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कहते हैं कि किसी भी असामाजिक तत्व का इस डकैती में किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ये हमारी इतनी ग्रान्वेज़ हैं पुलिस डिपार्टमेंट की उनके अन्दर की जांच, बाहर की जांच और तफ्तीश के आधार पर कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जैसा कि आपने अपने प्रश्न में बतलाया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, इस ग्राम घमरेड में ४–५ पार्टीज़ को डाकू दल ने इस बात की धमकी दे रखी है कि आपके यहां डाका पड़ेगा; इसके बावजूद सरकार टेम्पोरेरी तौर पर चौकी कायम नहीं करे, यह समझ में आने वाली बात नहीं है । मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि अगर ४–५ महीने के लिए चौकी कायम करें और जिन पार्टीज़ को धमकी आई हुई है कि उनके डाका पड़ेगा, उनकी सुरक्षा की गारन्टी के लिए क्या वहां पर पुलीस चौकी का इन्तजाम नहीं किया जा सकता ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि यदि खतरे एवं डाके की सम्भावना हो तो प्रबन्ध किया जाय । इस बात के एप्रिहेन्शन के लिए मैंने बारबार निवेदन किया कि प्रभुसिंह जो रिंग लीडर इस दल का था वह मारा गया और ७ आदमी पकड़े गये, तीन स्पोट पर और बाकी बाहर: अब हमारी मान्यता में कोई ऐसा दल नहीं है जो इनको आतंकित करने वाला हो । सुरक्षा व लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न साफ है कि कोई आतंक नहीं है । अब वह पर पुलिस की चौकी ख्वामख्वाह कायम करने पर फाइनेन्स की लायेबिलिटी ली जाय, यह उचित नहीं है । अगर कोई दल दूसरा आपकी निगाह में हो जो कि वह आतंकित करने वाला है तो मैं उस आधार पर विश्वास दे सकता हूं कि दरअसल में ऐसा हो सकता है; लेकिन अब वहां पर सुरक्षा है और शान्ति है, अध्यक्ष महोदय, जब से इनका लिक्विडेशन हुआ है तब से ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह जो माल बरामद हुआ, आपने अभी कहा कि डाकू मिल गये और ४ हजार करीब का माल मिल गया तो क्या सारा माल बरामद हो गया या कुछ बाकी है या डाका ही कुल ४ हजार का पड़ा था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सिर्फ तफ्तीश का प्रश्न है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): कुछ माल बरामद हुआ तो है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह उन्होंने इतना अव्वल में कहा, मैं उसको एनेलाइज़ करूं तब उसके आधार पर होते; कहां तक माल पहुंच गया, यह मैं अभी बताने की पोज़ीशन में नहीं हूं । बाकी ५०१ का माल बरामद हो चुका है । ५०१ की ओरिजिनेलिटी क्या है उसके अलावा और बरामदगी की कोशिश कर रहे है ।

श्री मानिकचंद सुराणा : पुलिस फोर्स में हजारों आदमी हैं और हर तहसील हैड

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

क्वार्टर पर फोर्स होती है । यदि किसी विलेज में १०-१२ आदमी भेजे जायं तो इसमें फाइनेन्शियल लाएबेलिटी नहीं होगी । जो लोग हैं उनको तनख्वाहें तो वैसे भी देनी पड़ेगी, सिर्फ स्टेशन करने का प्रश्न है । यदि आप वहां पर स्टेशन नहीं करना चाहते हैं तो क्या राज्य सरकार गारन्टी देगी कि जिन गांवों में डाके डाले गये उनमें निकट भविष्य में और नहीं डाले जायेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : फाइनेन्शियल लाएबेलिटी को हटा दिया जाय तो भी वहां के नागरिक अब सुरक्षा में बड़ा विश्वास रखते है । गांव वालों में हिम्मत है, उन्होंने डाकुओं का मुकाबला किया है । जबसे डाकू पकड़े गये हैं उसके बाद उनको सुरक्षा में विश्वास है । इसके बाद पुलिस वालों को वहां घुमाना, गांव वालों को आतंकित करना और एप्रिहेन्शन्स और पैदा करना होगा; ऐसी स्थिति में वहां विषम स्थिति नहीं है कि वहां पर पुलिस वालों को छोड़ने का न आपके पास आधार है न मेरे पास । जो सुरक्षा शान्तिपूर्वक चल रही है, जिसमें लोगों का विश्वास है उसमें एप्रिहेन्शन पैदा करना उचित नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक बार आप पुनर्विचार कर लेना, यदि ऐसा आतंक वहां पर है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया तो पुनर्विचार कर लेना ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कहेंगे उससे भी पहले हम करेंगे कि यदि आवश्यकता होगी । यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है । आप और हमारे सहयोग से नहीं होगी आवश्यकता ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह ।

गोगामेडी मंडी की भूमि के बेचान के विरुद्ध शिकायत पर जांच

६१६. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग द्वारा गोगामेडी मंडी की भूमि अनाधिकृत रूप से भूतपूर्व पंचायत रामगढ़ (तहसील नोहर) द्वारा अपने पदाधिकारियों व कुछ रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों व अन्य लोगों को फर्जी कार्यवाही करके नाम मात्र मूल्य पर बेच देने की शिकायत जांच के लिए एस.डी.एम. नोहर को इसी वर्ष भेजी गई थी ?

(२) अगर हां, तो अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है और यह मिसल रेवन्यू विभाग, राजस्थान सरकार में किसके पास बाद रिपोर्ट एस.डी.एम. नोहर के कितने अर्से से पड़ी है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां

(२) जांच रिपोर्ट विकास विभाग के विचाराधीन है ।

श्री हरदत्तसिंह : विकास विभाग के पास कब से विचाराधीन है, किस तारीख से ?

श्री परसराम मदेरणा : अप्रेल, ६४ से।

श्री हरदत्तसिंह : इस मामले में जब फर्जी रेकॉर्ड बनाने का उल्लेख है सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ और पंचायत के पंच सरपंच के खिलाफ तो यह मामला पुलिस को क्यों नहीं दिया गया अब तक ?

श्री परसराम मदेरणा : यह शिकायत डिप्टी कमिश्नर कोलोनाइज़ेशन, हनुमानगढ़ के पास हुई थी। उन्होंने इसकी जांच करके डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट को लिखा सरपंच ने नाजायज़ तौर पर पैसा लेकर जमीन बेच दी है। डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने एस.डी.ओ. नोहर को दिसम्बर ६३ में इन्क्वायरी करने के लिये लिखा और उन्होंने अपने इन्क्वायरी की रिपोर्ट डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट के पास अप्रेल ६४ में भेजी है और अब कागजात फाइनल तौर पर मिनिस्टर कन्सर्नड के विचाराधीन हैं और दो-चार दिन के अंदर उनके खिलाफ फाइन्डिंग दर्ज करने के लिये शो कॉज़ नोटिस दिया जाना तय कर लिया जायगा।

श्री हरदत्तसिंह : मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, यह है कि जब रिपोर्ट हो चुकी, जांच हो चुकी और उसके खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो मामला पुलिस को नहीं दिये जाने के क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो एलोटमेन्ट का प्रश्न था उस एलोटमेन्ट को रद्द कर दिया है क्योंकि कोलोनाइज़ेशन एरिया मेंउनको अधिकार नहीं था कि वे इस तरह से आबादी की जमीन को एलॉट करें। क्योंकि उन्होंने सरपंच की हैसियत से ऐसा काम किया है इसलिये इन्क्वायरी रिपोर्ट आ गई है और उसकी तहत शो कॉज़ नोटिस दिया जा रहा है।

श्री हरदत्तसिंह ; मेरा प्रश्न स्पष्ट है। शो कॉज़ नोटिस आप देंगे, जहां तक डिपार्टमेन्टल इन्क्वारी का सवाल हैं; लेकिन जब जांच से ऐसा मानते है कि फर्जी कार्यवाही की गई है, जैसा कि आपने अपने जवाब में कहा है तो फर्जी रेकॉर्ड बनाने के सम्बन्ध में मामला पुलिस में नहीं देने का क्या कारण है और सरकार ने इसके बारे में क्या सोचा है ?

श्री परसराम मदेरणा : शो कॉज़ नोटिस के बाद जब उनका जवाब आयगा तब उससे पता चलेगा कि आया उन्होंने बदनीयती से जमीन एलॉट की या जानबूझ कर किया है। यह तय होने के बाद ही पुलिस में देने, न देने का सवाल आयगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उन्होंने जो जमीन का एलॉटमेन्ट किया था उसको कमिश्नर कोलोनाइज़ेशन ने किस तारीख को रद्द किया ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास इस समय तारीख नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस एलॉटमेन्ट को रद्द करने के बाद राज्य सरकार ने या कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेन्ट ने, जिनको उन्होंने जमीन बेची थी उनसे वापिस राज्य के कब्जे में लेने की कोई कार्यवाही की है ?

श्री परसराम मदेरणा : कौनसी जमीन ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिन एलॉटमेन्ट्स को कमिश्नर कोलोनाइज़ेशन ने रद्द कर दिया और घोषणा कर दी कि ये एलॉटमेन्ट्स इल्लीगल हैं, उन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनसे वापिस जमीन लेने की क्या कार्यवाही की गई ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि एलॉटमेन्ट केन्सिल होने के बाद जिन्होंने नाजायज़ कब्जा किया था, आया वे ही पज़ेशन में हैं या लैंड वापिस ली जा चुकी है। यह बात जरूर है कि सरपंच ने लैण्ड एलॉट की थी जिसका उसको अधिकार नहीं था इसलिए डिप्टी कमिश्नर कोलोनाइज़ेशन ने एलॉटमेन्ट कैन्सल कर दिया, उसके बाद सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट को लिखा। डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने एस. डी. ओ. से इन्क्वायरी करवाई, उनकी रिपोर्ट डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट के हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट ने मिनिस्टर के पास भेजी है। वहां के फाइनल ऑर्डर होने के बाद शो कॉज़ नोटिस दिया जायगा। उसके बाद यदि ऐसा पाया गया कि बदनीयती से जानबूझ कर पॉवर्स नहीं होते हुए किया है या बोनाफाइडी यह सोचकर कि मुझे अधिकार था, एलॉटमेन्ट किया है और इसमें कोई क्रिमिनल इन्टेन्ट नहीं था या क्रिमिनल इन्टेन्ट साबित हुआ तो फिर सरकार विचार करेगी। एलॉटमेन्ट केन्सलेशन के बाद मैं नहीं कह सकता कि उन लोगों को डिसपज़ेस कर दिया या रिमूव कर दिया या नहीं, मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि जिन लोगों को इल्लीगल ढंग से जमीन बेची गई है उनको डिसपज़ेस करने के लिये कोई जानकारी नहीं की। मैं मन्त्रीजी से आश्वासन चाहता हूं कि जब आपकी जानकारी में यह बात आ गई कि वे लोग पज़ेशन में हैं जिन्होंने इल्लीगल ढंग से ४० लाख की जमीन कुल ५ या १० हजार रुपयों में बेच दी है, आप सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करें, उसे मुअतिल करें या डिसमिस करें, सरपंच का डिसमिसल हो या न हो, लेकिन १ जनवरी, ६५ तक हमारी दिलचस्पी इस बात में है कि ४० लाख की जमीन सिर्फ १० हजार में बेच दी और स्टेट गवर्नमेन्ट को ३६ लाख ६० हजार रुपयों का नुकसान किया है, उसको रिकवर करने के लिये स्टेट गवर्नमेन्ट ने कौनसे स्टेप्स लिये हैं और कितने समय में जमीन वापिस ले लेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं समय नहीं दे सकता, लेकिन इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जिन्होंने इल्लीगल ढंग से जमीन ली है, सरकार जल्दी से जल्दी उन ट्रेस्पासर्स को रिमूव कर देगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उनको रिमूव करने के नोटिसेज़ विदिन ए वीक पहुंचा देंगे, यह आश्वासन सरकार दे सकती है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स में जो टाइम लगेगा वह लगेगा, लेकिन कार्यवाही जल्दी से जल्दी इमीजियेटली विदिन ए वीक करेंगे।

Page No. 8

श्री दलपतसिंह (आबू) : इस बीच में मकान बन गये हैं तो क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

सहायक रजिस्ट्रार्स की नियुक्तियां

६१७. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के कई सहायक रजिस्ट्रार्स को राज्य सेवा आयोग ने अयोग्य करार दिया है ? यदि हां, तो किस किस को तथा किस किस तिथि में ?

(२) इस आधार पर उन्हें वहां से हटाया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या राज्य सेवा आयोग ने इस सम्बन्ध में लेटर नं० एफ. ८ (१६) स्पेशल ५६।३०० दिनांक ९-६-६१ राज्य सरकार को दिया है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय ।

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) प्रश्न के हिस्सा ३ में जिस चिट्ठी का हवाला दिया है उसके द्वारा एक अस्थाई सहायक रजिस्ट्रार श्री के. एल. कपूर को राजस्थान सेवा आयोग ने ता० ९-६-६१ की चिट्ठी से अयोग्य करार दिया था ।

(२) उस व्यक्ति को अस्थाई सहायक रजिस्ट्रार के पद से हटा दिया गया है ।

(३) राजस्थान सेवा आयोग की चिट्ठी सं०एफ० ८ (१६) स्पेशल ५६।३०० दिनांक ९-६-६१ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुरलीधर व्यास : कब हटाया गया है ?

श्री भीमसिंह : २४ जुलाई, ६१ ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल ।

(विराम)

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ६१६ ।

पुलिस थाना सराड़ा के हैड मोहर्रिर के विरुद्ध रिश्वत की शिकायत

६१८ श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला उदयपुर, पुलिस थाना सराडा के श्री मांगीलाल गुर हैड मोहर्रिर द्वारा गांव खैरकी के आदिवासियों से एक हजार रुपया रिश्वत लिये जाने की शिकायत पुलिस विभाग में किसी अधिकारी के पास हुई है ? यदि हां, तो किसके पास ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त शिकायत हुए एक वर्ष हो चुका है ? यदि हां, तो शिकायत कौन सी तारीख को हुई थी ?

Page No. 9

(श्री देवीलाल मीणा)

(३) क्या इस मामले पर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की जा रही है ?

(४) क्या यह सही है कि हैड मोहर्रिर सलूम्बर पेशी पर जाने वाले शिकायत कुनन्दा लोगों को धमकियां दिया करता है ?

(५) क्या उस हैड मोहर्रिर के विरुद्ध और भी शिकायतें हैं ? यदि हां, तो क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) हैड कॉन्स्टेबल की इन्क्वायरी हुई। रिश्वत लेना नहीं पाया गया ।

(४) जी नहीं । परन्तु इन्क्वायरी के बाद जो आरोप सिद्ध हुये उसकी सजा हुई....

श्री देवीलाल मीणा : आज जवाब किसका दिया जा रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिल्कुल ठीक जवाब है । (१)व(२) का 'जी हां' कहा ।

श्री देवीलाल मीणा : मैंने निवेदन किया कि इसमें पांच भाग है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पांच हैं ?

श्री देवीलाल मीणा : आप इसको देख लीजिये ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं !

श्री अध्यक्ष : ६१६ ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आगे चला गया था प्रश्न, इसलिये मैंने फाइल को इधर ढकेल दिया था । वैसे मैंने उत्तर दिया है उसमें और जवाब में कोई फर्क नहीं है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : बिल्कुल गलत है ।

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : आप देख लीजिये न !

(१) जी हां । ऐसी शिकायत अधिक्षक आरक्षी मण्डल उदयपुर को प्राप्त हुई थी ।

(२) जी हां, शिकायत दिनांक २३-७-६३ को प्राप्त हुई थी ।

(३) हैड कॉन्सटेबल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई जिससे रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ । किन्तु फरयादी व उनकी औरतों को तफ़तीश के दौरान कुछ हद तक तंग करने का आरोप सिद्ध पाया गया, जिससे उसकी एक वर्ष की वार्षिक वृद्धि रोक दी गई ।

(४) जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(५) हैड कॉन्सटेबल के विरुद्ध और कोई शिकायत प्राप्त नही हुई ।

Page No. 10

श्री देवीलाल मीणा : यह कार्यवाही की गई है, यह बिल्कुल गलत: की गई है। हैड मोहर्रिर ने रुपया लिया है। जो कार्यवाही विभाग ने की है वह गलत की है; इसलिए इसके सम्बन्ध में दुबारा कार्यवाही के लिए आदेश होने चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, डी. एस. पी. सराडा ने इसमें जांच की और कई गवाहों के बयानत कलमबन्द किये। दोनों प्रश्नों पर कम्प्लेनेन्ट, उनके रिश्तेदार, उनके लड़के–करीब दस–पन्द्रह गवाही हुई और उन सब गवाहियों से इस नतीजे पर पहुंचे कि जो १ हजार की रिश्वत लेने की बात कही गई है वह वह प्रूव नहीं हुई है। हां, हैरेसमेंट करने का प्रश्न प्रूव हुआ और उसके लिए एक साल का इन्क्रीमेंन्ट रोक दिया गया है। जांच मुकम्मिल हुई है। गवाहों का क्रोस एग्ज़ामिनेशन भी हुआ है और आप कहते हैं कि नहीं हुआ है।

श्री देवीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो परेशान किया गया है वह अलग किया गया है। आप कहते हैं रिश्वत नहीं ली गई। मैं आपको निवेदन करूं कि ९००) रु० पहले तय किये गये और बाद में १०००) रु० तय किये गये। वह रकम बोहरों से सामान गिरवी रख कर ली गई है। यह सही बात है। मैंने निवेदन किया है कि इसकी फिर से इन्क्वायरी कराई जाय। पहले जो इन्क्वायरी हुई जो जो लोग दारू पीते थे उनको दारू पिलाई गई और उनके बयान लिये गये। इसलिए यह गलत जवाब मिल रहा है। मैं मांग करता हूं कि जांच के लिए आदेश दुबारा होने चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उस इलाके के रहने वाले हैं और कम्प्लेनेन्ट इनके रिश्तेदारों में से हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इसका क्या मतलब है, रिश्तेदार पर रिफ्लेक्शन दे रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा सेन्टेन्स तो कम्प्लीट होने दें। मैं बतलाना चाहता हूं कि जो सूचना दी गई उसके आधार पर इस मामले को ओवरलुक नहीं कर सकते थे। जितनी केस से सम्बन्धित शहादतें प्रस्तुत की गई थीं उनकी अवहेलना नहीं हो सकती थी। इस केस के अन्दर ग्यारह गवाह प्रस्तुत हुए। डी. एस. पी. ने जुडिशियल इन्क्वायरी की तरह, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की तरह लम्बी-चौड़ी इन्क्वायरी की। मेरे पास इन एवीडेन्सेज का एनेलिसिस है और फेक्ट्स और सर्कम्सटान्सेज के आधार पर डी. एस. पी. की इन्क्वायरी रिपोर्ट को देखा है और देखने के बाद जैसा मैंने निवेदन किया है, आपको डी. एस. पी में विश्वास नहीं है, फिर मैं अगर दुबारा जांच कराऊं तो दुबारा जांच की जायगी, उसमें क्या होगा? जितने गवानहान थे उनके तो बयान हो चुके हैं। वही गवाह वापिस आयेंगे। उसके बाद जो तथ्य आपके सामने हैं, वे कहां तक सुबूत में आ सकेंगे, यह प्रश्न है। मुझे इस इन्क्वायरी पर विश्वास है और एनेलिसिस ऑफ एवीडेंसेज पर विश्वास है, डी एस. पी. की निष्पक्षता पर विश्वास है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (अहीन्द) : जब यह प्रूव हो सकता है कि उसने हैरेस किया है, उसके लिए एवीडेन्सेज़ हैं तो आपने सिर्फ एक साल का इन्क्रीमेंट रोका है। क्या वजह है कि इतनी थोड़ी सजा दी गई है ? क्या मिनिस्टर महोदय आश्वासन देंगे कि जो हैरेस करके रिश्वत लेता है उसके खिलाफ व सख्त कार्य वाही करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस न्याय की परम्परा को समझते हैं। एक हजार का इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन की शिकायत है, दूसरी हैरेसमेंट करने की है। एक हजार की रिश्वत लेने के सबूत नहीं मिल रहे हैं। हैरेस करने के तथ्य सामने निकले हैं। डी. एस. पी. ने इन दोनों प्रश्नों पर दूसरी राय दी है। लेकिन इस प्रश्न को अलग से लिया गया है और एक साल का इन्क्रीमेंट रोका है। जो शहादतें हुई हैं, उन वॉल्यूमिनस शहादतों को सामने रखते हुए हैरेसमेंट के प्रश्न को कितना खतरनाक माना जा सकता है डी. एस. पी. ने जो रिपोर्ट दी है उसको न मानते हुए एक साल का इन्क्रीमेंट रोका है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : जिनसे एक हजार रुपया लिया, उन्होंने कहा है कि जो स्थिति है वह मुझे रखनी है, इसलिए मुझे मौका दिया जाय। उनको मौका न देना, क्योंकि गवाह हो चुके हैं, इसलिए फेक्ट्स को सामने न आने देना, यह ठीक नहीं हो सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आपको गवाहों की लिस्ट बता दूं, उसमें से आप बता दें कि यह गवाही नहीं हुई है। ग्यारह गवाहों को अवसर दिया गया है जिन्होंने नया पैसा, नया पैसा करके पैसा इकट्ठा किया, चंदे की तरह पैसा इकट्ठा किया, माननीय सदस्य कम्प्लेनेन्ट के लिये कह रहे हैं कि उनके द्वारा १ हजार रुपया दिया गया है। एक हजार मेरे पास भी नहीं मिल सकता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गिरवी रख कर लिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : थोड़ी थोड़ी रकम करके इकट्ठी की गई है। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं इसके अतिरिक्त अगर आप कहते हैं कि किसी की एवीडेंस नहीं ली है, किसी को अवसर नहीं दिया गया है, जो तथ्यों पर रिफ्लेक्ट कर सकता है तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वापिस इन्क्वायरी के लिए कह दूंगा।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) इस मामले को एन्टी करप्शन विभाग के जिम्मे क्यों नहीं किया गया है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : जब रिश्वत की शिकायत थी और कॉगनीजेल ऑफेन्स था तो १०१ का केस दर्ज क्यों नही किया गया और उसके मुताबिक इन्वेस्टीगेशन क्यों नही की गई ? जैसे माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उसके मुताबिक एन्टी करप्शन विभाग के द्वारा जांच क्यों नहीं करवाई गई थी ? इस तरह इन्क्वायरी करके मामले को हस अप करने की कोशिश क्यों की गई ? जब सुबूत है तो पर्याप्त कार्यवाही करने का समय

Page No. 12

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

क्यों नहीं देते ? केस रजिस्टर करके इन्वेस्टीगेशन क्यों नहीं करवाई ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) मेरा क्वेश्चन है कि कम्प्लेनेन्ट, जिन्होंने शिकायत की कि रिश्वत दी है, एक हजार की रिश्वत दी है, उसके बयान डी. एस. पी. ने दर्ज किये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आरोप है, या नहीं ? आपका जवाब अधूरा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी पृष्ठ भूमि है, वह मैं आपको अर्ज कर देना चाहता हूं। इसकी पृष्ठ भूमि यह है कि आपस में दो पार्टीज़ के क्रोस केसेज़ चल रहे हैं। कई कम्पॉउन्ड हुए फिर भी यह सिम्पल हर्ट का केस चला, उसके बारे में उसके खिलाफ यह आरोप लगाया गया।....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या अभी तक वे उसी थाने पर कायम हैं ? केस को एन्टीकरप्शन में क्यों नहीं दिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह मामला एन्टी-करप्शन में देने का नहीं है। आरोप इस तरह के हैं। जब कोई रेड हैन्डेड गिरफ्तार होता है तो वह मामला एन्टीकरप्शन को दिया जाता है। १६१ में प्रमाणित हो जाता है तो हम उसको दे देते हैं। इसलिए १६१ का प्रश्न भी पैदा नहीं होता। अब आपने फ़रमाया कि बयानात लिये गये या नहीं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के बयान लिये जिसने रुपये दिये जाने की शिकायत की और जिसके सामने रुपये दिये उसके बयान भी लिए गये। इसके अतिरिक्त जहां से रुपये लाये गये उन सब व्यक्तियों के बयानात बकायदा लिये गये। सारी कार्यवाही बिल्कुल मुकम्मिल है। मैंने जैसा निवेदन किया कि अगर और कोई गवाह आदि आपके पास हों तो उसके आधार पर कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकती है। मेरे दृष्टिकोण से तो कार्यवाही बिल्कुल मुकम्मिल हुई है और उसमें कोई कमी नहीं है।

श्री देवीलाल मीणा : मेरी इस सम्बन्ध में मांग है कि इसकी पूरी इन्क्वायरी कराई जाये। जब देने वाले ने कहा है कि उसने रुपया दिया, उसने अपने बयान दिये हैं और लिख कर दिया है, वह अनपढ़ है इसलिए गड़बड़ी हुई है। बाकी यह तथ्य सही है। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जांच कराने के लिए तो माननीय मन्त्रीजी खुद स्वीकार कर चुके हैं। अगर आप कोई नया तथ्य माननीय मन्त्री के सामने रखेंगे तो वे उसकी जांच करा-वेंगे।

एक माननीय सदस्य : गांवों में जो नम्बरदार है उसका बयान दिलाया है व दूसरे गवाहानों के बयान फिरा दिये होंगे।

श्री देवीलाल मीणा : मैं यह निवेदन करूंगा कि नम्बरदार गांव के लोग होते हैं उनको रुपया देकर बिठलाया जा सकता है। मुझको इतना ही कहना है कि जब खुद

Page No. 13

(श्री देवीलाल मीणा)

आदमी ने कहा है कि रुपया दिया है और उसने लिखकर दिया है तो फिर कौन सी बात रह जाती है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्योंकि यह मामला आदिवासियों और पिछड़ी हुई जाति के लोगों से रिश्वत लेने का है और जब वे बराबर बार बार कहते हैं कि गवाही दिलाना चाहते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि मन्त्रीजी को जांच कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जांच कराने के लिए तैयार हैं। माननीय सदस्य मन्त्री महोदय से मिल कर सारी बात बता दें। वे जांच करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे चाहते हैं कि इसकी आगे जांच कराई जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर यह स्वीकार करें कि उनको जांच करानी है तो वे मंत्री से मिल लें। मंत्री महोदय ने इसके लिये आश्वासन दिया है।

नेक्स्ट।

एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी का सेपरेशन

६१६. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या एग्जीक्यूटिव (Executive) जुडिशियरी (Judiciary) के सेपरेशन (Separation) की कोई स्कीम अभी सरकार ने प्रकाशित की है ? यदि हां, तो वह किस तारीख के गजट में प्रकाशित हुई है ? यदि नहीं, तो वह अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हुई ?

(२) क्या यह सही है कि दफा १० जाब्ता फौजदारी में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में आर. ए. एस. के जूनियर अधिकारियों को जो जाब्ता फौजदारी और भारतीय दण्ड विधान से अपरिचित हैं प्राथमिकता दी गई है जो पुलिस की सलाह पर अत्यधिक निर्भर करते रहते हैं ? क्या सरकार के पास दक्ष व अनुभवी आर. ए. एस. अधिकारियों की कमी है ?

(४) क्या दफा ५२८, ४३५ व ४३६ जाब्ता फौजदारी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट करने का नोटिफिकेशन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है ? राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उप-मन्त्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं। प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यय सम्बन्धी सुविधाओं को ध्यान में रख कर ही अंशतः पृथक्करण योजना बनाई गई व इसका इम्पलीमेंटेशन आवश्यक विज्ञप्तियां जारी कर कर दिया गया है। अतः अब योजना के प्रकाशन का प्रश्न नहीं उठता।

(श्री परसराम मदेरणा)

(२) जी नहीं। आवश्यक नहीं समझा गया।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां, आंशिक पृथक्करण जो कुछ अब तक हुआ है वह executive Instructions से हुआ है। अतः इस विषय पर विज्ञप्ति जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने जो जवाब दिया है उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कोई नोटिफिकेशन एग्ज़िक्युटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन का जारी नहीं किया गया और यह सिर्फ एग्ज़िक्युटिव ऑर्डर से ही सेपरेशन है। लेज़िस्लेशन द्वारा सपोर्टेड नहीं है।

प्रश्न के सब-प्रश्न (४) का आपने जवाब दिया है, "जी हां"। मेरा प्रश्न यह है कि दफा ५२८, ४३५ व ४३६ जाब्ता फौजदारी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। क्या रिविज़न, ट्रॉन्सफर एप्लीकेशन्स कलेक्टर सुन सकता है?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने इसका जवाब दिया है, "हां"। इस सम्बन्ध में एग्ज़िक्युटिव इन्सट्रक्शन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिये गये हैं। जहां तक ट्रान्सफर एप्लिकेशनों का प्रश्न है उसके लिये हाई कोर्ट ने अन्डर सेक्शन ५२६ सीआर. पी. सी. पॉवर्स दिये हैं। एग्ज़िक्युटिव इन्सट्रक्शन्स इसलिये हैं कि अभी तक हमने पार्शियल सेपरेशन किया है, जब तक यह सेपरेशन लेजिस्लेशन के द्वारा नहीं हुआ है। अभी तक रेल्वे और आई. पी. सी. दो तरह के केसेज़ के लिये ही सेपरेशन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पॉवर्स दिये हैं कि वे रिविज़न एन्टरटेन नहीं करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कानून के तहत उनको पॉवर्स हैं या नहीं कि वे रिविज़न या अपील सुनें।

श्री अध्यक्ष : Can he refuse to entertain ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह नहीं कर सकता है। आपका यह एग्ज़िक्युटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन ऑर्डर वे चाहें तो मानें और न चाहें तो नहीं मानें। यह ऑर्डर कोर्ट का कन्टेम्प्ट है। कोर्ट चाहे तो आपके इस ऑर्डर को माने और अगर वह चाहे तो इसको रद्दी की टोकरी में भी डाल सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी आपने एग्ज़िक्युटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन किया है उसको गजट में प्रकाशित क्यों नहीं कराते और जो पॉवर्स आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिये हैं रिविज़न और ट्रान्सफर के मामलों में, उनको वे इस्तेमाल नहीं करते।

श्री परसराम मदेरणा : आप स्कीम के नोटीफिकेशन की बात कहते हैं। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह लॉ में अमेन्डमेन्ट का मामला है इसलिये इसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। अभी तक पूर्ण सेपरेशन एग्ज़िक्युटिव

(श्री परसराम मदेरणा)

और जुडिशियरी का नहीं हुआ है । दूसरी स्टेटों में भी पार्शियल सेपरेशन हुआ है और वहां पर भी यह एग्ज़िक्युटिव इन्स्ट्रक्शन से ही हुआ है; पंजाब में हुआ है, बिहार में, मद्रास में एग्ज़िक्युटिव इन्स्ट्रक्शन से हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पंजाब ने प्रतापसिंह कैरों पैदा किया है, क्या आप यहां पर भी कैरों पैदा करना चाहते हैं । अगर ऐसी बात हो तो आप बता दें । वेस्ट बंगाल, मध्य-प्रदेश आदि ने किया है । आप भी कम्पलीट सेपरेट एक्ट बना कर क्यों नहीं करते ? आप बराबर यही कहते हैं कि अभी तक पूर्ण सेपरेशन नहीं किया गया है, पार्शियल सेप-रेशन किया गया है; तो क्या राज्य सरकार ने अपनी सेपरेशन की नीति को भविष्य में बदलने का और जुडिशियरी और एग्ज़िक्युटिव को पूर्ण रूप से अलग करने की नीति का परि-त्याग किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : नीति का परित्याग नहीं किया है लेकिन कुछ फाइ-नेन्शियल डिफिकल्टीज़ हमारे सामने हैं जिनके कारण....

(सर्व श्री रामकिशन और मानिकचन्द सुराणा के बात करने पर)

आपके यों करने से कुछ नहीं होता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने कहा है, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं लेकिन रामकिशनजी ने मुझे जो बात पूछी उसका मैंने उनको जवाब दिया । आप कुछ भी समझें । मगर मैं यह कह देना चाहता हूं कि हम आपकी कद्र करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप या तो बातें ही कर लीजिये या मुझे सुन लें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : This is not a class-room. We come here as representatives of people; हम आपकी कद्र करते हैं; उसका मतलब यह नहीं कि आप व्यवहार में ऐसी बातें करें जिससे हमें भी वही तरीका अख्त्यार करना पड़े जो आपने अख्त्यार किया है । We also know law.

श्री अध्यक्ष : इसीलिये तो नियम बनाये हैं कि अध्यक्ष की तरफ देख कर कहा जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो यह समझा कि आप मुझे कह रहे हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : नहीं, मैंने आपको कहा ही नही, मैं तो उनसे बात कर रहा था ।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैं अभी निवेदन कर रहा था राज्य सरकार अब भी इस बात पर कायम है कि राजस्थान में पूर्ण तौर पर जुडिशियरी का सेपरेशन एग्ज़ीक्यूटिव से हो जाय । पर इसमें फाइनेन्स का मामला इन्वोल्व्ड है । एमरजेन्सी के वक्त इस मामले को स्थगित कर दिया था । पूर्ण रूप से सेपरेशन नहीं किया जाय तब तक लॉ लाना उचित नहीं होगा । बोम्बे ने किया है । आप कहेंगे कि बोम्बे का क्यों नहीं मानते ? इसलिये नहीं मानते कि बोम्बे ने पूर्ण

(श्री परसराम मदेरणा)

सेपरेशन किया है और हमने नहीं किया है। पंजाब ने किया है, हम कर नहीं सकते इस समय। जब पूर्ण सेपरेशन कर देंगे तो लेजिस्लेशन लायेंगे। कन्करेंट जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, पर हमने एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मना किया है, जहां कि पार्शियल सेपरेशन किया है, इसमें लीगल एनोमोली का कहा गया तो मैं इसको एग्ज़ामिन करवा लूंगा कि किस तरह से इसको रिमूव किया जा सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिन मजिस्ट्रेट्स की नियुक्तियां की हैं, जो आइ. पी. सी. के अलावा मिस्लेनियस केसेज़ को लेते हैं वे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, हाई कोर्ट की ऐसी रूलिंग है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पॉवर्स को जब तक रेस्ट्रिक्ट नहीं कर दें तब तक आइ. पी. सी. के केसेज़ को सुन सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन। फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज़ या बर्डन की बात कही वह कोई दलील नहीं, आप एग्ज़ामिन करें जिन डिस्ट्रिक्टस में आपने यह सेपरेशन लागू कर दिया हैं वहां आपका कोई फाइनेन्शियल बर्डन बढ़ा नहीं है। आपकी घोषित नीति है कि सम्पूर्ण सेपरेशन लागू करेंगे, फाइनेन्सेज़ की डिफिकल्टी का कह कर इसको रोक नहीं सकते। जिस समय तक कि कानून ला कर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स के पॉवर्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते तब तक इन केसेज़ के सुनने से आप उनको नहीं रोक सकते।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : On a point of order, sir, क्वेश्चन अवर में पौन घंटे में केवल क्वेश्चन्स ही हुए हैं, इस तरह से तो बाकी के सब क्वेश्चन्स रह जायेंगे; इसलिये अध्यक्ष महोदय, टाइम का वितरण किया जाय

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कुछ डिफिकल्टीज़ उठ खड़ी होती हैं, उनको दूर करें। ५१४ की कार्यवाही होती है, अपील या रिविज़न दोनों के पॉवर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में लाई करेंगे, यह डिफिकल्टी है। हाई कोर्ट के नीचे नियुक्त किये हुए मुंसिफ मजिस्ट्रेट से डी. एम. को लाई करेगा। आइ. पी. सी. के केस का है, कोई नाबालिग १६ साल से कम उम्र का एक्यूज्ड है तो कानून कहता है कि उसकी ट्रायल डी. एम. ही कर सकता है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। इस तरह की एक नहीं, बीसियों परेशानियां डे-टू-डे के वर्किंग में आती हैं। आप चाहें तो आज, आप चाहें तो कल-वह सब मैं आपके सामने रख सकता हूं। आपके एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर को चेलेज किया जा सकता है, आप इस तरह से अपने ऑर्डर्स की मखौल न उड़वायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ६२०, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

प्रश्न संख्या ६२०

सरकारी कर्मचारी और राजनैतिक पार्टियों के जुलूस

६२०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 17

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(१) क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनैतिक पार्टी के जुलूस में किसी भी रूप में शामिल नहीं हो सकते ?

(२) क्या वह सही है कि राज्य सरकार को प्रत्येक राजनैतिक पार्टी की गति–विधियों की सूचना मिलती है ?

(३) क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जयपुर अधिवेशन की मुख्य २ गतिविधियों की सूचना राज्य सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या उस प्रसंग में जुलूस में भाग लेने वालो तत्वों एवं संस्थाओं की सूचना भी मिली? यदि हां, तो कोन २ सी संस्थाएं अथवा यूनियनें उस जुलूस में शामिल थीं ?

(४) क्या यह सही है कि कांग्रेस के उक्त जलूस में अनेक ऐसी मजदूर यूनियनें शामिल हुई जिनके सदस्य राज्य कर्मचारी हैं? यदि हां, तो ऐसे राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर जयपुर में राज्य सरकार ने एक रोज का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(एक मिनिट तक विराम)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुख्य मंत्रीजी का है ।

उप-मंत्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा) : वह क्वेश्चन होम डिपार्टमेंट का था, उनको ट्रान्सफर कर दिया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह क्वेश्चन होम डिपार्टमेंट का है, यह कहा । मुख्य मंत्री होम मिनिस्टर भी हैं ; Chief Minister is also the Home Minister. Very poor brief.

श्री परसराम मदेरणा : There is no question of poor brief. I look after some of the departments of the Chief Minister and powers have been delegated to me to reply to questions on the floor of the House. When the question came to me, as the Chief Minister was not here, I sent it to the Home department.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We don't knowit it is for you. It is your own internal arrangement. The question was sent to the Chief Minister who is also the Home Minister.

श्री परसराम मदेरणा : I am not going to take dicates from you. I have only requested the Hon. Speaker that this was the position.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The house is concerned with the reply to the question and not with such lame exucses by the hon. Minister. Whether the question pertains to the Home Minister or the Chief Minister it is for them to see. You should have requested the hon. Speaker in the chamber that you can't reply it. Why waste the time of the House ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न भी गृह मन्त्री के पास भेजा था ।

Page No. 18

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : I would request that some time be given for replying to this question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That's the way of asking.

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

पी. डब्लू. डी. के सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर द्वारा भवानीमन्डी विभाग की जांच

६२१ श्री रामकिशन (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि अप्रैल, ६३ में सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, पी. डब्लू. डी. ने भवानीमंडी विभाग की जांच की थी ?

(२) क्या यह सच है कि इस जांच में पी. डब्लू. डी के ओवरसियर द्वारा चोरी से बेचा गया सीमेन्ट बरामद हुआ था ? यदि हां, तो कितनी बोरी और उस अपराधी को क्या सजा दी गई है ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस जांच में पचपहाड़ डग रोड कार्य की सन् ६१ की श्री देवीलाल मिस्त्री द्वारा बनाई गई जाली मस्टररोल भी पकड़ी गई थी ? यदि हां, तो यह मस्टररोल कितनी थी और इनके द्वारा कितने हजार रुपये का घोटाला किया गया था ?

(४) क्या जाली मस्टररोल बना कर हजारों रुपये खा जाने वाले लोगों के विरुद्ध कोई अदालती कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब, नहीं तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जांच नहीं की थी।

(२) चोरी से सीमेन्ट बरामद होने का प्रश्न नहीं उठता। एक्स. ई. एन. से रिपोर्ट मांगने पर यह मालूम हुआ कि २,३२१ बोरियां पुल पर खर्च हुईं और ८० बोरियां पुलिस स्टेशन पिरावा में खर्च हुईं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

श्री रामकिशन : "जी नहीं" से क्या मतलब ? क्या जांच कराने से पता नहीं चला ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक एनोनिमस रिपोर्ट आई थी जो तथ्यहीन थी।

श्री रामकिशन : क्या मस्टर रोल जाली पाई गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं, कोई नहीं पाई गई।

प्रश्न संख्या ६२२

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह झाला।

मन्त्रियों तथा भूतपूर्व मन्त्रियों से ऋण की वसूली

६२३. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान सरकार के किस किस मन्त्री ने सरकार से कितना कितना ऋण ले रखा है और उसमें से कितना ऋण वसूली योग्य हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या किसी भूतपूर्व मंत्री ने भी कर्ज ले रखा है ? यदि हां, तो किसने तथा कितना अब तक वसूल हो जाना चाहिये था ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चंदनमल वैद) : (१) प्राप्त सूचना के अनुसार केवल निम्नांकित दो मंत्रियों ने भवन निर्माण के लिये सरकार से एम. आई. जी. एच. व एल. आई. जी. एच. स्कीम के अन्तर्गत ऋण लिया था :

(१) श्री हरिभाऊ उपाध्याय : २०,००० रुपये ।

(२) श्री नाथूराम मिर्धा : ८,००० रुपये ।

ऋण की कोई किश्त बाकी नहीं बताई जाती है ।

(२) प्राप्त सूचना के अनुसार भूतपूर्व मंत्रियों में से निम्नांकित मंत्रियों ने उनके नाम के समक्ष दिये कर्ज सरकार से भवन निर्माण हेतु लिया था :

(१) श्री सम्पतराम : रुपये १६,०००; एम. आई. जी. एच के अन्तर्गत ।

(२) श्री रामकिशोर व्यास : रुपये १६,०००; एम. आई. जी. एच. के अन्तर्गत

(३) श्री अमृतलाल यादव : रुपये ८,०००; एल. आई. जी. एच. के अन्तर्गत ।

(४) श्री वेदपाल त्यागी : रुपये ८,०००; एल. आई. जी. एच. के अन्तर्गत ।

(५) श्री रामकरण जोशी : रुपये ८,०००; एल. आई. जी. एच के अन्तर्गत ।

(६) श्री भोलानाथ रुपये ८,००० एल० आइ० जी० एच० के अन्तर्गत ।

(७) श्री पूनमचन्द बिश्नोई रुपये ७,६०० एल० आइ० जी० एच० के अन्तर्गत ।

उक्त मन्त्रियों व उपमंत्रियों में से किसी पर भी कर्ज की कोई रकम चढ़ी हुई नहीं बताई जाती । भवन निर्माण के लिये कर्ज के अतिरिक्त निम्नांकित भूतपूर्व मंत्रियों ने तकावी ऋण लिया था :

(१) श्री कुंभाराम आर्य : ४,५०० रुपये; कूए में पांम्पग सेट लगाने के लिये ।

(२) श्री टीकाराम पालीवाल : ४००० रु.; डेयरी फार्म के लिये ।

(३) श्री रामकरण जोशी रुपये ४००० ।

श्री कुम्भाराम आर्य और श्री रामकरण जोशी कर्ज की रकम अदा कर चुके हैं ।

श्री टीकाराम पालीवाल से २,२५० रुपये की किश्त अब तक वसूल हो जानी चाहिये थी जिसमें से ७५० रुपये वसूल हो चुके हैं । बकाया १५०० रुपये की वसूली के लिये पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही दिनांक १२.८ ६४ को चालू कर दी गई हैं

श्री विजयसिंह झाला : इसकी सूची दी जाय ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : श्री नाथूराम मिर्धा ने जो ८ हजार का कर्जा लिया है

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

वह अपना मकान किस जगह बनाने के लिए लिया है ?

श्री चन्दनमल वैद : मंत्री होने के पहले उन्होंने यह कर्जा लिया था । हमारी सूचना यह है कि जिस कार्य के लिए कर्जा लिया था उस कार्य में ही यह रुपया लगाया गया है ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कहां से सैंक्शन हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट से ?

श्री चंदनमल बैद : जोधपुर से ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : यदि मन्त्री बनने से पहले लिया है तो हमने....

श्री चन्दनमल वैद : मन्त्री बनने से पहले जिन्होंने ऋण लिया है । अगर सूचना नहीं देते तो आप कहते कि क्यों नहीं बताया ।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार ।

गम्भीरी तथा मुर्लिया बांध की डूब में आई भूमि के एवज में दी गयी भूमि का लगान

६२४. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि गंभीरी बांध और मुर्लिया बांध की डूब में आई भूमि से प्रभावित किसानों को जो दूसरी जगह खेती की भूमि दी गई है उसका कई वर्षों से लगान नहीं लिया जाता है और क्या यह भी सही है कि वह भूमि जिस पर वे काश्त कर रहे हैं उनके नाम दर्ज भी नहीं हुई है ?

(२) यदि हां, तो सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं । गंभीरी बांध की डूब में आई भूमि से प्रभावित किसानों को दी हुई भूमि उनके नाम दर्ज हो चुकी है और लगान भी वसूल हो रहा है । मुर्लिया बांध की डूब में आई भूमि से प्रभावित किसानों के नाम भूमि दर्ज करने की कार्यवाही जारी है और सिवाय मौजा चरलिया के सब व्यक्तियों से लगान वसूल हो रहा है । वसूली के कागजात जेर कार्यवाही हैं ।

(२) कार्यवाही जारी है ।

श्री अब्दुल जब्बार : यह जो आपने बताया कि गंभीरी बांध के लोगों को अलॉटमेंट हुआ, उनसे लगान ली गई है और ली जा रही है और उनके नाम वह भूमि अलॉट हो गई है ; तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास लिस्ट हो तो आप बताइये कि मोधा में, शाहाबाद में, सांथलखेड़ा में, रामगढ़ में, अडनिया में कितने आदमियों को जमीनें दी गई हैं ? अगर आपके पास यह उत्तर तहसील से आया है तो यह गलत है । आप महरबानी करके इसके लिए तहसील को लिखें, अभी भी उनके नाम लगान जमा नहीं हो रहा है । आप तहसील से पूछिए कि मोधा, सांथलखेड़ा, शाहाबाद, रामगढ़, अडनिया में कितने आदमियों से लगान ले रहे हो ?

श्री परसराम मदेरणा मेरे पास जो जानकारी है वह है गंभीरी बांध को जो भूमि डूब में आ गई उससे करीबन ४६ किसान प्रभावित हुए, उनमें से ४५ को जमीन दी

(श्री परसराम मदेरणा)

जा चुकी है और उनसे लगान वसूल हो रही है। यदि आप कह रहे हैं कि नहीं वसूल हो रही है तो मैं इसकी जानकारी करवा लूंगा। मेरे पास जो सूचना हैं उसके अनुसार सिर्फ एक किसान को भूमि नहीं मिली है, इसका कारण यह है कि जमीन अलॉट हो गई थी, लेकिन वह फोरेस्ट की जमीन थी जिसमें चंदन के पेड़ थे; इसलिए उसको पजेशन नहीं मिला।

श्री अब्दुलजब्बार : जो गजसिंह का केस है वह तो इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में चल रहा है। मुर्लिया बांध की इन्फोर्मेशन गलत है, गंभीरी बांध की सूचना गलत है। मुर्लिया बांध बासा गांव में है, वहां लगान के संबंध में किसान मेरे पास आए कि लगान नहीं ली जा रही है। आप महरबानी करके जांच कराइये। लगान नहीं ली जा रही है, जमीन दर्ज नहीं हुई, इससे किसानों को तकलीफ हो रही है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी जानकारी में सिर्फ चरलिया गांव में जो किसान हैं वे लोग चरनोट में आबाद हो गए थे जिसका डिस्प्यूट चल रहा है; इसलिए १९६२-६३ में उनसे वसूल नहीं हुई है। अगर आप गांवों की लिस्ट दे देंगे तो मैं फर्दर एन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री अबदुलजब्बार : नामावली आपको दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचंद जैन।

जियोलोजिकल सर्वे विभाग द्वारा ग्राम दडीबा की सर्वे रिपोर्ट

६२५. **श्री फूलचंद जैन** (सुजानगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार के जियोलोजिकल सर्वे विभाग द्वारा ग्राम दडीबा में तांबा उपलब्ध होने की संभावनाओं के बारे में हाल ही में सर्वे किया गया था?

(२) क्या यह सही है कि सर्वे कर लिए जाने पर उन्होंने वहां पर अच्छी किस्म का तांबा उपलब्ध होने के साथ साथ अन्य उपयोगी व कीमती धातु उपलब्ध होने की भी संभावना प्रगट की है, सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) सरकार इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही किये जाने पर विचार कर रही है?

उप-मंत्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा)

(१) जी हां।

(२) तांबा मिलने की सूचना अवश्य मिली है, पर उसके अतिरिक्त अन्य उपयोगी व कीमती धातुओं की उपलब्धि की विषय में भारत सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सर्वे रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई। अत: सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) भारत सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आगे की कार्यवाही के विषय में विचार किया जा सकता है।

श्री फूलचंद जैन : सर्वे कब कराया गया?

श्री परसराम मदेरणा : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : काफी समय हो गया, करीब ४-५ महीने हो गए। जहां तक मेरी जानकारी है इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त होनी चाहिए थी। वहां तांबे के अलावा कोई बहुमूल्य धातु उपलब्ध होने की संभावना पाई गई है?

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन भारत सरकार से रिपोर्ट नहीं आई। उसके आने के बाद ही कहा जा सकता है कि कौनसी वस्तु मिल सकेगी। जो जानकारी हमारे डिपार्टमेंट की है उसके अनुसार तांबे के अलावा कोई कीमती धातु प्राप्त हुआ हो, ऐसी रिपोर्ट नहीं है। भारत सरकार की रिपोर्ट आने के बाद देखा जायगा।

श्री अध्यक्ष: श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

कांग्रेस अधिवेशन भुवनेश्वर में शरीक होने वाले मन्त्रियों व उपमन्त्रियों व सरकारी कर्मचारियों द्वारा टी० ए० व डी० ए० की वसूली

६२६. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्रियों व उपमंत्रियों में से कौन सदस्य भुवनेश्वर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने गए ?

(२) इन मंत्रियों व उपमंत्रियों के साथ स्टाफ के कौन कौन व्यक्ति थे ?

(३ इन मंत्रियों व उपमंत्रियों में से किन किन ने कितना कितना टी० ए० व डी० ए० राज्य सरकार से वसूल किया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(४) इन सदस्यों में से किसने रेल का, किसने हवाई जहाज का अथवा मोटर का किराया चार्ज किया ?

(५) इस यात्रा में मंत्रियों, उपमंत्रियों व कुल स्टाफ के व्यक्तियों को दिए गए टी० ए. व डी० ए० की रकम कितनी है ?

(६) ये सब मंत्री, उपमंत्री व स्टाफ के व्यक्ति सरकारी कार्य से गए थे या निजी कार्य से ? अगर सरकारी कार्य के लिए गए थे तो कौन से कार्य के लिए ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल बैद) : (१) श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री।

(२) श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री।

(३) श्री बरकतुल्ला खां, स्वास्थ्यमंत्री।

(४) श्री भीखाभाई, वन मन्त्री।

(५) श्रीमती कमला बेनीवाल, उपमंत्री, योजना।

(६) श्री भवानीशंकर नन्दवाना, उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण।

२. (१) श्री मोहनलाल सुखाड़िया :
निजी सहायक १।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी १।
गनमैन १।

(२) श्री नाथूराम मिर्धा :
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी १।

(३) श्री बरकतुल्ला खां :
गनमैन १।

(४) श्री भीखाभाई :
गनमैन १।

(५) श्रीमती कमला बेनीवाल :
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी १।
निजी सहायक १।
गनमैन १।

(६) श्री भवानी शंकरनन्दवाना :
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी १।

(श्री चन्दनमल वैद)

निजी सहायक १ ।
गनमैन १ ।

३. जो मंत्री । उपमंत्री भुवनेश्वर गये उनमें से किसी ने भी यात्रा के सम्बन्ध में कोई यात्रा भत्ता सरकार से नहीं लिया है।

४. प्रश्न नहीं उठता।

५. सचिवालय स्टाफ के व्यक्तियों को दिये गये यात्रा भत्ते की कुल रकम रु० ५६७.२५ पै० है व गनमैनों की ५६३.०७ है।

६. मंत्री व उपमंत्री निजी कार्य से गये थे व स्टाफ सरकारी ड्युटी पर था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि जो मन्त्री और उपमन्त्री वहां पर गये, वे अपने साथ गनमैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सेक्रेट्री वगैरह ले गये जबकि यह पार्टी का अधिवेशन था; तो उसके अन्दर इन लोगों के जाने की क्या आवश्यकता थी?

श्री चन्दनमल वैद : जो मंत्री या उपमंत्री गए वे अपने निजी कार्य से गए, लेकिन क्योंकि मंत्री और उपमंत्री वे उस समय भी थे इसलिए स्टाफ उनके साथ ड्यूटी पर था। इसके बारे में हमने ए. जी. को रेफर किया था और उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को ऐसी हालत में यात्रा भत्ता देना वाजिब है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वहां मंत्री, उपमन्त्री गए और ४-४, ५-५ गनमैन उनके साथ गये, आखिर क्या कारण था, क्या खतरा था कि कांग्रेस अधिवेशन में कोई उनको मार जायगा या ज्यादती हो जायगी जो ५०० रुपये से ज्यादा पैसा हमारी सरकार ने खर्चा किया? तो पार्टी अधिवेशनों में सरकार के खर्चे पर सरकारी आदमियों को लिया जाय, तो क्या यह अच्छी बात है?

श्री चन्दनमल वैद : किसी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर के साथ ४-५ गनमैन नहीं थे। अधिकांश मंत्री व उपमन्त्री केवल एक गनमैन ले गए, एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ले गए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने जवाब में बताया कि एक मिनिस्टर के साथ एक गनमैन तो कुल मिला कर ४-५ हो गए। उन सबको आप एक ही जगह पर ले गये, तो कौन सा खतरा था? आप कांग्रेस के आदमी हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में जा रहे हैं, वहां कौन सा खतरा था? कल आप कहेंगे कि सारे परिवार को ले जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या सरकार इस खर्च को उचित समझती है? मन्त्री कहीं पर जायं अपने निजी कार्य पर और उनके पीछे जो कर्मचारी जायं उनका खर्चा खजाने से लिया जाय, तो यह उचित नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : हम उचित और वाजिब दोनों समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल। तथ्य सदन के सामने आ गए हैं, इस समय बहस न की जाय।

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री मुरलीधर व्यास : जो जवाब दिया है कि जहां मंत्री लोग कहीं पर भी जायं और किसी प्रकार से भी खर्चा करें तो हम यह उचित नहीं समझते, और ऐसे जवाब पर हम वाक आउट करते हैं।

(संयुक्त समाजवादी सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार उचित समझती कि पोलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन्स में सरकारी कर्मचारी जो वहां पर शरीक होते हैं और उन पर खर्च होता है तो क्या सरकार इरादा रखती है कि टी० ए० रूल्स में इस प्रकार का संशोधन किया जाय कि कोई भी मंत्री या कोई सरकारी कर्मचारी राजनीति के बारे में यात्रा पर जाय तो उसका खर्चा वे खुद करें ?

(११.०० म. पू.)

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया है मंत्री महोदय ने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने यह कहा कि ए० जी० ने यह कहा कि चार्ज किया जा सकता है....

श्री अध्यक्ष : We can't debate it now.

प्रश्न संख्या ६२७

श्री नत्थीलाल

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६२८

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

मैकेनिकल इन्स्पेक्टर के पद पर प्रमोशन

६२९. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकारी ड्राइवरों को मैकेनिकल इन्स्पेक्टर के लिए ट्रेनिंग देकर प्रमोशन देने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : जी नहीं। प्रावधान अनावश्यक है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देकर उनको मैकेनिकल इन्स्पेक्टर बनायें; इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री भीमसिंह : सरकार ने इसके लिए ट्रेनिंग स्कूल नहीं खोल रखा है। जो व्यक्ति इस सम्बन्धी क्वालिफिकेशन्स फुलफिल करता है व कोटा है, वह उसमें एलीजिबल होता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : ड्राइवरों को क्या प्रमोशन होता है ?

श्री भीमसिंह : मैकेनिकल इन्स्पेक्टर का प्रमोशन नहीं होता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या होता है ? क्या जन्म तक ही ड्राइवर रहेंगे ?

श्री भीमसिंह : जो ग्रेड्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन्स फुलफिल करेंगे तब होगा ?

श्री जयनारायण सालोदिया : उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, उसका क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : ड्राइवरों को ड्राइवर्स की ग्रेड में प्रमोशन मिलता है, मैकेनिकल ग्रेड में नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : ट्रेनिंग ले लेता है, तो मैकेनिकल इन्स्पेक्टर बनाने में क्या दिक्कत है ?

श्री भीमसिंह : अगर क्वालिफिकेशन्स फुलफिल करेंगे तो मैकेनिक्स होंगे।

स्थगित प्रश्न

(१ -१०-६४)

प्रश्न संख्या ४५२

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न-समाप्त हुए।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय कल दे दें। आज वे तैयार नहीं हैं; प्रश्न संख्या ६३२।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : मेरे प्रश्न संख्या ६३० का भी।

श्री अध्यक्ष : अब कोई प्रश्न नहीं लिए जावेंगे।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

उप-सरपंच ग्राम पंचायत भिडूंसी तहसील, तिजारा, का कत्ल

६२२. श्री रमानन्द अग्रवाल (अलवर) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम भिडूंसी, तहसील तिजारा, में डाकुओं ने ग्राम पंचायत के उप-सरपंच, श्री छज्जूलाल का मार्च, १९६४ में कत्ल किया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त डाकुओं की पिस्तौल घटनास्थल पर पुलिस को बरामद हुई ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त पिस्तौल को बनाने वाले कारीगर का भी पुलिस को पता लग चुका है और उसने अपने बयान भी पुलिस के सामने दिए हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त कारीगर ने एक व्यक्ति का नाम बताया है जिसने कि वह पिस्तौल उससे खरीदी थी ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(५) क्या यह सही है कि वह व्यक्ति जिसका नाम मिस्त्री ने पिश्तौल को खरीदने वाला बताया है वह सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, अलवर के साथ जीप में बैठाकर अन्य डकैतियों की तफ्तीश के सिलसिले में लेजाया गया है ?

(६) क्या इस कत्ल के सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है ? अगर हुई है, तो किस किस की ? अगर नहीं हुई, तो क्यों नहीं ?

(७) क्या पुलिस ने इस केस की जांच समाप्त करके केस का चालान पेश किया है ? यदि नहीं, तो जांच किस स्टेज में है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, किन्तु दिनांक २१। २२–३–६४ की रात्रि में दो अज्ञात व्यक्ति श्री छज्जूराम के मकान में चोरी के लक्ष्य से प्रविष्ट हुए। श्री छज्जूराम के जग जाने पर आपस में भिड़न्त होने से श्री छज्जूराम के सिर में उन अज्ञात व्यक्तियों में से किसी द्वारा सख्त व मोटी वस्तु से प्रहार करने से श्री छज्जूराम के सिर में भीषण चोट आने से दिनांक २४–३–६४ को उसका अलवर अस्पताल में देहान्त हो गया।

(२) जी हां

(३) जी हां

(४) जी हां, पिश्तौल बनाने वाले ने बख्तावरसिंह को उक्त पिश्तौल बेचना बताया है।

(५) डकैतियों के अन्वेषण के संबंध में कई व्यक्तिगण से पूछताछ की गई थी अतएव यह पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त व्यक्ति पूछताछ हेतु बुलाया गया था या नहीं, किन्तु यह निश्चित है कि यह सब इस घटना से उक्त व्यक्ति पर संदेह होने के पूर्व की बात है।

(६) इस प्रकरण में सर्व श्री दरशनसिंह राय सिक्ख वासी भिन्डुसी व बचनसिंह राय-सिक्ख वासी शाहबाद को संदेह पर दि० ६–४–६४ को पुलिस निरोध में लिया गया था; जिनसे पूर्णतया पूछताछ करने पर उनके विरूद्ध चालान करने योग्य प्रमाण नहीं मिलने से दि० २१–४–६४ को उन्हें धारा ४६७ भा० द० वि० सं० के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त कर दिया गया है।

(७) अभियुक्त अवतारसिंह फरार है जिसके विरूद्ध धारा ८७–८८ भा० द० वि० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही होकर धारा ५१२ भा० द० वि० सं० के अन्तर्गत कार्य-वाही हो रही है।

हायर सैकन्डरी स्कूल, नदबई में साइन्स क्लास

६२७. श्री नत्थीलाल (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नदबई हायर सेकेन्डरी स्कूल में चन्दे की रकम से साइन्स की लेबोरेट्री का कमरा तैयार हो गया है और सामान भी खरीद लिया गया है ?

(श्री नत्थीलाल)

(२) यदि हां, तो वहां साइंस क्लास क्यों नहीं खोल जाते है ?

उत्तर

(१) जी हां, । फिज़िक्स कैमिस्ट्री के लेबोरेट्री बन गई है । बाइलौज़ी की लेबोरेट्री अभी नहीं बनी है ।

(२) वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ्स की कक्षाएं चालू हैं । बाइलोजी की क्लास स्थानाभाव यानी लेब्रोरेट्री रूम की कमी के कारण अभी तक नहींखोली जा सकी है ।

भूमिहीन किसानों को भूमि-तहसील केशवरायपाटन

६२८. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन तहसील में हजारों किसान ट्रेसपासर हैं जिन्होंने चम्बल नदी व मेज नदी के दरडे-बरड़े व ऊबड़-खाबड़ भूमि को काबिल काश्त बनाया है और सरकार उनसे रकम वसूल करना चाहती है ?

(२) यदि हां, तो उक्त भूमि में जो प्रोजेक्ट एरिया में शामिल कर दिया गया है, कितने किसान ट्रेसपासर हैं और कब से ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त भूमि में अभी तक केनाल का पानी नहीं पहुंच सका है और न पानी पहुंचने की सम्भावना है ?

(४) क्या यह सही है कि सम्बन्धित जिला परिषद् ने ऐसे क्षेत्र को कमाण्ड . क्षेत्र से बाहर निकाल कर भूमिहीन किसानों को २५ बीघा भूमि मुफ्त देने की घोषणा की है ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त किसानों पर कोलोनाइजेशन विभाग के द्वारा मनमानी दरें पेनल्टी लगाकर रकम वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी किन्तु उस विभाग के समाप्त हो जाने के पश्चात् अब रेवेन्यू विभाग वसूली कर रहा है तथा वारन्ट कुर्कियां जारी करके किसानों को परेशान किया जा रहा है ?

(६) क्या सरकार भूमिहीन किसानों को उचित कीमत पर भूमि देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) उक्त भूमि में सिर्फ दरड़े वाले ग्रामों में जिसमें समतल जमीन मिली उसको नौतोड़ किया है । ऐसे करीब ३०० ट्रैसपासर हैं जिनकी संख्या सम्वत् २०१८ से बढ़ती ही बढ़ती जा रही है ।

(३) उक्त भूमि में बीच बीच में खाल व नाले ऊबड़ खाबड़ आ जाने से पानी पहुंचने की सम्भावना नहीं है ।

(४) जिला परिषद् बूंदी ने इस किस्म का प्रस्ताव पास किया था जिसके द्वारा यह

(श्री राजस्व मंत्री)

प्रगट किया गया कि ऐसे क्षेत्रों में जहां चम्बल का पानी नहीं पहुंचता है उनको चम्बल एरिया से बाहर निकाल दें। लेकिन मुफ्त देने बाबत निर्णय नहीं था, बल्कि लगान व पैनेल्टी लेकर खाते बांधने बाबत निर्णय किया था।

(५) जी नहीं; कोलोनाइज़ेशन विभाग द्वारा जो सेल व अलॉटमेंट किया गया था और उसकी कायमशुदा जो किश्तें की रकमें ड्यू हो गई हैं उसे राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार वसूल किया जाता है, बाकी किसी को नाजायज तरीके से परेशान नहीं किया जाता।

(६) जी हां, भूमिहीन किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही भूमि दी जाती है।

(स्थगित प्रश्न)

(१६-१०-६४)

बिजली और पानी की व्यवस्था

५५२. श्री हरलाल (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ मल्टीपर्पज हायर सैकेन्डरी स्कूल के पास ही बिजली के खम्भे लगे हुए हैं ? अगर हां, तो इस शाला में बिजली देने में क्या रुकावटें हैं ?

(२) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ हायर सैकन्डरी स्कूल के लगभग एक हजार विद्यार्थी जिस कुंए का पानी पीते हैं उस पर दिन भर लोग नहाते और कपड़े धोते हैं ? यदि हां तो प्रतापगढ़ में वाटर वर्क्स होते हुए भी स्कूल में नल के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल में बिजली और पानी के लगवाने का एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(१) बिजली की लाइन लगभग ८००-९०० फीट दूर है। अर्थाभाव के कारण।

(२) पानी का कनेक्शन स्कूल ने ले लिया है।

(३) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मंत्रियों द्वारा टी. ए. व डी. ए. के रूप में ली गई धनराशि

१४३. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् ६३ से लेकर जुलाई, १९६४ तक हर मन्त्री ने कितनी कितनी रकम सरकार से टी० ए० व डी० ए० के रूप में ली है ?

Page No. 29

(श्री विजयसिंह झाला)

(२) उपरोक्त समय में किस किस मन्त्री ने सरकारी मोटरों में कितने कितने माइल यात्रा की ? क्या इसका कोई रेकॉर्ड सरकार के समक्ष है ?

उत्तर

(१) यह सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है।

(२) मन्त्रियों ने सरकारी मोटरों में जितने जितने मील यात्रा की है; ब्यौरे की तालिका संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्त कालय में रखी गई)

विभागीय सलाहकार समितियों का निर्माण

१४४. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य स्तर पर किन किन विभागों के लिए विभागीय सलाहकार समितियों का निर्माण किया गया है ? उनके सदस्यों की नामावली सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) अन्य किन किन विभागों के लिए सलाहकार समितियां कायम करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

(३) अब तक नहीं किए जाने के क्या कारण है ?

उत्तर

(१) राज्य स्तर पर निम्नलिखित विभागों के लिये सलाहकार समितियों का निर्माण किया जा चुका है:—

(१) जनसम्पर्क कार्यालय।
(२) उद्योग विभाग।
(३) यातायात विभाग।
(४) शिक्षा विभाग।
(५) श्रम विभाग।
(६) योजना विभाग।
(७) अकाल सहायता विभाग।
(८) सहकारिता विभाग।
(९) समाज कल्याण विभाग।
(१०) टाउन प्लानिंग विभाग।
(११) वित विभाग – १ आबकारी एवं कर
२ अल्प बचत योजना विभाग।
(१२) कृषि विभाग।
(१३) विद्युत विभाग।
(१४) सामान्य प्रशासन विभाग।
(१५) राजस्व विभाग।

(नामावली सदन की मेज पर रखदी गई है)

(२) फिलहाल अभी अन्य कोई भी सलाहकार समितियों के कायम करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं हैं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 30

जागीर विभाग में विचाराधीन मामले

१४५. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कार्यालय जागीर कमिश्नर राजस्थान में बहस होने के बाद कितने मामले कौन कौन से व्यक्तियों के और कब से पड़े हुये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या इस कार्यालय में मौजूदा स्टाफ कार्य-संपदान के लिए काफी है ?

उत्तर

सिर्फ—

(१) श्रीमती मोहन कंवर जागीदार बगरू का मामला दिनांक ३-६-६३ से ।

(२) जी हां ।

जयसमन्द तालाब के पेटे की भूमि का लगान

१४६. **श्री देवीलाल मीणा** (सराडा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या उदयपुर जिले में स्थित जयसमन्द तालाब के पेटे की भूमि का गत रबी की फसल का लगान नकदी में लिया जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो किस दर से ?

उत्तर

जी हां ।

(१) लगान नकदी में लेने की कार्यवाही की गई है ।

(२) रेन्ट रेट के निर्धारण की कार्यवाही चल रही है ।

जिला बांसवाड़ा में चोरियां

१४७. **श्री विट्ठल** (बांसवाड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बांसवाड़ा में सन् १९६३ व ६४ में अब तक कुल कितनी चोरियां हुई हैं और कितनी चोरियां बरामद हुई ?

(२) कितनी चोरियां अभी तक बरामद नहीं हुई और कितने केस चालान हुए ?

उत्तर

(१) सन् १९६३ तथा ६४ में जुलाई के अन्त तक कुल ३०९ चोरियां हुई; जिनमें से अब तक १५५ चोरियां बरामद हो सकी हैं ।

(२) १५४ चोरियां बरामद नहीं हो सकीं—कुल ११६ चोरियों का चालान प्रस्तुत किया जा चुका है ।

बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के अध्यापकों की वेतन-श्रृंखला

१४८. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री जोधसिंह चौहान)

(१) राजस्थान में बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में जन सेवा आयोग से एप्रूव्ड १५०-१५-३०० की वेतन श्रृंखला में कितने अध्यापक हैं ?

(२) कितनी महिला अध्यापिकायें भी महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में १५०-१५-३०० के वेतन मान में एप्रूव्ड हैं ?

(३) कितने ऐसे अध्यापक रह जाते हैं जो ३ वर्ष या उससे अधिक समय तक स्थानापन्न वेतन-मान १५०-१५-३०० में कार्य कर रहे हैं ?

(४) ऐसे लोगों के भविष्य के बारे में क्या होगा ? वे कब तक स्थानापन्न रहेंगे ?

(५) उन अध्यापकों की संख्या देने की कृपा करें जिन्हें शिक्षा विभाग ने १७०-३३५ का वेतन-मान दे रखा है जब कि एस० टी० सी० के पढ़ाने वाले अध्यापक का नवीन वेतन-मान अब तक तय नहीं हो पाया है।

उत्तर

(१) राजस्थान में बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में जन सेवा आयोग से चुने हुए १३८ अध्यापक व अध्यापिकायें १५०-१५-३०० की वेतन-श्रृंखला में कार्य कर रहे हैं।

(२) ५ महिला अध्यापिकायें हैं जो १५०-१५-३०० की वेतन श्रृंखला में जन सेवा आयोग से चुनी हुई है।

(३) ६७ ऐसे अध्यापक व अध्यापिकाएं हैं जो कि तीन वर्ष या इससे अधिक समय तक स्थानापन्न वेतन-मान १५०-१५-३०० में कार्य कर रहे हैं।

(४) ऐसे अध्यापक व अध्यापिकाएं जब तक जन सेवा आयोग या विभागीय चुनाव समिति से न चुन लिये जावें स्थानापन्न ही रहेंगे।

(५) ऐसे अध्यापक व अध्यापिकाओं की संख्या १५६ है जो कि १७०-३३५ की वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे हैं। आर०पी० एस० सितम्बर, १९६१ के नियमानुसार बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में कार्य करने वालों की वेतन-श्रृंखला १७०-३३५ निर्धारित है इसलिए जो नई नियुक्तियां होती हैं वे सब १७०-३३५ की बेतन श्रृंखला में ही की जाती हैं। अभी कुछ समय पहिले ही सरकार ने १५०-१५-३०० की वेतन-श्रृंखला को १७०-३३५ की वेतन श्रृंखला के समक्ष मान लिया है, अतः ऐसे अध्यापक व अध्यापिकाएं जो १५०-१५-३०० की वेतन श्रृंखला में हैं, का फिक्सेशन १७०-३३५ की वेतन-श्रृंखला में शीघ्र ही कर दिया जावेगा।

भूमि का अलॉटमेन्ट, तहसील वल्लभनगर एवम् तहसील लसाड़िया

१४६. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या उदयपुर जिले कीवल्लभ-

Page No. 32

(श्री उदयलाल वर्दिया)

नगर एवं लसाड़िया तहसीलों में ऐसी भूमि भी भूमिहीनों को एलॉट की गई है जिसमें हरे वृक्ष, बंबूल, सागवान, सरस आदि के थे ?

(२) क्या उक्त जमीनों के हरे वृक्ष की कीमतें भी वसूल कर राज्य कोष में जमा की गई थीं ?

(३) दोनों ही तहसीलों की ऐसी जमीनों के आसामियान की संख्या बताई जावे।

(४) क्या उपरोक्त जमीन के वृक्ष काटने के लाइसेन्स भी रेवेन्यू अधिकारी द्वारा दिये गये ? यदि हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों नहीं दिये गये ?

(५) क्या यह सही है कि वल्लभनगर तहसील में इस प्रकार से हजारों वृक्ष बगैर ट्रांजिट पास से निकास कर लाखों रुपयों का लाभ तहसीलदार की साजिश से व्यक्ति विशेष को दिलाया गया है ? क्या इसकी शिकायत होने पर सन् १९६२ में इसकी जांच होकर कागजात जिलाधीश, उदयपुर के कार्यालय में दबे पड़े हैं ?

(६) क्या यह भी सही है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को जांच के समय मौका दिखाने की सूचना नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) तहसील वल्लभनगर में घने वृक्षों की भूमि एलोट नहीं की गई है, कहीं कहीं मामूली और बहुत कम तादाद में खेजड़ा आदि है। तहसील लसाड़िया के भूमिहीनों को जो भूमि अलॉट की गई है उनमें हरे वृक्ष सरस, सागवान आदि है, बंबूल नहीं हैं।

(२) कुछ काश्तकारान से तो वसूल हो चुका है और बाकी से वसूल करने की कार्यवाही जारी है।

(३) तहसील वल्लभनगर में ४० और लसाड़िया में २५ ऐसे आसामी हैं।

(४) प्रार्थना-पत्र पेश होने पर लाइसेंस देने का प्रावधान है। तहसील वल्लभनगर के किसी काश्तकार का प्रार्थना-पत्र ऐसी भूमि में से पेड़ काटने का लाइसेन्स मिलने बाबत पेश नहीं किया गया। तहसील लसाड़िया में १२ काश्तकारों को लाइसेन्स दिये गये।

(५) श्री भूंदीलाल पूर्व सरपंच दरोली के खिलाफ अवैधानिकता से चरनोट भूमि के बंबूल नीलाम करने की शिकायत पर बाद जांच के उनकी भर्त्सना की गई।

(६) उक्त शिकायत प्रारम्भ में श्री खेमा की पेश हुई। तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा वक्त जांच गांव ढाबा ढीमडा में खेमा नाम के तीन व्यक्तियों का होना जाहिर आने से तहसीलदार वल्लभनगर ने तीनों व्यक्तियों को तलब कर बयान कलमबन्द किये। बयान में तीनों व्यक्तियों ने शिकायत से लाइल्मी जाहिर की है।

अकाल सहायता पर खर्च एवं फसल खराब होने पर लगान की माफी

१५०. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान राज्य के निर्माण से आज तक अकाल सहायता के सम्बन्ध में कुल कितना खर्चा किया गया है तथा फसल खराब होने के कारण कुल कितना लगान माफ किया गया है ?

उत्तर

(१) सन् १९४९-५० से सितम्बर ६४ तक विभिन्न सहायता कार्यों पर ८,४३,०४,८५०) रु० तथा तकावी ३,५४,६६,९८०९.) की धनराशि दी गई है। लगान में छूट ८३,६५,७४८)रु० की दी गई है। छूट के इन आंकड़ों में सन् ६१-६२ व ६२-६३ के आंकड़े शामिल नहीं हैं। ६३-६४ में छूट देने के मामलों पर राजस्व (ख) विभाग में विचार किया जा रहा है।

(११.०५ म० पू०)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स, उदयपुर के आधीन जंगलों के ठेकों के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) एवं श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं, मेडीकल कॉलेज, उदयपुर भवन तथा अस्पताल के निर्माणार्थ अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर भीलवाड़ा (वाया चित्तौड़-फतहनगर) मार्ग से राजकीय आय में हानि होने के सम्बन्ध में चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी विभागों द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को जमा अमानत रकम समय पर न लौटाई जाने के सम्बन्ध में चार व्यक्तियां द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नाहरगढ़ सड़क, जयपुर को न सुधारे जाने के सम्बन्ध में दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिक उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं नदी पुरानी बस्ती, जयपुर में कच्ची बस्तियों में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा भूमि देकर बसाने का यत्न न किये जाने के सम्बन्ध में चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स भीलवाड़ा के मजदूरों विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : कल मंत्री महोदय ने भीलवाड़ा मिल के सम्बन्ध में वक्तव्य देना स्वीकार किया था।

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : राजस्थान स्पिनिंग एन्ड विविंग मिल्स, भीलवाड़ा के गेट के बाहिर तारीख १७-१०-६४ को दोपहर बाद से श्री जमाल नामक श्रमिक ने भूख हड़ताल शुरू की। यह श्रमिक टेक्सटाइल लेबर यूनियन का सदस्य है और राजस्थान स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स में रिंग फ्रेम में "चार साइडर" की जगह नियुक्त किया गया था। दिनांक २२-१०-६४ रात्रि से दो और श्रमिकों ने भूख हड़ताल शुरू की जिनके नाम इस प्रकार हैं :

(१) श्री उदयलाल व (२) श्री मोधो।

भूख हड़ताल की इस कार्यालय को दिनांक १८-१०-६४ तक कोई सूचना नहीं दी गई थी और टेक्सटाइल लेबर यूनियन ने दिनांक १६-१०-६४ को करीब ११ बजे लिखित में भूख हड़ताल की सूचना दी। भूख हड़ताल पर जाने का मुख्य कारण यह बतलाया कि दिनांक ८-१०-६४ को जो समझौता मान्यता प्राप्त यूनियन यानी मिल मजदूर संघ के साथ हुआ है और उसमें श्रमिकों का वेतन व श्रमिकों की संख्या व श्रमिकों को स्थाई करने के प्रसंग को लेकर इस समझौते के विरोध स्वरूप यह भूख हड़ताल शुरू की गई। जहां तक वेतन कम करने का प्रश्न है अभी तक इस समझौते से किसी का वेतन कम नहीं किया गया है, लेकिन वेतन में वृद्धि अवश्य हुई है। श्रमिकों का मूल वेतन २८ रु० से बढ़ा कर ३० रु० कर दिया गया है और मंहगाई व वेज बोर्ड एलाउन्स मिला कर कुल वेतन ७८ रुपये होता है और इसके अलावा यह भी स्वीकार किया गया है कि जो माथुर कमेटी की सिफारिश राज्य सरकार मान लेगी यह लागू कर दी जायेगी। अतः वेतन में कटौती का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक तीन साइडर के वेतन का प्रश्न है वहां ५ रु० की समझौते द्वारा बढ़ोतरी और दी गई है; अतः यह कहना भी गलत है कि कार्यभार तो बढ़ाया मगर वेतन नहीं बढ़ाया। बिना कार्य-भार के बढ़ाये वेतन भी बढ़ाया है।

यूनियन के प्रतिनिधियों से पूछा गया तो यह बतलाने में असमर्थ रहे कि किसका वेतन कम किया गया और वहां वर्क लोड बढ़ाया गया। एक टेक्नीकल विषय होने के कारण मजदूरों में जो कुछ गलतफहमियां थीं आपसी बातचीत के द्वारा दूर भी की गई और अगर भविष्य में होंगी तो दूर भी की जायेंगी। यूनियन के प्रतिनिधियों ने बतलाया कि बंडलिंग विभाग में ८ श्रमिकों पर ४४० बंडल बांधने का कार्यभार था और अब एक श्रमिक कम कर दिया गया है। जहां एक श्रमिक कम किया वहां पर ४४० के बजाय ३६० बंडल ही रखे गये हैं। इस विषय में जानकारी की गई तो अहमदाबाद में ५ व्यक्तियों को ४०० बंडल बांधने पड़ते हैं।

श्रमिक कोई ऐसा उदाहरण नहीं दे सके कि अमुक व्यक्ति का वर्क लोड तो बढ़ा दिया गया है और वेतन में कटौती कर दी गई है; फिर भी अगर कोई उदाहरण दिया गया तो उसकी जाच की जाकर उस पर उचित कार्य-वाही की जा सकती है।

(श्री भीखाभाई)

जहां तक श्रमिक श्री जमाल का वजन घटने का प्रश्न है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिर भी जमाल व अन्य दो श्रमिकों की डॉक्टरी जांच २३-१०-६४ को सर्व प्रथम हुई और उसके पहले किसने वजन लिया मालूम नहीं। जहां तक डॉक्टर से मालूम हुआ उन्होंने इस व्यक्ति का पहले वजन नहीं लिया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कितना पाउन्ड वजन कम हुआ।

जो एग्रीमेन्ट तारीख ८-१०-६४ को मिल मैनेजमेन्ट तथा मिल मजदूर संघ के बीच हुआ है वह इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, १९४७ की धारा १८(३) के अन्तर्गत सभी श्रमिकों पर लागू है। यह यूनियन रिप्रेज़ेन्टेटिव यूनियन भी है। अतः समझौते को दूसरी यूनियन द्वारा चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। अतः श्रमिकों द्वारा उठाया गया भूख हड़ताल का कदम अनुचित है तथा अनुशासन संहिता के भी विरुद्ध है और उन्हें तुरन्त भूख हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो स्टेटमेन्ट मन्त्री महोदय ने सदन में रखा है उसमें आपने दो-तीन बातें मन्जूर की है कि जो समझौता यूनियन के द्वारा मैनेजमेन्ट के साथ किया गया है उसके आधार पर मजदूरों को काफी नुकसान होगा। जैसा कि आपने भी मन्जूर किया है....

श्री भीखाभाई : मैंने कहा मन्जूर किया ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने स्वीकार किया है न कि वर्क लोड बढ़ेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपने तो यह कहा है कि इस समझौते की वजह से सबको फायदा हुआ है और बढ़ोत्तरी हुई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बढ़ोत्तरी की बात तो आप कहते हैं ! मैं बताता हूं क्या बढ़ोत्तरी हुई है ? जिसको १२७) रुपया तनख्वाह मिलती थी उसे अब ११०) और ६५) मिलने लग जावेंगी। यह फर्क पड़ा है और आप कहते हैं तनख्वाह बढ़ी है, कम नहीं का गई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दो, तीन, चार सेन्टर्स की अलग अलग तनख्वाहें हैं। आप इसे समझ नहीं पाये हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह समझने की ठेकेदारी तो आपने अकेले ने ले रखी है। तो आप अपने को समझदार मान लीजिये, पर मेरी बात सुनने में क्यों आपको अधीरता हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : सही और साफ बात कहिये न ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : ये कैपिटलिस्टों के एजेण्ट सही बात कहते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस समझौते के आधार पर उस मिल के ७० मजदूरों को बाहर निकाला जावेगा। ७० मजदूर कम हो जावेंगे और उनके कम होने से बाकी के मजदूरों पर वर्क लोड बढ़ेगा या नहीं ?

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जो जमालुद्दीन भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिनका शायद आज ११ वां दिन है, उनका डॉक्टरी एग्ज़ामिनेशन मन्त्री महोदय कहते हैं सात दिन के बाद किया गया है।

सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो सबसे पहले सूती मिल मजदूर यूनियन वहां पर है, उसने एक नोटिस दिया था और उस पर मिल मजदूरों की मांग को लेकर लेबर ऑफीसर को २१ अगस्त के रोज वहां भेजा और वहां सारा कन्सीलियेशन हो गया। मजदूर इसके पक्ष में नहीं थे। तो उनकी सारी डिमाण्ड्स को ट्रिब्यूनल को रेफर करना चाहिये था। पर बजाय यह करने के सरकार ने उनकी सारी मांगों को तो यों ही रक्खा एक तरफ और एक फैसला सरकार ने लेबर ऑफीसर के मार्फत मजदूरों का और यूनियन के लोगों को लेकर मिल मालिक के साथ कर लिया, जिससे मजदूरों को नुकसान हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मिल मालिकों के दलाल को डिस्टर्बेन्स करने की आज्ञा न दी जावे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पॉइन्ट पर तो कहा नहीं जा रहा है और आप अपनी यूनियन के बारे में जिक्र कर रहे हैं! सूती वस्त्र मिल मजदूरों के बारे में कह रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सदन में × × × × नहीं की जानी चाहिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इस शब्द × × × × पर मुझे आपत्ति है। माननीय सदस्य के विरुद्ध सदन में × × × × करने का जो आरोप लगाया है वह उचित नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ये तो खुद × × × × हैं। × × × × की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द अनुचित है, निकाल दिया जावे प्रोसीडिंग्ज़ में से।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वे मजदूरों के नेता हैं और मजदूरों की बात कह रहा हूं तो उनको दर्द हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मजदूरों की बात कहने में दर्द नहीं हो रहा है। यह सूती मिल मजदूरों का सवाल नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसलिये है कि सारी मांगों को लेकर सूती मिल मजदूरों ने २१ अगस्त को सारी डिमाण्ड्स रखी थीं और उनके साथ समझौते की बात चली। वह अगर फेल हो गई तो इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को मामला भेजना चाहिये था, उसको न भेजकर मिल मालिक के साथ समझौता कर लिया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रिप्रेज़ेन्टेटिव यूनियन वहां था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : xxxxx करने का काम हमारा नहीं है, xxxx करने का काम तो तुम्हारा है जो यहां बैठ कर मालिकों का पक्ष लेते हैं।

---

xxxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : ये शब्द आपत्तिजनक हैं। एक बार मैंने उनको निकालने के लिये कह दिया तब भी आप उनको दोहराये जा रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक माननीय सदस्य उधर से भी कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : निर्णय के बाद यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। इस शब्द को माननीय सदस्य के भाषण में से निकाला जावेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं निवेदन करूं कि अगर मजदूरों के हित को आप समझते हैं तो क्या यह आश्वासन दे सकते हैं कि इस समझौते के लागू करने के बाद में न तो किसी मजदूर की कमी होगी, न कोई मजदूर निकाला जावेगा, और न किसी का वर्क लोड बढ़ेगा। ये तीन आश्वासन सदन में अगर मन्त्री महोदय दें तो मैं समझता हूं कि उनके आधार पर जो भूख हड़ताल चल रही है वह भी समाप्त हो सकेगी और लोगों को भी तसल्ली हो जावेगी। तो इन तीन बातों का आश्वासन मन्त्री महोदय सदन में दे दें।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य ढाबरियाजी ने सूती मजदूर सभा के प्रश्न को लाकर बातचीत की। मुझे ऐसा लगता है कि वहां तीन यूनियनें हैं। एक रिप्रेज़ेन्टेटिव यूनियन है रिकॉग्नाइज्ड। भूख हड़ताल के बाद भी काम में कोई रुकावट नहीं है। बराबर मिल में काम चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं यह समझता हूं कि इस बात का आश्वासन प्राप्त करके उसके जरिये से औद्योगिक शान्ति को भंग करने की बात की जा रही है। तो मैं नहीं चाहता कि वह शांति ब्रेक हो। मैं यह चाहता हूं कि जिस प्रकार की शान्ति बनी हुई है भूख हड़ताल के बावजूद भी वह उसी तरह की बनी रहे।

जहां तक सवाल है किस यूनियन में किस तरह की बात है, इसके बारे में तीन यूनियनें पहली रिप्रज़ेन्टेटिव है, वह काम कर रही है। जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग ४०० सदस्य उसके हैं और दूसरी में मैंने सुना था कि दस-पन्द्रह लोग हैं, और तीसरी यूनियन जिसके लिये माननीय सदस्य वकालत करते हैं उसमें ४०-५० आदमी हैं; ऐसी मेरी जानकारी में आया है।

जब रिप्रेज़ेन्टेटिव यूनियन के सामने मैनेजमेन्ट का और मालिक का समझौता हो गया है तो यह समझौता न्यायपूर्ण है। वह तो दोनों के बीच का सवाल है। अब सवाल यह उठता है कि उसकी अवहेलना तो नहीं हो रही है। उसके अनुसार अगर नहीं हो रहा है तो सरकार बीच में आती है।

दूसरी बात है वेतन कम करने की। मैं समझता हूँ कि एग्रीमेन्ट जो हुआ है उसके एब्स्ट्रेक्ट में बताया गया है कि महंगाई वेतन बढ़ाने के साथ साथ शर्त की है कि माथुर कमेटी को सिफारिश होगी उसके अनुसार महंगाई होगी, स्वीकार की जावेगी। तो कम करने का प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक वर्क लोड का सवाल है उसके बारे में हमारे लेबर ऑफीसर ने काफी चर्चा

(श्री भीखाभाई)

की है, बातचीत भी की है। कलेक्टर ने भी इनटरवीन की है और जिन लोगों ने मजदूरों से पूछा कि वर्क लोड कैसे बढ़ा, तनख्वाह कम कैसे हुई, तो इसका जवाब नहीं दे पाये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपसी चर्चा का जो परिणाम था उस पर से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न उठाया वह ठीक नहीं है और जो मैंने निवेदन किया मेरे वक्तव्य में, मैंने यह निवेदन किया कि भूख हड़ताल बन्द करनी चाहिए। बिना नोटिस के, नोटिस भी नहीं दिया, आज भारत सरकार के लेबर रूल्स के विपरीत भी है कि भूख हड़ताल करें और नोटिस भी न दे। तो इसको लेकर ज्यादा विवाद करना उचित नहीं होगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि भूख हड़ताल को ११ दिन हो गये और मन्त्री महोदय कहते हैं कि मजदूरों का कोई नुकसान नहीं है और स्थगन-प्रस्ताव वालों ने कहा है कि नये एग्रीमेन्ट से रिट्रेन्चमेन्ट होगा और वेतन में भी कमी होगी, वर्क लोड बढ़ेगा। तो मन्त्री महोदय केवल यह आश्वासन दे दें कि किसी प्रकार का रिट्रेन्चमेन्ट नहीं होगा, वर्क लोड नहीं बढ़ेगा और वेतन कम नहीं होगा। इतना आश्वासन दे दें तो भूख हड़तालियों को कहा जा सकता है कि सदन में मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है इसलिए भूख हड़ताल समाप्त करो।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन कर दिया। जब दो पक्षों के बीच में एग्रीमेन्ट हो गया और उन्होंने स्वीकार किया है कि रिट्रेन्चमेन्ट होगा तो इसका हल मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का एग्रीमेन्ट हुआ है उसमें पाबन्दी कराने की सरकार हमेशा चेष्टा करेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ७० आदमियों को निकाल दिया गया तो फिर ज्यादा मुसीबत पैदा हो जायेगी। आप आश्वासन दे दें कि हम रिट्रेंचमेंट नहीं करेंगे।

अन्य स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने जयपुर शहर में चीनी के वितरण के संबंध में व हलवाइयों ने जो हड़ताल का नोटिस दिया है उसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस संबंध में माननीय खाद्य मन्त्री जी अपने वक्तव्य के दौरान इस समस्या पर स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे।

माननीय सदस्य श्री विजयसिंह झाला ने धौलपुर अस्पताल में अव्यवस्था व अन्य कारणों से धरना व भूख हड़ताल के बारे में एक स्थान-प्रस्ताव की सूचना दी है। मन्त्री महोदय इस पर कल अपना वक्तव्य देंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : भूख हड़ताल के बारे में आ जाता तो अच्छा होता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्थान प्रस्ताव

Page No. 39

श्री अध्यक्ष : मैं कई दफा कह चुका हूँ कि हर एक के बारे में इस प्रकार एकदम खड़े होकर न पूछें। पूछने के पहले आप जानकारी कर लें कि पहले किन प्रस्तावों को लेंगे और किनको नहीं लेंगे और किन कारणों से ।

(११. २२ म. प.)

जयपुर के आदर्शनगर इत्यादि की सड़कों विषयक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत आदर्शनगर, राजापार्क व फतह टीबा (जयपुर) बस्तियों में सड़कों की स्थिति की ओर मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, ये तीनों बस्तियां आदर्शनगर, राजापार्क और फतहटीबा जिनके बारे में मैंने कॉल अटेन्शन नोटिस दिया है यह जयपुर के पूर्वी-दक्षिणी भाग की तरफ स्थित हैं। जैसे इनके नाम हैं शायद सदन के माननीय सदस्यों ने सोचा होगा कि आदर्शनगर की बस्ती सचमुच एक आदर्श बस्ती होगी लेकिन भाई रामकिशनजी जो मेरे पास बैठे हैं, ये विशेषतया वहां पर रोजाना खाना खाने जाते हैं और ये इस बात को हमेशा शिकायत करते हैं कि केवल नाम ही आदर्शनगर है। यह नगर इस प्रकार की हालत में जो आज पहुंचा है उसकी दुर्दशा को देखकर अध्यक्ष महोदय, आज आंखों में आंसू इसलिए भर आते हैं कि आदर्शनगर, राजापार्क और फतह टीबा बस्तियों में वे लोग रहते हैं जिन लोगों के आधार पर इस देश की आजादी, मैं समझता हूं कि आई है। उन लोगों ने सन् ४७ में जिस समय कांग्रेस अधिवेशन यहां हुआ था और कुछ यहां बैठे हुए कांग्रेस के सदस्य जो उस समय कांग्रेस के होंगे वे यहां होंगे—मैं प्रि-इन्डिपेन्डेन्स के पीरियड की बात कर रहा हूं; तो इन्होंने देखा होगा कि इन बस्तियों के स्थान पर कितने ऊंचे ऊंचे रेत के टीबे थे और इन ऊंचे ऊंचे रेत के टीबों में सरकार ने एक पुनर्वास योजना बनाई, तब वहां पर रेत के टीबों को साफ करके उनको वहां प्लॉट्स का अलॉटमेन्ट हुआ। ये हिन्दुस्तान की आजादी के लिए सब कुछ लुटाकर आने वाले गरीब पुरुषार्थी भाई सारे रेत के टीबों में प्लॉट्स को लेकर जमीनों को बराबर करके वहां पर जो आलीशान और बढ़िया मकान बनाकर रहने लगे और इस पर जो आलीशान और इस मन्शा से उन्होंने ये मकान बनाये कि उनका यह नगर इतना बढ़िया नगर बन जायेगा कि बरबादी के कारण जो वे सारी सम्पति पाकिस्तान में छोड़कर आये हैं वे उन सब बातों को भुला सकेंगे और जयपुर शहर में वे एक बड़ी ही आदर्श जिन्दगी बिता सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि पिछले १७ सालों में इस आदर्शनगर, राजापार्क और गुरुनानकपुरा और फतहटीबा में जहां अधिकतर पुरुषार्थी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भाई रहते हैं उन्होंने इस बस्ती के लिए एक सवाल खड़ा किया सरकार के सामने और सरकार ने उनको आश्वासन भी दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय राज्य सरकार ने ३ लाख रुपये का एलोकेशन किया और वह पैसा उन्होंने इस बस्ती पर खर्च करने के लिए अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को ट्रान्सफर किया और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने उस पैसे को वहीं इधर-उधर दूसरी जगह काम में ले लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार कोई १६ सितम्बर, ६३ की बात होगी उस समय तंग आकर लोकतंत्रीय व्यवस्था में संवैधानिक अधिकारों के अनुसार वहां के रहने वालों ने एक बड़ा भारी मेमोरेन्डम राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत किया, उस समय मैं भी था। अध्यक्ष महोदय, वह मेमोरेन्डम अपने डिप्टी लीडर जो कांग्रेस पार्टी के हैं और इस समय पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर हैं उनको और श्री बरकतुल्ला साहब को भी कई बार दिया और साथ ही डेप्यूटेशन भी मिला। इस मेमोरेन्डम पर सब के हस्ताक्षर थे। इस डेपूटेशन ने सरकार से एक ही मांग मुख्य रूप से की; वहां की सड़कों की हालत को सुधारा जाये, वहां की ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक किया जाये और वहां पर गटर लाइन डाली जाये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन सारी बस्तियों के साथ दुर्भाग्य की बात यह है कि आज सरकार की म्युनिसिपैलिटी से कहा जाये कि सड़कों की व्यवस्था ठीक कराइये तो वह कह देती है कि यह हमारे अण्डर में नहीं है, इसके लिए अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के पास जाओ और जब अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के पास जायें तो वे कहते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास जाओ और जब सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास जाएं तो कह देते हैं कि इन सड़कों को हमारे यहां ट्रान्सफर कर दो जाये तो हम ठीक कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन सड़कों से मैं भी निकलता हूं, आप भी कभी गये होंगे। वहां की हालत यह है कि वहां पर सड़कें कट गई हैं और बड़े बड़े गड्ढे पड़ गये हैं। वह मोटर जा नहीं सकती, साइकिल जा नहीं सकती, फुटपाथ वहां है नहीं, ड्रेनेज वहां है नहीं, गटर लाइन वहां नहीं है। इस प्रकार की बस्तियों की जो मौलिक समस्या है उसके बारे में मैंने कहा कि आपको यह तय कर देना चाहिए कि इन सब चीजों का इन्त-जाम करने वाला कौन है? मैं सरकार से केटेगोरीकली जानना चाहता हूँ कि इस आदर्शनगर की रोड डेवलपमेन्ट का काम चारों डिपार्टमेन्ट्स-म्युनिसिपैलिटी, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, पी० डब्ल्यू० डी० और रीहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट, इनमें से कौन करेगा? आप तय कर दीजिए कि पी० डब्ल्यू० डी० करेगा या म्युनिसिपैलिटी करेगी या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट करेगा या रीहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट करेगा। रीहेबिलिटेशन डिपार्ट-मेन्ट कहता है कि हमारा काम तो खत्म हो गया, म्युनिसिपैलिटी कहती है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का काम है, पी० डब्ल्यू० डी० वाले कहते हैं कि हमारे यहां ट्रान्सफर कर दो तो हम कर सकते हैं। त सरकार यह हमें स्पष्ट रूप से बताये कि इस काम को आखिर करेगा कौन? जब सरकार जोइन्ट रेस्पॉन्सीबिलिटी की बात करती है, कलेक्टिव

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रेस्पॉन्सीबिलिटी की बात करती है तो मैं समझता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी०, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट पर इस बात को डाले और म्युनिसिपैलिटी, रीहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट पर डाले इस प्रकार से सारी चीज को एक फुटबॉल बनाना सारी समस्या से आंख मींचना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी बस्तियों की दृष्टि से आज जयपुर शहर जो हिन्दुस्तान का पैरिस कहलाता है, गुलाबी नगर कहलाता है और इस नगर में ये बस्तियां जो वास्तव में आदर्श बस्तियां हो सकती हैं वहां के रहने वालों का टेस्ट इतना एरेस्ट्रोक्रेटिक और हाई क्लास है तो इनको आप सही माने में मॉडल बस्तियां बना सकते हैं जो कि सरकार के लाखों रुपया खर्च करने से भी नहीं बन सकतीं। आप आदर्शनगर के इलाके में चले जायें वहां की सड़कों की हालत ठीक करा दीजिए, वहां की ड्रेनेज की व्यवस्था करा दीजिए, वहां गटर लाइन डलवा दें तो ये बस्तियां सारे राजस्थान भर के लिए आदर्शनगर हो सकती हैं। यह सब काम आप वहां करवा दीजिए और फिर इन्जीनियर को ले आइये, किसी आर्चीटेक्ट को ले आइये, किसी मिनिस्टर को ले आइये, टाउन प्लानर को ले आइये और उनको आदर्शनगर के इलाके में घुमा दें और कह दें कि ये उनके डिज़ाइन्स हैं, यह उनका मेन्टीनेन्स है। आदर्श नगर वास्तव में एक प्रकार का मॉडल टाउन है। वहां के रहने वालों में इतनी हिम्मत है, इतना साहस है, सामर्थ्य है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वहां की समस्या आज सबसे ज्यादा पानी के निकास की है, ड्रेनेज की है। सरकार से मैंने पिछली बार कहा था कि वहां की इस प्रकार की हालत है तो सरकार ने कहा था कि हम उसका सर्वे करा रहे हैं और सरकार ने सर्वे भी कराया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ? ड्रेनेज के लिए सर्वे की रिपोर्ट का क्या हुआ? ड्रेनेज के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये, कब तक ड्रेनेज की स्कीम लागू हो जायगी? मैं आज स्पष्ट कहना चहता हूं कि जब तक ड्रेनेज नहीं होगा तब तक सारी चीजें बेकार हैं। उसके साथ साथ जो वहां की सड़कें हैं उनकी पूरी तरह से मेन्टीनेन्स होनी चाहिए, रिपेयर होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपको उन सड़कों पर जाने का मौका मिला होगा। जो सड़कें हैं उनकी इतनी बुरी हालत है कि मोटरों का सवाल खड़ा नहीं हो सकता, साइकिलें तक वहां से नहीं निकल सकतीं। ट्रैफिक जो वहां पर चलता है और गड्ढों में पानी भरा रहने के कारण मोटर वाला साइकिल वाले के छींटे लगाता है, साइकिल वाला पैदल वाले के छींटे लगाता है, और नतीजा यह है कि आज नये नये रास्ते निकल रहे हैं। साइड में फुटपाथ नहीं है। किसी भी गली, सड़क, मोहल्ले में किसी प्रकार का कोई फुटपाथ नहीं है। सड़कें वहां पर नहीं, ड्रेनेज नहीं, गटर लाइन वहां पर नहीं, बिजली का इन्तजाम नहीं और पानी का इन्तजाम नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज नगरपालिका भी वहां पर सफाई का इन्तजाम नहीं करती। मैं सरकार से अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि पिछली बार मेमोरेन्डम पेश किया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, सारी बातें उसमें बताई गई हैं, वहा मंत्री महोदय की जानकारी में हैं, और उन्होंने आश्वासन भी दिया। इतना ही नहीं उसमें भाषण देने के लिए माननीय 'दा साहब' नीचे चले गये और नीचे जाकर भाषण दे भी आये और आश्वासन भी दे आये। मैं यह समझता हूं कि दा साहब की मन्त्रि-मण्डल में ज्यादा नहीं चलती है, लेकिन उनके बुढ़ापे का लिहाज करके आश्वासन को पूरा कर दें। बूढ़ा आदमी घर को कोई कह दे तो दूसरे जो बच्चे लोग होते हैं तो आश्वासन पूरा करें। मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि अपने आपसी संघर्ष को छोड़ दें लेकिन उस बस्ती के नाम पर अपील करता हूं कि इस बस्ती की भलाई के लिए, जनता को भलाई के लिए, इस कॉलोनी के उद्धार के लिए इस बात को चिन्ता नहीं करें, इस बात का अफसोस अगर कोई है तो उसको छोड़ दें कि 'दा साहब' भाषण करने चले। आप चाहेंगे तो आपका भी भाषण करवा देंगे। 'दा साहब' भाषण दे आये, उन्होंने आश्वासन दे दिया, इसलिए आप नहीं देंगे, इस चीज को छोड़ दें और जनता को भलाई के लिए उदार दिल बन जायं और कहीं एक बार भी बस्ती का उद्धार करें और आदर्श नगर को एक आदर्श बनायें, राजस्थान के लिए एक मॉडल बस्ती बनायें और १०–२० या ५० लाख जितने भी हैं एक बार खर्च कर दें ड्रेनेज की स्कीम के लिए, रोड के रिपेयर्स, मेन्टीनेन्स के लिए और सारी व्यवस्थाओं के लिए एक बार उसको वहां तक ला दें तो मैं यहां तक कहने को तैयार हूं बस्ती वालों की तरफ से कि चाहे म्युनिसिपैलिटी सफाई न करें, यू० आई० टी० इम्प्रूवमेन्ट नहीं करें, एक बार आप उसको एट पार ला दें, रिपेयर करा दें, एक बार उसको लाइन पर डाल दें, ड्रेनेज डाल दें और उनके इलाके को म्युनिसिपैलिटी के पॉइन्ट ऑफ व्यू से उस बस्ती को स्वरूप दे दें तो लाखों रुपया वे लोग इकट्ठा करेंगे और लाखों रुपया हाउस टैक्स का देते हैं। आपको कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट श्यामबिहारीलाल सक्सेना ने कहा था कि १० साल से हाउस टैक्स नहीं देते हैं; अगर ये हाउस टैक्स दे दें तो इनके हाउस टैक्स का ५० पर्सेन्ट इनके यहां पर खर्च करेंगे, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने भी आपकी परम्परा को निभाया और उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसको नहीं निभाया। लोगों ने दावे नहीं किये और हाउस टैक्स दे दिया, लेकिन वह ५० पर्सेन्ट वहां पर खर्च नहीं किया गया। मैं यहां तक कहना चाहता हूँ कि उस बस्ती वाले इतने दिल वाले लोग हैं कि वे लोग अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप उनको ठीक करा दें और उनका सारा लोकल डेवलपमेंट का काम उन्हीं के हाथों में सौंप दें तो वे इतनी हिम्मत रखते हैं कि पैसा इकट्ठा करके वहां पर डेवलपमेन्ट कर सकते हैं।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री और वित्त मन्त्री भी मौजूद हैं और स्वायत्त शासन के भी है और पुनर्वास के भी यहां भीखाभाई बैठे हुए हैं, अभी तक तो यह उनके पास है, इन सब से निवेदन करना चाहता हूँ, सामूहिक रूप से कि सारी समस्याओं के बारे में एक मानवीय रुख रख कर इस सदन में इस प्रकार का आश्वासन दें कि कौनसा विभाग इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विभाग जिम्मेदार नहीं है तो आपस में तय करके सारी रोड्स पी० डब्लू० डी० को ट्रान्सफर कर दें। मैं चाहूँगा कि पी० डब्लू० डी० पर जिम्मेदारी डाल दें और फाइनेन्स डिपार्टमेंट म्युनिसिपैलिटी या यू० आई० बी० से जितना भी पैसा है वह पैसा काटकर सारी मेन्टनेन्स और रिपेयर्स की जिम्मेदारी पी० डब्लू० डी० के जिम्मे रखी जाय। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो फर्माया उसमें काफी सत्यता है कि इन तीन जगहों-आदर्श नगर, राजापार्क और फतेह टीबा-इनकी सड़कों की हालत काफी खराब है, और इसमें दो राय नहीं कि इनकी सड़कों की हालत ठीक होनी चाहिये। जहां तक कि पी० डब्ल्यु० डी० का सवाल है, मैं माननीय सदस्यों को इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर धन-राशि उपलब्ध हो जाय तो पी० डब्ल्यु० डी० उसके काम को ठीक कर दे। अभी तक जो सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन रहा है और जो फैसला लिया है उसमें इतना ही फैसला है कि पी० डब्ल्यु० डी० उसकी एग्ज़ीक्यूटिव एजेन्सी रहेगी यानी जितना काम सड़कों का होगा वह पी० डब्ल्यु० डी० के द्वारा ही किया जायेगा, लेकिन धनराशि जो उपलब्ध होगी वह म्युनिसिपैलिटी से होगी और यू० आई० बी० से होगी और अभी जितने काम पी० डब्ल्यू० डी० ने किये हैं जो कि म्युनिसिपैलिटीज़ से ताल्लुक रखते हैं या यू० आई० बी० से ताल्लुक रखते है उनका पैसा आज दिन तक भी पी० डब्ल्यु० डी० के पास नहीं आया है। अब इससे दिक्कत यह हो जाती है कि अगर पुराना पैसा हमारे पास नहीं पहुंचता है तो हमारे पास यानी हमारे सीगे के अन्दर कोई पैसा इस काम के लिये है नहीं। जो पी० डब्ल्लू० डी० की लिस्ट के ऊपर सड़कें हैं उन सड़कों के ऊपर पी० डब्ल्यु० डी० काम करती है, जैसा कि आपने अभी कई सड़कों पर देखा होगा कि बारिश होने के बाद जो जो सड़कें पी० डब्ल्यु० डी० की मेन्टीनेन्स लिस्ट में हैं उन पर काम शुरू हैं और कई काम किये हैं और यहां तक कि बारिश की मिट्टी उठाने का काम जो कि म्युनिसिपैलिटी का काम है वह काम भी पी० डब्ल्लु० डी० ने करवाया है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): एप्रीशियेबल।

श्री हरिश्चन्द्र: वैसे यह काम म्युनिसिपैलिटी द्वारा करवाया जाना चाहिए था, किन्तु जनता को दिक्कत थी और इस दिक्कत को कई माननीय सदस्यों ने हमारे पास भी रखा, लिहाजा रूल्स का उल्लंघन करते हुए, जनता की दिक्कत को देखते हुए यह काम कराया है....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): इसमें क्या असमर्थता थी म्युनिसिपैलिटी की?

श्री हरिश्चन्द्र: आप अन्दाजा लगाइये कि मिट्टी का काम नहीं हो सका है तो असमर्थता ही होनी चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): म्युनिसिपैलिटी को सरकार का सहयोग नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हैं और स्टैप मदरली ट्रीटमेन्ट होता है और हर तरह से उसको रन डाउन करने की कोशिश की जाय तो म्युनिसिपैलिटी के लिमिटेशन्स हुआ करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं समझता हूं कि बड़े बड़े वायदे किये थे कि शहर को व्यवस्थित तरीके से रखेंगे, लेकिन मामूली मिट्टी पड़ गई उसको भी नहीं हटा सके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार का पड़ला हमेशा भारी है। सरकार म्युनिसिपैलिटी को बदनाम कर सकती है क्योंकि सरकार का हाथ म्युनिसिपैलिटी के ऊपर है। अगर सरकार करों की दमघोंट नीति अपनाये और सरकार सारे म्युनिसिपैलिटी की आय के श्रोत बन्द कर दे तो यह समस्या उल्टा चोर कोतवाल को डंडे वाली है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या म्युनिसिपैलिटी दीवालिया है कि पैसा नहीं खर्च कर सकती है?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : रानी साहिबा नहीं थीं, नहीं तो मिट्टी को उठवा देती।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार जितनी धनी नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा मतलब यह नहीं था कि म्युनिसिपैलिटी पर कीचड़ उछालूं, लेकिन यह हालत इस चीज से सम्बन्ध रखती है कि म्युनिसिपैलिटी के पास मिट्टी उठाने के लिए या और कोई काम करने की दिक्कत आती है। जहां कि प्रश्न सड़क बनाने का है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं इतना ही मन्त्री महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा कि मिट्टी भी इतनी जयपुर शहर में जमा हो जाय तो म्युनिसिपैलिटी को सम्भवतः दिक्कत आई होगी कई कारणों के कारण। मैं यह नहीं कहता कि म्युनिसिपैलिटी का वकील होकर यहां पर उसकी वकालत करूं, लेकिन आपको म्युनिसिपैलिटी की दिक्कतों के बारे में भी सहानुभूति रखनी चाहिए बनिस्बत इसके कि उसको ख्वामख्वाह बदनाम करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अर्थाभाव की बात की जाती है। अर्थाभाव नहीं होने के कारण ही तो आपने हाउस टैक्स छोड़ दिया और अर्थाभाव की बात करते हैं! इसकी कन्ट्रीब्यूटरी चीज अर्थाभाव होती तो हाउस टैक्स कैसे छोड़ा? पैसा बहुत था इस वजह से छोड़ा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस टैक्स नहीं छोड़ा है, बल्कि पहले से दुगुना ले रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार सब तरह के टैक्सेज़ लेने के बावजूद भी नहीं करती है तो किसका दोष है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इस म्युनिसिपैलिटी के झगड़े में असली सवाल ही चला जा रहा है। म्युनिसिपैलिटीज़ की ज्यादातर कमेटियों के चेयरमैनों ने इस्तीफा दे दिया था! तो काम कैसे होता। आपस में झगड़ा था

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो काम इसलिए नहीं हो सकता था। बिना बात ही म्युनिसिपैलिटी के झगड़े में असली प्रश्न चला जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मन्त्री महोदय क्या यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि अगर सरकार........

श्री हरिश्चन्द्र : म्युनिसिपैलिटी का जो काम करने का था उसमें कोई दिक्कत होगी तो वह म्युनिसिपैलिटी जाने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस दिन तो स्वतन्त्रपार्टी की रांड मर गई थी, लेकिन सरकार कहां मर गई थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार ने म्युनिसिपैलिटी की मदद की है, मैं यह कहना चाहता हूं। जो चार्ज लीडर ऑफ दि अपोज़िशन ने चार्ज लगाया है कि म्युनिसिपैलिटी के साथ स्टैप मदरली ट्रीटमेन्ट है, यदि ऐसी बात होती तो मिट्टी पी० डब्ल्यु० डी० क्यों उठाती ? यदि आपका चार्ज यह है कि सरकार का स्टैप मदरली ट्रीटमेन्ट है तो मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। At every time we have tried to help the Municipality. वह अपना काम नहीं करे तो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरों की मिट्टी उठाना शिष्टाचार है।

श्री अध्यक्ष : Let us come to the Point now.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इन बातों में मेरा विश्वास नहीं है। अपनी अपनी विचार-धारा है, मेरी विचार-धारा मेरे पास है, मन्त्री महोदय की अपनी विचार-धारा है, उनको भी कहने का उतना ही अधिकार है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री हरिश्चन्द्र : इन सड़कों की रिपेयर के बारे में पी० डब्ल्यु० डी० ने गवर्नमेन्ट को एस्टिमेट्स भेजे हैं; तीनों जगह–आदर्शनगर, फतहटीबा और राजपार्क तीनों ही स्थानों की सड़कों के लिए जो एस्टिमेट है वे लगभग ४,१२,६०० रुपयों के हैं। उसमें से आदर्श नगर की सड़कों को ठीक करने के लिए १,५६,००० रु० की धनराशि चाहिये और चाहें इस वक्त इस उलझन में नहीं पड़ना चाहता कि कौनसा विभाग क्या काम करे, लेकिन यदि यह धन-राशि उपलब्ध हो जाती है पी. डब्ल्यु. डी. को तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी काम पूरा कराया जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप इस उलझन को सुलझाते क्यों नहीं हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास जितनी उलझनें हैं उनको सुलझा दूंगा, दूसरों की वे सुलझावें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा हो इस मसले को लेकर जो कन्सर्न्ड मिनिस्टर हैं उनसे बात-चीत करने पर किसी निर्णय पर पहुंचने के बाद यदि धन-राशि मुझे मिल जाती है तो माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न उठाया है और दुर्व्यवस्था इन सड़कों की बताई है उनको मैं ठीक करा दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां पर रीहेबिलिटेशन के मिनिस्टर बैठे हैं, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट और म्युनिसिपेलिटीज़ के उप-मन्त्री, श्री सारण साहब बैठे है । आप हाउस टैक्स वसूल कर रहे हैं । म्युनिसिपेलिटीज़ के डिप्टी मिनिस्टर सारण साहब जवाब दें; कब तक ठीक करवा देंगे ? रिहेबिटेलिशन के मिनिस्टिर भीखाभाई जवाब दें, पी. डब्ल्यु. डी. वालों ने तो सारी बातें एक बात कह कर खत्म कर दीं कि पैसा आजायगा तो करवा दूंगा, लेकिन पैसा आयगा कहां से ? मेरे हाथ में तो है नहीं, कि मैं पैसा दे दूंगा । पैसा देंगे दाहिनी तरफ बैठे हुए कॉल साहब या रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर तिलकधारी भीखाभाई या पीछे बैठे हुये यू० आई० टी० और म्युनिसिपेलिटीज़ के डिप्टी मिनिस्टर सारण साहब । अध्यक्ष महोदय, आप तय करवाइये आज इस मसले को । इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं होगी कि वहां की सड़कों की हालत बिगड़ती जा रही है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं । गवर्नमेन्ट यह नहीं कह सकती कि इनकी रिपेयर्स कौन करेगा । आप चारों में से कौन करेगा यह हमें बता दीजिये फिर हम उनसे निपट लेंगे मिलकर, डेपुटेशन ले जाकर

is the Government not in a position to say as to who is responsible for this ? Is this no—man's land ? Is this a part of Nefa and Laddakh ?

जैसे चाइना और इण्डिया के बीच में नो-मेन्स लैंड है उस तरह से आप इसको नहीं छोड़ सकते वहां तो, आप वापिस लेने जा रहे हैं और यहां कहते जा रहे हैं कि कौन करेगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह मसला बड़ा ही सरल है और सरल इसलिये है कि जो स्टेचुटरी ड्यूटीज़ हैं, लॉ में डिफाइन्ड है, म्युनिसिपल लिमिट में मरम्मत करवाने की किसकी स्टेचुटरी, ड्यूटी है उसको यह काम करना चाहिये। इसका मतलब यह है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट जो टैक्सेज़ वसूल करते हैं, टैक्ट वसूल करने का ध्येय इस बात का है कि क्या काम करेंगे इन टैक्सेज़ के जरिये । उन टैक्सेज़ के जरिये जो आमदनी करती है म्युनिसिपेलिटीज़, यह सवाल खाली जयपुर का ही नहीं है यहां से ज्यादा बदतर हालत दूसरी जगह की भी है । यहां के लिए जो तय होगा वही सबके लिये भी होगा । स्टेचुटरी ड्यूटी जिसकी है वह अगर जरूरत हो तो लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट के सामने एजिटेट करके, कहीं से भी कर्जा लेकर के या दूसरी चीजें करके यह काम पूरा करे, ये रास्ते साफ कराये जायं, इसकी जिम्मेदारी लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की है । पी. डब्ल्यु. डी. वाले जवाब देते हैं कि रुपये दे दो । लेकिन रुपये आसमान से आयेंगे क्या ? आप जवाब देने वाले कहां से बन गये । जहां तक म्युनिसिपल कौसिल का सवाल है उसके लिये लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट जिम्मेदार है ; लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट जो ग्रान्ट देती है उस ग्रान्ट में से पैसा रोक ले । ढाई लाख रुपये उनको ग्रान्ट के रूप में देते हैं तो ये ढाई लाख रुपये अगले साल देंगे, ऐसा एलान करें तो अच्छी बात होगी । यहां पर एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है वह बहुत जरूरी सवाल है ।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि रुपये ऊपर से नहीं आ सकते। मैं भी मानता हूं कि रुपये ऊपर से नहीं आ सकते लेकिन मैं आपके सामने आंकड़े पेश करना चाहता हूं जो अभी हमने कलेक्ट किये हैं। १,७५,८३६.६० नये पैसे पी. डब्ल्यू. डी. के आउट स्टेन्डिंग हैं म्यूनिसिपल कौंसिल, जयपुर के खिलाफ और ४,१६.७७१,८६ नये पैसे हैं यू. आई. टी., जयपुर के खिलाफ यदि ये पैसा भी मुझे वापिस दे दें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये काम कराने को तैयार हूं। लेकिन वह पैसा भी नहीं आवे और मेरी पी. डब्ल्यु. डी. के पास कोई पैसा दूसरा नहीं है जिसमें से कि इन बस्तियों पर खर्च कर सकें। मेरी पी. डब्ल्यु. डी की मेन्टीनेन्स लिस्ट में हो तो मैं काम करवाने को तैयार हूं। या तो वह करवाइये कि जो पैसा आउटस्टेन्डिंग हैं यह मुझे वापिस मिले नहीं तो सरकार और पैसा पी. डब्ल्यु. डी. को दे, तभी यह काम किया जा सकता है।

श्री रामकिशन (बैर) : यह विवाद इस तरह से चल रहा है, यह ठीक है कि काम की सुविधा के लिहाज से सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं लेकिन जो बहस हुई है उससे ऐसा मालूम होता है की अमेरिका और रूस की तरह ये विभाग नजदीक नहीं आ रहे हैं। आप फरमाते हैं कि इतना पैसा दे दो तो करवा दूं....

श्री हरिश्चन्द्र : यह बात नहीं है। आप एडीशनल ग्रान्ट की बात कर रहे हैं। अब तक का रूल यह है कि म्युनिसिपैलिटी पैसा दे तो हम रिपेयर्स करवा दे। म्युनिसिपैलिटी पैसा दे दे और मुझे लिखदे कि फलां फलां सड़क करवा दें तो मैं काम करवा दूं, यह होता नहीं है और आप हमारी बात करेंगे। जो इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटी है उसके चेयरमैन हैं उनसे हमें रुपये दिलवा दीजिये....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारा प्रश्न गवर्नमेन्ट से है। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के डिप्टी मनिस्टर बैठे है, वे खड़े होकर जवाब दें कि किसको जिम्मेदारी है; यू. आई. टी. का या म्युनिसिपल कौंसिल का पैसा जमा होता हैं या नहीं, यह बाद में देखा जायगा। यह रेस्पोन्सिबिलिटी है किसकी और आप रुपये लेंगे किससे? यह संकट गवर्नमेन्ट का है। मैं हर बार सदन में यह सवाल उठाता हूं। मुझे पी. डब्ल्यु. डी. मिनिस्टर साहब की मंशा तो लगती है नहीं, लेकिन लोकल सेल्फ वाले कुछ करना चाहते हैं या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं। मैं चुन कर आया हूं कालोनी के डेवलपमेन्ट के लिये और पब्लिक की भलाई के लिये। यदि आपकी मंशा यह है कि यह मेम्बर वहां से चुन कर आया है, इसके अनप्लेज़र फील करते हैं इसलिये इसको अनपॉपुलर करा तो यह मेरा इस्तीफा ले लो, मैं यहां पर ढाई रुपये घंटा कमाता हूं और कोर्ट में २५० रुपये घंटा कमाऊंगा। यदि मुझसे पब्लिक का फायदा नहीं हो तो मुझे वहां रहने से न फाइनेन्शियल इन्ट्रेस्ट है न पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट है। आपका डेवलपमेन्ट शायद तब होगा जब सुन्दरस्वरूप भाटिया वहां से चुनकर आयगा या रामकिशोरजी व्यास आयेंगे या दामोदरजी व्यास आयेंगे तो यह तो होने वाला नहीं है....

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया (बनेडा): आप कांग्रेस मे चले जाइये, फिर हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मरने के बाद प्रेतात्मक भी कांग्रेस में नहीं जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, केटागोरिकली गर्वमेन्ट द्वारा यह बता दिया जाय कि which department is responsible for the maintenance of these roads ?

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार अपने पर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री रामकिशन : मैं निवेदन कर रहा था, मंत्रीजी शायद स्वाभाविक ढंग से, बगैर जानकारी के आधार पर कह दें कि हमें पैसा दिला दो, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्यूनीसिपेलिटी पर जो बकाया है उनसे पैसा दिला दो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इस गद्दी से हट जायं और हम सरकार बना लें तब आप कहना। हम आपसे मांग कर रहे हैं और आप हमसे मांग कर रहे हैं। सरकार सक्षम नहीं है कि जो बकाया रकम है उसको वसूल किया जाय। यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं निवेदन करूं कि यह सतीशजी का निर्वाचन क्षेत्र है, यही बात नहीं है। परसों एक घटना घटी। मैंने खुद ने देखा है कि सड़क पर काफी गड्ढे हैं और उनमें पानी भर गया है। उधर पुरुषार्थी लोग हैं, नये लोग हैं, साइकिलों पर बैठकर चलते हैं। उस सड़क पर मोटरें भी जाती हैं। जहां सैटलमेंट का दफ्तर है और कुछ मकान हैं, कारखाने हैं वहां गड्ढे है। वहां एक साइकिल पर एक आदमी अपनी बीबी और बच्चे को बिटाये ला रहा था। सामने से मोटर आई, उसकी रोशनी पड़ी तो उसने एक तरफ किया, वैसे ही साइकिल गिर गई और औरत भी वहीं गिर गई। इस तरह की जयपुर शहर में घटनायें होती हैं और भवनों पर और सड़कों पर करोड़ों रुपया खर्च करते है लेकिन यह मामूली सा सवाल आपसे नहीं सुलझाया जा रहा है। आप कहते हैं कि रुपये का सवाल है तो जो रुपया बकाया है उसको आप वसूल करें। अगर जयपुर को म्युनिसिपल कमेटी में बकाया है तो उससे वसूल करें। मैं समझता हूं कि शहरों के विकास का कर्त्तव्य सरकार का है। आप यह कह कर नहीं बच सकते कि यह म्युनिसिपैलिटी का काम है। अगर आप विभाग को कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो आगे काम चलेगा कैसे ? इस दृष्टिकोण से आप इस पर विचार करें, क्योंकि उस सड़क का निर्माण होना आवश्यक है। इसलिए और भी आवश्यक है, क्योंकि यहां पर बाहर से टूरिस्ट आते हैं। वे जयपुर शहर को देखने आते हैं और देखने जाते समय सड़कों पर गड्ढे होने से गिर जाते हैं, तो वे लोग आयेंगे ही नहीं। इस तरह स्टेट की इन्कम गिर जायगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आप जल्दी ठीक करायें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हूं, यह एक ऐसा प्रश्न है कि जहां पर जिम्मेदारियों का ओवरलैपिंग है, म्युनिसिपल कौंसिल और सरकार की जिम्मेदारियों का ओवरलेपिंग है। वैसे सरकार की जिम्मेदारी ओवर राइडिंग होनी चाहिए। आखिरकार अन्ततोगत्वा सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, दुर्व्यवस्था को रोकने की। पहले यहां पर जनसंघ की म्युनिसिपल कौंसिल थी, अब स्वतंत्र पार्टी की म्युनिसिपल कौंसिल है और फिर भी मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन है, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ही कारण है। इतना कहने के पश्चात यह भी निवेदन करूंगा, अगर जयपुर के अन्दर कांग्रेस की म्युनिसिपल कौंसिल होती तो सब्सिडी, ग्रान्ट, मर्सी या और तरह उसको बदनाम होने से जरूर बचाने की कोशिश करते। इस तरह के डिस्क्रिमिनेट्री ट्रीटमेंट के कारण, मैं समझता हूं, इसकी आवश्यकता है कि मंत्री महोदय, येन-केन-प्रकारेण इस भयंकर स्थिति को, जो आदर्श नगर में बताई जाती है, मैं तो गया नहीं हूं, लेकिन ऐसी स्थिति है कि सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, यह म्युनिसिपेलिटी के लिए डिस्ग्रेस है और उसके उपरांत सरकार के लिए भी डिस्ग्रेस है और सरकार कोइस डिस्ग्रेस से बचाने के लिए सरकार के मंत्री महोदय को चाहिए कि म्युनिसिपैलिटी व दूसरों पर इसे न छोड़ कर जरा इस सम्बन्ध में सद्भावनापूर्वक विचार करें। जहां तक म्यूनिसिपेलिटी का प्रश्न है, मंत्री महोदय ने जो एक्स्प्लेनेशन दिया है उसके अनुसार मैं अनुभव करता हूं कि सड़कें बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। रहा प्रश्न धन संग्रह करने के बारे में। आखिरकार जनता पर इतने टैक्स लगाये गये हैं कि टैक्सों कि पराकाष्ठा हो गई है, और टैक्स लगाने की म्युनिसिपेलिटी की कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि म्युनीसिपैलिटी यहां पर नहीं रहे तो स्वतंत्र पार्टी की म्युनिसिपल कौंसिल इस्तीफा देकर आपको जनहित के लिए अग्रसर करके यह निवेदन करने के लिए तैयार है कि महरबानी करके आप जन-साधारण की सेवा करिये। आपके द्वारा जन-साधारण का हित हो, इस सिद्धान्त को आप अपनायें और यह मूंजीपना छोड़ें। अगर आप चाहें, क्योंकि म्युनीसिपल कौंसिल विरोधी पक्ष की है, इसलिए सर्वप्रथम उसे बदनाम किया जाय, तत्पश्चात् जन सेवा के लिए आप अग्रसर हो; मेरे ख्याल में यह जनतंत्र की तो परंपरा है नहीं।

श्री अल्दाराम (उमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रह्या है कि नौ लाख रुपया सरकार म्यूनिसिपल कौंसिल के पास जमा कराय दे तो ई सड़क का निर्माण हो जाय। सरकार ने कह्यो है कि पहले वो सरकार के समक्ष मांग लेर आवे और मांग करे कि इतनी धनराशी को काम है और इतनो धनराशि देनी चाहिए। म्युनिसिपल कौंसिल यो मांग करे तो वीं के बाद सरकार स्वीकार कर सके कि म्युनिसिपल कौंसिल की मदद करे। हर जगह म्युनिसिपल कमेटी ने मांग करने से मिले है। बाद में सरकार अगर मदद नहीं करे तो सरकार ने कहणो चाहिजे कि इतनी धन राशि की मांग कर रह्या हां, लेकिन सरकार सुणे नहीं; वह सड़क बनावे नहीं और धनराशि की मांग करे नहीं। ई वास्ते सरकार सूं पहले अर्ज करे कि जल्दी इतनी धनराशि

(श्री अल्दाराम)

दी जावे ताकि जल्दी ही सड़क को निर्माण कियो जावे।

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो गई है, आज भी और पहले भी, कई दफा। इन बस्तियों की किस तरह से व्यवस्था हो, यह प्रश्न कई दफा उठ चुका है। इस समय सरकार से निवेदन करूंगा कि आपके विभागों में किसी तरह से समन्वय हो और जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति पैदा हो जिससे सबको संतोष हो और जिस स्थिति को सब खेदजनक मानते हैं वह दूर हो जाय। एक लम्बे अर्से से यह स्थिति चल रही है। रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने इसका निर्माण कराया, और जब अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास आया तो उसकी जिम्मेदारी थी कि इसका डेवलपमेंट करवाकर म्युनिसिपल कौंसिल को देती, जैसा कि होना चाहिये। चूंकि ये सब बातें हुई नहीं, अब स्थिति को किसी प्रकार से हल करना है, इसलिए मैं सरकार से और मुख्य मन्त्री क्योंकि यहां पर हैं नहीं, उनके जो भी सहयोगी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी यथासम्भव शीघ्र कोशिश करके इस समस्या को कृपया हल करने की कोशिश करें।

खाद्य मन्त्री अपना प्रस्ताव रखेंगे, खाद्य एवं बाढ़ की समस्या पर विचार होगा।

(११. ५७ म. पू.)

खाद्य एवं बाढ़ की समस्या पर सामान्य वाद-विवाद

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि राजस्थान में खाद्य स्थिति एवं बाढ़ की समस्या पर विचार किया जाय"।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में, जैसा इस सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि हमारे यहां पर हम बापिस इस साल में, जब पहले चर्चा हुई, उसके बाद खाद्यान्न की स्थिति पर और इस साल बरसात के कारण राजस्थान के कई इलाकों में जहां बाढ़ से कुछ नुकसान हुआ है—उन सारी स्थितियों पर विचार करें। इसे ध्यान में रख कर आपके आदेश के अनुसार यह तिथि निश्चित की गई थी और मैंने सदन के माननीय सदस्यों के सामने राजस्थान में इन दोनों समस्याओं के बारे में जो कुछ तथ्य और जानकारी रखना उचित समझा, उसका नोट माननीय सदस्यों को सर्क्यूलेट किया है। मेरा ख्याल है कि वह नोट सारी बहस के लिए एक अच्छी बुनियाद बनेगा। मैं आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि खाद्यान्न की समस्या, जो कि आज देश की महत्वपूर्ण समस्या है, को हल करने के लिए सोचना जरूरी है कि क्या कारण बने हैं इस समस्या को उत्पन्न करने के और इस स्थिति को बनाने के और खाद्यान्न की स्थिति के अन्दर समस्यायें हैं वे क्या समस्यायें हैं, खाद्यान्न की एवेलेबिलिटी का प्रश्न है या महंगाई का प्रश्न है। और हम महंगाई किसे कहें? आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किस चीज को हम महंगाई मानेंगे और उसके बाद हम किस चीज को महंगाई नहीं कहेंगे? ये कई महत्वपूर्ण प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस समस्या के साथ जुड़े हुए हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सब राज्य सरकारों के चीफ मिनिस्टर्स और नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल हाल ही में दिल्ली में मिल रहे हैं। उनके सामने कई मुद्दे हैं। चौथी पचवर्षीय योजना के मसविदे पर विचार किया जायगा, उसके साथ साथ खाद्यान्न की स्थिति के बारे में विचार किया जायगा और उन बातों पर भी विचार होगा जो देश का महत्वपूर्ण प्रश्न है। खाद्यान्न के बारे में आज हमें जो कुछ कन्ट्रोल करने की बात सोचनी पड रही है, उसको किया जाना उचित है या उचित नहीं है, इस बात पर विचार होगा। साथ ही इस समस्या से बचने के लिए इस प्रश्न पर भी विचार होगा कि प्रोडक्शन की स्थिति और देश की जन-संख्या इन दोनों में क्या सम्बन्ध है, देश की योजनाओं को कार्यान्वित करने की वजह से मुद्रा-स्फीति में विकास हुआ है या नहीं, और विकास होने की वजह से खाद्यान्नों की अवेलेबिलिटी पर और कीमतों पर क्या असर पड़ा है ? हम चाहते हैं कि देश में प्रजातन्त्र के माध्यम से समाजवाद कायम किया जाय और जो समाजवाद की बुनियादी जरूरतें हैं, उनमें खाद्यान्न सबसे पहली जरूरत है; उसके बाद मकान, वस्त्र और दूसरी जीवनोपयोगी चीजें हैं, उनकी अवेलेबिलिटी का प्रश्न हर परिवार के सामने जुड़ा हुआ है। अगर हम उसे उस आर्थिक विकास की मंजिल में पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचा चुके हैं या नहीं और अगर पहुंचा चुके हैं तो जो योजनायें चल रही हैं उनकी सफलता पर असर पड़ता है और उसके साथ साथ प्रोडक्शन जितना तेज रफ्तार से बढ़ना चाहिये उतना नहीं बढ़ता है और जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। इन सब बातों का देश की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है और पार्टीज़ के नेताओं की अलग अलग क्या राय है, उनकी क्या इच्छा है और एम. एल. एज़. अलग अलग बैठने वाले हैं उनकी क्या इच्छा है, समाजवाद को लाने के लिये कोई दूसरा रास्ता हो सकता है, क्या ये सब इस प्रश्न से जुड़े हुए हैं ? हम महंगाई के प्रश्न को किस दृष्टि से देखते हैं। किस स्थान पर भाव जाकर टिकें तो हम फिर उसे महंगाई नहीं कहेंगे। खाद्यान्नों के भावों पर नियन्त्रण करना है तो राज्य सरकार और देश की सरकार को किन सीमाओं और तरीकों का चयन करना चाहिये। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। राजस्थान की जो जनता की चुनी हुई सरकार है उसने कुछ कानून और नियम इस सम्बन्ध में लागू किये, उसके सम्बन्ध में आप क्या नये तथ्य देते हैं ? आप उस सम्बन्ध में अपना और अपनी पार्टी का मत बतावें और यह भी बतावें कि जो कानून और कायदे हमने बनाये हैं उनमें क्या क्या कमियां रही हैं और उनकी पूर्ति हम कैसे करें। वैसे बहुत से माननीय सदस्य कहेंगे कि किसानों की कीमत कम है या ज्यादा। ट्रेडर्स के बारे में आपकी क्या नीति है और कन्ज़्यूमर को माल किस तरह से प्राप्त हो ? ट्रेडर्स के मार्जिन और प्रोड्यूसर के मार्जिन ऑफ प्रोफिट को देखकर या प्रोड्यूसर और ट्रेडर के मार्जिन को देख कर उधर जावें। जिस तरह से आप सोचते होंगे उसके बारे में स्पष्ट रूप से प्रकाश डालेंगे तो राज्य सरकार को अपनी दिशा में सोचने की गुंजाइश पैदा हो सकती है। इसलिये मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर यही निवेदन करूंगा कि जो नोट मैंने दिया है उसमें बाढ़ से जो हानि हुई उसका भी उल्लेख है और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खास तौर से घग्घर नदी की बाढ़ से जो नुकसान हुआ और भरतपुर जिले में कामा पहाड़ी से पंजाब से आने वाले पानी से स्थिति पैदा हुई और कई इलाकों में तालाबों के टूट जाने और बांधों के टूट जाने से कई स्थानों पर नुकसान हुआ। पहाड़ों की वजह से टेम्पोरेरी नुकसान होता है और जहां पर ज्यादा पानी घूमता है उसके कारण किसानों में दूसरी फसल में बहुत सफलता भी मिलती है। मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य उसकी जानकारी रखते होंगे। वे इस सम्बन्ध में प्रकाश डालेंगे जिससे बहुत हद तक भविष्य में नुकसान से बच सकेंगे। जो मुद्दे यहां पर आवेंगे और जो कुछ भी उचित मुद्दे होंगे उनका जवाब देना मैं पसन्द करूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि जो कुछ आप कहें उसमें स्पष्ट करें कि किस हद तक आप महंगाई समझते हैं, किस हद तक कीमतों को महंगा नहीं कहेंगे और इसके बढ़नेके लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं और उन पर किस उस पर नियंत्रण किया जा सकता है और सरकार को किस हद तक इन्टरफियरेन्स करना चाहिए, इन सारी बातों पर हम अपनी बहस में प्रकाश डालें और कुछ नीतियों के बारे में भी प्रकाश डालें। इसके अलावा जो नीतियें अभी हम फोलो कर रहे हैं उनमें क्या गल्तियां हैं। इस तरह से नहीं हो कि किसानों के साथ अलग से बात कहे और महाजनों को कुछ और बात कह दी, कन्ज्यूमरों के लिए कुछ और कह दें और किसानों के सामने और कोई दृष्टिकोण रख दें। इन सारी बातों से बचने के लिए हम एक कन्स्ट्रक्टिव बात पैदा कर सकें तो मैं समझता हूं कि इस तरह से देश की समस्या मानते हैं और उसके बारे में हमने आदेश जारी किये हैं, सरकार कन्ट्रोल करे या नहीं। इन सारे अहम पहलुओं पर विचार रखें। यही कहकर इस स्टेज पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न का सवाल नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभी खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आई है। खेती के तरीके और सिंचाई टार्गेट....

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस नहीं की जा सकती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन-प्रस्ताव डूंगरपुर बांसवाड़ा में सूखा पड़ने के सबंन्ध में था। उस संबंध में माननीय मन्त्री प्रकाश डालना उचित समझें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय खाद्यान्नो की स्थिति के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि वर्तमान खाद्य स्थिति एक देश व्यापी स्थिति है और दिन-ब-दिन यह स्थिति सुधरने के बजाय एक भीषण रूप धारण कर रही है। बार बार केन्द्रीय मंत्री और राजस्थान के खाद्य मंत्रीजी यह आश्वासन देते जा रहे हैं कि खाद्य की स्थिति पर काबू पाया जा रहा है और काबू पाने की कोशिश की जा रही है। किन्तु अब तक ये

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सब आश्वासन गलत सिद्ध हुए हैं और इसको मैं एक मृगमरीचिका यदि कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह मैं नहीं कह सकता कि राजस्थान सरकार के दिये हुए आंकड़े किस हद तक सच हैं, मगर इन आंकड़ों के तथ्य पर मैं दो-तीन मुद्दे सदन के समक्ष रखने की चेष्टा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता की आवश्यकता के लिये, हमारी सम्मिलित आवश्यकता कूतें तो श्रमिक, किसान आदि वर्ग जो विशेष अन्न काम में लेते हैं उनका भी समावेश करते हुए भाजी और पालक आदि सभी को लेते हुए, १६ औंस प्रतिदिन से १२ औंस प्रति दिन प्रति व्यक्ति के लिये अनुमान लगाया जावे तो मेरे ख्याल में राजस्थान के लिये साल भर में ३० लाख टन काफी होगा; ३० लाख टन खाद्यान्न पर्याप्त होगा काम में लेने को।

श्री रामकिशन (वैर): सारे खाद्यान्नों में दाल भी शामिल होगी या अलग ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दाल के समेत सब में दाल भी आती है। दाल भी उपयोग में आने वाली चीज है। छोटे से बड़े तक दाल और रोटी का व्यवहार साथ साथ करते हैं और दाल को छोड़ना मेरे ख्याल से खाद्यान्नों में शामिल करना उचित नहीं होगा। तो सरकार के आंकड़े दिये गये हैं उसके अनुसार उत्पादन ४० लाख टन बताया गया है।

४० लाख टन अगर हमारा उत्पादन है, मैं इस सम्बन्ध में विशेष विवेचन नहीं करूंगा कि उत्पादन बढ़ा है या घटा है, पर मेरी मान्यता है कि उत्पादन बढ़ा नहीं किन्तु घटा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार यदि हमारा उत्पादन ४० लाख टन है तो हमारा खर्चा ३० लाख टन से अधिक नहीं है। बाकी के १० लाख टन के सम्बन्ध में सरकार शायद यह कहेगी कि एक्सपोर्ट किया जाता है। मैं इस बारे में भी न कोई विशेष विवेचना करूंगा, न कोई विरोध करने की चेष्टा करूंगा लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि केन्द्र से अमेरिकन गेहूं जो आ रहे है वह अगस्त, सेप्टेम्बर और अक्टूबर में प्रति माह ५० हजार टन के अनुपात से राजस्थान को प्राप्त हो रहा है। इतनी बड़ी राशि उस गेहूं की जो हम प्राप्त कर रहे हैं वह भी नगण्य नहीं है और उसका अब हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सामवेश करना परमावश्यक है। इतना होते हुए भी आज हम देख रहे हैं कि कीमतों के ऊपर सरकार काबू नहीं पा रही है, दिन प्रतिदिन खाद्य की स्थिति विषम से विषमतर होती जा रही। बहुत से गांवों में यह स्थिति पैदा हो गई है कि लोग हाहाकार करते हैं और मेरे ख्याल से इस कृत्रिम काल का इस मनुष्कृत अकाल का कारण हमारी राजस्थान सरकार है।

सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण, सरकार की कोई दृढ़ नीति नहीं होने के कारण आज इस प्रकार की भयंकर मंहगाई हम देखते हैं, वहां मंत्री महोदय कह रहे हैं कि आज की जनसंख्या के अनुपात से आज इन्फ्लेशन देखते हैं उसे मंहगाई कहा जाय या नहीं कहा जाय, उधर बैठने वाले माननीय

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिये। मैं एक हद तक यह मानने को तैयार हूं कि इन्फ्लेशन है पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज की बढ़ती हुई कीमतें मेरे ख्याल में कभी भी, १०० वर्ष में तो क्या हजार वर्ष में भी इतनी मंहगाई नहीं हुई होग। चाहे महायुद्ध हुए, चाहे महा-दुष्काल पड़े, चाहे महामारियां आई हों लेकिन इतना अनप्रिसिडेन्टेड रवेलिंग आफ प्राइसेज, इतनी मंहगाई आज तक कभी इस देश में आई हो, ऐसा मैं अनुभव नहीं करता।

यदि यह मनुष्यकृत काल नहीं है, यदि यह सरकार की दूषित नीतियों के फलस्वरूप नही है तो यह क्या हो सकता है? मैं इस सम्बन्ध में सरकार को ही दोषी ठहराऊंगा। सरकार की वितरण-व्यवस्था निकम्मी है। सरकार की नियन्त्रण-व्यवस्था और भी ढिल गाई से भरी हुई तथा और भी निकम्मी है। सरकार ने व्यापारियों के प्रति अविश्वास करके व्यापारियों और किसानों के बीच में अविश्वास पैदा कर दिया हैं, आज व्यापारियों और किसानों के बीच में विश्वास नहीं रहा। सरकार की दूषित नीति के कारण आज जनता में व्यापारियों में और किसानों में भयकर अविश्वास और असंतोष पैदा हो गया है और इसके फलस्वरूप आज जनता में अशान्ति और असंतोष पनपते से नजर आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह पुरजोर रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि नीति एक स्थिर नीति होनी चाहिये। बार बार दस दिन के अन्दर, १५ दिन के अन्दर उसमें फेर-बदल लाना यह एक भयंकर समस्या पैदा करेगा और धीरे धीरे जन-साधारण का भी सरकार के शासन के अन्दर से विश्वास उठ जायगा। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि आज सरकार की केवल नीति ही दूषित नहीं है बल्कि सरकार किंकर्त्तव्य विमूढ़ है, सरकार नहीं जानती कि इस स्थिति पर किस तरह से काबू किया जाय। तत्कालीन योजना और दीर्घकालीन योजना, दोनों समस्याओं के ऊपर दृष्टिपात करके, साहस के साथ कर्मठता के साथ इस सम्बन्ध में कोई न कोई हल निकाले। यह नहीं कि विरोधी पक्ष वाले सरकार का साथ देने में गुरेज करें या हिचकिचाहट करें। यह राष्ट्रीय समस्या है, इस दुर्घटना को लाने वाले भी आप ही हैं, पर हमारा भी कर्त्तव्य है कि हम सुझाव ही नहीं दें बल्कि उचित रूपेण सहायता भी दें। पर सहायता तभी दे सकते हैं जब कि आपकी नीति में सत्य हो, तथ्य हो। आपने फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आॅर्डर निकाला। किसानों को, जनता को, व्यापारियों को परेशान करने के लिये बार बार उस फूड ग्रेन लाइसेंसिंग आॅर्डर के अन्दर आपने परिवर्तन किये, व्यापारी पर अपने संग्रह को घोषित करने की पाबन्दी लगाई, एक थोक बन्द व्यापारी दूसरे थोकबन्द व्यापारी को माल नहीं बेच सकता, इस बारे में भी आपने प्रतिबन्ध लगाये। राज्य कर्मचारियों को आपने एक महीने की तनख्वाह पेशगी के तौर पर दी कि वे धान का संग्रह कर लें। तो सरकार जिस चीज की रुकावट पैदा करती है, मनादी करती है, स्वाभाविक है कि जन साधारण में वहां विशेष चेष्टा होती है कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

किसी न किसी प्रकार अन्न का संग्रह करके रखे, अन्न की औछत हो तो अन्न का संग्रह करना स्वाभाविक हो जाता है। तो इस प्रकार सरकार की दूषित नीति के कारण व्यापारी और किसानों के मन में यह दुर्भावना पैदा होती है।

आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं कीं, पर सब घोषणाएं निरर्थक गई; एक्सपोर्ट के सम्बन्ध में, निर्यात के सम्बन्ध में समयानुकूल कोई ठोस कदम नहीं उठाया। चोरी छिपे अन्न बाहर जा रहा है, उसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की कि कड़ी निगरानी रख कर कोई प्रतिबन्ध लगा सके या उचित रूप से रोक कर सके।

इन सब अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों और हिचकिचाहट की नीति के फल स्वरूप हम आज का नजारा देख रहे हैं, वह मेरे ख्याल से सरकार की ही करतूत है। इस सम्बन्ध में यदि मैं यह कहूं कि: "हाथ कमाया कामणा किणने दीजे दोष" तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मोटे अनाज के सम्बन्ध में सरकार की एक्सपोर्ट नीति भी दूषित है। मोटे अनाज के एक्सपोर्ट के अन्दर भी रुकावट करनी चाहिये और मोटे अनाज को बाहर नहीं जाने देना चाहिये। चने के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने यह घोषणा की कि किसी किसान या व्यापारी के पास संग्रह है तो ३३ परसेंट निर्यात कर सकता है, मेरे ख्याल से इस पर भी प्रतिबन्ध जल्दी से जल्दी लगाना चाहिये।

मक्का, बाजरा और जवार पर भी रुकावट नहीं की है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इनके सम्बन्ध में भी एक्सपोर्ट पर प्रतिबन्ध लगाना परम आवश्यक है। यदि रुकावट नहीं की गई तो खास कर उदयपुर डिविज़न में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले और उदयपुर, इन कुछ जिलों की ऐसी स्थिति है कि तीन-चार महीनों में ही वहां ऐसी स्थिति हो जायगी, कि लोगों को खाने को अन्न नहीं मिलेगा और वहां बड़ा हाहाकार और बड़ी भयंकर स्थिति पैदा होने की संभावना है।

इन सब दूषित नीतियों के कारण अगर यह कहा जाय कि सरकार जन-साधारण का विश्वास खो चुकी है और सरकार और जन-साधारण, क्या किसान और क्या व्यापारी और क्या जनता—इनके बीच में एक बहुत बड़ी दरार सी पैदा हो गई है तो अतिशयोक्ति न होगी।

आज डूंगरपुर और बांसवाड़ा और उदयपुर के कुछ हिस्सों में स्थिति दुष्काल की हो गई। वहां सूखा पड़ा है, तालाब खाली हैं और कुओं में आधे से भी कम पानी है। इस क्षेत्र के अन्दर औसत वर्षा २८ या ३० इंच है, वहां पर १०-१२ इंच से अधिक वर्षा अभी तक नहीं हुई। बहुत से आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज मवेशियों को कुए के अन्दर से पानी निकाल कर पिला रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को और कुछ नहीं तो लगान वसूली तो माफ करनी चाहिए। यदि कुल लगान नहीं माफ करना चाहते तो आधी माफ करें और कम से कम उन लोगों के लिए

Page No. 56

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

राहत के कार्य भी व्यापक रूप से हाथ में लेने चाहिए और राजनैतिक कारणों के द्वारा किसी भी क्षेत्र को सूना नहीं रखना चाहिए। दो दिन हुए, माननीय सदस्य जो कुशलगढ़ से आए हैं, उन्होंने कहा कि कुशलगढ़ के अन्दर कोई राहत–कार्य नहीं हुआ, यह बिल्कुल सत्य है। सरकारी कर्मचारी आम तौर से विरोधी पक्षों के लोगों से यह कहते हैं कि क्योंकि कांग्रेस को वोट नहीं दिया इसलिए यहां पर कोई निर्माण या राहत कार्य नहीं किया जायगा। यह मेरे खयाल से जनतंत्र के लिए बहुत ही गलत नीति है और आपको चाहिए कि जिन भी क्षेत्रों में सूखा पड़ा है वहां उचित कदम उठाए जायं और राहत के कार्य आरंभ करें। मक्की, बाजरा और ज्वार पर जल्दी से जल्दी आप प्रतिबंध लगाएं, नहीं तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, एक ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न होगी जिस पर सरकार को काबू पाना भी बहुत कठिन हो जायगा। तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय बताएं कि राजस्थान के जिन भागों में सूखा पड़ा हुआ है उस बारे में सरकार की क्या नीति है, उसको स्पष्टतया यहां पर घोषित करें।

इसके अलावा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो अमरीकी गेहूं जिलों में आपने भेजा है उसके आंकड़े जो आपके नोट के थे प्राप्त हुए उसमें डूंगरपुर जिले में अगस्त में ३१५ टन, सितम्बर में ३१५ टन और अक्टूबर में ३४५ टन ही अपने यहां गेहूं भेजा है। मेरे ख्याल से यह गेहूं की राशि अन्य जिलों से करीब करीब सबसे कम है। मैं मानता हूं कि डूंगरपुर जिला एक छोटा जिला है, किन्तु उसके मुकाबले के जिला बांसवाड़ा आदि को जो आपने गेहूं भेजा है करीब करीब दुगुने और पौने दुगुने हैं। इस संबन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें और डूंगरपुर जिले को गेहूं प्रर्याप्त रूप से भेजने के सम्बन्ध में विचार करें। कहीं पर इस विस्तृत क्षेत्र राजस्थान में सूखा पड़ा है, कहीं पर बाढ़ आई है; घग्घर के कारण आज गंगानगर के बहुत से क्षेत्रों के अन्दर जलबिम्ब सा हो रहा है, मीलों तक पानी पड़ा है। मैं नहीं कहता कि घग्घर की नाली एक तरह से अभिशाप हुई है। बहुत अंशों में ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ और बहुत अंशों में लाभ भी है। और बहुत अंशों में हानि भी है; तो जहां तक लाभ का प्रश्न है उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जहां तक हानि का प्रश्न है उस सम्बन्ध में अनूपगढ़ आदि क्षेत्रों से कुछ किसान आये हैं, उनसे मैं मिला। उन्होंने कहा कि मुख्य मन्त्री जब हनुमानगढ़ में थे तो उन्होंने लोगों को यह आश्वासन दिया कि इस स्थिति पर बाढ़ के पानी पर, बहाव के पानी पर काबू पाया जायगा और उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारी जो इंजीनीयर्स थे उनकी ओर से भी यह आश्वासन मिला है कि पानी नहीं बढ़ पाएगा, पानी घटेगा। उसके विपरीत पानी घटा नहीं और बढ़ा और जो लोग नाम मात्र से खातेदार हैं, जिनकी जमीनें डूब चुकी हैं, जिनकी जमीनें दलदल बन चुकी हैं, जो

Page No. 57

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

शरणार्थी की स्थिति में कहे जाते हैं, जमींदार, लेकिन जमीदार वे किस काम के जब उनकी जमीन से कौड़ी का भी उत्पादन नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो आपका गोलमाल हो रहा है इस बाढ़ क्षेत्र के अन्दर यह अस्पष्ट नीति का है, आपके इंजीनियर काबू नहीं पा सकते, मेरे ख्याल से जो इंजीनियर अध्ययन करते हैं वे ईमानदारी से नहीं करते, इसके अन्दर भी भ्रष्टाचार है। उन काश्तकारों ने मुख्य मंत्री के आश्वासन पर बीज भी बोया और आज-कल बीज भी महंगा है, रुपये के पांच या सात सेर लेकर बोयें, उसका फल यह हुआ कि जहां पर बोया वहां उसकी जमीन डूब में आ गई। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मेरे ख्याल से सरकार ने जनता के प्रति विश्वासघात कर रही है और जनता को मेरे ख्याल से एक थोथा आश्वासन देकर धोखे के अन्दर डाल रही है; वह सर्वथा अनुचित है, उसका मैं विरोध करता हूं और उसकी निंदा करता हूं। सरकार को दरअसल चाहिए कि उनकी जो कमजोरियां हैं उनको दृढ़तापूर्वक दूर करे और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के अन्दर पंजाब और राजस्थान दोनों मिलकर राज्य सरकार को चाहिए कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का सहयोग प्राप्त करे और इस गुत्थी को सुलझाए। इसके साथ साथ राणा प्रतापसागर के संबंध में मंत्री महोदय ने कहा कि राणा प्रतापसागर की लेवल धीरे धीरे नीचे जा रही है। मेरे ख्याल में यह तो योजना का एक अंग होना चाहिये कि कम से कम सरकार इस सम्बन्ध में भी विचार करे कि यदि दो साल लगातार उस एरिया के अन्दर, उस केचमेंट एरिया के अन्दर बीस इंच लगातार बारिश होगी तो क्या स्थिति होगी? दूसरे दो बांध बन रहे हैं, उनके बनने पर क्या स्थिति होगी और उनके नहीं बनने पर क्या स्थिति होगी? यह सब योजना-बद्ध रूप से आपके पास लिखित रूप में होना चाहिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो कि आपके जो प्लानर्स हैं ठीक तरह से प्लानिंग कर रहे हैं या कागज़ी प्लान्स हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष निवेदन नहीं करके यही कहूंगा कि सरकार की अदूरदशिता पूर्ण नीति के कारण जनता को जो परेशानी हुई है, मेरे ख्याल से सरकार जनता के प्रति गुनहगार है और सरकार को चाहिए कि वह अपनी कमियों को दूर करे और दृढ़तापूर्वक इस स्थिति का सामना करे, नहीं तो दिन-ब-दिन यह स्थिति और भी संकटपूर्ण होगी और उसके जो दुष्परिणाम होंगे, उनके लिए पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की ही होगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय मंत्रीजी ने खाद्य स्थिति पर विचार प्रकट किये हैं उनसे ऐसा प्रकट होता है कि सरकार की कोई नीति ही नहीं है। इन्फ्लेशन है या नहीं, कीमतें ज्यादा हैं या नहीं, इन परिस्थितियों में राज्य सरकार क्या करे, इन सब बातों पर वे चाहते

(श्री रामकिशन)

विरोधी दलों के विचार सुने। लोकतान्त्रिक तरीका है कि जब इस प्रकार की स्थिति बन जाये तो दूसरों के इस विषय में सुझाव लिए जाय। यह लोकतान्त्रिक तकाजा है, लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार खुद इस प्रकार की समस्या पैदा करती रही है, सन् ४८ से यही स्थिति हो रही है। सरकार खुद यह समस्या पैदा किए जा रही है और इलाज हमसे पूछ रही है सरकार। जब सरकार हमसे इलाज पूछेगी और हम उसको इलाज बतायेंगे तो कह देगी कि मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं? इस प्रकार के विशेषण नाम न लेते हुए लगाये जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब उनका यही होगा और उनका नतीजा यही होता है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारें या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में एक नीति निर्धारित नहीं कर सकी है, अध्यक्ष महोदय, यह खाद्यन्न का सवाल न राजस्थान का सवाल है, न मध्य-प्रदेश का सवाल है, न उत्तर प्रदेश का सवाल है। इस सवाल को सारे देश के पैमाने पर, हिन्दुस्तान को एक इकाई समझ कर हल नहीं करेंगे तो यह सवाल हल होना असंभव है। जो स्थिति हमारे देश की आज है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि सरकार की खाद्य नीति, कृषि नीति, सिंचाई नीति और बिजली नीति ये चार नीतियां फेल हो गई हैं और उनकी जो असफलता है उसका परिणाम यह महंगाई है, यह संकटपूर्ण स्थिति है। उनकी असफलताओं के कारण आज सरकार की और जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम इस समस्या पर सोचते हैं तो हमें इस समस्य के दूसरे पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। एक माननीय मंत्री ने एक विचार दिया। हिन्दुस्तान के मन्त्री, कृषि मन्त्री या मुख्य मन्त्री एक प्रकार का भ्रामक-प्रचार जनता में फैलाते हैं कि इस समस्या के पैदा होने का कारण सरकार नहीं है। वे कहीं देते हैं कि कह पैदावार की कमी हुई; इसका कारण यह था कि कहीं बाढें आ गई, कहीं पैदावार कम हो गई, कहीं सूखा हो गया, कहीं बारिश अधिक हो गई। दूसरी बात वे यह कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है क्योंकि यदि २ परसेन्ट पैदावार बढ़ती है तो सवा दो परसेन्ट आबादी बढ़ जाती है; इसलिए, इसको जिम्मेदारी, हमारी नहीं है। जनता की जिम्मेदारी है, हम इसके कारण नहीं हैं। एक जिम्मेदारी है तो वह प्रकृति की है और दूसरी है जनता की आबादी बढ़ाने की और, तीसरा कारण, यह है कि व्यापारियों ने अनाज छिपा लिया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप व्यापारियों को अनाज छिपाने से नहीं रोक सकते, आप पैदावार को नहीं बढ़ा सकते, बढ़ती हुई आबादी का, आपके पास कोई हल नहीं है। फिर एक ही प्रश्न रह जाता है कि आप राज्य किसलिए कर रहे हैं? क्या अधिकार है आपका राज्य करना? आप किसी भी दृष्टिकोण को समझने का कोशिश नहीं करते और सरकार अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसको माने हैं कि गैरजिम्मेदार लोगों के हाथ में गैरजिम्मेदार सरकार है और आपको फौरन ही त्याग-पत्र दे देना चाहिये। आपको राज्य करने का कोई नैतिक हक नहीं है। यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि इस पर अधिक से

(श्री रामकिशन)

अधिक विचार करने की आवश्यकता है। यदि यूरोप या अमेरिका में ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता तो वहां की सरकारें फौरन से इस्तीफा देकर अलग खड़ी हो जाती। हिन्दुस्तान में आज यह हालत पैदा हुई है तो आपकी सरकारों के कारण आज हिन्दुस्तान में खाने के लिए अनाज नहीं, पहिनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं, किसी चीज़ को पकड़ लिया जाय, थोड़ा चैक किया, थोड़ी कमी बतायी, वह चीज़ गायब। दियासलाई जैसी चीज़ गायब। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए सरकार कह दे कि हमने अमुक चीज़ की इफरात कर दी है। सिवाय गंदगी के और गैरबराबर की बढ़ोतरी के कोई चीज की इफरात नहीं है। आप एक भी चीज को पकड़ कर बतायें, दृढ़तापूर्वक कह सकें कि हमने इसका निराकरण कर दिया है और इसकी कोई समस्या नहीं है और हिन्दुस्तान की जनता को दस-पन्द्रह वर्षों के लिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है?

यह साधारण समस्या है। आज सरकार यह कहती है कि हमने यह समस्या पैदा नहीं की। जिस समय, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था हम ५ करोड़ ४० लाख टन अनाज पैदा करते थे और अंग्रेज गये और जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान शामिल थे तो दो साल में बीस लाख से ३० लाख टन और अधिक ४० लाख टन अनाज विदेशों से मंगाया। आज सरकार कह देती है कि आबादी बढ़ गई है, इसलिए हमारे हाथ में नहीं है, बढ़ी हुई पैदावार को बढ़ी हुई आबादी खत्म कर देती है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जब दोनों एक थे उस समय ४३ करोड़ की आबादी थी और आज हिन्दुस्तान की आबादी की आबादी ४३ करोड़ के लगभग है। जब हिन्दुस्तान से अंग्रेज गये उस समय २५ करोड़ एकड़ पर खेती होती थी। आबादी बढ़ी है तो आज हिन्दुस्तान में ३१ करोड़ एकड़ पर खेती हो रही है। हमने सात करोड़ नयी जमीन तोड़ ली। आबादी बढ़ी है तो हमने अधिक जमीन भी तोड़ी है। पैदावार के मामले में सरकार भ्रम फैलाने की कोशिश न करे। यह जो मौजूदा संकट है वह पैदावार का संकट नहीं है। कुछ आशंका हो सकती है, दोष हो सकते हैं। इतने विशाल राज्य में कभी बाढ़ नहीं आयेगी, कभी सूखा नहीं पड़ेगा, बारिश नहीं होगी या बारिश अधिक होगी, यह सब सोचना नहीं चाहिये। बाढ़ भी आयगी कभी सूखा भी पड़ेगा, बारिश भी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। यह सब तो होगा। लेकिन ये सारे मामले उत्पादन के मामले नहीं हैं, पैदावार के मामले नहीं हैं। जितने आदमी बढ़े हैं, तो जमीन भी तो नयी तोड़ी है। जितना अनाज हिन्दुस्तान" पाकिस्तान के लोग शामिल थे उस समय मंगाया था उससे अधिक अक्टूबर तक ६७लाख टन मंगा पायेंगे और १८ वर्ष में हम विदेशों से २५ अरब रुपयों का अनाज मांग चुके हैं। यदि हम इन दोनों पहलुओं पर विचार नहीं करेंगे और सरकार गैरजिम्मेदाराना रुख अख्तियार करती रही है और इसको गैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीकों से चलाती रही तो यह अव्यवहारिक है और गलत है। ऐसी सरकार को तो फौरन त्याग-पत्र देकर अलग हो जाना चाहिये। यदि सरकार सोचना चाहती है तो सरकार को तथ्य रूप में सोचना

(श्री रामकिशन)

चाहिए। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि फसल पर सर्दी का असर नहीं पड़ता, बाढ़ के कारण पैदावार पर असर नहीं पड़ता हो। यह तो सब मानकर ही सरकार को चलना चाहिए!

आप योजनाबद्ध कार्य करते हैं? नमूना देखिए। एक झटका लगा कि आपकी योजना खत्म! जब योजनाबद्ध विकास करते हैं तो उनमें बाढ़, सूखा, आबादी का बढ़ना इन सबको दृष्टि में रख कर ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बस आपने तो यह बात कह दी कि अचानक प्रकृति का प्रकोप हो गया और आपकी सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकते, तो आपको राज्य करने के लिए एकदम इन्कार कर देना चाहिए। रद्दी से रद्दी सरकार भी आयेगी हिन्दुस्तान की, तो वह अनाज की समस्या तो हल कर ही देगी। रोटी की समस्या नहीं रहेगी।

मुझे, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का वक्तव्य सुन कर बड़ी हंसी आयी। प्रारम्भिक भाषण देते हैं तो समाजवाद आने के लिए रोटी देने जा रहे हैं। चाहे समाजवादी सरकार हो या पूंजीवादी सरकार हो—कोई भी सरकार हो वह रोटी की समस्या को तो प्राथमिकता देगी ही। इसमें न समाजवाद के सिद्धान्त का सवाल है, न ही पूंजीवाद के सिद्धान्त का सवाल है। मन्त्रीजी से कहूंगा कि समाजवाद के साथ जीवनस्तर जोड़ा जाता है, न कि साधारण रोटी को व्यवस्था को समाजवाद के साथ जोड़ा जाता है। यह कहना केवल भ्रम पैदा करना है कि समाजवाद ला रहे हैं, इसलिए रोटी की समस्या है। यह बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी साफ है कि सरकार और प्लानिंग कमीशन का दिमाग इस ओर साफ नहीं है इसलिए यह समस्या हर साल पैदा होती है। स्वर्गीय पं० जवाहरलालजी ने यह कहा था कि हम ५३ के बाद हिन्दुस्तान में बाहर से अनाज नहीं मंगायेंगे। सन् ५३ के बाद ६३ आ गया, अनाज मंगाने की मिकदार बढ़ती ही गई, घोषणा घोषणा बनी रह गयी। चुनाव जीतने के लिए ये बातें थीं। उसके पीछे न दिमाग था और न कर्म था। केवल मात्र एक नारा था। जब अनाज की कमी होती है तो मंत्री बड़े अजीब नारे लगाते हैं। एक मन्त्री आये, अनाज की समस्या का सीधा हल यह कहने लगे कि एक दिन उपवास कर लो, बस समस्या हल हो जायगी। ऐसे मन्त्री बैठे हैं इस सरकार में, वह सरकार क्या जनता की समस्या का निराकरण कर सकती है? उनको मालूम होना चाहिए कि १०० में से ३३ व्यक्ति ऐसे हैं जो उपवास करते हैं, गरीब हैं, हरिजन हैं, खेतिहर मजदूर हैं, आदिवासी हैं। ये ३३ परसेन्ट तो एक टाइम के सिवाय भोजन करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते हैं। इनकी स्थिति ही ऐसी है। विरोधी दल के नेता कह रहे थे कि १५ औंस अनाज काफी है। यदि १५ औंस अनाजबांध दिया तो अर्ध जीवित लोग बन जायेंगे। खाद्य एक्सपर्ट की यह राय है कि १८ औंस चाहिये। दाल, मांस, सब्जियां खाते हो, लेकिन अनाज इतना तो चाहिए। इस ओर यदि हम देखें तो हम समझ सकेंगे कि समस्या का क्या हल कर

(श्री रामकिशन)

सकते हैं। यह अखिल भारतवर्षीय स्तर की बात है। यह समस्या केवल राजस्थान की ही नहीं है, मध्य प्रदेश की ही नहीं और उत्तर प्रदेश की ही नहीं है; यह समस्या अखिल भारतवर्षीय है और इसको इस दृष्टि से ही हल करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी बात पर आता हूं। सरकार की कृषि नीति क्या है? खाद्य नीति जैसी नाम की कोई नीति नहीं। राज्य सरकार की कोई कृषि नीति नहीं रही है और कोई कृषि नीति न रहने के कारण १५ वर्षों में भूमि का तय नहीं कर पाये। कभी कहते हैं कि हम सीलिंग करेंगे, कभी कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। आपकी नीति में हर प्रकार की अस्थिरता रही है। यदि किसी भी देश की सरकार आगे बढ़ना चाहती है तो उसकी कृषि और भूमि नीति साफ होनी चाहिए। जब तक राजस्थान की सरकार भूमि की सीमा निश्चित नहीं करेगी, उसको लागू नहीं करेगी और लोगों के हाथों में जो बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हैं उनको छोटे लोगों के हाथ में नहीं देगी तब तक खाद्य नीति नाम की कोई नीति नहीं होगी और यह खाद्य की समस्या हल नहीं कर सकेगी। यह देश भी बहुत सड़ गया है। यहां के मन्त्री अमेरिका चले जाते हैं, रूस चले जाते हैं। वहां पर बड़े फर्म्स और ट्रैक्टर्स देखते हैं। जहां वे एक तरफ सीलिंग की बात सोचते होते हैं वहा दूसरी ओर उनके दिमाग में वह नक्शा आता है और बड़े बड़े फार्म को बात सोचने लगते हैं, सोचते हैं; हम अपने यहां यह क्यों न ऐसे फार्म बनायें। जब उनके दिमाग में यह विचार आता है तो उनको सोचना चाहिए कि हमारे यहां की सालाना औसत आमदनी एक व्यक्ति की क्या है? अमेरिका में दस से बारह हजार एक व्यक्ति की वार्षिक आमदनी है, जबकि यूरोप में पांच हजार से आठ हजार और हमारे हिन्दुस्तान में एक आदमी की औसत आमदनी ३००) रु० सालाना है।

अब इस २६०), ३००) रु० में फार्म प्रोडक्शन जाने कैसे बनेगा? कहां से मशीनें और बीज आदि खरीदेगा? तो इस हालत में हालत यह बनती है कि न हम पूरे अमेरिकन यूरोपियन तरीके अपना पाते हैं, न एशिया का तरीका अपना पाते हैं और हिन्दुस्तानी तरीका ही अपना पाते हैं। तो हमारी तो यह हालत है कि नागौर गये तो नागौरी और भरतपुर गये तो भरतपुरी नीति अपना ली; अपनी स्वयं की स्वतन्त्र कोई नीति नहीं है। दिमाग में साफ नक्शा और देशी नीति हो तो चल सकता है; इस तरह से उलझनों और अस्थिर नीति से सरकारें नहीं चला करतीं।

तो अनाज के संकट का हल करने के लिए हिन्दुस्तान की सरकार को और राजस्थान सरकार को अपनी भूमि नीति स्पष्ट करनी होगी क्योंकि इसका भूमि से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है और फिर प्राथमिकता तय करनी होगी और योजनाएं फिर उसी के अनुसार बनानी होंगी।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पटासीन)

तो उपाध्यक्ष महोदय, ११ करोड़ एकड़ जमीन में देश में खेती हो रही है: उसमें से

(श्री रामकिशन)

१६ परसेन्ट जमीन पर सिंचाई का प्रबन्ध है। अब एक तरफ तो सिंचाई के साधनों की कमी और अन्न संकट आपके सामने है और दूसरी तरफ आप खर्चा करते हैं रविन्द्र रंगमंच पर। मैं वैसे इसके विरुद्ध नहीं हूं कि ये रंगमंच न बनाये जावें। ये सब हैं जरूरी। पर पहले खाना और फिर नाचना। पर हमारे यहां उल्टी गंगा चल रही है, पहले नाचना और फिर खाना; यहां दिक्कत है। खाना नहीं मिलेगा तो रवीन्द्र रंगमंच भी आपके खाली पड़े रहेंगे। तो सोचने के तरीके में खराबी हैं। हमें सिचाई के साधनों पर जोर देना चाहिये।

मैं सारे राजस्थन के पिछले १२ सालों के सिंचाई बजट पर नजर नहीं डालना चाहता। पर बताना चाहता हूं कि पहली योजना में जो सिचाई का लक्ष्य रखा गया वह ४१ प्रतिशत पूरा हो सका और दूसरी योजना में ४३ प्रतिशत पूरा कर सके। तो कैसे हमारा अन्न का प्रोडक्शन ठीक होता। इस सम्बन्ध में मैं बांधों की हमारी क्या स्थिति रही, उनमें से केवल तीन—चार का नमूना पेश करता हूं। कालीसिंध बांध बना, इसकी अनुमानित लागत पहले १३ लाख रखी, पर खर्चा जाकर हुआ इस पर वह ४० लाख का था और फिर भी क्या है ? निर्धारित लक्ष्य से भी कम एरिया में वह पानी दे सका, पचास प्रतिशत को ही पानी दे पाया। यह बांध पक्का था पर तीन बार टूट गया। अब इस टूटने—टाटने की डिटेल में मैं नहीं जाता इस समय। इसमें इन्जीनियरों का भ्रष्टाचार था या ठेकेदारों का, यह तय करना तो आपका काम है।

अब ये जितनी सिंचाई योजनाएं बनीं सब राजनैतिक कारणों के आधार पर बनीं या दूसरे कारणों से बनाई गई, केवल सिंचाई की उपयुक्तता के आधार पर बिलकुल नहीं बनाई गईं और इसलिए परिणाम जो लाना चाहते थे, नहीं ला पाये।

इसी तरह से मासी बांध लीजिये। इसका एस्टीमेट २२ लाख का था, पर खर्चा हुआ ३५ लाख। जब एस्टीमेट २२ लाख का था तो सिंचाई का लक्ष्य उससे था १२ लाख एकड़ का, पर जब ३५ लाख रुपया खर्च कर दिया तो सिचाई का लक्ष्य रख दिया ८ लाख एकड़। तो उपाध्यक्ष महोदय, इन सबको अगर देखें हम, तो इसी नतीजे पर आवेंगे कि ये सारे काम राजनैतिक कारणों से किये गये। दो मिसालें मैंने इसकी पेश की, ऐसी १३–१४ मिसाले हैं। समयाभाव से मैं उनका जिक्र यहां नहीं कर रहा हूं। इससे लगता है कि आपके विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार है। इसकी वजह से नक्शे दे दिये जाते है, पर उनकी पूर्ति नहीं होती। इसलिए अगर खाद्यान्न का मामला सुलझाना चाहते हैं तो पहले सिंचाई की समस्या को हल करना होगा।

अब हिन्दुस्तान और राजस्थान में जो सिंचाई योजनाओं की असफलता हुई उससे खाद्यान्न उत्पादन पर बहुत भयंकर असर पड़ा। इस दृष्टि से मैंने विचार किया है। आप चाहे उस दृष्टि से विचार करें या न करें, पर जो हम अनुभव करते हैं वह निवेदन कर दिया।

अब जहां तक उत्पादन का सवाल है एक जानकारी चाहूंगा। आप कहते हैं कि खरीफ

(श्री रामकिशन)

की फसल खराब हुई और रबी की फसल सर्दी, पाले, हवा से मर गई; इस साल के लिए आप यह फरमा रहे हैं। इससे पहले यह कहते थे दूसरी योजना तक दस लाख टन अन्न अधिक उत्पादन करते थे। बल्कि आपका तो यह भी कहना था कि ८।। लाख टन अधिक पैदा करने का लक्ष्य था हमारा, पर, दूसरी योजना समाप्ति होने तक हमने दस लाख टन अधिक पैदा कर दिया।

६२,६३ और ६४ की साल फसल रबी की मारी गई और एक साल खरीफ की फसल मारी गई। ६३ में मई के महीने में नोट सक्यूलेट किया कि २६० हजार टन सरप्लस था; जो मई में नोट दिया है। उसमें आपने यह बताया है स्पष्ट रूप से। पर ६३ के आरम्भ होने पर फसल खराब हो जाती है और १३ जिलों में अकाल पड़ जाता है। रबी और खरीफ की फसल पर उससे असर पड़ता है और फिर आपने यह कहा कि जो हमारा ६२ में उत्पादन हुआ ४६ लाख टन वह घट कर रह गया ३२ लाख टन ही। यह आपने जो नोट जारी किया है उससे प्रकट होता है।

तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सरकार से जानकारी चाहूंगा कि कितनी सर्दी पड़ी और सर्दी से उत्पादन पर कितना असर पड़ा? अगर इतना असर पड़ा इस सर्दी से तो या तो पहले के आपके आंकड़े गलत हैं या ये गलत हैं। अगर यह कहना है तो राजस्थान में प्रति वर्ष पैदावार १० लाख टन से ज्यादा नहीं हुई। दो योजनाएं आपकी चलीं, तीसरी चल रही है। तो ६१-६२, ६२-६३, और ६३-६४ में आपने बताया कि ६१-६२ में एक साल तो आपका उत्पादन का आंकड़ा आया ६ लाख टन, दूसरी साल आया दस लाख टन और उससे अगली साल उत्पादन आता है ७.३८ हजार टन। यह साल सर्दी से मरा बताते हैं। इसका मतलब यह रहा कि इस साल गेहूं के मूल उत्पादन में २।। लाख टन कम हुआ। दूसरे अनाजों का उत्पादन भी गिर गया। इसके साथ साथ विदेशों से भी तो आपने मंगाया है और आपके हिसाब से आप अब तक ४३८ हजार टन मंगा चुके हैं। ५०-५० हजार और इससे पहले ३३८ हजार टन, जिसका पहले हिसाब दिया। जितनी पैदावार आपकी थी उतना गेहूं का आयात किया। तो जो और दूसरी चीजों की भी कमी हुई होगी। तो राजस्थान में पिछले तीन सालों में २८ लाख टन ज्वार, बाजरा, मक्का पैदा होता रहा है और ६२-६३ में २१ लाख टन।

तो इस तरह से सुरक्षित भंडार भी तो होना चाहिये। किसान की आदत होती है, उसके पास अनाज जो पैदा होता है तो वह साल भर की व्यवस्था अपनी कर लेता है। दो तरह के किसान हैं। एक तरह के वे जिनके पास १० एकड़ से कम जमीन है, पर जो बड़े किसान हैं हजार हजार बीघा तक जिनके पास जमीन है, २०० बीघा तक जमीन है ऐसों की संख्या १८ लाख खेती करने वालों में, चार लाख है। उन्होंने तो अपना साल भर का अनाज रखा होगा। तो इस तरह से ये पहले के आपके आंकड़े गलत। और मैं आपको इसके लिये दोष नहीं देता। मेरा भी दोष नहीं है, मैं भी आपके बताये आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। पर थोड़ी बहुत बुद्धि

Page No. 64

(श्री रामकिशन)

का भी इस्तेमाल करें तो भी बुराई नहीं होगी। आपकी बुद्धि तो हमारे से तीव्र है। राज्य भी इसीलिये आप कर रहे हैं। बुद्धि का ज्यों ज्यों उपयोग करेंगे तेज होती है, गिरती नहीं है। जितनी बुद्धि से मेहनत कराते हैं उतनी ही तीव्रता आती चली जाती है। तो या तो पहले के आंकड़े आपके निराधार और झूठे हैं या उपाध्यक्ष महोदय, दुबारा जो आपने मई में नोट सर्कुलेट किया है उसके आंकड़े झूठे हैं। नहीं तो उत्पादन और खपत में इतना अन्तर पड़ नहीं सकता। आपने कहा है कि ८.१४ हजार टन की कमी रह गई। तो १८ के हिसाब से भी लगा लें, ३१ करोड़ एकड़ जमीन का भी हिसाब लगा लें और उसमें से १६ परसेन्ट पर सिंचाई का भी हिसाब लगा लें तो भी कमी हो नहीं सकती। फिर यह कमी आई कैसे ?

तो निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह जो संकट है अन्न का, यह पैदावार के कारण संकट नहीं है। कुछ हो सकता है, पर पूरा पैदावार का नहीं हो सकता, जिसके लिये गैर जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से किसी तरह निकल कर भागना चाहते हैं, उसको दूसरों पर डालना चाहते हैं। कह देते हैं सर्दी पड़ गई, पाला पड़ गया, पानी बरस गया, सूखा पड़ गया, मन्त्रीजी को नींद आ गई। इस तरह से काम चलेगा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के जो काम हैं उनमें जागरूकता होनी चाहिये। मैं यह नहीं चाहता कि मंत्रीगण फाइलों में ही दिन भर चिपके रहें। मैंने आपके उत्पादन का सारा हिसाब-किताब बताया। अब हमारा जो खेती पर खर्च है, सामुदायिक विकास पर खर्चा है, बिजली पर खर्चा है, छोटी सिंचाई योजनाओं पर खर्चा है, बड़ी सिंचाई योजनाओं पर खर्चा है वह इन सब विभागों पर मिलाकर एक अरब के आस पास १२ सालों में खर्चा है। यह केवल कृषि पर हमारा खर्चा नहीं है, बल्कि यह जो ऊपर मैंने बताया उन सभी विभागों पर कुल मिलाकर इतना खर्चा है। दो योजनाओं के बाद और ३ वर्ष इस योजना में इतना खर्चा हम कर देते हैं तो भी हमारे देश में अनाज का संकट पड़ जाये और एक ही झटके में खाद्यान्नों की कीमत में दुगनी और तिगुनी तक वृद्धि हो जाये तो मुझे यह बात जंचती नहीं है। मैं साथ ही इसे भी मानता हूं कि जो आप कहते हैं कि दूसरे स्थानों पर उत्पादन में कमी हुई है इस कारण भी यह कमी आई है; यह किसी हद तक सत्य है। फिर आपने कहा कि इन्फ्लेशन हो रहा है और चूंकि हमारी योजनाओं में पैसा लगता है तो कुछ महंगाई आती ही है। टी०टी०के० और लाल बहादुर शास्त्री और पहले जवाहरलाल जी ने जो दिल्ली में कह दिया, हिन्दुस्तान के सवा चार सौ मंत्री उसी वक्त से उसी बात को कहते जायेंगे। कहने का मकसद यह है कि तोता रटन करते रहते हैं। जो बात वे कहेंगे वही बात ये हमेशा कहते रहेंगे। उन्होंने एक बार कह दिया कि योजनाबद्ध विकास में कीमतें बढ़ना लाजिमी है। बस यही बात सभी मंत्रीगण बारबार कहते रहते हैं। यह तो हम भी मानते हैं कि जब पूंजी ज्यादा लगेगी तो मंहगाई आयेगी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए आपकी ही एक किताब के बारे में

(श्री रामकिशन)

बताऊं कि वह तीसरी पंचवर्षीय योजना पर किताब है। मेरी मजबूरी यह है कि हिन्दुस्तान की सरकार मूर्खों की सरकार है क्योंकि वह हिन्दी लाती ही नहीं, क्योंकि यह किताब भी अंग्रेजी में है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिये। आखिर कोई संयम तो होना चाहिये।

श्री रामकिशन : ये अकेले नहीं हैं, आप बिराज जाइये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सरकार आपकी मेहरबानी पर नहीं है। जैसी भी है वैसी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आपकी मेहरबानी पर भी नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): हमारी सरकार आज है, तो हम मूर्ख हैं क्या ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हां, आप मूर्ख हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री रामकिशन (वैर) : अगर मेरे शब्दों से माननीय सदस्य को वेदना हुई है तो उपाध्यक्ष महोदय मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन फिर आप मुझे दूसरा उपयुक्त शब्द बता दीजिए क्योंकि मैं तो सरकार पर प्रहार करना चाहता हूं........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको ऐसा शब्द बताऊंगा जो आप याद रखिये।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह सरकार चालाकों की सरकार है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ये ज्यादा होशियार हैं गाली देने में तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप भाषा विशेषज्ञ कब से हो गए ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह लंगोट लगाकर नहीं आता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री रामकिशन : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि, ज्वाला प्रसाद जी से मैं बाद में बात करूंगा कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाये। वैसे मैं अपनी जानकारी से बड़े हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता हूं और वह मेरे अपने तरीके का प्रयोग है। और 'मूर्ख' शब्द से यदि माननीय सदस्य को आपत्ति है तो मैं क्षमा चाहता हूँ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कर रहा था कि इनके दिमाग में यह बात बैठा दी है योजना कमीशन ने और हिन्दुस्तान के स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी ने और आजकल के चलते-फिरते टी० टी० के० साहब ने कि योजनाओं के कारण कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। यह तो साधारण बात है कि पूंजी लगेगी तो कीमतें ऊंची जायेंगी, लेकिन ये जो कीमतें आप बता रहे हैं यह योजनाओं का परिणाम है कि पहले

(श्री रामकिशन)

जहां १६ रुपये मन गेहूं बिकता था वह आज ४० रुपये मन बिकता है । अगर योजनाओं का यही मकसद है तो हम नहीं चाहते ऐसी योजनाओं को और ऐसी योजनाओं को बन्द कर दीजिए। आपकी जो यह किताब है इसमें प्राइस पॉलिसी का जो चैप्टर है उसमें यह लिखा है कि योजनायें बनाते वक्त हमें दो-तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो यह कि जैसे जैसे पूंजी का विनियोग हो वैसे वैसे जो गरीब वर्ग हैं उनके ऊपर। कीमत हिट न करे। यह योजना आयोग ने जो शुरू में चैप्टर लिखा है उसके प्रारम्भ में ही यह कहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि योजना के द्वारा कीमतों में बढ़ोत्तरी होती है तो मैं फूड इन्डेक्स की बात बताता हूं। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है ५१ में और इन्डेक्स नम्बर फूड आर्टीकल का था १२२.४, उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, ५२,५३,५४,५५ और ५६ में पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाती है। सन् १९५२ में इन्डेक्स नम्बर १६३.७ था, सन् ५३ में १०२.२, सन् ५४ में ६८.६ था, सन् ५५ में ८२.६ था और सन् ५६ में ५२.८ हो जाता है। तो सरकार का यह कहना कि पूंजी ज्यादा लगने से कीमतें बढ़ती हैं तो फिर ये कीमतें घट कैसे गई ? अब आप दुबारा टी.टी.के. के पास जाइये कि हम तो हमारी तोता रटन भूल गए और यह मामला ही उल्टा पड़ गया।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी और दे दूं कि पूंजी जितनी लगी उतनी ही खर्च नहीं हुई बल्कि हमारी जो संचित निधि है वह भी खर्च हुई और फूड आर्टीकल की २४ परसेन्ट कीमतें घटी हैं। मैं इस तर्क से इन्कार नहीं करता कि कीमतें ऊंची हैं। दूसरे मुल्क भी आखिर योजनायें चला रहे हैं। आपने रूस की पहली पंचवर्षीय योजना पढ़ी होगी, दूसरी पढ़ी होगी। वे योजनायें बनाते हैं लेकिन किसी एक दिशा मे अपना लक्ष्य बना लेते हैं और वही मुख्य चीज होती है। उन्होंने योजनायें कुछ नतीजे निकालने के लिए बनाई थीं, गीत गाने के लिए बनाई थीं, गीत गाने के लिए नहीं। हमारे यहां सरकार की हालत यह है कि वह हमेशा गीत गाती रहती है कि हमने योजनायें बनाई हैं, हम योजनाबद्ध विकास कर रहे हैं चाहे असेम्बली में सुन लें, चाहे बाहर सुन लें और चाहे जूते की दूकान पर उद्घाटन भाषण पर सुन लें, यही रट उनकी मिलेगी। योजनाबद्ध आप विकास कर रहे हैं तो उन दिनों में रूस की योजनायें हैं तो दूसरी योजना के बाद १३ परसेन्ट की कीमता में कमी कैसे आ गई, तीसरी योजना छोड़ी तो लेनिन के समय चौथी तक १७ परसेन्ट की कमी कैसे आ गयी ? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हमारी योजनायें बनाने के तरीकों में कमजोरी है। कमजोरी यह है कि हमने सभी दिशाओं में एक साथ बढ़ने की कोशिश की है। दूसरे मुल्कों ने कुछ ही दिशायें पकड़ीं। पहले उत्पादन कपड़ा, कारखाने और फिर और और चीजें। हिन्दुस्तान की सरकार ने क्या किया कि सारे मामलों को एक साथ पकड़ की और नतीजा यह निकला कि सारे मामलों में ही धराशायी हो गई। उत्पादन में पिटी, फौज के मामले में पिटी और खाद्यान्न के मामले में भी बुरी तरह पिट रही है। अब तो

(श्री रामकिशन)

केवल मंत्रियों के भाषण ही रह गये हैं। खुद मंत्री लोग अपने घर में बीबियों से पूछें कि हमारे राज्य से आपको क्या फायदा हुआ तो हमारे आदरणीय कृषि मंत्रीजी अपनी बीबी से पूछें तो मेरा ख्याल है कि आपकी बीबी भी आपको गाली ही देगी कि कल तो १६ रुपये मन गेहूँ लाई थी और आज ४० रु० मन का भाव है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): मेरे ख्याल से इतने व्यापक आप न जाय तो अच्छा हो ? इसका आप कैसे अन्दाजा लगा सकते हैं कि बीबी क्या कहेगी, क्या नहीं ?

श्री रामकिशन : बिल्कुल सत्य बात है..

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो अपनी बात कहें, लेकिन तरीके से कहें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आपको इसमें चुभन कैसे हो गई ? एक मुद्दे का सवाल है। अगर मंत्री जी को चुभन हो गई तो उसको हम निकाल दें; आपको पीड़ा हो तो हम निकाल दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे कोई पीड़ा नहीं है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन मैं यह कर रहा था कि आपकी मंहगाई का कारण योजनायें नहीं हैं, इस मंहगाई के कारण तीन चार हैं और उनकी आप जांच कीजिए। मंहगाई का एक कारण तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया कि वितरण व्यवस्था है, उत्पादन नहीं है। दूसरा कारण यह है कि हमारी जो मनी की सप्लाई है हमने डेफिसिट फाइनेन्सिंग किया है और पिछड़े हुए मुल्क होते हैं वे घाटे की अर्थ-व्यवस्था सीमित सीमा तक ही चलाते हैं मैंने। योजना कमीशन से जो प्रकाशित पुस्तिका है उससे एक बात निकाली कि ३० मार्च, ५१ को २०-२२ करोड़ रुपया हमारे बाजार में था, हमारी योजनाओं में लागू था, दूसरे उद्योग-धंधों में था। आप कहते हैं कि इनफ्लेशन ज्यादा हो गया, ऐसी बात नहीं है। जब हमारी योजना खत्म हुई तो २ अरब रुपया ज्यादा बढ़ाया। तो आपका यह ख्याल भी बिल्कुल गलत है कि केवल इन्फ्लेशन ही इसका सारा कारण है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि मैंने आपके तथ्यों के द्वारा आपके योजना कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही यह जानकारी दी है और आपकी धारणा बिल्कुल भ्रांत है।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जोकि महंगाई के कारण हैं। इस महंगाई का एक कारण तो नहीं है, कई कारण हैं। एक कारण है, असफलता है पैदावार की। वह योजना के अनुसार पूरी नहीं हुई, उसको मैं स्वीकार करता हूं। असल में जो ख्याल है, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि आपने अभी तक अमीर लोगों के लिए राज्य किया है। मुझे बताइये कि आपने लाइसेन्सिंग ऑर्डर बनाया वह किसलिए बनाया ? मैं बात ही नहीं करता हूं, लेकिन हमने सुझाव दिया है कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बनाया किसलिए ? आप ११ तारीख की कार्यवाही पढ़ लें तो आपको जान-कारी होगी। आप गलती पर गलती करते जाते

(श्री रामकिशन)

हैं। आप जान बूझकर करते है या अज्ञान में करते हैं, यह मैं नहीं करता हूं क्योंकि मेरी आदत किसी की नीयत पर शक करने का नहीं है, लेकिन परिणाम यह निकलता है कि आप जानबूझ कर गलती करने के आदी हैं; गलती होती है, इसलिए गड़बड़ पैदा करते हैं। आपने एलान किया था कि किसान से नाज खरीदेंगे और एलान किया था कि १४, १५ और १६ रुपये के भाव से खरीदेंगे। इसका हमने सदन में विरोध किया था और सदन में विरोध इसलिए किया था कि जब तक किसानों को उनके उपयोग की चीजें लोहा, कपड़ा, सीमेंट, मिट्टी का तेल सस्ते दामों पर नहीं दें तब तक इन भावों से नाज खरीद कर आप किसानों को बरबाद कर देंगे। अगर आज महंगाई का संकट है तो दूसरी ओर बाद में सस्ताई के संकट में फंस जायेंगे, जैसे कि अमेरिका की सरकार फंस गई थी रूज़वेल्ट के जमाने में। आपने स्टेट ट्रेडिंग का एलान किया था। आपने लम्बा भाषण दिया था। आपने कहा कि स्वतन्त्र पार्टी विरोध करती है, जन-संघ पार्टी विरोध करती है, लेकिन आपको देखना चाहिये कि उन पार्टियों के दो-चार एम० एल० एज़० को सुनकर आप घबरा गये, लेकिन हमारी पार्टी आपके साथ में थी, कम्युनिस्ट आपके साथ में थे, जनसंघ पार्टी का वामपक्ष आपके साथ था और स्वतंत्र पार्टी का हरिजन दल आपका समर्थन करता था लेकिन आप कर नहीं सकते हैं। वह आप लोगों का नारा था, लोगों को बहलाने का। आपने भाषण दिया था कि कुछ व्यापारियों को धमका कर काम निकाल लेंगे। आपके मन में यह होगा कि व्यापारी आपकी धमकी में आकर काम कर जायेंगे; लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पूंजीपति वर्ग आपकी धमकियों से डरने वाला वर्ग नहीं है, वह बड़ा चालाक वर्ग है। आप एक धमकी देते हैं तो पूंजीपति २० धमकी दे सकते हैं। आपका-उनका बड़ा मेलजोल है, ऐसा समझते हैं। सुखाड़िया साहब समझते हैं कि बिड़लाजी उनके दोस्त हैं, लेकिन उनकी दोस्ती किसी दिन काम नहीं आ सकती है। पूंजीपति किसी के दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसके प्रमाण में मैं बताना चाहता हूं कि भूतपूर्व डिफेन्स मिनिस्टर श्री कृष्णमेनन बीमार हो गये और हिन्दुस्तान टाइम्स पर उनके ७००) रु० बकाया थे और गांधीजी ने चिट्ठी लिखी, लेकिन ७००) रु० नहीं दिये बिड़ला ने। उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस समय व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ। वही कृष्णमेनन जब राजदूत बन कर इंग्लैण्ड गये तो उनकी पहली पार्टी में ५०,०००)रु० बिड़ला हाउस से खर्च हुए थे। मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप मन्त्री हैं; इसलिए आपकी इज्जत है, श्री नाथूराम मिर्धा की इज्जत नहीं करने वाले हैं; आप किसानों की तरफ से आये हैं, ग्रामीण वर्ग की तरफ से आये हैं। सुखाड़िया साहब आसमान पर नजर रख सकते हैं, लेकिन आप धरती के पुत्र हैं; इसलिए आपको धरती की तरफ नजर रखनी चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि आपने स्टेट ट्रेडिंग क्यों नहीं की? फिर रेट्स आपने मुकर्रर की १४), १५) और १६) रु० मन और उसके बाद में व्यापारियों के लिये ६४ रुपये क्विन्टल कैसे कर दिया? किसान तो बेचेगा १४ रुपये मन और

(श्री रामकिशन)

व्यापारियों को आपने ६४ रु० क्विन्टल दे दिये। इस तरह से आपने उनको भयंकर मुनाफाखोरी का मौका दिया। चने की कीमत आपने तय नहीं की, जौ की कीमत आपने तय नहीं की। सदन में आप कुछ नहीं कहते, लेकिन दो दिन के बाद में ही एक विज्ञप्ति निकालते हैं और दूसरे दिन आपका संशोधन आया, फिर चार दिन बाद तीसरा संशोधन आया और फिर १५ दिन बाद संशोधन आया और फिर यह सदन मिल रहा है तब तक आपने कोई १५ संशोधन इस लाइसेंसिंग आॅर्डर में कर दिये। मैं यह नहीं कहता कि आपने बुरा किया। आपको तकलीफ हुई होगी तो आपने किया, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा कि मैंने एक थानेदार से पूछा कि इस चीज पर पाबन्दी क्यों नहीं लगाते तो उन्होंने कहा कि हुक्म नहीं। आपके नोटिफिकेशन्स को सेक्रेटरी साहब ही पढ़ लेते हैं। वे अंग्रेजी के पत्रों में दब जाते हैं। थानेदार को पता ही नहीं कि चने की निकासी बन्द या खुली हुई है, और अभी तक भरतपुर जिले से ३ लाख मन गेहूं निकला। आप साबित करने के लिए कहेंगे तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरी ही जानकारी नहीं है आपकी मंडल कांग्रेस कमेटी जो आपका वहां पर संगठन है, उससे आप जानकारी लेंगे तो यह नतीजा निकलेगा। इसीलिये गुड़ की चोरी हुई, फिर नाज की चोरी हुई और सारे धन्धे आप खुद करवाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि आप खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं तो यह पैदावार की समस्या नहीं, यह तो वितरण की समस्या है। राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार नाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें क्योंकि जो काली पूंजी ३० अरब के करीब है यह काली पूंजी अलग अलग व्यवसायों में लगी हुई है। जब एक चीज की मंहगाई होती है तो दूसरी चीजों पर उसका असर होता है तो बैंको का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, बड़े बड़े कारखानों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि जब तक आप इतना उत्पादन नहीं कर लेंगे जितना कि रूस और अमेरिका ने कर लिया है तो इन तरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी; तब तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा इस समस्या का किसी भी सूरत में समाधान नहीं हो सकता है। आज टुकड़ों २ में आप कोशिश करते हैं। कभी चने की कीमत बांधते हैं, कभी जौ की कीमत बांधते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अपनी पार्टी की तरफ से अकेला ही बोलूंगा।

मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि इन दिनों में लाइसेंसिंग आॅर्डर की उपेक्षा करने वाले कितने व्यापारियों का आपने चालान किया और व्यापारियों को कहां कहां पकड़ा; मैं नहीं कहता कि जबरदस्ती व्यापारियों को पकड़ो, लेकिन आपने जिनका दोष नहीं था उनको तो पकड़ा और जो दोषी थे, जो आपकी व्यवस्था थी उसके साथ नहीं चले तो मुश्किल से ३०—४० कहीं राजस्थान में

(श्री रामकिशन)

ऐसे होंगे कि जो पकड़े होंगे लेकिन वे भी छोटे मोटे।

तालेड़ा में २०० से अधिक व्यापारी थे थोक, लेकिन उधर कितने पकड़े गये ? व्यापारियों ने किया तो आपके कानूनी बन्धन होने चाहिये। डी० आई० आर० के तहत आपने एक तरफ से नायला तहसील में किसी को पकड़ा और वह हाईकोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने उसकी जमानत नामन्जूर कर दी और उसी आदमी की एस० डी० एम० आमेर ने जमानत ले ली। उपाध्यक्ष महोदय, एक अजीब बात है। एक आदमी पकड़ा जाता है। वह सिविल कोर्ट में जाता है तो उसकी जमानत नामन्जूर हो जाती है और हाई कोर्ट कह देता है कि डी० आई० आर० में जमानत मन्जूर नहीं होती, लेकिन एस० डी० एम०, आमेर उसकी जमानत कर ले और आप उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करें। उदयपुर में ऐसे मामले हुए हैं। आखिर आपकी कोई नीति तो हो। ब्यावर में आप दूसरों को दूकानें देते हैं। सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि हम दूकानें प्राइवेट लोगों को नहीं देगें, लेकिन बीकानेर में आपने दूकानें दे रखी हैं। आज शक्कर में ब्लेक मार्केट हो रहा है। आपने ऐसे लोगों को दूकानें दे रखी हैं जो राजनीति के कारण आपके नजदीक हैं। वे ठीक नीति से नहीं चला सकते हैं। मुझे उनकी नीति में विश्वास नहीं होता है।

आपने ५० क्विन्टल के डिक्लेरेशन की बात रखी। आपने किसानों पर भी पाबन्दी लगाई कि ५० क्विन्टल से ज्यादा हो तो डिक्लेयर करे, उससे ज्यादा नहीं रखे। आपने कभी सोचा कि ५० क्विन्टल की सीमा किस आधार पर हो सकती है ? मेरे पास १ हजार बीघा जमीन है; आप भी खेती करने वाले हैं, आप भी जानते हैं। मैं स्वयं खेती करने वाला हूं, मैं जानता हूं कि उसे बीज के लिए कितना चाहिये और खाने के लिए कितना चाहिए। मेरे पास भी ५० क्विन्टल रहेगा और १० बीघा जिसके पास में जमीन है उसके पास भी ५० क्विन्टल रहेगा, क्योंकि आपने उसमें फर्क नहीं किया। इस कारण से जगह जगह हर गांव में झगड़े पैदा हो रहे हैं। किसानों के पास नाज है, लेकिन उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया इसलिए मण्डी में लाने को तैयार नहीं हैं।

दूसरा लाइसेंसिंग ऑर्डर में आपने यह कर किया कि वे लाइसेन्स लेंगे और स्टेटमेंट देंगे मन्थली या १५ दिन में। उसमें आपने यह नहीं दिया कि उस स्टॉक को आप बिकवायेंगे या नहीं और अगर बिकवायेंगे तो किस भाव में ? १५, २० या २६ नाम तो आप ऐसे बता दें कि जिन्होंने लाइसेन्स लिया है और जिनका नाज आपने रेट के तहत में बिकवाया हो। वे हमेशा स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन आपने कोई चीज तय ही नहीं की कि कब बेचेंगे और किस भाव में बेचेंगे। उनके पास इतना नाज है कि लाखों मन की तादाद में है। उन्होंने किसी को नहीं दिया और चोरी-छिपे निकाल दिया। आपने चने की नीति निश्चित नहीं रखी, न ज्वार की कोई निश्चित नीति रखी है, मोठ की कोई निश्चित नीति नहीं है, इसलिए यह सब

(श्री रामकिशन)

खुर्द—बुर्द हो गया। इसको हम उत्पादन का संकट मान कर नहीं चल सकते हैं। यह बहुत बड़ा संकट है वितरण की व्यवस्था का और सरकार की सूझ बूझ का।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार आगे जो कदम उठाने जा रही है अब जो अगली फसल आने वाली है उसके लिये आपने फैसला किया है। आपने ज्वार, बाजरा और मक्का की कीमत का सदन में ऐलान किया है और भाव निश्चित किये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपके दो भाषण सुने, आपको विभाग की जानकारी भी काफी है, आपने बताया कि तीन साल की कीमतों का औसत निकाल कर आगे की कीमत तय की है। लेकिन आप जानते होंगे कि किसान अपनी फसल बेचते कब हैं? जब फसल आती है तब वे मार्केट में अपनी उपज का अनाज ले जाते हैं और मार्केट में एक दम अनाज आता है इसलिये सस्ता हो जाता है और उन किसानों को कीमत क्या मिलती है; मुश्किल से १४ रु० मण मिलती है। दूसरी तरफ जब किसान खुद बीज के लिये और खाने के लिये अनाज लेते हैं तब उनको क्या कीमत देनी पड़ती है, यह भी आप जानते होंगे। मैं खुद खेती करने वाला हूं इसलिये जानता हूं कि वे ३८) या ४०) मण के भाव से लेते हैं। इसलिये आपका जो हिसाब निकालने का तरीका है वह गंदा है। इससे एक वर्ग पिस जायेगा। हंगेरी में सरकार ने जो कृषि नीति अपनाई उसके कारण वहां के किसान बर्बाद हो गये।

बीज की बात भी आप जानते होंगे। हमारे यहां किसानों ने ३२ रु० और ३६ रु. के भाव से खरीद कर बीज डाला है। आप जो उनसे खरीदने जा रहे हैं वह १६) मन होगा। गणना करने का यह तरीका नहीं है। जिन्होंने ३२ या ३६ रु० मण लेकर बीज बोया और ३०) मण लेकर खाया है उनको आप इतना कम देना चाहते है। कम से कम १८) या २०) तो होने चाहिए। इसके बारे में आप कहते हैं कि ज्यादा महंगा होगा तो उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। अगर उन पर असर पड़ता है तो आप उपभोक्ताओं को सब्सिडी दीजिये; इसके लिये टैक्स लगेंगे तो लगेंगे। दूसरे देशों की सरकारें-नोरवे, स्वीडन, डेनमार्क-वे अपने यहां कीमत नहीं बढ़ाते बल्कि सब्सिडी देते हैं। आपकी कीमतें तो बढ़ती हैं घोड़े की चाल से और आप उनकी आमदनी बढ़ाते हैं गधे की चाल से। आप गरीब चपरासी को ५)रु. देंगे, उससे क्या होगा? उसके लिये आप यह कर सकते हैं कि २ मण अनाज खरीद कर उनको दे दें और उसकी कीमत में जो डिफरेन्स हो वह राज्य सरकार दे। लेकिन हमारा देश गरीब है, शायद इतना वजन सरकार न वहन कर सके तो फिर सारी चीजों को मद्दे नजर रख कर भाव मुकर्रर करें। पर सरकार का मन अभी इस तरह का नहीं बना है, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां केवल खाद्यान्न का ही संकट नहीं है। चीनी का भी संकट है, गुड़ का भी संकट है। गांवों में शहरों से कम चीनी दी जा रही है। पिछले टाइम आप खड़े हुए थे और यह कहा था कि आगे से शहरों

(श्री रामकिशन)

और गांवो में चीनी बराबर देंगे और यह भी कहा था कि क्योंकि उनको गुड़ देते हैं इसलिये चीनी कम दे रहे थे, लेकिन अब तो गुड़ का नियंत्रण हट गया इसलिये आप क्या ऐलान करने जा रहे हैं यह स्पष्ट बताइये। उनका बाजरा, जौ, मक्का तो आप सस्ते भाव से खरीद लेंगे और चीनी के नाम से उनको धोखा देंगे, इसका असर गांवों पर पड़ेगा। वे कहते हैं कि सरकार तो शहरवालों की है, श्रीमन् तो और बड़े बड़े लोगों की हैं। उनको चीनी, कपड़ा, मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुएं समय पर और सस्ती मिलें तभी उनसे कहा जा सकता है कि आप भी सरकार की मदद करो—देश का सवाल है, गरीबी का सवाल है। इसलिये निवेदन है कि सरकार गुड़ के मामले में, चीनी के मामले में अपनी सारी नीतियों को स्पष्ट करे। यह आपके एक राज्य का सवाल नहीं है, सबका है; तो आपकी मीटिंग दिल्ली में चलती हैं वहां आप हिम्मत से बोलिये। केवल कृष्णमाचारी ही अकेले समझदार व्यक्ति नहीं हैं, आप हिम्मत से बोलेंगे तो कृष्णमाचारी और सुब्रह्मण्यम् साहब भी आपकी बात को समझ पायेंगे। हमने तीसरी योजना पर सबसे ज्यादा जोर इसलिये दिया था कि गरीब वर्ग पर असर नहीं पड़े।

एक मिसाल मैं और देना चाहता हूं। प्रोफेसर महालनबीस की अध्यक्षता में जवाहर लालजी ने एक कमेटी बैठाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है उसको आप पढ़ लें उसका नाम है: Committee on Distribution of Income, Level of Living and Wealth Concentration."

मैं आपकी नजर में यह चीज लाना चाहता हूं, इस कमेटी की रिपोर्ट को आप पढ़ लें. यहां पढ़ कर मैं सदन का समय खराब करना ठीक नहीं समझता। आप होशियार आदमी हैं, कम से कम मुझसे तो, इसको पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पर आयेंगे कि हमारे यहां दो-तीन पंचवर्षीय योजनाएं चलीं, अरबों रुपये खर्च किये। राजस्थान में भी पौने तीन अरब रुपये खर्च हुए, पर उसका नतीजा क्या हुआ? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में २० कंपनियों के नाम बताये हैं और कहा है कि हमारे देश की पूंजी सिर्फ इन कम्पनियों के पास कंसन्ट्रेट हो रही है। श्री राममनोहर लोहिया ने कहा था कि देश की औसत आमदनी ३ आने रोज है, लेकिन ये श्रीमान् तो और भी नीचे तक पहुंच गये और उन्होंने यहां तक कहा कि कुछ लोगों की आमदनी तो ३ आ. रोज भी नहीं है, बल्कि दो आना, ढाई आना रोज ही है। अब आप ही सोच लें कि मंहगाई है या नहीं। हम पूछना चाहते हैं कि जिस देश के लोगों की आमदनी दो आना या ढाई आना रोज हो उनके बारे में कृषि मंत्रीजी से हम पूछना चाहते हैं कि देश में मंहगाई है या नहीं? कृषि मंत्रीजी हमें पूछते हैं कि मंहगाई है या नहीं? हमें क्या पूछते हैं, आप खुद देख लें कि निश्चित तौर से मंहगाई है। मंहगाई केवल अनाज में ही नहीं है बल्कि कारखानों में बनने वाली चीजों में भी है। जब तक आप इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं तब तक इस सवाल का हल नहीं निकल सकता।

अब मैं ५ मिनट में कहना चाहता हूं हमारी सरकार के आचरण के बारे में। हमारे यहां २५ तारीख को हड़ताल हुई इसलिए कि देशमें मंहगाई थी, देश में

(श्री रामकिशन)

अनाज का संकट था। सरकार की तरफ से एलान किया गया कि हड़ताल करने से अनाज की पैदावार नहीं बढ़ेगी। यह कहां प्रश्न था? लोकतंत्र में नाराजगी जाहिर करने का तरीका तो बता दें। नाराजगी जाहिर करने का तरीका यही है कि विरोध में प्रदर्शन करें, जुलूस निकालें और हड़ताल करें। अपने यहां भी यही हुआ। जुलूस निकाला, सड़कों पर घूमे और हड़ताल की। लेकिन सरकार ने चुरू में हड़तालियों पर डंडे चलाये, चुने हुए प्रतिनिधियों के हथकड़ियों लगाई। नीम के थाने में गोली चली। जन संघ, स्वतंत्र पार्टी और दूसरी पार्टियों वाले मांग कर रहे हैं कि गोली क्यों चली, इसकी जांच करवाई जाय; लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। लेकिन सबसे शर्मनाक मजाक तो श्री मानिकचन्दजी सुराणा ने बताई। २ अक्टूबर के दिन राजस्थान सरकार ने सबको सूचना दी थी कि इस दिन लाठी चार्ज मत करना, लेकिन कलेक्टर चूरू ने उनकी परवाह नहीं की और गांधीजी के जन्म दिन उसने लाठी चलवाई। चूरू कलेक्टोरेट के सामने जब हड़ताल चल रही थी और लोग नारे लगा रहे थे तब वहां पर एक जीप पर लाउड स्पीकर लगवा कर गाने चलवाये जा रहे थे "अल्लाह बचाये नौजवानों से" और जब उधर से 'रघुपति राघव राजा राम' का गाना चल रहा था तब उधर से रेकॉर्ड बजाया जा रहा था कि 'का करूं रामा मुझे बुड्ढा मिल गया रे' उसके बाद कुछ देर चुप हो गये और फिर उधर से बजने लगा 'बोल राधा, बोल संगम होगा कि नहीं'। यह क्या हो रहा था? आखिर यह कोई राज्य सरकार है या कोई फिल्म कम्पनी है? उसके बाद उधर से पुलिस वालों की जीप पर से गाना चल रहा था "जमाना पीकर आया हम पीकर आये।" आप पीयो या खाओ, इससे हमको सरोकार नहीं है। जनता रोटी मांगती है और रोटी का जबाब रोटी से ही मिल सकता है। मैं गाने का विरोध नहीं करता। संगम करना अच्छी चीज है, लेकिन भूखे पेट क्या संगम होगा? राज्य सरकार को निश्चित नीति खाद्य समस्या को सुलझाने के बारे में और अकाल पीड़ितों को बचाना है, तो उनके बारे में अपनानी होगी। मैं आशा करता हूं कि जो मुद्दे उठाये हैं उनका आप निराकरण करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा फ्लड का मामला तो रह ही गया, घर की बात तो भूले ही गया। यह मेरे घर का मामला है, उसको मैं भूलें गया; भूल इसलिये गया कि....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आप ३ मिनट बोल लें।

श्री रामकिशन : मैं ५ मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप बराबर १ घंटे से बोल रहे हैं इतना टाइम है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ करिये।

श्री रामकिशन : मैं ३ मिनट में ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरी आदत अधिक समय लेने की नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष :आप ३ मिनट में ही खत्म कर दीजिये, इसलिए माननीय सदस्य जो उधर से बोलने के लिये खड़े हुए थे वे स्वयं बैठ गये ।

श्री रामकिशन : बाढ़ के बारे में जो नोट प्रसारित हुआ था उसमें जो आपने आंकड़े दिये हैं उनको मैं गलत मानता हूं और गलत इसलिये मानता हूं कि आप चलें, मैं आपको दिखाऊंगा । ....

मैंने जो १२५ गांव बताये हैं, अगर आप उनकी जगह ११३ गांव भी बता दें जिनमें पानी न भरा हो तो आप जो चाहे मुझे सजा दे दें । यह एक बात है ।

चूंकि समय तीन निनट का है, इसलिए दूसरी बात कह देता हूं । पंजाब सरकार ने आप को हिस्सा दिया नहीं है, और आपकी पोज़ीशन तो निश्चित तौर पर यही है कि पंजाब सरकार आपकी बात नहीं मानी है । मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार माने नहीं आपकी बात और दिल्ली वाले आपकी बात सुनें नहीं; तो क्या आपने भरतपुर को डुबाने का फैसला ले लिया है ? आपको बात कोई मानता नहीं है । वहां पर भी आपकी सरकार है, कोई पराई या दूसरी सरकार है नहीं । आप दिल्ली सरकार को कह दें कि वह पंजाब सरकार को बता दे कि हम लागत का पैसा नहीं देंगे । आपको पंजाब सरकार ने फाटक की बात पर धोखा दे दिया, आपको कह दिया कि उज्जेना झील में फाटक बना दिया है । इतना बड़ा धोखा आपको दे रहे हैं । इसलिए आप केन्द्रीय सरकार को दृढ़ता के साथ अपनी बात बता दें ।

दूसरी बात, अब चूंकि तीन मिनट का समय है, इसलिए मैं संक्षेप में निवेदन कर दूं कि पानी की समस्या को आप नहीं सुलझा सकते है ? तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपने ६८ लाख रुपये रखे थे और तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में १९५८ में बाढ़ आने लगी थी । इस बीचमें बाढ़ आती रही है । आपने अब तक क्या प्रयत्न किये ? हर बार सुनते हैं कि अब नहर बना देंगे, अब नहर बना देंगे । १९५८ के बाद में आपने क्या किया है; इसकी जानकारी मुझे दे दें तो मैं समझूंगा कि सरकार अपने कर्तव्य को निभाने में सफल रही है, और सही आंकड़े दिये हैं ये तीन बातें मैंने आपको निवेदन की हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : हनुमानगढ़ !

श्री रामकिशन : इस समस्या से इतने लोग मरे हैं और खेती को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है । मेरा निवेदन है कि सरकारी आंकड़ों में जो बताया है वह असत्य है और जो आपने कहा है वह पूरा का पूरा असत्य है । बस यही निवेदन है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका नहीं है, सरकार ने इस सदन को पहले भी मौके दिये इस

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

खाद्यान्न की स्थिति पर विचार करने के और आज फिर मौका मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या से राजस्थान ही नहीं बल्कि सारा देश इस एक समस्या से पीड़ित है। उस वक्त यह प्रिज़्यूम कर लेना तो बहुत सहल है कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि हमारा दृष्टिकोण क्रिटिसिज़्म करने का ही न हो, बल्कि उसके साथ साथ हमारी तरफ कुछ सजेशन्स भी आने चाहिए हमें इस तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए। कि हम कुछ व्यावहारिक सुझाव दें और उसके साथ सरकार को कहें कि कहां वह फेल्योर रही है और फिर यह बतायें कि हम इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं। मैं इससे पहले कि खाद्यान्न की समस्या के ऊपर कुछ कहूं, यह जो बाढ़ की समस्या है, इसके ऊपर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं।

बाढ़ एक ऐसी चीज है जो आकस्मिक ढंग से, दैवी कारणों से पैदा होती है; जिसके ऊपर न सरकार का बाबू है और न और किसी का। ऐसी हालत में सबको सहानुभूति होती है, सबको दुःख होता है और उस सहानुभूति और दुःख के अन्दर सरकार के सीमित साधनों के जरिये जितना काम हो सकता है वह करती है। मैं भी मानता हूं कि सरकार को बहुत कुछ करना चाहिये। मैं भी मानता हूं कि सरकार के पास साधन हों तो जो कुछ हुआ है उससे अधिक करना चाहिए। लेकिन सीमित साधनों में सरकार को काम करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि सीमित साधनों के अन्दर सरकार ने जो काम किया है, उन कामों के सम्बन्ध में आपके पास खबरें आती हैं तो हमारे पास भी आती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार और मंत्री जो कुछ कर सकते थे सीमित साधनों से, जो सरकार के पास हैं, वह सब कुछ किया गया है। मैं मांग करूंगा कि यह जो समस्या हमारे सामने है इन समस्याओं के लिए कोई निश्चित ढंग हो और इसके लिए एक आयोग कायम करें। क्योंकि बराबर हमेशा यह डर है कि बरसात ज्यादा आयेगी तो बाढ़ का डर है और बरसात नहीं आयेगी तो अकाल का डर है, अगर हम हमारी योजना का विकास चाहते हैं तो यह आवश्यक हैं कि यह जो समस्याएं लगी हुई हैं, भरतपुर के अन्दर बाढ़ की और जोधपुर और उस तरफ अकाल की, ये समस्याएं हमारे लिए एक स्टेंडिंग समस्यायें हैं और इन समस्याओं के बारे में एक निश्चित धारणा होनी चाहिए।

मैं मानता हूं कि योजनाओं का काम महत्व पूर्ण है, लेकिन मेरी निश्चित धारणा है कि राजस्थान के अन्दर कारखाने लगें या नहीं लेकिन लोगों की पीड़ा और दुख है और जो समस्यायें पैदा होती हैं उनसे उनकी जिन्दगी बिखर जाती है, उससे गरीब की आत्मा को कितना कष्ट होता होगा। हम जनता के रिप्रेज़ेंटेटिव हैं, उनके कष्ट से प्रेरित होकर योजनाओं को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। लेकिन साथ ही राजस्थान की जनता के पीछे जो दैविक प्रकोप लगा हुआ है उसके ऊपर विचार करने के लिए एक आयोग कायम किया जाय। और उसके द्वारा हमें यह मालूम होना चाहिए कि सरकार इन समस्याओं पर कब हावी हो जायगी ?

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इसके बाद खाद्यान्न की समस्या के बारे में मेरी मान्यता है कि इसमें जो कारण दिये जाते हैं, जो हमेशा कारण दिये जाते हैं वही कारण होंगे। मैं नहीं कहता, नहीं हैं। लेकिन मेरी नाकिस राय में, मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि ये कारण दिये जाते हैं, कि यह भावों में बढ़ोत्तरी है, यह योजनाओं में बढ़ोत्तरी के कारण हैं और विकास की जो पद्धति है उसके माफिक बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि विकास के अन्दर और भावों की बढ़ोत्तरी के अन्दर एक सम्बन्ध होना चाहिए, एक रेशियो होना चाहिए। अगर सम्बन्ध और रेशियो नहीं रखेंगे तब ही क्राइसिस और समस्या पैदा हो सकती है। मैं समझता हूं कि आपके अन्दर यह करने की ताकत होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इस समस्या के कारण एक भी आदमी भूखा नहीं मरा है। और कुछ भी हुआ, यह हुआ, सब कुछ हुआ; लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी भूखा मरा क्या ? मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी भूखा नहीं मरा है। तो जब कोई भूखा नहीं मरा, और नाज ऐसी चीज है कि जिसको खाये बिना कोई नहीं रह सकता, तो स्पष्ट है कि नाज देश में था। आपने गेहूं अमेरिका से मंगाया और यहां था। नाज तो था, यह मानना चाहिए क्योंकि एक आदमी भी भूखा नहीं मरा है। जब कोई भूखा नहीं मरा और देश में नाज था तो ऐसी स्थिति के अन्दर प्रश्न रह जाता है भावों में बढ़ोत्तरी का। नाज की किसी को जरूरत हो तो जयपुर के अन्दर जितने नाज की जरूरत हो उतना वह ले सकता है, लेकिन उसके लिए ज्यादा दाम देना पड़ेगा। जिसके पास सौ रुपया है, जिसके पास रुपया है उसके लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है।

अब समस्या यह नहीं रहती है कि देश में नाज का अभाव है, इस वजह से कीमतें बढ़ती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो तरह की चीजें होती हैं अर्थ शास्त्र के अनुसार; एक तो ऐसी कोई चीज, जिसको हम टाल सकते हों। अब जैसे कपड़ा है तो नहीं पहनना है कपड़ा, तो नहीं लेंगे कपड़ा। गरीब कपड़ा नहीं लेगा। लेकिन नाज ऐसी चीज है कि इसके बिना जीवित नहीं रह सकता है। अगर नाज नहीं मिलता तो जिस कीमत पर भी उपलब्ध होगा उस कीमत पर लेना होगा। हम इसे टाल नहीं सकते हैं। नाज के प्रश्न में कीमत हमारे सामने महत्व नहीं रखती है क्योंकि जरूरी चीज है। अनाज कमजोरी है मनुष्य की। इस अनाज की कमजोरी का फायदा कौन उठाता है? अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी जितना चाहो चना मिलेगा, अनाज मिलेगा। यह सब सरकार के नियंत्रण में और सरकार की छत्र-छाया में चलता है। तो इस प्रकार नाज की तो कमी नहीं है। तो मैं इस कारण को मानने के लिए तैयार हूं कि कुछ नाज कम पैदा हुआ, लेकिन कोई भूखा नहीं मरा। यह सरकार के लिए बहुत बड़े क्रेडिट की बात है, सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है देश के अन्दर, यह हम मानते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अनाज नजर क्यों नहीं आता है ? अमेरिका से जो आपने अनाज मंगवाया वह भी लोगों के जखीरों के अन्दर है। जब एक भी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आदमी देश के अन्दर भूखा नहीं मरा है, इसके आपने आंकड़े दिये हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि प्राइसेज़ क्यों चढ़ रही हैं, ऊपर क्यों जा रही हैं ? मैं समझता हूं कि हमारा जो दृष्टिकोण है उसके अन्दर हमें सुधार लाना चाहिए। हम इस समस्या को तीन-चार कारणों में उलझाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि प्राइसेज़ का कंट्रोल हुआ, फिर भी प्राइसेज़ क्यों बढ़ीं ? क्या किसानों ने बढ़ा दीं ? खाद्यान्न के व्यापारियों ने बढ़ा दीं ? यह कैसे हुआ आपकी छत्र छाया में ? मैं कहता हूं कि इस बात को ध्यान में रख कर चलें कि स्थिति यह हो गयी है, नाज कोई रोक लेता है और स्केयर्सिटी पैदा कर देता है। अनाज जिनको चाहिये खाने को वे पैसा लेकर जाते हैं और ज्यादा भाव पर ले जाते हैं। सरकार की पुलिस बैठी हुई है, लेकिन बेचने वाले बेच रहे हैं और लेने वाले ले रहे हैं। जिसके पास है वह नाज देगा। वह जानता है, मनुष्य को जीना है तो उसे नाज लेना पड़ेगा। वह समझता है कि मनुष्यों का जीवन हमारे हाथ में है। इस लिए जो आप डिमाण्ड एण्ड सप्लाई की बात करते हैं कि डिमाण्ड बढ़ी तो कीमत बढ़ गई—यह गलत है।

आज लोगों को टेलीफोन से दूसरे शहरों से भाव मिल जाते हैं। अगर बम्बई में दस रुपये बढ़े हैं तो कीमत तय करके लोगों की जेब पर टैक्स लगा देते हैं। यहां के व्यापारी चार रुपये बढ़ा देते हैं। और यह टैक्स उस गरीब को मजबूर होकर देना पड़ेगा।

ऐसी हालत में इन सब कारणों के बावजूद देखना है कि कीमतें मनमाने ढंग से क्यों बढ़ रही हैं और आपको कीमतें क्यों मुकर्रर करनी पड़ती हैं और हमारा जो फूड कन्ट्रोल ऑर्डर है वह क्या कार्य करता है और उसका क्या निशाना है ? मैं यह कहूंगा कि फूड कन्ट्रोल ऑर्डर सही निशाना नहीं है। आपको फूड कन्ट्रोल करने के बजाय कीमतों को कन्ट्रोल करना चाहिये। हम देखते हैं कि आपके हर जगह सिपाही बैठे रहते हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं होता है। आपके कानून ही ऐसे बनाये जाते हैं जिसमें सरकार के लोगों की कुछ भी जिम्मेदारी नहीं रहती है। वे हुक्म देते हैं कि तुम ऐसा कर लो। यह हमारा हुक्म है कि तुम ऐसा कर लो और अगर उसका पालन कोई नहीं करे तो आप कहेंगे कि हम हमारी मर्जी होगी उसको सजा देंगे और मर्जी होगी छोड़ उसको देंगे। आज आपके कानूनों को कोई मानता नहीं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप कोई भी कानून बनायें तो उस कानून को मनाने की ताकत आपमें होनी चाहिए और अगर आपमें उस कानून को मनाने की ताकत नहीं है तो उस कानून को आप फिर मत लाइये। क्योंकि जब किसी कानून को लागू करते हैं और उसको अमल में नहीं ला इससे करप्शन बढ़ता है और उससे समाज पर बहुत बुरा असर भी पड़ता है। इसलिए ऐसी हालत में फूड कन्ट्रोल को बदल दीजिये। मुझे एक किस्सा इस सम्बन्ध में याद आया है। मैंने पढ़ा था— एक प्रेमी जब प्रेमिका से अलग हुआ तो उसने कहा कि बच्चों के लिए मैं अब आ जाऊंगा, जब स्केयर्सिटी को खत्म कर दूंगा। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और जल्द ही लौट

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रहा हूं। मगर जब वह लौटा नहीं और वह स्त्री ना-वस्त्र होने लगी तो उसने कपड़े को एक तरफ से खींचा तो दूसरी तरफ से कपड़ा कम होने लगा। ठीक उसी तरह से आपने जो कानून बनाये उनकी रक्षा की मगर इस कानून से आपकी समस्या हल नहीं होती है तो आप दूसरा लगाते हैं। आप एक तरफ से कानून के चीर को खींचते हैं तो दूसरी तरफ से चीर कम हो जाता है। आपने जब कानून लगाया तो व्यापारियों के अन्दर खलबली पैदा हो गई और उन्हें कुछ निराशा हुई। मगर आपने फिर उस कानून को बदल दिया। आपने कुछ और कानून लगाये और उनको भी फिर बदल दिया और अब आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं जैसा आपने अपने नोटिस में लिखा है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और बताऊंगा कि जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने दिया है वह मुझे अजीब सा लगता है। आपको अब मालूम हुआ है। आपको माननीय सदस्यों ने पहले ही कहा था कि यह कानून नाकामयाब सिद्ध होगा। आपने पहले क्यों नहीं माना। आपने इस प्रकार का नियम लागू किया कि ५० क्विन्टल से ज्यादा जिसके पास अनाज है उसके लिये उसको स्टोक डिक्लेयर करना होगा। मगर मेरी जानकारी है कि आपको ६० प्रतिशत लोगों ने स्टोक नहीं बताया और न कोई सूचना दी। आपने कानून लगाया कि जिसके पास ५० क्वि० से ज्यादा अनाज है वह लाइसेन्स ले। मैं कहता हूं कि आपको यह कानून बनाना चाहिये था कि आपकी सरकारी मशीनरी है; वह हर दूकान पर जाकर देखती कि किसके पास कितना अनाज है और अगर किसी के पास ज्यादा अनाज होता है तो उसको आपके अधिकारियों को खुद को बुहार कर लाना चाहिये था, मगर आपके अधिकारी और आप किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि अनाज बाजार से खतम हो गया और आपने इस बात को तब महसूस किया जब को अनाज बाजार में नहीं रहा और उस पाबन्दी को हटाने से यह नतीजा हुआ कि अनाज आने लगा। मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार का कानून लगा कर यह बीमारी खड़ी क्यों की? आपके कानून को न तो किसानों ने माना और न व्यापारियों ने माना। किसानों का अनाज बाजार में आने का समय आया तो किसान लोग उस अनाज को इसलिये नहीं ला सके कि पुलिस पकड़ लेगी। इस डर से किसानों ने अनाज को वहीं का वहीं रोक दिया। मैं कहूंगा कि आपने यह कानून लगाया ही क्यों? आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सके। आपने पहले तो सेक्शन६ लागू किया और बाद में आपने अपने स्टेटमेन्ट में कहा है कि व्यापारी अनाज इक्ट्ठा करते हैं इसलिये नाज इकठा होना चाहिए ताकि नाज लोगों को मिल सके इसलिए सेक्शन ६ की जरूरत नहीं है। हमने इस सदन में आपको कहा था कि आप रेस्ट्रिक्शन लगाइये। हड़तालें हुईं, आप कुछ सख्त हुए। मैं तो इस बात को मानता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से सामना किया और बाद में कुछ झुके भी। जब आप यह कानून बना रहे हैं कि व्यापारी कहते हैं वही सही है, आप इस तरह से होल सेलर को बचाते रहे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने पहले क्यों लगाया?

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मैं इसकी बात कहता हूं एक कानून की एक तरफ आपने २५ परसेन्ट कोर्स ग्रेन एक्सपोर्ट का कानून लगाया है। आप कहते हैं कि इससे आपका बफर स्टोक बनेगा। क्योंकि उतना ही स्टोक व्यापारी को सरकार को देना होगा। मगर मैं यह कहूंगा कि झुंझुनू में एक जगह है सूरजगढ़ जिसको कहते हैं सूरजगढ़ मंडी। उस ऐरिया में चना नहीं होता। मगर उसके दो टुकड़े ऐसे कर दिये हैं कि जिसकी वजह से वह स्केयर्सिटी एरिया का सरप्लस एरिया बन गया। वहां पर सारे गंगानगर का चना आया और वहां से एसे एरियाज़ में गया जहां पर चने की स्केयर्सिटी थी। वह चना वहां से निकला गया। क्योंकि आपके कानून के माफिक व्यापारी लोग ३० परसेन्ट तक बाहर भेज सकते थे, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ३० परसेन्ट उन्हें भेजना था उसको किसने चेक किया कि उन्होंने ३० परसेन्ट बाहर भेजा। जब वे कहते हैं कि ३० परसेन्ट बाहर भेजा तो उनके पास ७० मन रहना चाहिए, मगर आपकी तरफ से स्पेशल तौर से कोई जांच नहीं की गई और आपकी इसी पॉलिसी से सारा अनाज बाहर चला गया और अब कुछ रहा नहीं।

अब आप कहते हैं कि पंजाब को छोड़कर बाकी सभी स्टेटों के भाव हमसे ज्यादा थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके पास कन्ट्रोल ऑर्डर है, आपके यहां पर अनाज पैदा होता है, फिर भाव तेज क्यों? बम्बई में भाव तेज हो सकते हैं, बम्बई में अनाज पैदा नहीं होता है। महाराष्ट्र में अनाज के भाव बढ़ गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर अनाज पैदा होता है वहां पर आप इस प्रकार का प्रावधान रखते हैं कि ३० परसेन्ट बाहर ले जा सकते हैं और उनके लिये कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कलेक्टर का कोई चैक नहीं। आपने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी जिसके द्वारा लोगों ने पैसा कमाया।

अब मैं इन्फ्लेशन की बात पर आता हूं। ब्लेक मनी की बात चला करती है और यह कहा जाता है कि उसकी वजह से यह इन्फ्लेशन हुआ है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि ब्लेक मनी क्यों पैदा होता है और यह राष्ट्र के लिए क्यों कलंक है? ब्लेक मनी उसको कहते हैं जिसमें लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती हो। घूसखोरी व मुनाफाखोरी से जो पैसा इकट्ठा होता है उसको दिखाया नहीं जाता है और उसी को ब्लेक मनी कहते हैं। वह आज हमारे यहां पर बहुत ज्यादा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आपके यहां पर पैसा होगा, क्योंकि लोगों ने यहां पर १६) रु० मन के भाव से अनाज खरीदा और १९६३ के बाद भावों में बढ़ोतरी हुई। एक व्यापारी ने किसान से १६) रु० मन में अनाज लिया है और जब भाव २४) रु० मन या २५) रु० मन पहुंच गये तब उस व्योपारी ने अनाज को बेच दिया। आप अन्दाजा लगाइये कि उस मिडिलमैन ने कितना पैसा कमाया? उस मिडिलमैन ने ९) रु० प्रति मन का फायदा बिना किसी मेहनत के लोगों को भूखों मारने की धौंस देकर सरकार की छत्रछाया में करोड़ों रुपये कमा लिये।

Page No. 80

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मिडिलमैन, व्यापारी, ब्लैक मार्केट करने वालों की एक क्लास यहां पैदा हुई उस मिडिलमैन ने किसानों से १६, रुपये मन के भाव से गेहूं खरीद कर २५, रुपये मन के भाव से बेच कर ६ महीनों के अन्दर अन्दर करोड़ों रुपया कमा लिया, अब उस मिडिलमैन व्यापारी वर्ग को दस वर्ष तक किसी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की स्थिति पैदा करके, हमारे लिये मजबूरियां पैदा करके करोड़ों रुपया इस क्लास ने कमाया और राजस्थान के गरीबों का करोड़ों रुपया इस तरह से एक पर्टीक्यूलर क्लास के पास चला गया और जब राजस्थान की गरीब जन्ता की जेब से वह पैसा इस पर्टीक्यूलर क्लास के पास करोड़ों की तादाद में पहुंच गया तब नींद खुली सरकार की। पर नींद खुलने पर भी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। मैं अब भी मानता हूं कि इसके दो ही तरीके हैं या तो होलसेल वाली बात नहीं लगाई थी वह लगानी पड़ेगी या फूड का स्टेट ट्रेडिंग करना पड़ेगा, इसके सिवा और कुछ इलाज इसका हो नहीं सकता। आज आपने स्टेटमेंट दिया है, आपने व्यवस्था बनाई है माफ करिये, मैं यह कहूंगा कि इससे कोई अच्छी व्यवस्था आने वाली नहीं है। आप भारत सरकार को कह दीजिये कि स्टेट ट्रेडिंग होना चाहिये या इन होलसेलर्स को इधर से उधर करने की इजाजत नहीं होनी चाहिये, पुलिस को बैठा दीजिये रिलेक्सेशन्स दे देकर आपने आज की यह विषम स्थिति पैदा की है। २५ परसेंट मोटे अनाज को बाहर जाने की कलेक्टर इजाजत देगा पर बाकी बचा ७५ परसेंट फूड हैं वह कलेक्टर के डिस्क्रिशन पर रखना पड़ेगा, वह ७५ परसेन्ट अनाज कलेक्टर जिसको कहेगा उसको बेचना पड़ेगा। जो फायदा उठाना चाहते हैं बाहर के अच्छे भावों का और उसको २५ परसेंट बाहर भेजने की इजाजत दी तो भेजने के बाद बाकी बचे अनाज को कलेक्टर जिसको कहेगा उसको उसे बेचना पड़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्था किये बगैर व्यापारी को बाहर भेजने की छूट देते हैं तो यह हमारे साथ अन्याय होगा। आज यहां चर्चाएं होती हैं कि अमुक ने अमुक अधिकारी को रिश्वत देकर यह कर लिया, वह कर लिया इससे हमें शर्म आती है। आपने एक कानून बना दिया उसके बाद जहां चाहा खोल दिया, जहां चाहा बन्द कर दिया यह उचित नहीं। इस प्रकार की चीजों से शिकायतें होती हैं, यहां चर्चाएं होती हैं, सारे राजस्थान के लिये एक कानून, एक पोलिसी होनी चाहिये।

ढावा साहब के पास पहले से ही बहुत काम हैं, उन पर यह वजन और लाद दिया। यह माना कि बहुत काबिल हैं, पर यह पेट और भूख का सवाल है, इसके लिए तो एक आदमी होना चाहिए जो चौबीसों घंटे यह काम करे। उनके पास बहुत से काम हैं, कभी इस मिटिंग में जा रहे है, कभी उस कमेटी में जा रहे हैं, कभी कुछ और काम कर रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि यह काम एक ही आदमी को अलग तौर से दीजिए।

इन्फ्लेशन का कहा गया, यह इन्फ्लेशन और ब्लेक मार्केट आपने पैदा किया है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। योजना

Page No. 81

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

की वजह से आम लोगों की इन्कम में बढ़ोतरी होती तो लोगों के पास रुपया ठहरता, हमारे पास खरीदने को पैसा होता। आज नेशनल इन्कम क्या है, इस प्रश्न पर इन्डिया में बड़ी कन्ट्रोवर्सीज हैं। जो पैसे वाले हैं उन्हीं को मालदार बनाया गया है। थोड़े से लोगों के पास पैसा चला गया और मासेज़ उससे वंचित रह गई या अलग रह गई, इसलिए नेशनल इन्कम का एवरेज उस पैसे से लगाना जो पैसा ब्लैक मोर्केटियर्स के पास पहुँच गया है तो यह महान भूल होगी, एक बड़ी भारी गलती होगी।

आपका फूड ग्रेन्स पर नियन्त्रण नहीं है। पहले फूड ग्रेन्स को इधर-उधर आने जाने के बारे में फ्रीडम की बात की जाती थी तो उस समय छोटी छोटी मंडियां थीं, डिमाण्ड और सप्लाई के ऊपर प्राइसेज़ चलती थीं। आज से ५० वर्ष पहले जिन पोलिसीज़ के ऊपर फूड पोलिसीज़ को चलाया उसी पोलिसी को आज जिस समय कि मिडलमैन, व्यापारी, ब्लैक मार्केटियर्स जनता को भूखों मारने के लिये कीमतें बढ़ा चढ़ा कर चलना चाहते हैं, ऐसे समय में आप उन पुरानी पोलिसीज़ पर चलना चाहें तो नहीं चल सकते। आज आपका जो कानून है उसमें बहुत से लेकुनाज़ हैं। जब व्यापारी माल खरीद लेंगे उसके बाद इन व्यापारियों पर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं रहेगा, वे लोग स्टॉक्स को इधर उधर छिपा देंगे। इसकी मिसाल आज आपके सामने है कि आपने मेग्ज़िमम कीमतें डिक्लेअर कीं पर उन कीमतों पर आज कौन देता है? उनको आप उन कीमतों पर देने का बार बार कहते हैं पर वे नहीं दे रहे हैं और आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक यही हालत अनाज खरीद लेने के बाद होगी, आप इन व्यापारियों पर कोई कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे। आपने डिक्लेअर किया कि जो लोग अनाज के स्टॉक बतायेंगे उनको आप ईनाम देंगे, जो छिपा हुआ अनाज बतायेंगे उनको आप ईनाम देंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं, पर यह एन्फोर्समेंट, यह पुलिस, ये मजिस्ट्रेस पटवारी और, एन्फोर्समेंट ऑफिस ये सब क्या करते हैं? इतने बड़े राज्य के लिये कैसे एन्फोर्समेंट ला सकते हैं कि घर घर चैक करते फिरें। पुलिस वालों को, एक्साइज़ वालों को आप यह अधिकार दे दीजिये, अगर जरूरत पड़े तो पुलिस में इसके लिये डी. एस. पीज़ और बढ़ा दीजिये। जैसे पहले अलवर स्टेट, किशनगढ़ स्टेट आदि छोटी छोटी स्टेट्स थीं उसी परम्परा को अपने यहां कर दिया है कि एक्साइज वाले यह काम करेंगे, पुलिस वाले यह काम करेंगे। आज पुलिस का सबसे बड़ा महकमा है, सारे राजस्थान मे वह छाया हुआ है, एक्साइज़ के कितने आदमी हैं, होम के डिप्टी मिनिस्टर साहब जायेंगे तो लाल साफे वाले गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, एक्साइज़ वाले जायेंगे तो नीले साफे वाले गॉर्ड ऑफ ऑनर देंगे। अब एन्फोर्समेंट का रिक्रूटमेंट और चल रहा है, इनको कौनसी पगड़ी देंगे, इन अलग अलग तीन डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता क्या है? कानून सरकार बनाती है, कानून को मनवाना सरकार का काम है, सब चीजों का अधिकार पुलिस को दे दीजिये। कहां जाता है, करप्शन पुलिस में ज्यादा है, यह गलत है; करप्शन है तो सब जगह है, अगर नहीं है तो 'कहां' नहीं है?

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आज आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जखीरा है, तो उस रोज क्या आपको जखीरे की जरूरत नहीं थी ? आप आज कहें कि सेक्शन ६ की जरूरत नहीं है, वह दवाई किसी मर्ज की दवा नहीं जो कभी दवा बन जाती है और कभी जहर बन जाती है। आपकी एक दो, बातें जिनको मैंने एप्रीशियेट किया उनके अलावा सब इस तरह की स्थिति पैदा करने वाली हैं जैसी स्थिति कि फ्रान्स में रिवोल्यूशन के समय थी। एक काउन्टेस प्रिन्सेज़ थी। वह नीचे बैठी थी। लोग रोटी मांग रहे थे। भूखे लोगों का बड़ा भारी जुलूस निकला तो उस काउन्टेस ने अपने अर्दलियों से पूछा कि ये लोग क्या मांगते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग रोटी मांगते हैं, इनके पास खाने को रोटी नहीं हैं।

तो उस काउन्टेस ने कहा कि मिठाई क्यों नहीं खाते, केक क्यों नही खाते ? तो आज यह हो रहा है कि घर घर दुख और पीड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आपके पास आए कि छोटे नौकरों को पांच पांच रुपए उनकी तरफ से और पांच पांच रुपए अपनी तरफ से दो। तो ये दस रुपये आज तक इनके पास क्यों नहीं पहुंचाए गये ? जो नौकर सारा दिन काम करे और उसके घर में दुख और पीड़ा हो, उसको आज तक दस रुपये क्यों नहीं दिये और महंगाई कितनी बढ़ गई ? आंकड़ों को अगर देखा जाय तो उनको २५, रुपये मिलने चाहिए। जो आदमी हुकूमत चलाने में आपकी मदद करे, जिसके जरिये सरकार राज्य करती है वह भूखा मरता रहे, यह ठीक नहीं है। आज इंडेक्स को देखिये और उसकी परसेंटेज को देखिये। मैं अपील करूंगा कि इसका इंतजाम करें इसके घर का इंतजाम करें यह आपकी पहली जिम्मेवारी हैं। मैं उन कर्मचारियों के बाल-बच्चों की तरफ से आपको अपील करूंगा जो आपकी तरफ देखते हैं, कि मेहरबानी करके उनकी हालत को देखिये वे नोट नहीं खाते, पैसा नहीं चबाते, बाल-बच्चों को पालते हैं, उनके पालने के लिये निश्चित कीमत पर सरकार गोडाउन खोल दे। उनसे कहा जाय कि तनख्वाहें जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से माल दिया जायगा। तनख्वाह मत दो, उनके घर आटा, नमक, दाल, चीनी, इत्यादि का इंतजाम कराओ, ताकि उनके बच्चों का पेट भरा रहे। आज उनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि उनका क्रेडिट चला गया, उनको बनिया उधार नहीं देता, उनके पास खाने को नहीं, बच्चे का दूध कटता है, उसकी नोटबुक कटती है, उसकी पेंसिल कटती है। आपके पास बड़े स्टैटिस्टिशियन्स है, उनके घर का बजट होता है आप उनके पैसे का हिसाब लगाइये कि उसको क्या मिलना चाहिए। उनके आटा, दाल, चीनी और कपड़े का पूरा इंतजाम करिए जो पांच रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आए और पांच रुपए आपके, वे दस रुपए आप उनको कब देंगे ? मैं कांग्रेस सरकार से, एक कांग्रेसी की हैसियत से यही कहूंगा कि चाहे टैक्स लगाना पड़े, लगाना चाहिए, लेकिन जितने सरकारी नोकर हैं, खास तोर से तीसरी और चतुर्थश्रेणी के, उनको जो पांच रुपए सेंटर से मिले हैं और पांच रुपए अपने, दस रुपए तुरंत देने चाहिए। इसके बाद आप इतंजाम करें कि उनको पार्टीक्यूलर कीमत पर आवश्यक

Page No. 83

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वस्तुएं उपलब्ध हों ; जैसे रेल्वे ने किया था । इन शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं कि अगर आपको इन नौकरों के द्वारा अपनी पॉलिसी को चलाना है, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाना है, तो मेरी मांग है कि इन नौकरों को पूरी तरह से पेट भरने के लिये रोटी और कपड़ा देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह घोषित कर दूं कि साढ़े तीन बजे तक यह बहस चलेगी, उसके बाद सरकार का जवाब होगा और जो लेजिस्लेटिव बिज़नेस है वह आज के लिये स्थगित किया गया है और उसके लिए जो समय निर्धारित होगा वह बाद में सूचित कर दिया जायगा। समय को देखते हुए नियंत्रित भाषण होंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पार्टियों का जिस प्रकार समय अलॉट हुआ है वह यदि घोषित किया जाय तो ध्यान में रहे ।

श्री उपाध्यक्ष : समय मेरे पास लिखा हुआ है, उसी प्रकार से मैं देख रहा हूँ

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जोहरी-बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : You will kindly look to the time.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : राज्य की खाद्य स्थिति और बाढ़ के संबंध में आज सदन में विचार हो रहा है। यह कोई पहला मौका नहीं है जो इस सदन में इस समस्या पर विचार हो रहा हो । मुझे याद है, बजट अधिवेशन में इस साल १० और ११ अप्रेल को हमने राज्य की विषम खाद्य स्थिति पर विचार किया और उस समय जो माननीय कृषि मंत्री महोदय का भाषण था और जो राज्य सरकार की नीति थी उसका यदि विश्लेषण किया जाय तो पिछले ६ महीनों में जो राज्य में खाद्य स्थिति की इतनी विषमता पैदा हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी सरकार की है । सरकार आज चाहे आंकड़े देकर इस बात की कोशिश करे कि वर्षा के अभाव में या ज्यादा वर्षा होने के कारण हमारी पैदावार बहुत कम हो गई और दैवी प्रकोप है, इसके सामने सरकार क्या कर सकती है । यह बात तो सही है कि दैवी प्रकोप होता है नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं लेकिन अगर किसी प्रकार से खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ जाय तो दैवी कृपा नहीं है, योजनाओं की सफलता है, पैदावार घट जाय तो दैवी प्रकोप है । यह रुख अपना कर मैं समझता हूँ कि जो मूलभूत बातें हमारे सामने आती हैं और जिनके बारे में सरकार और सदन विचार करना चाहता है, उन सारी बातों से हम मुह मोड़ते हैं। अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चाहे देश में खाद्यान्नों की कीमतें कितनी भी बढ़ी हों । हमने देश में लोगों को भूखों मरने नहीं दिया । मैं उस बात में नहीं जाना चाहता कि उत्तर प्रदेश के उन जिलों में से आने वाले माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में ये आरोप लगाये कि कितने व्यक्ति वहां भूख के कारण मरे या आत्महत्याएं की, लेकिन यह बात सही

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है कि भूख से मरने वाले आदमियों के समाचार आए, यह आवश्यक नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भूख से कोई मरा या नहीं मरा, लेकिन लोग भूखों जरूर मर रहे हैं। यह उससे भी एक विचित्र स्थिति है, एक आदमी भूख से मर जाय लेकिन एक आदमी जिंदा रह कर भी भूखों मरता रहे। जो आदमी जिन्दा रह कर भूखों मरता है उस आदमी की जिन्दगी मरने वाले से भी बदतर होती है। ऐसे आदमी के लिए यही कहा जाता है कि इससे मौत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मौत लाना अपने हाथ में नहीं होता।

माननीय कृषि मंत्री ने अप्रेल १६६४ में इस सदन को आश्वासन दिए, इस सदन से वायदे किए, माननीय सदस्यों ने जो सरकार के सामने सुझाव रखे उन सुझावों के बारे में सरकार ने जो रुख अपनाया उस रुख का परिणाम यह हुआ कि इस राज्य की खाद्य स्थिति विषम होती चली गई वितरण की व्यवस्था बिगड़ती हुई चली गई, खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ती गई और सरकार काबू नहीं पा सकी। उदाहरण के लिए ११ अप्रेल, १६६४ को जिस समय खाद्य समस्या पर बहस हुई, सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने इस बात की यहां पर दलील दी और मांग की कि फूडग्रेन्स लाइसेन्सिंग ऑर्डर की धारा ६ अव्यवहारिक है, यह अस्वाभाविक है, अनुचित है, राज्य की खाद्य स्थिति को और बिगाड़ेगी, आवागमन पर इस प्रकार रोक लगाने से कीमतें बढ़ जायेंगी। उस समय सरकार ने बड़ी दृढ़ता के साथ और सदन के सब माननीय सदस्यों का आदर न करते हुए उस बात को स्वीकार नहीं किया। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने जो आंकड़े पेश किये हैं, आपने उस धारा ६ को हटा दिया, आपने स्वयं ने जो आकड़े पेश किये हैं उनसे यह साबित होता है। जिस समय आपने इस लाइसेन्स आर्डर धारा ६ को डिलीट किया उसके पहले राजस्थान में खाद्यान्न के भाव ऊंचे थे और फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिंग ऑर्डर की धारा ६ को हटाने के बाद खाद्यान्न के भावों में कमी आयी। अगर खाद्य स्थिति के बारे में जो आपने यह नोट सप्लाई किया है उसको पढ़ते है उसमें तो ३० सितम्बर १६६४ को अधिकतम भाव गेहूं के ६४ थे। और अब उसको डिलीट करने के बाद न्यूनतम भाव (५१, उस समय चने के भाव ८१) थे और इस समय ६६) हैं। बाजरे के भाव उस समय ६५ थे, जौ के भाव ७५) हो गये, मक्का ५८ (थी, अब ३६) हो गई और ज्वार ६६) थी आदि आदि यह अलग प्रश्न है। मैं यह ही कहता हूं कि ये चीजें मिलती हैं। ये चीजें नहीं मिलती हैं। यदि कमी भी है तो सरकार की अनिश्चित नीतियों के कारण है, सरकार की अस्थिरता के कारण है, उसके अस्थिर विचारों के कारण है।

मैं समझता हूं, सरकार को किसी भी माननीय सदस्य ने, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे वह स्वतन्त्र पार्टी का हो, चाहे वह सोशियलिस्ट पार्टी का हो, चाहे वह कॉम्युनिस्ट पार्टी का हो चाहे वह जन संघ का हो, बल्कि सब ने एक स्वर से, किसी भी, माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि राजस्थान में जमा खोरी करने वालों को, काला बाजार करने वालों को, चोर बाजारी करने वालों को, चाहे वह कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वह प्राइवेट ट्रेडर हो, चाहे वह स्टेट की दूकान हो, किसी प्रकार की कोई रियायत दी जाय। सब ने एक स्वर से यह कहा कि ऐसे लोगों के साथ रियायत नहीं की जाय। सबने एक स्वर से मांग की। मैं सरकार पर चार्ज लगाना चाहता हूं कि सरकार को जितनी प्रभावशाली कार्यवाही करनी चाहिये थी, जो नहीं की। नहीं की। जहां पर सरकार की कोई बात थी वहां पर कर दो। आपस में द्वेष पैदा हुआ, झगड़े पैदा हुये वहां कार्यवाही कर दी या तो सरकार यह कहे कि बावजूद कानून के और कार्यवाहियों के सरकार इस समस्या पर काबू नहीं पा सकी है। सरकार घोषणा करे—श्रीमती इन्दिरा गांधी ने और चोटी के नेताओं के कहा कि यदि सरकार खाद्य समस्या हल नहीं कर सकती तो उसको हट जाना चाहिए। आज सरकार एक तरफ यह कहती है कि हम राजस्थान में कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल तो यह है कि राजस्थान खाद्य स्थिति के माने में कहने को तो बहुत कुछ कर रहा है लेकिन वास्तव में कागजी कार्यवाही है, कहने को तो कह रहे हैं कि पैदावार खूब बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं सदन को सूचना देना चाहूंगा कि जिस प्रकार की स्थिति आज राजस्थान में विद्यमान है उससे पैदावार नहीं बढ़ेगी। उसका कारण है। सरकार सदन में भाषण दे देती है, आंकड़े दे देती है, समाचार पत्रों में मन्त्रीजी अपने वक्तव्य छपवा देते हैं, समाचार-पत्रों के संवाददाताओं को बुला कर वक्तव्य देकर उनको फोटो समाचार-पत्रों में छपवाने के लिये दे देते हैं, लेकिन उस से पैदावार नहीं बढ़ जाती और राजस्थान की भूखी जनता का पेट उन भाषणों से आंकड़ों से और उन फोटुओं से नहीं भर जाता। राजस्थान की जनता को रोटी चाहिये, भोजन चाहिए और माननीय मन्त्रीजी के कोरे आश्वासन नहीं चाहिए। मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि राजस्थान में कौन से कदम उठाये हैं खाद्यान्न बढ़ाने के लिए, सिवाय समाचार पत्रों में फोटो देने और वक्तव्य देने के और क्या कदम उठाये हैं? सरकार उनका सदन में विश्लेषण करे।

एक बात रखना चाहता हूं। पैदावार कहां बढ़ी है? कागजों में बढ़ी है। पैदावार बढ़ने वाली नहीं है। वह तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक खेती की सीमा और संख्या नहीं बढ़ती है। खेती में पैदावार की मात्रा नहीं बढ़ेगी तब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि दो साल पहले कितनी भूमि में खेती होती थी और कितनी भूमि बढ़ाई गई? कितनी वेस्ट भूमि को रिक्लेम किया, कितनी बैरन लैंड को रिक्लेम किया और नोन-एग्रीकल्चरेबल लैंड को रिक्लेम किया, कितनी खेती के काम में लाये, कितनी बैरन, वेस्ट और अनकल्टीवेटेड लैंड को कल्टीवेशन में लाये? राजस्थान में बंजर पड़ी जमीन, फैलो और अनकल्चरेबल लैंड, बेरन लैंड फालो लैंड कितनी काश्त के काम में लाकर कितनी पैदावार बढ़ाने की सरकार ने योजना बनायी? भूमि सबसे पहली चीज है पैदावार बढ़ाने के लिए।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सब से बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि राजस्थान में जो भूमि है, एग्रीकल्चरल लैंड का जो टोटल एरिया है- वह है ८,३६,८१,५८५ एकड़।

अब इस जमीन में सारी में काश्त हो जाय, अगर इस जमीन में काश्त की व्यवस्था हो जाय तो क्या कहने? इसमें से आज जो लैंड है बेरन और अन्कल्चरेबल, उसकी मात्रा है केवल १, ५७, १६, ६२२ एकड़। २० परसेंट ऐसी भूमि है जो बेरन है और अनकल्चरेबल है, बिल्कुल बेकार है। उसकी संख्या २० परसेंन्ट तक टोटल लगाते हैं। उसको निकाल दीजिये। जितनी जमीन बची है आपके पास, जो जमीन कुल पड़ी है जो फैलो लैंड की मात्रा माननीय रामकिशन जी ने भी बतायी वह है कुल मिलाकर १, १५, ६७, २१७ एकड़। यह १,१५,६७, २१७ एकड़ जमीन फलो लैन्ड है भी, लगभग २० परसेन्ट के है और ऐसी जमीन जो फेलो लैंड के अलावा कल्चरेबल वेस्ट है जहां कल्टीवेशन हो सकता है लेकिन होता नहीं है वह है १,६०,३२, ८८४ एकड़। यह भी ३० परसेन्ट के लगभग है। २०परसेन्ट फैलो लैंड; ३० परसेन्ट कल्चरेबल वेस्ट, ४० परसेन्ट अनकल्चरेबल और वेस्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी जमीन पड़त और खाली पड़ी हुई थी उस पर काश्त करने की आपने कोशिश क्यों नहीं की?

आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि सन् ६१-६२ में फैलो लैंड १,१४ लाख एकड़ थी। वह ६२-६३ में १,६२ लाख एकड़ हो गई। फैलो लैंड की संख्या बढ़ रही है और कल्चरेबल वेस्ट भी ६१-६२ के मुकाबले में ६२-६३ में बढ़ी है। आज स्थिति यह है। आपने क्या कदम उठाये कल्चरेबल लैंड को वापिस लाने के लिए? आज राजस्थान में आधी जमीन कल्चरेबल वेस्ट, फैलो लैंड, बेरन, वेस्ट में पड़ी हुई है और एग्रीकल्चरल पर्पज़ेज़ के लिए काम में नहीं आती है। उनमें काश्त नहीं होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और सरकार के इरींगेशन और कुछ हद तक सप्लाई विभाग का आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उनका कोऑर्डिनेशन कर राजस्थान में जितनी जमीन अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए उसमें मेग्ज़िमम लैंड में एग्रीकल्चर होना चाहिये। जो कल्चरेबल वेस्ट है उस पर काश्त कराई जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो कल्टीवेशन हुआ है वह बहुत कम मात्रा में जमीन पर हुआ है। जब तक आप यह स्थिति नहीं सुधारेंगे तब तक आपके ये आंकड़े थोथे हैं और बेकार हैं, आप खाद्य की समस्या नहीं सुधार सकते। सरकार ने आंकड़े दिये हैं। कुल एरिया जिस पर खेती हुई सन् ६३-६४ वह है १,८४ लाख एकड़। ८ करोड़ में से केवल २ करोड़ पर खेती हुई। २५ परसेन्ट पर खेती हुई। ६२-६३ में १.६० एकड़ है। आपके प्रोडक्शन के आंकड़े हैं, जिस मात्रा में एरिया में कल्टीवेशन की कमी हुई है उस मात्रा में प्रोडक्शन में कमी नहीं हुई है। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ बताया है। ६२-६३

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के मुकाबले ६.६४ में आकर जवार का एरिया १३ परसेन्ट प्रोडक्शन ३५ परसेन्ट । मक्का में ५ परसेन्ट कमी हुई है तो गेहूं में ३१ परसेट, जौ में १३ परसेन्ट और १६ परसेन्ट प्रोडक्शन । बाजरा ६३-६४ में ४ परसेन्ट ज्यादा तो उधर १४ परसेन्ट ।

इस क्षेत्रफल में भी १४ परसेन्ट की पैदावार है । क्षेत्रफल में कमी नहीं है । पैदावार के परसेन्टेज में कमी और जहां क्षेत्रफल ज्यादा नहीं था वहां पैदावार में कमी । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर राजस्थान में क्या योजना बनाई इस दृष्टि से ?

आप आये दिन फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग ऑर्डर में संशोधन लाते रहते हैं । आपको सेक्रेटरियेट में बैठे बैठे अहलाम हो जाता है । सेक्रेटरी का नोट आपके सामने आया कि इसमें यह संशोधन कर देना चाहिये और फौरन आपके दिमाग में बैठ बात गई । आपने इस फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग ऑर्डर में कितने संशोधन किये ?

मैं नहीं कहना चाहता कि आपने भीलवाड़ा के चुनाव के समय भी व्यापारियों के वोट खरीदने के लिए इसमें संशोधन किये, पर जो संशोधन करते रहते हैं उससे व्यापारियों को लाभ मिल जाता है । आप स्थिर दिमाग रख कर नहीं चल सकते । छः महीने भी बिना संशोधन लाये रहा नहीं जा सकता । कानून बनाने के बाद छ महीने तक भी उसे बिना संशोधन के आपमें चलाने की योग्यता नहीं है ।

मैं कहता हूं जो उपयुक्त संशोधन हों, वे करने चाहिये, और वे करने चाहिये थे तब जब हाउस में यह बात उठाई गई थी । पर उस वक्त नहीं किया और नतीजा यह उसका हुआ कि आप संशोधन करते रहे, पर गेहूं की कीमत फिक्स नहीं की । अधिकतम सीमा आपने भले ही ६४) क्विन्टल रखी और लाल गेहूं की ५३) । पर आपके रेट तैय करने से होता क्या है ? कोई मानता है आपकी ये रेटें, या आप में हिम्मत है ये रेटें मनवाने की ? आपने इनको मनवाने की कोई व्यवस्था नहीं की । आपने मन्डियों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की ।

आप चलें जावें एक एक छोटे छोटे मोहल्ले में, २५०-३०० लोगों की कतारें लगी नजर आवेंगी, जो सुबह से शाम तक लगी रहती हैं, फिर भी उनको उन दूकानों से राशन उपलब्ध नहीं होता । आपने कभी देखने का कष्ट किया, कभी गये वहां ? देखी कभी आपने यह कतारें ? सवाल यह नहीं कि उनमें से कोई भूख से मरा नहीं सुना । छः महीनों में नहीं-मरा । पर मैं कहता हूं हिन्दुस्तान और राजस्थान के लोगों की वेलोसिटी आप देखें, देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आधे पेट खाकर ही गुजारा करते हैं । दो समय भोजन उनको नसीब नहीं होता और जिनको आधे पेट नसीब होता है, उनके लिए यह जरूरी नहीं कि छ महीने में वे मौत के शिकार हो ही जावें । पर परिस्थितियां इस राज्य ने ऐसी पैदा कर दी हैं कि उनका नरिशमेन्ट बहुत कम होता जा रहा है और इसलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राजस्थान में यह हालत पैदा हो जावेगी ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान में जनरल हैल्थ का स्टेण्डर्ड गिरता चला जा रहा है। इसका नमूना आपको देखना हो तो किसी कॉलेज या स्कूल में जाकर देखो। एक तरफ तो दलपतसिंह जी, कांग्रेसी एम० एल० ए० को देखिये, मोतीलालजी चौधरी को देखिये, नाथूरामजी को खुद ही देखिये, मुख्यमंत्रीजी को देखिये किसी अन्य मंत्रीजी को देखिये बरकतजी को देखिये, और दूसरी तरफ इन स्कूलों में, पढ़ने वाले इन लड़कों को देखिये-पी० यू० सी० में, टी० डी० सी० में, सेकेन्ड ईयर में, एम० ए० में पढ़ने वाले लड़कों को देखिये—उनको देखकर आप यह नहीं कह सकते कि यह लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा, एम० ए० में पढ़ता होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला होगा, यह तो नाइन्थ में पढ़ने वाला होगा। एम० ए० में कैसे आ गया? कद छोटा, शक्ल देखिये तो गाल धंसे हुए, आंखें गड़ी हुई, चश्मा चढ़ा हुआ, शरीर देखिये तो इतना दुबला-पतला! तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, नरिशमेंट की दृष्टि से इसी प्रकार के लड़के सब जगह मिलेंगे।

आपको विचार करना चाहिये। आप खाने को अनाज नहीं देते, जो देते हैं वह भी देशी नहीं, इम्पोर्टेड व्हीट देते हैं। इसके साथ डालडा खिलाते हैं, शुद्ध घी नहीं मिलता; शुद्ध दूध नहीं मिलता, दही नहीं मिलता, दूध मिलता है जैसा तैसा तो चीनी नहीं मिलती। मिठाई नहीं मिलती, मिलती है तो सड़ी गली, अस्वास्थ्यकर मिलती है। आप उनको रॉशूगर देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक साबित हो गया है। बम्बई की लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो वहां साबित हो गया कि यह खाने के काबिल नहीं है। आप देखना चाहें तो रिपोर्ट मेरे पास है। शुगर के बारे में यह हाल। मिठाइयां खराब हैं तो कहेंगे बन्द होनी चाहिये। भले ही हो जाय। आम लोगों को इससे मिला नहीं होगी। ये मिठाइयां तो आप ही ज्यादा खाते हैं। सबसे ज्यादा आपके ही डिनर और पार्टियां होती हैं, दावतें आप ही खाते हैं। आप बन्द करिये, पर खराब मिठाइयां बना कर स्वास्थ्य खराब मत करिये।

कहते हैं डालडा में कलर मिलाइये। मिलावट रुकेगी, शुद्ध भी मिलेगा, पर डालडा बनाने वाले व्यक्ति कांग्रेस के चन्दादाता हैं, पार्लियामेंट चाहती है कि कलर किया जावे, पर कलर की सारी योजना फेल हो जाती है—डालडा में कलर नहीं हो सकता।

आज जयपुर में दूध क्या भाव है, दही क्या भाव है, गेहूं क्या भाव है? खाने की चीजें भी महंगी होती जा रही हैं, मिलती नहीं। दाम बढ़ते जा रहे हैं। घोषणाएं आप करते रहें कि पचासों हजार टन व्हीट आ रहा है, सरकार ने अपनी दूकानें खोल दी हैं, ८०० दूकानें प्राइवेट एन्टरप्राइज़ को दे दी हैं। पर ये खोलने के बाद भी कहां तक अनाज मिल रहा है यह देखें। आप ताज्जुब करेंगे गेहूं के लिए कितनी लम्बी कतारें हैं, यह तो अलग बात है, गेहूं की बात छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफीसर के पास राशनकार्ड लोगों के नहीं बनते और इनके अभाव में गेहूं नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मिल सकता; चावल, चीनी आदि नहीं मिल सकती।

जो लोग स्टेट ट्रेडिंग की बात करते हैं, मैंने स्टेट ट्रेडिंग की बात का विरोध किया और इसीलिए किया कि सरकार की मशीनरी कॉम्पीटेन्ट नहीं है। मैं ही यह नहीं कहता, नेता आपके खुद के कहते हैं, प्रधान मंत्री कहते हैं और आपके खाद्य मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार स्टेट ट्रेडिंग करने की पोज़ीशन में नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को एक पार्शियल ट्रेडर के रूप में आना चाहिये, अगर वह आना ही चाहती है तो। आपने घोषणा की थी कि मण्डियों में हम अनाज खरीदेंगे १३२ मंडियों में जावेंगे। कलेक्टर को इसके आदेश दे दिये गये हैं, अनाज खरीदने को सरकार तैयार खड़ी है। पर आप ? आपकी तैयारी कैसी है, माननीय सदस्य सुनकर हैरान होंगे। एक दूकान खोली जयपुर शहर में। उस पर गेहूं दिया। यह स्टेट शोप की बात बताता हूं। आदर्शनगर में सरकार की एक दूकान खुली। गेहूं दिया और गेहूं देने के बाद आप सुन कर ताज्जुब करेंगे की सरकार का गेहूं ले लिया, उसे बेच दिया और बेच कर लगभग २० हजार रुपयों की रकम सारे महीने की बेच-बाच कर गवर्नमेंट का वह सेल्समैन फरार हो गया। फरार हो गया तो जमानती को ढूंढा गया। कागज देखे गये तो जमानत तीन हजार की ही नहीं निकली। अब तलाश हुई जमानती की। कौन है यह ? तो वह भी फरजी निकला। न जमानती का पता न सेल्समैन का पता। यह तो है आपके दूकानें चलाने का तरीका ! आप दूकानें चला नहीं सकते तो इससे तो अच्छा है, बन्द कर दीजिये।

आपने कोऑपरेटिव सेन्टर्स खोले। आपकी स्वयं की केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार की अध्यक्षा पुष्पा शर्मा का वक्तव्य देख लें। वह बिल्कुल स्पष्ट है। उनका तो मानिये, मेरी नहीं मानें तो वह तो आपकी कांग्रेसी है। उनकी बात सुनिये। क्रय विक्रय संघ की बात। सारा हाल फूड एडवाइजरी कमेटी की सारी प्रोसीडिंग्ज़ में मिलेगा। पुष्पा शर्मा ने कलेक्टर पर चार्ज लगाया, फूडएडवाइज़री कमेटी को लिखा, सरकार को लिखा कि जयपुर जिले में गुड़ के वितरण में इसने क्या क्या किया है, और चीजों के वितरण में क्या क्या घोटाले किये हैं, सारे उसमें हैं। पुष्पा जनसंघ की नहीं है कांग्रेस की है और अन्तरंग है उनकी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया एडवाइज़री कमेटी में सभी सदस्य मौजूद थे। हर चीज में देखिये घोटाला। गुड़ में घोटाला, चीनी में घोटाला ! चीनी के बारे में मांग करिये। जयपुर में एक किलो प्रति व्यक्ति है तो जोधपुर में आधा किलो ही है और कीमतें बराबर बढ़ती जा रही हैं। आज बाजार में यह चीनी तीन रुपया किलो में मिलेगी। बाजार में यह कहां से आती है जब आपके पास नहीं हैं तो ? आप कहते हैं चीनी अधिक नहीं है इसलिये आधा किलो ही देंगे, एक किलो ही देंगे। तो फिर यह बाजार में कहां से आती है ? मालूम है आपको कहां से आती है आपकी वितरण व्यवस्था इतनी डिफेक्टिव है कि आपके यह काबू के बाहर की चीज है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपने वितरण कोऑपरेटिव सेक्टर में दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जिन कोऑपरेटिव सोसायटियों की सरकार पैरवी करती है, मैं भी चाहता हूं कि कोऑपरेटिव सेक्टर होना चाहिये, पर जिस तरह से आज चल रहे हैं ये, उससे तो यह क्षेत्र बदनाम ही हो रहा है। मैं उदाहरण दूं आपको। आपने सिटी में चीनी का वितरण का काम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया। शिकायत हुई कि वहां से चीनी ब्लेक में बेची जा रही है। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफीसर ने छापा मारा और कहा कि इसका ब्लेक हुआ है। यह माल चोरी जा रहा है, पकड़ लिया है। अब तलाश हुई इस कोऑपरेटिव का चैयरमैन कौन है, कहां है ? चैयरमैन तो नहीं है, सेक्रेटरी कहां है ? वह भी यहां नहीं है। मालूम पड़ा कि कोऑपरेटिव के चेयरमैन और सेक्रेटरी ने अपनी कोऑपरेटिव की तरफ से ठेका दूसरे आदमी को दे दिया। उसको दे दिया कि तुम दूकान खोलो। ब्लेक पकड़ा गया, अदालत में केस रजिस्टर कराने के लिए पुलिस गई और पुलिस में आज तक केस रजिस्टर नहीं हुआ, प्रोसीक्यूशन आज तक नहीं हुआ। डिस्ट्रक्ट फूड एडवाइज़री कमेटी ने कहा कि जयपुर में ८ कोऑपरेटिव स्टोर्स जिन्होंने ब्लैक किया है, लोगों का शोषण किया है ऐसे कोऑपरेटिव स्टोर्स का प्रोसीक्यूशन किया जाये, लेकिन प्रोसीक्यूशन नहीं होता है। क्यों ? इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके जो चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं वे कांग्रेस के आदमी हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को बदनामी लाते है। लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर के नाम से वह कलंक है और जहां तक अनाज का सवाल है आज लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नाम होता है 'बापू सहकारी समिति' और बापू के नाम पर चोर बाजारी करते है, बापू के नाम को भी लजाते हैं। हमारे एक १३ नवम्बर के वार्ड में सहकारी समिति है उसमें एक श्रीमान् हैं जिनको कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस के नाम से हवाई जहाज द्वारा विदेश भेजा। चाहिए तो उसके लिए यह था कि उसने जितने घोटाले किये हैं उनके लिए उसको हवाई जहाज में बैठते बैठते उतार लेते और कहते कि विदेश यात्रा तो बाद में कर लेना पहले देश की यात्रा तो कर लो....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कौन हैं, नाम बता दो ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको सब पता है....

श्री रामकिशन (वैर) : श्री फूलचन्द जैन तो नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो नहीं है लेकिन उनको पता है क्योंकि उनके साथ वह भी गये थे। सिर्फ दो ही तो गये थे राजस्थान से। मैं जानता हूं आपने पिछली बार उनका स्वागत भी किया था। बाहर वह विदेश से हो कर आये हैं जिनका आपने स्वागत भी किया आने पर। बड़े प्रमुख लोग हैं दोनों के दोनों। आप यूथ कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट हैं, आप उसको यूथ कांग्रेस में से तो निकाल दीजिए....

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : मैं तो नहीं हूं !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यूथ कांग्रेस नॉन-पॉलिटिकल संस्था है, क्रय विक्रय संघ नॉन पॉलीटीकल संस्था है, खादी बोर्ड नॉन-पॉलिटीकल संस्था है और न जाने कितनी कितनी नॉन-पॉलिटीकल संस्थाय हैं। यह सारी दूकानदारी- जोइन्ट स्टॉक कम्पनीज़, सारे एन्टरप्राइजेज़ इसलिए बने हुए हैं कि जैसे मशरूम इन्सटीट्यूशन्स होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स की चोरी करने के लिए थड़ियां लगी रहती हैं और कुछ ही दिन हुए आपकी तरफ से ही किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि दो दो बोर्ड लगा लेते हैं, यह गैर कानूनी है और इससे चोरियां होती हैं। इस तरह से आपने सैकड़ों संस्थायें खड़ी कर रखी हैं, सारी थड़ियां और केबिन लगा रखी हैं और सारे धंधे आप उनके जरिये चलाते हैं। यह कोऑपरेटिव स्टार्स के नाम पर बट्टा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के बारे में आपका विश्वास हो गया कि संस्था में इस व्यक्ति ने इतनी गड़बड़ियां की हैं, इतने घोटाले किये हैं और यहां विधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने जिसकी मांग की और उसके विरुद्ध घोटाले साबित हुए, चार्जशीट साबित हो गई तो क्या उस संस्था को आप फिर से कोटा देंगे ?

श्री मोतीलाल चौधरी : नहीं देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर नहीं देंगे तो क्रय विक्रय संघ को चावल का कोटा क्यों दिया ? आपको हमदर्दी है चौधरी कुम्भाराम आर्य से तो मुझे आपत्ति नहीं है। आपके व्यक्तिगत सम्पर्क हो सकते हैं, लेकिन जिस क्रय विक्रय संघ ने ४ करोड़ रुपये का गुड़ खरीद कर उसमें ५० लाख का घोटाला किया है और जिसके लिए सदन के ४५ माननीय सदस्यों ने जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग की तो भी कुछ नहीं होता है।

नन्दा जी कहते हैं कि यदि १० एम० एल० ए० किसी मंत्री के लिए लिख कर दें तो उसके खिलाफ जांच हो सकती है, लेकिन यहां सदन के ४५ माननीय सदस्य लिख कर दें तो भी कुछ नहीं हो। इसके ऊपर श्री बिश्नोई की रिपोर्ट पेश हो गई, रिपोर्ट सदन की मेज पर पहुंच गई, आपने देखी होगी, मैंने तो देखी नहीं है। लेकिन मुझे तो अवश्य पता है। सारे गुड़ के अन्दर ५० लाख रुपये का घोटाला है। ऑडिट रिपोर्ट उठाकर देख लें। मैं इस बात से भी कहता हूं कि जो आपके एनुअल अकाउन्ट्स क्रय विक्रय संघ के बनने चाहिए वे नहीं बने। इसलिए नहीं बने कि आपके वाउचर्स वैरीफाइड नहीं हैं, प्राइसेज़ वैरीफाइड नहीं हैं और आज भी लाखों रुपयों की डाइरेक्ट खरीद है, उसके वाउचर्स वैरीफाइड नहीं हैं। यह सारा मामला जून तक हो जाना चाहिए था वह अभी तक पेन्डिंग है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी संस्था के व्यक्ति को आप मंत्री बनायें, बनाइये, यह तो सुखाड़िया साहब की देखभाल है। उनकी राजनीति है, उसको आप जैसे और हमारे जैसे बहुत से नहीं समझते।

हमें मालूम है एक बार सुखाड़िया जी में और नाथूरामजी में संघर्ष हुआ और उनको आस्ट्रेलिया घुमाकर उनको ठंडा कर दिया और इसी तरह से इनको भी पास बैठाकर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

टंडा करेंगे और मोतीलालजी खुश हैं लेकिन कल को कन्डोलेन्स करेंगे ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस प्रकार से क्रय विक्रय संघ का यह हाल क्यों हुआ ? बादाम वहां पर १८) रुपये के बजाय ८)रुपये के भाव से मोतीलाल जी ले आये । मैं कहना चाहता हूं कि वहां से मेवा कहां गया ? खा गये आप लोग । लेकिन राजस्थान की जनता आपको ऐसे नहीं खाने देगी । सत्ता का मद कितने दिन चलने वाला है ? आप ऐसा मानकर चलिये कि रूस में भी ख्रश्चेव के लिए ब्रैजनेव पैदा हो गया तो यहां की लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए भी कोई न कोई ब्रेज़नेव पैदा हो जायेगा । देश के प्रधान मंत्री श्री लालबहादुरजी शास्त्री का भी थोड़ा बहुत अनुकरण करो । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सत्यता के आधार पर चलो ।

आज राजस्थान की जनता के साथ नीतियों का आधार मानकर केवल कोऑपरेटिव स्टोर्स को देखें । चाहे जितने भी घोटाले हों, यह गलत है । हिन्दुस्तान की जनता को, राजस्थान की जनता को भूख से बचाने के लिए अगर नेशनलाइज़ेशन को जरूरत होगी तो हम उसका भी स्वागत करेंगे । सवाल इस बात का है कि आदमी को कोट पहनना है तो कोट के अनुसार शरीर नहीं काट सकते, शरीर के अनुसार कोट काटना पड़ेगा । हम जो व्यक्ति को महत्व देते हैं और उसको जिन्दा रखने के लिए अगर कपड़े की कांट छांट की आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं । आप कभी इन्फ्लेशन का बहाना लेते हैं, कभी ब्लेक मनी का बहाना लेते हैं । आखिर यह किसने किया ? आज हिन्दुस्तान में यह कह कर नहीं चल सकते कि इन्फ्लेशन हो गया आखिर आपको उसकी दवाई करनी होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल यह कह कर के नारा मत लगाओ, जुलूस मत निकालो । आज नीम के थाने में पार्टी के लोग जुलूस निकालें । मैं समझता हूं कि खाद्यान्न के संबंध में आज जिस तरह से मंहगाई बढ़ती जा रही है वह लोगों की कमर को तोड़ रही है । मैं कहता हूं कि आप अपने आपको धन्य समझिये कि राजस्थान में और हिन्दुस्तान में हैं, मैं समझता हूं कि इतने अत्याचार, अनाचार और भूखों मरने के बाद भी , अत्याचारी शासन होने के बाद भी लोग उदारता से बर्दाश्त करते जा रहे हैं । काश ! दूसरी जगह आपको राज्य करने का मौका मिला होता तो दूसरी जगह की जनता कभी माफ नहीं करती ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल घोषणा करना कि अनाज आ रहा है, मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इम्पोर्टेड व्हीट का राजस्थान को कितना कोटा दिया और कितना उत्तरप्रदेश को डाइवर्ट किया गया ? स्टेट ट्रेडिंग के लिए आपने ३५ करोड़ रुपया रखा था और अब सप्लीमेन्टरी में उसको २५ करोड़ कर दिया । इसके लिए आपने तर्क यह दिया क्योंकि सेन्टर से ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है । यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि आज यहां

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अनेक ऐसे भाग हैं कि जहां पीने को पानी नहीं। और पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि कहीं पानी है तो लोग डूब रहे है। और कहीं ऐसी हालत है कि पीने को पानी नहीं है। कहीं बिजली नहीं है। योजनायें बनाई हैं चम्बल और भाखरा की लेकिन राजस्थान की सप्लाई में २५ परसेन्ट की कटौती करते जा रहे हैं। आज योजनाओं के बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सरकार की योजनायें ऐसी निकम्मी योजनायें हैं जिनके आधार पर मैं समझता हूं

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

कि, सभापति महोदय, उनके ऊपर फिर से विचार करना चाहिए।........ १.१६

अब अन्त में, सभापति महोदय, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने स्टेट लेवल पर एक कमेटी बनाई और आपने पिछले बार इस हाउस में कहा था कि मुझे याद नहीं कि ऐसी कोई कमेटी भी बनी है। वह कमेटी किस के लिए बनी थी? वह कमेटी प्राइस के बारे में बनी थी। गवर्नमेंट एक कमेटी बनती है और खाद्य मंत्री ने कहा कि उनको मालूम नहीं कि कोई कमेटी बनी है। मैं वह ऑर्डर पिछली बार सदन में लाया नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने ७ फरवरी, १९६३ का एक नोटिफिकेशन निकाला है; उसमें लिखा है—

"The Governor has been pleased to order that for vigilance over the price control, a committee of the following be constiuted :

Chief Minister-Chairman,

Agriculture Minister......

एग्रीकलचर मिनिस्टर आप ही थे सन् ६३ में या और कोई दूसरा था?

Deputy Minister, Civil Supplies,

Chief Secretary,

Secretary, Agriculture,

Secretary, Civil Supplies,

Registrar, Co-operative Societies and then myself, Shri Anand Singh Kacchawa,

Shri Jwala Prasad Sharma.

Seth R.N. Poddar,

Chairman, Chamber of Commerce,

Chairman, Vyapar Udyog Mandal, Shri Kumbha Ram Arya, Chairman Kriaya Vikraya Sangh and Director of Industries.

यह कमेटी मैंने तो नहीं बनाई थी, गवर्नमेंट ने बनाई थी। ७ फरवरी, १९६३ को यह कमेटी बनी स्टेट लेवल की और आज उस कमेटी को बने हुए २० महीने हो गये। आपने कभी मीटिंग बुलाई इस कमेटी की आज तक? आप केवल अखबारों में छपवाना चाहते थे कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है; मुख्य मंत्री श्री सुखाड़ियाजी की अध्यक्षता में बनाई।

Page No. 94

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस कमेटी की एक भी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? नहीं बुलाई तो कमेटी क्यों बनाई? गवर्नमेंट का यह रवैया है, this was decided by the Government. आप एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं बुलाते हैं, चाहे जब उसको भंग कर देते हैं। कोई कमेटी बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं। खादी बोर्ड के बारे में कमेटी बनाते हैं तो किसी की मीटिंग बुलाते नहीं हैं और कोई कमेटी रिकमन्डेशन करती है तो उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं करते हैं। यह क्या रवैया है? आपने मखौल बना रखा है फूड पॉलिसी का। जब चाहा एमेंड कर दिया, जब चाहा किसी को पकड़ लिया, जब चाहा किसी को छोड़ दिया। जयपुर में किसी को पकड़ लिया, तो कहीं ३ बोरी वाले को पकड़ लिया, कहीं ४ बोरी वाले को पकड़ लिया। आपने उनको पकड़ा जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं? राजस्थान में ऐसों को कितनों को पकड़ा? राजस्थान में जमाखोरों, चोरी करने वाला को, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं ऐसे राजस्थान में बड़ा बड़ा को किनको पकड़ा? आपने उनको नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? आखिर माल तो उनके पास है। खुदरा व्यापारियों के पास में क्या है? थड़ी पर बैठने वालों के पास में क्या है, फुटपाथ पर बैठने वालों के पास क्या है? आपने नारा लगाया कि व्यापारी जमाखोर हैं तो आपकी सी० आई० डी० और पुलिस करती क्या है? आपको ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स और समाज के जीवन के साथ खेलने वाले ऐसे चन्द कुछ लोग हैं अगर उनका पता नहीं लग सकता है तो आपकी सी. आई. डी. किस बात के लिए है? वह इस बात के लिए है कि वह एम० एल० एज़० क्वार्टर के बाहर खड़ी रहे और देखे कि भैरोंसिंहजी अजमेर कब जा रहे हैं या रामकिशन जी कहां दौरा करने जा रहे हैं! सरकार को इनसे खतरा नहीं हो सकता है। सरकार बदली जा सकती है। उनकी सी० आई० डी० उसको रोक नहीं सकती है। हम तो घोषणा करते हैं और खुले रूप से कहते हैं कि सरकार को बदलेंगे और टोरीज़ और कन्ज़र्वेटिव्ज़ को बदलेंगे। आप किसी दिन यहां आकर बैठेंगे और हम वहां उधर जाकर बैठेंगे। हम तो घोषणा करके कहते हैं कि आपकी भी हालत वही होने वाली है जो कि कन्ज़र्वेटिव्ज़ और टोरीज़ की हुई है इंगलैंड में। दुनिया में परिवर्तन आ रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां चली जा रही हैं। इसलिए समय की गति को पहिचानें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि आज राजस्थान की खाद्य नीति इतनी फेल हुई है और राजस्थान के इस डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि रि-शफल होने से पहले पहले कोई इकोनोमिक एम्पॉयर खड़ी कर लें, कोई महल खड़ा कर लें ताकि अगर रि-शफल में भी नहीं आये और ड्रॉप भी हो जायं, या कामराज-योजना में पत्ता कट जाय, तो बैठने के लिए क्रय-विक्रय संघ बना रहे हैं। रिखबचन्दजी धारीवाल मिनिस्टर नहीं रहे तो वे इन्डस्ट्रीज़ के लीगल एडवाइज़र बन गये वहां जाकर कोटा में। आपने व्यवस्था कर ली है ता यह बुद्धिमानी का लक्षण है।

Page No. 95

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं आपकी अनुमति से, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं समयाभाव है और कुछ और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और जितने सुझाव अपनी तरफ से हो सकते हैं कि एक बात तो यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की आवश्यता है, वेस्ट लैण्ड को कल्चरेबल लैण्ड बनाना होगा, फैलो लैण्ड को कल्टीवेशन में लाना होगा। आज सरकार बीज नहीं दे सकती है, इम्प्लीमेंस नहीं दे सकती है खाद के कारखानों का अभी झगड़ा चल रहा है कि कोटा में हो या हनुमानगढ़ में हो। कोटा में कामराज आये तो उन्होंने कोटा का कह दिया और हनुमानगढ़ में चुनाव जीतने थे तो वहां कह दिया कि हनुमानगढ़ में बनेगा। यह क्या तरीका है ? यह आपकी पालिसी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समयाभाव के कारण कुछ थोड़ी सी बातें सदन के सामने रखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार वास्तविकता के आधार पर राजस्थान के मामले में आज तक आपसी सहयोग की दृष्टि से कभी ऑपोज़िशन के एम० एल० एज़० को बुलाया है ? प्राइस की पॉलिसी के बारे में, फूड पॉलिसी के बारे में लीजिये, कभी भी आपने एडवाइज़री, कन्सल्टेटिव कमेटीज़ आज तक नहीं बनाई। आप विकेन्द्रीकरण की बात कहते हैं, लेकिन आप खुद एम० एल० एज० को एसोसियेट नहीं करना चाहते हैं। उनके साथ बैठ कर, हाउस को कॉन्फीडेन्स में लेकर राजस्थान की वास्तविकता के आधार पर कोई खाद्य-नीति तय की जाय, राजस्थान में खाद्य-उत्पादन बढ़ाने की सूरत पैदा की जाय, भ्रष्टाचार को रोका जाय, ब्लेकमार्केट को रोका जाय क्योंकि अगर चोरियां होंगी तो आपके लाभ के लिए होंगी। आसाम फ्लौर मिल चोरी से माल बेचेगा तो आपका फायदा होगा। आपने किया क्या ?

इसलिए, सभापति महोदय, सदन का ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैंने कुछ इस सम्बन्ध में अपने सुझाव, जो लगभग संख्या में १० होंगे फूड पॉलिसी के बारे में, यह जानता हूं कि समय का अभाव रहेगा इसलिए मैंने अपने सुझाव एक नोट के तरीके से लिखे हैं वे मैं मंत्री महोदय को दे दूंगा। नोट में जो सुझाव फूड पॉलिसी के बारे में हैं फूड प्रोब्लेम के बारे में हैं उन सारे सुझावों का स्टेटमेंट समयाभाव के कारण मैं बोल नहीं सकता इसलिए with your permission अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सदन की मेज पर रख दूं and it may be treated as a part and parcel of my speech also.

(सुझावों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, फ्लड और फूड के ऊपर आज विचार हो रहा है ! फूड के सम्बन्ध में सरकार किस हद तक जिम्मेवार है, यह तो गंगानगर के क्षेत्र में २०० वर्गमील एरिया

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को देखने पर विदित होता है । इतना बड़ा फ्लड....

(श्री कृषि मन्त्री के सदन के बाहर जाने पर बैठ जाते हैं)

श्री सभापति : Carry on.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतना बड़ा फ्लड, सभापति महोदय, गंगानगर जिले के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं आया कि ७०० वर्गमील जो कि सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार पानी में डूब गया है और उसके साथ साथ गंगानगर के भाखरा और गंगनहर का पानी गायब हो जाय और गंगनहर का जो उचित हक २७२० क्यूसेक्स हैं वह भी उसको लगातार १-१ साल तक प्राप्त नहीं हो और औसतन ६०० क्यूसेक्स से गंग नहर चले और भाखरा नहर में २१ पर्सेन्ट भाखरा बोन्डेज पर जो जायज और कानूनी हक है सरकार पंजाब सरकार से अपना २१ पर्सेन्ट का हक प्राप्त न कर सके बल्कि १२ पर्सेन्ट से १३ परसेन्ट से पिछले ६-७ साल से लगातार वे अधिक हक प्राप्त नहीं कर सके। एक ओर गंगानगर के गांव पानी में डूब रहे हैं दूसरी ओर गंगानगर की खेती पानी के बिना सिसक रही है, इसी तरह का हाल कामां में है, भरतपुर में है। यही दशा राजस्थान के एक सिरे में हो रही है। और यही दशा राजस्थान के दूसरे सिरे में है।

सभापति महोदय, मैंने सदन में बड़ी नम्रता से अर्ज किया था कि घग्घर नदी का पानी गंगानगर और राजस्थान के लिए वरदान बन सकता है जिसमें १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने की पोटेन्शियेलिटी है वही अब अभिशाप बन रहा है। आज तिलवाड़ा साइफन के दोनों आर्म्स टूट चुके हैं और वहां की खतरनाक स्थिति है। सरकार गौरव से कहती है कि जो साइफन ८००० क्युसेक्स से ज्यादा भार वहन नहीं कर सकती थी उसने २१,००० क्युसेक्स बर्दाश्त किया, यह बात गौरव से कहने की है लेकिन आज सारा का सारा गंगानगर जिला मौत के कगार पर खड़ा है; एक तरफ साइफन के आर्म्स टूट चुके हैं दूसरी तरफ राजस्थान केनाल की दीवार गिर चुकी है और दूसरी दीवारें भी गिरने वाली हैं। तिलवाड़ा साइफन के दोनों आर्म्स गिर चुके हैं, ६ मील में पानी पड़ा है और सारा गंगानगर जल मग्न हो रहा है। इसके उपरान्त भी राजस्थान सरकार गौरव से कह रही है कि तिलवाड़ा साइफन ८ हजार क्युसेक्स बर्दाश्त कर सकता था उसके बजाय उसने २१ हजार क्युसेक्स बर्दाश्त किया। मुझे याद है मुख्य मन्त्रीजी ने एम. एल. एज़. को आमंत्रित किया था और हनुमानगढ़ ले गये और वहां से तिलवाड़ा साइफन पर ले गये उस समय १० हजार क्युसेक्स से ऊपर आया था, अब १६ हजार क्युसेक्स आ गया है। उस समय गर्व से कहा गया था कि ८ हजार क्युसेक्स के बजाय १० हजार की स्ट्रैंग्थ बर्दाश्त कर रहा है। सभापति महोदय, उस बात को आज २ वर्ष गुजर गये। क्या सरकार यह आशा रखती थी कि वह ८ हजार क्युसेक्स के बजाय १६ हजार बर्दाश्त करेगा ? जब पंजाब और राजस्थान के इन्जीनियर्स ने यह केल्कुलेशन किया कि १६ हजार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

क्युसेक्स पानी आयेगा, जब कि उस ब्रांडेज में २१ हजार क्युसेक्स आया। उस समय उनसे कहा गया था कि वोस्टन फार्मूला सही नहीं है जिससे कि आप केल्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने अपनी जिद रखी और वोस्टन के फॉर्मूला को कायम रख कर उसके अनुसार केल्कुलेशन किया। २ साल में इस साइफन को ज्यादा स्ट्रेन्थन नहीं बना सके। मैंने निवेदन किया था फ्लड के लिए। राजस्थान के मुख्य मन्त्री सुखाड़ियाजी से मैं सुनना चाहता हूं कि जब आपने हनुमानगढ़ में जिस समय पंजाब के मुख्य मन्त्री श्री प्रतापसिंह कैरों और हमारे मुख्य मन्त्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया मौजूद थे हमारे यहां के चीफ इन्जीनियर और पंजाब के चीफ इंजीनियर वहां पर मौजूद थे, माननीय सदस्य केदारनाथजी वहां पर मौजूद थे और माननीय सदस्य मनफूलसिंहजी मौजूद थे उस समय लसाड़ा ड्रेन का प्रश्न उठा था उस समय पंजाब के मुख्य मन्त्रीजी ने कागज दिखाये जिस पर मुख्य मन्त्री, राजस्थान के हस्ताक्षर थे उन्होंने उसमें स्वीकार किया था कि तिलवाड़ा साइफन में १० हजार क्युसेक्स छोड़ सकेंगे। इस बात को मुख्य मन्त्रीजी ने इन्कार नहीं किया ....

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री): बावजूद तीन-चार दफा कहने के भी आज आप कहते हैं कि उन्होंने इन्कार नहीं किया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे अब भी आकर इन्कार करें, मैं मान लूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप वहां पर मौजूद नहीं थे। मैंने आपका डॉक्युमेन्ट देखा है। हमारे मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि हमारे और पंजाब के चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई उस समय लसाड़ा ड्रेन की बात नहीं की डी-सिल्टिंग की बात कही थी। राज्य के चीफ इन्जीनियर ने स्वीकार किया कि नहर से सिल्ट निकाल ले जायं वर्ना नहर के पानी को स्वीकार नहीं करेंगे....

श्री नाथूराम मिर्धा : लसाड़ा में डी-सिल्टिंग का सवाल नहीं था क्योंकि लसाड़ा, ड्रेन तो आज बन रही है, इसलिये डीसिल्टिंग का सवाल क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लसाड़ा ड्रेन काफी हद तक बन चुकी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको इसका कोई ज्ञान ही नहीं है, मैंने इसे शुरू से आखिर तक देखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने कागजात देखे हैं, उनका अध्ययन किया है और मैं अध्ययन के बाद कहता हूं कि हमने लसाड़ा ड्रेन के तिलवाड़ा साइफन को स्वीकार नहीं किया बल्कि लसाड़ा ड्रेन में डी-सिल्टिंग कर दें, यह स्वीकार किया....

श्री नाथूराम मिर्धा : कतई नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कागजात पेश करिये मैं बताऊंगा आपके साथ बैठकर।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आपके चीफ इंजीनियर ने और मैंने साथ बैठ कर पढ़ा है।

सिर्फ पंजाब का ही नहीं लखाड़ा ड्रेन का पानी कहां लाकर छोड़ा है ? आज जो आंकड़े भूमि डूबने के दिये हैं उनके अनुसार २७ हजार एकड़ धरती इस बाढ़ से डूब गई है और कुल मिला कर हनुमानगढ़ के १८ गांव, सूरतगढ़ के २५ गांव और अनूपगढ़ के ७७ गांव इस फ्लड से उजड़ चुके हैं और यह फ्लड केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं है बल्कि मीलों तक पाकिस्तान में भी चला गया है और लोअर रीचेज़ में रिपोर्ट के मुताबिक १५ फीट की डूबत पर अब भी पानी पड़ा है जब कि ६ सितम्बर को एम. एस. एल. हमारे तिलवाड़ा साइफन के ऊपर ६२७ फीट था और नोर्मल एम. एस. एल. ६१५ पर है और १२.५ फीट पानी था और १६ हजार क्युसेक्स की स्ट्रेंग्थ थी वहां अब १२ अक्टूबर को तिलवाड़ा में ११ हजार क्युसेक्स का स्ट्रेंग्थ और १०।। फीट लोवर डैप्थ थी और ६ फीट लोवर डैप्थ मौजूद है। सरकार कह सकती है कि यह पानी दुबारा लौट कर आया है। सभापति महोदय, मुझे अदब से कहना है कि सन् ६१ से आज ६४ गुजर गया, लगातार १ वर्ष को छोड़ कर ६३ में नहीं आया, फ्लड्स आ रहे हैं। साढ़े तीन करोड़ खर्च करने की बात पुरानी हो गई, अब भी २ साल में पूरा करने की बात आप करते हैं। एक युग ऐसा था उस पर दृष्टिपात करें तो ५० मील से ज्यादा रेल मार्ग अवरुद्ध था, ७०-८० मील सड़क अस्त-व्यस्त हो चुकी है, १६ हजार एकड़ से अधिक फसल अकेले अनूपगढ़ की डूब में आई है। ये सड़कें और रेल्वे लाइन्स एक बार या दो बार ही नहीं टूटी हैं; सन् ६३–६४ को छोड़ कर रेलवे लाइन और रोड़–लिन्क्स बराबर टूट रहे हैं। हनुमानगढ़ से सूरतगढ़, सूरतगढ़ से अनूपगढ़ अनूपगढ़ से रायसिंहनगर, रायसिंहनगर से कपलिंग - ये सारे के सारे रोड-लिन्क्स लगातार बहते चले जा रहे हैं।

इसके अलावा राजस्थान केनाल का जो कार्य करते आ रहे हैं वह भी इससे टूट जाता है और गांवों से लिन्क टूट जाता है। यदि सारी हानि को जोड़ा जाय तो ५ करोड़ से अधिक की हानि इस वर्ष हुई है और सन् ६१ से आज तक की हानि को केल्कुलेट किया जाय तो २० करोड़ पर पहुंचेगी, लेकिन सरकार ३।। करोड़ की योजना को लागू नहीं कर सकती। यदि सरकार साढ़े तीन करोड़ का खर्चा कर देती तो १० करोड़ रुपये कल्चरेबल एरिया से और ६ करोड़ सरकार को और प्राप्त हो सकते थे। सूरतगढ़ फार्म का लेवल पानी पर था। इतनी बड़ी हानि एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष सरकार स्वीकार करती चली जा रही है लेकिन साढ़े तीन लाख वार फुटिंग पर नहीं लगाना चाहते हैं।

अब मैं कुछ फूड समस्या के ऊपर अर्ज करना चाहूंगा। सभापति महोदय, इस सदन में काफी दलील फूड समस्या पर प्रस्तुत की गई है। खाद्यान्न के भाव लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में चार दलीलें सदन के माननीय सदस्य और शासन के ऊपर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बैठे हुए सत्ताधारी लोग हैं, वे एडवोकेसी के अन्दर कहते हैं। वे कहते हैं-डेफिसिट फाइनेन्सिंग, कम प्रोडक्शन, कन्ज़म्प्शन का पैटर्न बदल जाना और प्लान्स पर ज्यादा पैसा खर्च हो जाना—ये चार कारण बताये हैं। खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन अभी जो भारतवर्ष के सारे चीफ मिनिस्टर्स का स्टेटमेन्ट आया है उसमें हम एक घबराहट देखते हैं और पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राशनिंग लगाने की सोच रहे हैं, और निर्धारित कीमतों से अधिक कीमत लेने वालों को कड़ा दण्ड देने की और कड़ी कार्यवाही करने की बात कहते हैं। यह उन लोगों की बात है, जिन्होंने कहा कि दस साल के पहले हम इस समस्या को नहीं सुलझा सकते हैं।

तो, सभापति महोदय, हमें इस समस्या की गहराई में जाना पड़ेगा। महालनवीस की रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने इस रिपोर्ट के पहले पार्ट का अध्ययन किया है। पार्लियामेंट में जब इस प्रश्न को गम्भीरता से उठाया गया कि देश के तीस करोड़ लोगों की तीन आना प्रति व्यक्ति आय है। रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट है रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट देखी है, जिसमें किसानों की मकरूजा सम्पत्ति पर समस्त कर्ज का ७० प्रतिशत एट्रीब्यूटेड है। बोनस कमेटी की रिपोर्ट है, लेबर सर्वे की रिपोर्ट है। ए. पी. अग्रवाल जो विशेषज्ञ हैं और प्लानिंग कमीशन के मेम्बर हैं, उन्होंने कहा है कि १६५० से पहले जो रुपये की कीमत थी, वह सौ नये पैसे थी, वह अब १६६४ में जाकर १७ नये पैसे हो गई है। तब चिंतित होकर देश के माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर महालनवीस की कमेटी कायम की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। डॉक्टर महालनवीस विश्व के एक महान् अर्थ शास्त्री हैं। आप इस रिपोर्ट को गम्भीरता से पढ़िये। इसमें स्पष्ट बताया है कि देश की राष्ट्रीय इन्कम जो १६५०-५१ में ८ हजार करोड़ रुपये के करीब थी वह १६६२-६३ में जा कर १३ हजार करोड़ हो गई है। तो मजदूरों की हालत और काश्तकारों की हालत और रुपये की गिरती हुई कीमत देख कर प्रश्न पैदा हुआ कि पांच हजार करोड़ रुपया कहां गया? उन्होंने अपना मत दे दिया है। उनका कहना है कि देश का जो पांच हजार करोड़ रुपया है इसका साठ प्रतिशत रुपया दो सौ परिवारों में वितरित हो गया है और चालीस प्रतिशत रुपया है वह देश की ४२ करोड़ जनता में वितरित हुआ है। उनका कहना है कि १६५१ में जो आबादी थी उसकी आधी आबादी बढ़ चुकी है। १६६१ की सेंसस रिपोर्ट लें तो देश की आबादी ४५.५ पर्सेन्ट बढ़ चुकी है और पांच हजार करोड़ रुपया की देश की नेशनल इन्कम में इन्क्रीज़ हुआ है और ६० प्रतिशत रुपया दो सौ परिवारों में वितरित हुआ है और बाकी का ४० पर्सेन्ट रुपया देश की ४२ करोड़ आबादी, देश की बढ़ी हुई आबादी के अन्दर, आबादी के सागर के अन्दर डब गया है।

सभापति महोदय, १६५०-५१ में देश के अन्दर डेफिसिट फाईनेंसिंग थी २० सौ करोड़ की। वह डेफिसिट फाइनेंसिंग २० सौ करोड़ की है। शास्त्री जी और गुलजारी लाल नन्दा स्वीकार कर चुके हैं कि ५२० करोड़ ब्लैक मनी था वह बढ़ कर पांच हजार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करोड़ हो गया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि यह राशि दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और हमारे देश की अर्थ व्यवस्था दो सौ परिवारों पर निर्भर करती है। दूसरी ओर डेफिसिट फाइनेन्शिंग बढ़ता जा रहा है, तीसरी ओर काला बाजार गगनचुम्बी है। चौथे रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि देश की पांच बैंक्स हैं, जिनके डिपोज़िट्स ६ सौ करोड़ थे वे २२ सौ करोड़ रुपये हो चुके हैं और उसमें से १८ सौ करोड़ रुपया है वह सट्टेबाजी जखीरेबाज के लिए एडवान्स होता है, पांच हजार करोड़ ब्लैक मनी है और सरकारी आंकड़े डेफिसिट फाइनेंसिंग के हैं वह हैं ३ हजार करोड़ रुपये। यह सरकार नाकारा सरकार हो गई है। कृष्ण मेनन के शब्दों के अन्दर, देश का मानस होता है उसकी जानकारी गवर्नमेन्ट से होती है। जो गवर्नमेन्ट इनएफीशियेन्ट है, जिसके समय में भाव ऊंचे उठते हैं, गिरते हैं—लेकिन गवर्नमेन्ट इनको ठीक करने की दिशा के अन्दर नाकारा हो गई है। सरकार के आफिस के खुद के दिये हुए आंकड़े हैं उनसे यह प्रूव हो जाता है।

देश के अन्दर ६० लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है गेहूं और देश के चावल के प्रोडक्शन के आंकड़े देखें तो २ लाख मिलियन टन चावल का प्रोडक्शन कम हुआ है। गेहूं का प्रोडक्शन इस दो लाख मिलियन टन की कमी को काउन्टर बैलेन्स करता है। देश के पिछले वर्षों के मुकाबले दुगुना अनाज एक्सपोर्ट हुआ है। इस दशा के अन्दर यह दलील ठहरती नहीं है कि देश के अन्दर प्रोडक्शन किसी प्रकार कम हुआ है। अब होलसेल प्राइस इन्डेक्स को देखें तो १९५०-५१ के मैन्युफेक्चरर्स के प्राइस इन्डेक्स को देखें। एक के आंकड़े ११२ के दिये हैं और दूसरे के आंकड़े १४३ पर दिये हैं। दोनों आंकड़ों को मिला कर देखें तो हमारे कल्टीवेटर्स हैं उनको जो फेसिलिटीज़ शुरू में मिलती जा रही थी वे रोज ब रोज कम होती जा रही है।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

श्री सभापति : Just to remind that you have seven minutes more.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है। और मैं प्रॉडक्शन की बात निवेदन करूं, सभापति महोदय, तो मैं निहायत नम्रता से अर्ज करूंगा, माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल का रिमार्क है कि कल्चरेबल वेस्ट और बंजर जमीन १ हजार एकड़ से अधिक हैं लेकिन १ हजार एकड़ जमीन को जोत नहीं पाये हैं। इसके आंकड़े दिये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर ८ लाख मन अनाज कम होने की दलील को देकर राजस्व मन्त्री को संतोष नहीं हो जाना चाहिये था। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर लैंडपालिसी क्या है ? जिस किसान को धरती की जरूरत है, वहां वही लोगों को जमीन पर कायम कर पाये हैं ? क्या राजस्थान की कल्चरेबल कास्त की भूमि किसानों को दी है ? विलाड़ा तहसील के अन्दर डेवलपमेंट के द्वारा नाकारा की हुई जमीन पर किसान काश्त कर दें तो उनसे पन्द्रह गुना बीघोड़ी वसूल कर लें। डूंगरपुर में भीलों ने मुश्किल एक-दो खेत बनाय, और वही कल्टीवेट कर ली तो उनसे पन्द्रह

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गुना तावान वसूल कर लें। गंगानगर के अन्दर दो लाख एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, उसमें हल जोता जाय तो पन्द्रह गुना तावान कर लें। ३० हजार एप्लीकेशन्स गंगा नगर कैनाल क्षेत्र के लिए आई। आप का कहना है परमानेन्ट लैंड एलॉट करेंगे। लेकिन पन्द्रह हजार काश्तकारों की एप्लीकेशन्स रद्दी की टोकरी में फेंक दीं और पांच हजार को दे दीं। अब किश्त क्या अदा करनी है ? जहां नहर का पानी गायब हो चुका है, अकाल की स्थिति हो गई वहां अगर वह किश्त अदा नहीं कर सकें तो जमीन खारिज कर दी जायगी। महाराजा गंगासिंह के राज्य के तहत, जिन राजाओं से हमने भी युद्ध किया था, हम राजाओं के खिलाफ लड़े थे, लेकिन गंगासिंहजी ने गंग नहर के इलाके में यह कर दिया था कि पच्चीस किश्त में से १० किश्त अदा कर दी है और ग्यारहवीं नहीं करा सका है तो जमीन उसको मुजरा कर दी जाती थी। जिसने ग्यारहवां देना शुरू कर दिया वहां धरती अलॉट हो जायगी। लेकिन दस किश्त में से गंगनहर में आठ जमा करा दो ह और नौवीं नहीं कराई हैं तो जमीन खारिज और आठ किश्त जब्त। पन्द्रह किश्त भाखरा क्षेत्र में की हैं, तेरह अदा कर दीं और चौदहवीं अदा न कर सके तो धरती खारिज़ साढ़े तीन लाख एप्लीकेशन्स राजस्थान कैनाल क्षेत्र में पड़ी हुई हैं और दस हजार जागीरदारों को जमीन एलॉट हो गई है लेकिन उन साढ़े तीन लाख लोगों में एक व्यक्ति को भी जमीन एलॉट नहीं हुई है। चकों के अन्दर चीफ इन्जीनियर २० मुरब्बे काश्त करा सकते हैं, राजस्थान कैनाल के बुलडोज़र और ट्रैक्टर लगे हुए हैं, उनकी जमीन का लेवलिंग कर रहे हैं। सारे मौजे बन्द कर दिये, और उनको पानी पहुंचाया जा रहा है। बड़े बड़े लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, राज्य के आई. जी. पी. जमीन लेकर बैठ गये हैं, डी. आई. जी. जमीन लेकर बैठ गये हैं। बड़े बड़े लोग जमीन लेते जा रहे हैं, लेकिन जिन साढ़े तीन लाख आदमियों को धरती मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिलती....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अब चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी भी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य मुझे एक बात याद दिला रहे हैं। वह मुझे याद आ गई कि अब इस अवसर पर हमारे चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार भी "ग्रो मोर फूड" पर कूद पड़े हैं और राजस्थान कैनाल में जमीन अलॉट कर पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास गरीब लोगों को जमीन अलॉटमेंट के लिए पहले से हा ३।। लाख व्यक्तियों की एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं। आप उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार मनमाने तरीके से अपने लोगों को जमीनें दे रहे हैं। आपने राजस्थान केनाल एरिया में जमीनें देने के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनाया है और बिना किसी कानून के मर्जी के अनुसार जिसको आप चाहें जमीन अलॉट करने जा रहे हैं। लेकिन सरदारगढ़, सादिका-आला और मानिवाला आदि के रहने वालों को वहां पर जमीनें अलॉट नहीं की जा रही हैं। वहां के लोगों ने निवेदन किया कि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उनको पहले जमीन दी जानी चाहिये । मगर आप उनको जमीनें नहीं देते । मैं यह कहूंगा कि वहां के ५०० व्यक्ति पानी के बहाव के कारण मरे थे, इसीलिये इनको पहले यहां पर जमीनें दी जानी चाहिये ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ये कब मरे थे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सन् १६५५ से लगा कर अब तक ।

इन लोगों का जमीनों पर १६४५ तक कब्जा है लेकिन फिर भी सरकार ने उन जमीनों को नीलाम किया और जिन लोगों के पास पहले से १५० मुरब्बा जमीन मौजूद थी उन्होंने उस जमीन को लिया । इतना ही नहीं जिन लोगों के पास हजार हजार बीघा जमीन से ज्यादा जमीनें थीं वे लोग भी वहां पर बोलियें देने के लिये पहुंचे । जब इनकी शिकायत मुख्य मंत्रीजी को की गई तो मुख्य मंत्रीजी ने स्टे ऑर्डर निकाला । मगर वहां के डिप्टी डाइरेक्टर मोखमसिंह ने उन हुक्म को एक रद्दी कागज का टुकड़ा समझ कर फेंक दिया । इस पर चीफ मिनिस्टर को शिकायत की गई तो चीफ मिनिस्टर ने उनको टेलीफोन किया कि इनको बेदखल नहीं किया जाए । मगर चीफ मिनिस्टर के टेलीफोन करने के बावजूद भी उनकी पर्चियां जलाई गईं । चार आदमियां के साथ बंदूकें लेकर उनके घरों में घुस गये और उनको बंदूकें दिखाई गईं और २५ आदमियों की फसलें काट कर ले गये । मैं यह कहूंगा कि जिन लोगों ने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनायी और बंजर तोड़ा उनकी छातियों पर आपने गोलियें चलाईं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : Will now please conclude ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं राजस्थान सरकार से अर्ज करूं कि आज आप प्रोडक्शन कम होने की दलील देते हैं, वह कोई दलील नहीं हैं । आज जब किसानों का अनाज बाजार में आ रहा है तो आप उस पर कब्जा करना चाहते हैं । वह पैसा कमाता है मगर जब किसान अनाज पैदा करता है तो कीमत सरकार मुकर्रर करती है यह कैसा न्याय ? आज वह पैसा कमाना चाहता है, किन्तु आप वैसा नहीं करने देना चाहते आपने ४०) रु. बाजरा और ३०) रु० जौ के भाव अनाउन्स कर दिये । आपने ये भाव अब उस समय अनाउन्स किये हैं जब ये लोग अपना बाजरा और जौ बाजार में बचने के लिए आ रहे हैं । मैं कहूंगा कि आपको आज भाव अनाउन्स करने की बात सूझी जब अनाज पैदा किया । आपने उस समय उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जिस समय उनको बीज की जरूरत थी और सरकार से बीज मांगे । आपने उनको अच्छे और सस्ती दरों पर बीज उपलब्ध नहीं कराये जब उन्होंने बीज डाले । मैं यह कहूंगा कि आप सारे गोदामों को अपने हाथ में ले सकते हैं । आपको चाहिये कि जिन जिन गोदामों में माल पड़ा हुआ है उस पर छापा मार कर उस अनाज को निकालें । ब्लेक मनी लोगों के पास है । ५० प्रतिशत सो सो के नोट जो सन् ५४ में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

छपे ये लोगों के पास हैं। आपके मालासिन्हा के लोकर्स पर छापा मार कर बैंकों से १२ लाख रुपया ब्लेक मनी वसूल किया। अभी भी ब्लेक मनी बहुत लोगों के पास पड़ा है, इसके लिये आपको अभी भी करोड़ों मोनोपोलिस्ट और पूंजीपतियों के लोकर्स पर छापा मारना पड़ेगा और आज जिसके हाथों में बैंक है उनसे आपको अपने हाथों में लेना पड़ेगा। आपको अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस ग्रेन लाइसेन्सिंग ऑर्डर से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपको नेशनलाइज़ेशन ऑफ बैंक्स करना होगा।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : सभापति महोदय, खाद्य मन्त्रीजी ने खाद्यान्नों की स्थिति पर विचार करने के लिए प्रस्ताव रखा है उस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय खाद्य मन्त्रीजी ने अपना एक नोट प्रकाशित किया है और उसमें यह जाहिर किया है कि सन् १९६३ में खाद्यान्नों के भाव तेज हुए। यह मैं मानता हूं, लेकिन खाद्यान्नों के भाव तेज हुए और उसको रोकने के लिये सरकार ने जो भी कदम उठाये वे सब कदम सरकार के निष्फल रहे। सभापति महोदय, यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खाद्यान्नों के भाव देश में पैदा कम होने के कारण या किसी दूसरी [illegible] में भाव तेज होने से तेज हो जाते हैं। [illegible]

मैं मानता हूं कि राजस्थान में खाद्यान्नों के भावों में बढ़ोत्तरी हुई क्योंकि रबी और खरीफ की फसलें खराब हुई लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहूँगा कि खद्यान्नों के भावों की बढ़ोतरी को रोकने में हमारी सरकार असफल रही है। खलिहानों में किसानों की फसलें आई तो किसानों पर सरकार ने प्रहार किये और कानून बनाया और इस कारण नाज के भावों में तेजी आई। फसल तैयार कर आने लगी तो खाद्यान्नों के भाव खाद्य मंत्रीजी ने निर्धारित किये और इस कारण किसानों को घाटा भुगतना पड़ा। जौ का भाव २६) रु० और गेहूं के भाव ४५) रु० और चने के भाव ४०)रु०; उस उक्त किसान अपना धान बाजार में लाया और जिस समय अनाज बाजार में आया तो जो व्यापारी लोग थे और बाहर के लोग थे उन्होंने उन भावों पर अनाज खरीदा और स्टोक में जमा किया। जुलाई, अगस्त और सितम्बर में भाव इतने तेज हो गये कि जो भाव जौ का खरीद का ३२) रु० क्विन्टल था उसको व्यापारियों ने ६४) रु० क्विंटल में बेचा। मैं माननीय खाद्य मन्त्रीजी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यही हाल दुबारा किया है। जब किसानों की फसल खलिहान में पड़ी है तो उन्होंने मक्का, बाजरा, ज्वार के भाव निर्धारित किये। मैं कहना चाहता हूं कि वही हाल किसानों का होगा जो रबी की फसल में हुआ था। मैं खाद्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसानों पर ही ऐसा प्रतिबन्ध क्यों लगाते हैं ? मैं भी किसान हूं और इस बात को जानता हूं कि किसान को कितना काम करना पड़ता है। [illegible] खेत पर १६ घन्टे मेहनत करनी

Page No. 104

(श्री नाथूलाल करौल)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी खाद्यान्नों के भाव तेज रहे हैं। मैं यह भी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्यान्नों के भावों के लिए तैयार हैं लेकिन और चीजों के भाव आप क्यों नहीं तय करते हैं ? माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस बात पर किसी ने नहीं सोचा कि आज किसान को भी बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है; जैसे साबुन, तेल, लोहा, पीतल आदि की जरूरत पड़ती है, उसको वे चीजें भी सस्ती मिलनी चाहिये। अगर यह हो जाए तो किसान तो रुपये के १० किलो बेचने को तैयार है। आज किसानों को एक बैल की जोड़ी जो पहले परबतसर के मेले में या नागौर में १००) रु० या १५०) रु० में मिलती थी उसके आज १५००) रु० और १८००) रु० लगते हैं। जो चरस ३) रु० में किसान खरीदता था वही आज उस किसान को ५०) रु० में मिलता है। उस सब का असर उन्हीं खाद्यान्नों पर पड़ता है। इसलिए सब की रेट मुकर्रर कर दी जावे। मैं यह नहीं कहता कि खाद्यान्नों के भाव तय नहीं किये जावें, खाद्यान्नों के भाव जरूर तय किये जावें, लेकिन उसके साथ साथ सभी चीजों को एक लेवल पर लाया जावे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि रबी की फसल में यह हुआ कि हमको अपना गल्ला—४५) रु० में गेहूं और ४०) रु० में चना बेचना पड़ा और मैं यह कहूंगा कि यही हाल अब भी होने वाला है। ४८) रु० की [illegible] व्यापारी लोग खरी[illegible]

[illegible] हो जावेगा तब बेचना शुरू करेंगे। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाव आपने तय किये हैं ठीक है। राजस्थान सरकार के हाथ में राज्य है, जो भी चाहेगी वह करेगी, पर मैं राजस्थान सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि किसानों के ऊपर ही आप सारे बन्धन लगाते हैं जो कि अनाज पैदा करते हैं। आपने नोट में लिखा है कि हम किसानों की तरफ ही ध्यान नहीं देना चाहते, सब की तरफ-- मजदूरों और सब उपभोक्ताओं की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, पर अनाज के साथ साथ इन सारी जरूरत की चीजों के भाव भी निर्धारित हो जाने चाहिए। मेरा निवेदन है कि अनाज के भाव तो निर्धारित करने को तैयार हो गये पर दूसरी चीजों की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं। जो बड़े काश्तकार हैं, जो ट्रेक्टरों से खेती करते हैं, जिन्होंने क्रूड ऑइल के इंजिन कुओं पर फिट कर रखे हैं उनके काम में आने वाले तैल के भाव आपने निर्धारित नहीं किये, इन मशीनों के लिए जो ऑइल १ रु० गैलन के भाव से मिलता था वही २ रु० गैलन के भाव से मिलता है। इस तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती। सदन के एक भी माननीय सदस्य का इस तरफ ध्यान नहीं गया। जमीन को जोत कर तैयार करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है ? शहर का नागरिक अगर एक दिन भी हल खड़े तो ५ दिन तक उठ तक नहीं सकता। पर किसान को रात-दिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है ? उसको बाजरा, जौ, चना की रूखी सूखी रोटियां [illegible] को मिलती हैं। जो खाना आप लोग [illegible]

(श्री नाथूलाल करौल)

खाते हैं वह किसान को स्वप्न में भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि अनाज के भावों को निर्धारित करने के साथ साथ किसान की जरूरत की सब चीजों के भाव भी नियन्त्रित किये जायें।

राजस्थान सरकार से मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि उसने ज्वार, बाजरा, मक्का के भाव तय किये हैं, ५० प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनका गल्ला खलिहानों में तैयार होते ही बोहरे उनकी छाती पर आकर बैठ जाते हैं और किसानों को मजबूर करके कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो रेट तय की है उस रेट में तो अनाज हमें तोल दो और वे इस प्रकार उनका सारा अमाज खलिहानों से ही ले जाते हैं। २० प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो अपने घरों में अनाज जमा कर सकेंगे, बाकी सब खलिहानों में ही या मण्डी में ले जाकर बेच देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन अनाजों का भाव आपने ४० रु० क्विन्टल तय किया है पर किसानों के रोजमर्रा काम में आने वाली चीजों के भाव पहले से कई गुना अधिक ऊंचे चढ़े हुए हैं; अतः सरकार को इन सब चीजों के भावों में भी समानता लानी चाहिये। खाण्ड ३॥ रु० किलो और बाजरा एक रुपये का ढाई किलो। १० सेर का चना बिकता था तब चीनी का क्या भाव था? हम तो यह कहते हैं कि बाजार हम से ढाई किलो ले लो और हमें तो उसके बदले में एक किलो चीनी दे दो। आज यह सरकार और इस सदन के सभी माननीय सदस्य किसानों के बल बूते पर यहां विराजमान हैं, सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार पर सभी चीजों के समान भाव लाने के लिए जोर डालें। बस मैं यही निवेदन कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): Point of Order. सभापति महोदय, सभी दलों के लोग बोले हैं। हमारे दल की भी अलग हैसियत है, हमारे दल को भी आपको टाइम देना चाहिए। जब आपने दूसरे दलों के लीडरों को समय दिया है तो हमारे दल के लीडर को भी समय दिया जाना चाहिये....

एक माननीय सदस्य: कितने सदस्य हैं यहां आपके दल के?

श्री हरिराम चौहान: हमारी पार्टी राजस्थान के अन्दर एक बहुत संगठित पार्टी है।

श्री सभापति: State your point of order briefly please.

संक्षेप में।

श्री हरिराम चौहान: मैं यह निवेदन करता हूँ कि आप जितना चाहें उतना टाइम दें, पर जो अधिकार हमारा बोलने का है उस पर आघात नहीं करें।

श्री सभापति: यह आप पहले ही कैसे जान गये कि आपको टाइम नहीं दिया जायगा?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): सभापति महोदय, खाद्य समस्या पर चल रही

(श्री फूलचन्द जैन)

बहस के दौरान में कई माननीय सदस्यों ने कई बातें सदन के सामने रखी हैं। करीब एक साल से....

(श्री हरिराम द्वारा बैठे बैठे ही कुछ कहते रहने पर)

श्री सभापति : Have patience.

I shall give you five minutes.

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : करीब एक साल से खाद्यान्नों के भावों में वृद्धि हुई है, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। कई बातें यहां राजस्थान सरकार के बारे में कही गई। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार इस स्थिति से परेशान है, जनता इस स्थिति से परेशान है, व्यापारी इस स्थिति से परेशान हैं और उपभोक्ता इस स्थिति से परेशान हैं;पर किसी पर यह दोष लगाना, खास करके राज्य सरकार के लिए यह कहना कि राज्य सरकार इस स्थिति को कोई अच्छा समझती है, इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई अच्छा काम नहीं करना चाहती या कोई समुचित कदम नहीं उठाना चाहती, ऐसी बात नहीं है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि एक साल से यह स्थिति हमारे सामने संकट के रूप में उपस्थित है, उसके लिये सबसे पहले राजस्थान सरकार ने फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर निकाला, इस स्थिति पर काबू पाने की राजस्थान सरकार द्वारा कोशिश की गई और समय समय पर उस ऑर्डर में परिवर्तन के आदेश निकाले। किन्तु मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि आज भी राजस्थान सरकार इस स्थिति पर काबू नहीं पा सकी है, आज भी यह संकट उसी स्थिति में हमारे सामने मौजूद है, जिस प्रकार कि १२ महीने पहले हम कल्पना करके चलते थे।

कई कारण इसके हो सकते हैं। यह भी कारण हो सकता है कि राजस्थान सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई ठोस कदम उठाना चाहती है, पर सारे देश के हालात ऐसे हैं कि भारत सरकार की राय से ही इस सम्बन्ध में कदम उठाने पड़ते हैं। यह बात सही हो सकती है कि कई नीति के मामले ऐसे हैं कि सारे देश के हालात को ध्यान में रख कर हमें भारत सरकार को पूछ कर कदम उठाने पड़ते हैं पर राजस्थान सरकार को अपने यहां के हालात देखते हुए निश्चित नीति बना लेनी चाहिये थी जिससे कि हम इस स्थिति पर काबू पा सकते। ६४ में शुरू में आदेश निकाला, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन किये गये और उन परिवर्तनों के कारण मूल आदेश किस रूप में रहा वह हमारे सामने है, परिस्थितियों के बदलने से पहले उन आदेशों को बदल दिया गया, उनसे हमारे यहां क्या असर हुआ? या तो राजस्थान सरकार के आदेश जो निकलते हैं इतने जल्दी जल्दी बदलते हैं कि नीचे तक उस आदेश के इम्प्लीमेंन्टेशन की स्टेज आये उससे पहले ही दूसरा आदेश पहुंच जाता है, और उस दूसरे आदेश के इम्प्लीमेंट होने की स्टेज ज्यों ही आये कि फिर दूसरा आदेश पहुंच जाता है। इन सारे हालात में यह स्थिति भी आम तौर से देखी गई है कि नीचे के अधिकारी जिनको कि इन आदेशों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उनकी समझ में ही नहीं आता कि उन्हें कौनसे

(श्री फूलचन्द जैन)

आदेश को इम्प्लीमेंट करना है और कौन सा आदेश खत्म हो गया है। इससे व्यापारियों में, जनता में और यहां तक कि खुद सरकार के अधिकारियों में ऐसी अनिश्चित स्थिति पैदा हो गई है। सरकार यह समझती है कि आदेश निकाल कर उस आदेश के कारण इस स्थिति पर काबू नहीं कर पाई, पर हकीकत यह नहीं है। सारी स्थिति पर गम्भीरता से विचार करके निष्कर्ष निकाल कर वस्तुतः जो एक ठोस पॉलिसी होनी चाहिये थी उस पॉलिसी को अडोप्ट करने में शुरू से ही हमारी कमजोरी रहे, फिर हालत बदलें तो भी उसका मुकाबला करने के लिये आफ्टर रिपर्कशन्स जो हों उन पर पूरी तरह विचार करके राजस्थान सरकार ने कदम नहीं उठाये। इसका परिणाम यह हुआ कि कोई आदेश हमने निकाल दिए, काफी कोशिशें हमने कीं; परंतु उन सारी चीजों का जो इफेक्ट होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदेश निकाले जाते हैं, पता नहीं किन कारणों से ऐसे कन्फ्यूज़्ड निकाले जाते हैं; या तो डिपार्टमेंटमेंट्स पूरी तरह से सारी स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता या लॉ डिपार्टमेंट उसको जितना ध्यान देना चाहिए वह नहीं देता है; परंतु आज भी जो आदेश निकलते हैं उनके अंदर इस प्रकार की खामियां रह जाती हैं जिससे या तो कन्फ्यूज़न क्रीएट हो जाता है या बाद में अमेंड करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं की मैग्ज़ीमम प्राइस फिक्स की गई, उसके लिए आदेश निकाले गए कि ६४ रु० भाव में अच्छी क्वालिटी की गेहूं बिकेग[illegible]

अब उस आदेश को, मैं समझता हूं, इन्होंने अपने ढंग से जांच करके निकालने की कोशिश की होगी परंतु उस आदेश से एक कन्फ्यूज़न हो गया कि ६४ रु० क्विंटल में एक डीलर कन्ज़्यूमर को बेचेगा, परंतु होलसेलर डीलर को किस भाव में बेचेगा, इसकी कोई गेरंटी नहीं। इस बारे में आदेश आपके मौन हैं। नतीजा यह हुआ कि डीलर ने ६४ रु० में माल देना बंद किया। डीलर कहता है कि मैं ६४ रु० में कन्ज़्यूमर को कैसे दे सकता हूं? तो इस प्रकार से कन्फ्यूज़न आपके आदेशों से हो जाता है। इससे हरेक आदमी कन्फ्यूज़्ड रहता है और इससे स्थिति और भी विकट रूप धारण करती जाती है।

जिस समय आज से ८-१० महीने पहले प्राइसेज़ फिक्स किए गए राजस्थान के अंदर कि इन प्राइसेज़ के अन्दर सरकार अनाज खरीदने को तैयार है उस समय से बराबर हम मांग करते आ रहे हैं कि आप जहां मिनीमम प्राइसेज़ फिक्स करते हैं वहां मैग्ज़िमम प्राइसज़ भी फिक्स करिए। उस समय मैग्ज़ीमम प्राइस फिक्स करने की बात को नहीं माना। उसके बाद जब व्यापारियों ने भाव ऊंचे बढ़ा लिए; लूट हुई, किसानों से सस्ता लिया, फिर आपने मिनीमम प्राइसेज़ फिक्स किए कि उसके अंदर कोई देने में तैयार है तो आप लेने को तैयार हैं। व्यापारी ने खरीद कर स्टोर कर लिया और बाजार के अंदर बेचना बंद कर दिया। उससे आपके सामने फिर यह स्थिति पैदा हो जायगी कि अब उनको रोकने के लिए मैग्ज़ीमम प्राइसेज़ फिक्स करें तो आप इस प्रकार की गंभीर स्थिति जो है उसके अंदर क्या करते हैं। तो आखिर यह खामी कहां रह जाती है और क्या रह जाती है? यह अभी तक समझ में नहीं

आया । मैं ऐसा मानता हूं कि इसके अंदर राज्य सरकार के सामने जो सबसे बड़ी कमी महसूस हो रही है वह यह है कि यह समस्या ऐसी है जिसको आम जनता समझती है, यह बहुत विकट स्थिति है, इसका बेजा फायदा व्यापारियों और दूसरे लोगों ने उठाया है । इस स्थिति को ज्यादा दिन जारी रहने न दिया जाय । या तो लॉ डिपार्टमेंट ने ठीक तरह से गाइड नहीं किया या उनकी समझ के बाहर का यह रोग है ।

श्री सतीशचंद्र ने एक बात रखी कि विजीलेंस कमेटी बनाई गई । उस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई । क्यों नहीं हुई, क्या कमेटी बनाई गई थी ? मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं । परंतु इस बात की आवश्यकता को जरूर महसूस करता हूं कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह नॉन-पौलिटिकल लाइन्स पर सेमी आफीशियल बॉडी, जिसमें ऑफीशियल्स भी हों और बाहर के लोग भी हों, ऐसी एक कमेटी बनाए, जिसकी राय लेकर समय समय पर डिस्कशन्स के द्वारा इस समस्या पर काबू पाने के लिए ठीक तरह से और गंभीरता से विचार करें । सिर्फ आपको डिपार्टमेंट ने या लॉ डिपार्टमेंट ने आदेश तैयार कर दिया, मंत्री ने अपनी छाप लगा दी, इससे इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला है ।

दूसरा मेरी निवेदन है कि जितने सारे आदेश आपने निकाले हैं उन सब आदेशों को वापिस ले लिया जाय और गंभीरता से बैठकर जो भी हालात १२ महीने में आपके सामने रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आगे के लिए निश्चित नीति अपनाएं और उसके अनुसार पूरी डिटेल्स के अंदर जाकर इस सारे कन्फ्यूज़न को दूर करें ।

दूसरी बात, जो भी आप आदेश निकालते हैं, पहले इस बात को दिमाग से निकालें कि गजट में छपने से या पैम्फ्लेटस निकालने से यह समस्या राजस्थान की आम जनता पर पहुंच सकती है

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आपको इसके लिए अपनी नीति निर्धारित करके, जिससे गांव गांव के लोग इससे वाकिफ हो जायं कि राज्य सरकार क्या करना चाहती है इस संबंध में उचित व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी । आज मान लीजिए आपके सामने कई प्रकार की परिस्थितियां हैं, आपने मिनीमम प्राइसेज़ फिक्स कर दी ! आज एक सदस्य ने बताया कि झालावाड़ में १० रु०मन की मक्की कोई खरीदना चाहे तो उत्पादक देने को तैयार हैं, वहां पर आपकी तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आपने जो मिनीमम प्राइसेज़ फिक्स की हैं उनके नीचे के भाव उत्पादकों को न मिलें । आप उनको मिनीमम प्राइसेज़ फिक्स कर तब खरीदिए जब मेग्ज़ीमम प्राइसेज़ साथ में फिक्स कर दिये जाय ।

आपने बताया कि कई दिक्कतें हैं जिनकी वजह से निश्चित नीति नहीं बना सकते । आपने इस नोट के अंदर लिखा है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश ने राज्य से बाहर अनाज निकालने पर रोक लगा दी इसलिए हमने भी भारत सरकार से सलाह की । आप इस ...र में रहते हैं कि कोई रोक लगा दे तो

(श्री फूलचन्द जैन)

हमें भी मौका मिल जाय, यह कमजोरी निकालिए। जो आज स्थिति है उस पर निश्चित मत बनाइये, उस पर नीति बना कर भारत सरकार से सलाह करें। जब आप बेई-मानी और मुनाफाखोरी करने वालों का साथ देने को तैयार नहीं हैं तो फिर ऐसी हालत में सख्त से सख्त नीति अपनाने में आपको क्या एतराज है? अगर नहीं करते हैं तो हाफ हा-र्टेड तरीके से जिस तरह से काम चलता रहा है उस तरीके से ही चलेगा और स्थिति काबू में नहीं आएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह नहीं कहता हूं कि आपने एफर्ट्स नहीं किए हैं, आप काफी मात्रा में इस विदेशी गेहूं हमारे यहां पर लाये हैं। विदेशी गेहूँ की वजह से ही प्राइसेज कंट्रोल में रह गए हैं, लेकिन उसकी हालत क्या है? अलग अलग जिलों में जो व्यवस्था होनी चाहिए वह आपको करनी पड़ेगी। आज बीकानेर की यह स्थिति है कि वहां विदेशी गेहूं स्टॉक में अवे-लेबल नहीं है। वहां पर साढे तीन किलो मिलता था अब २ किलो कर दिए हैं। तो क्या होगा? फिर लोग फायदा उठाएंगे और प्राइसेज़ ऊंचे हो जायेंगे। आपने नोट के अंदर बताया है कि पंजाब के बाद हमारा दूसरा नंबर है गेहूं की कीमतों में। लेकिन लोगों को माल कहां मिलता है इन कीमतों में? आपको, इस सारी स्थिति के अंदर गंभी-रता के साथ विचार करके आपके जितने भी कानून हैं उन कानूनों के अंदर बारबार संशो-धन करके खराब कर दिए, उन कानूनों को खतम करके एक निश्चित नीति बनाकर कानून लाएं और साथ में लॉ डिपार्टमेंट को मत डालिए। ऐसी कमेटी बनाएं जो गाइड करे। आपने और लॉ डिपार्टमेंट ने १२ महीनों में कानूनों को बनाकर जनता को तबाह कर दिया। विचार करना पड़ेगा इन सारी बातों बातों पर। मैं पुनः निवेदन करूंगा खाद्य मन्त्री जी कि आप इन सारी परिस्थितियों पर गम्भी-रता पूर्वक विचार करके फिर यह रखें।

श्री सभापति : I shall allow only five minutes to Shri Hari Ram. Strictly five minutes.

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सभापति महोदय, पांच मिनिट मिले हैं मुझे इस समस्या पर निवेदन करने के लिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत कम हैं।

श्री सभापति : आप इन्हीं का सदुपयोग कर लीजिये।

श्री हरिराम चौहान : दो-चार मिनट में ही खत्म करवा लीजिये। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं कि मैं इस खाद्य स्थिति पर न बोल सकूं।

कल रात अलवर में बाढ़ आयी और अलवर जिले की दूसरी तहसीलों में बाढ़ आयी, उसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। बुरी तरह से वहां के लोग तबाह हुए हैं। तमाम हिन्दुस्तान के अखबार में यह चीज़ आयी है और उसमें दिल्ली तक पानी गया है। इस तरह का भया-नक बाढ़ वह आयी। मुझे अफसोस है कि वहां पर डिप्टी मिनिस्टर लड्ढा साहब गये, पीछे आश्वासन देकर आये थे, लेकिन अभी

(श्री हरिराम चौहान)

तक उनके जो मकान तबाह हुए थे, जो जमीनें खराब हुई थीं और नुकसान हुआ, फसल बरबाद हो गई थी, उनको मकान बनाने के लिए कोई सहायता नहीं दी गई है। सर्दी आयी हुई है, उनके पास कपड़ों का कोई इन्तजाम नहीं है, न काम धन्धे का इन्तजाम है, न अपनी जमीन को ठीक तरह से कर सकते हैं। उनको इन सारी चीजों के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कुछ भी सहायता नहीं दी गई है। सहायता की बात तो दूर रही, अभी तक सरकार की तरफ से यह भी घोषणा नहीं की गई कि हम आपको दो-तीन साल का लगान माफ करते हैं क्योंकि वहां पर धरती इतनी बरबाद हो गई है कि दो-तीन साल तो उस धरती को ठीक करने लगेंगे। वहां पर लोग परेशान हैं, बे–घरबार हैं और उनका तीन–तीन रोज तक चूल्हा नहीं जलता है। मैंने वहां का दौरा किया, लाला काशीराम एम०पी० हैं उन्होंने वहां का दौरा किया। हरिजन हैं उनके पास काम नहीं है, तीन-तीन दिन तक उनका चूल्हा नहींजलता है और गांव में टुकड़े मांग मांग कर गुजारा करते हैं। वे छाछ और राबड़ी मांग कर गुजरा करते हैं। इस तरह की हालत है।

हमारी यह सरकार समाजवाद का नारा देती है। इस सरकार की नाक के नीचे, बहुत नजदीक, सौ सवा सौ मील पर यह स्थिति हो रही है। आज भी शान से मन्त्री महोदय कहते हैं कि खाद्य समस्या का हल यह रिपोर्ट है। यह हल कर दिया। यह लाइसेंसिंग ऑर्डर है, इसमें यह दफा हटा दें तो यह हल हो जायगा, नया लायें तो यह हल होगा। जिस खाद्य समस्या का कोई जमीन से सम्बन्ध नहीं है, जिस खाद्य समस्या का जखीरे बाजों से सम्बन्ध नहीं है, जिस खाद्य समस्या का हल महज खाद्य मन्त्री की जुबान में है या कलम में है, जब उनको ख्वाब आया, दो दफा हटा दी, एक दफा हटा दी। दो महीने में दो दफा हटा दी,महीने में दो दफा हटादी। दो साल हो गये। इस तरह की मजाक बना रखी है। सदन में एक रोज बहस रख लेंगे, दो रोज की बहस रख लेंगे; जितनी बहस हुई है, सुझाव आये हैं उनको मानना नहीं है। भूमि की समस्या है उनको हल नहीं करना है। आज भी भूमि पर हजार हजार बीघे के मालिक बैठे हुए हैं। सीलिंग का कानून ला रखा है, मुद्दत हो गई कानून लाये, लेकिन लगा नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ दूकानों के लिए कहते हैं इतनी हजार दूकानें खोलीं, पता नहीं इस रिपोर्ट में बतायीं या नहीं। महीने में बराबर पूरे महीने खुलती हैं, २४ दिन खुलती हैं या २० दिन खुलती हैं, यह पता नहीं इनको। दूकानें हैं तो तोलने वाला नहीं, वे लोग नहीं जिनको सरकार की ओर

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

से तनख्वाह दी जाती है। दूकान की स्थिति क्या है? दूकान में अनाज नहीं, बोरी नहीं। या तो किसी गांव में दूकान है ही नहीं और दूकान है तो अनाज नहीं और अनाज है तो इलाके के लोगों की जेब में पैसा नहीं। और ठाठ से कहते हैं कि इतनी दूकानें खोल दीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आज यह स्थिति है सरकार के खिलाफ तमाम राजस्थान की। जनता ने हड़ताल की,

(श्री हरिराम चौहान)

जुलूस निकले। मजदूर बुरी तरह परेशान हैं तमाम राजस्थान में। यही नहीं, जो व्यक्ति इसी के कर्मचारी हैं, जो २४ घन्टे इसी सरकार की सेवा करते हैं, जो हुक्म मानते हैं वे भूख से मरते हैं और बड़े ठाट से हमारे मन्त्री महोदय कहते हैं कि समाजवाद लावेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

हमारे मन्त्री महोदय की निश्चित रूप से यह हालत है कि जैसे बिल्ली के सामने कोई आदमी दूध रख दे और फिर बिल्ली से हाथ जोड़ कर कहें कि बिल्ली रानी, इस दूध को मत पीना क्योंकि हमको यह दूध पीना है। इस तरह से इन जखीरेबाज, सटोरिये और ब्लैक मार्केटियर्स को खुला छोड़ रखा है इस सरकार ने।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : Mananiya Shri Hari Ram. this bell has a meaning, इस घंटी का मतलब होता है कि इसको खत्म कर दीजिये। Please conclude.

श्री हरिराम चौहान : मैं खत्म कर देता हूं।

श्री सभापति : ऐसा लगता है कि इस घंटी का आपके लिए कोई मतलब ही नहीं है। चार मिनट के लिए आपने कहा, लेकिन ६ मिनट हो गये।

श्री हरिराम चौहान : जब तक राजकीय क्षेत्र में यह सरकार मजबूती से व्यापार हाथ में नहीं लेती और पूरी तरह से जखीरेबाजों को समाप्त कर देना चाहिये। सरकार ने भाव मुकर्रर किये हैं, लेकिन ६० और १०० क्विन्टल अनाज मिल रहा है। मैं एक होटल वाले की दूकान पर गया। मैंने कहा, सरकार अनाज ला रही है, राशन से अनाज मिल रहा है। बोला, मिलता नहीं है। ६२) रु० में मिलता है। अमेरिका से गेहूं आ रहा है वह बाजार में और होटलों में ब्लेक में जा रहा है। इसलिए ब्लेक करने वालों पर रहम करने की जरूरत नहीं है। वहां लोगों के पास जितना जखीरा है, किसानों से लेने की बात करते हो, क्यों नहीं उनके गोदामों को एक रात में ही सरकार अपने साथ में ले ले? जो कीमत आपने तय की वह उनको आप पकड़ा दें और ग्राम जनता को बांट दें। अगर आप यह नहीं करते हो तो क्यों उन किसानों को कहते हो कि हम इस भाव में लेंगे? किसान भोला-भाला है।

श्री सभापति: That will do please. Thank you very much.

श्री हरिराम चौहान : उन पर ज्यादा दमने की आवश्यकता नहीं है। जखीरेबाजों पर ज्यादा सख्ती करें, तो अच्छा है।

श्री विजयपाल कटारा : हमें भी कुछ समय दिया जाय।

श्री सभापति : समय नहीं मिलेगा।

श्री विजयपाल कटारा : एक जानकारी करनी है।

श्री सभापति : एक मिनट के लिए कर लें। डूंगरपुर तहसील अकालग्रस्त है।

Page No. 112

(श्री विजयपाल कटारिया)

इस सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव रखा था, उसके बारे में बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : मैं उसके बारे में जवाब दूंगा। प्रश्न मेरा समझा हुआ है।

श्री विजयपाल कटारा : तालाबों में पानी नहीं है, खत्म हो गया।

श्री सभापति : आपको आश्वासन दे दिया है। श्री गोकुलप्रसाद अपना एक प्रश्न पूछ लें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मंडल) : आपने दो करोड़ चौतीस लाख बोरियां बताई। वास्तव में इतनी बोरियां थीं क्या? जन-संख्या राजस्थान की २ करोड़ ५ लाख मान लीजिये। २.३४ लाख बोरियां नहीं हो सकती। सारी पब्लिक ज्यादा से ज्यादा चालीस लाख पचास मन गेहूं खाये; इतनी बोरियां नहीं हो सकतीं। वास्तव में कितना गेहूं खाते हैं, यह बता दीजिये? मेरे खयाल से ३६ लाख मन गेहूं चाहिये सब मिला कर। आप कहते हैं ३८लाख मन बड़ा है। मोटा अनाज भी था। फिर सारा ब्लैक करने का क्या कारण है? बार बार यह अध्यादेश क्यों? एक महीने का अग्रिम वेतन अनाज खरीदने के लिये अपने अपने कर्मचारियों को दिया, इससे भी लोगों की धारणा बनी कि अनाज आगे नहीं मिलेगा। तो चार करोड़ या इस तरह से सरकार ने दिलवा दिया अपने कर्मचारियों को और पब्लिक ने भी यह समझ कर १६ करोड़ का अपने पास इकट्ठा कर लिया और २० करोड़ का व्यापारियों ने अन्दर रख लिया।

अब सात महीने खाने को चाहिये और मोटा अनाज सात महीनों में कितना खर्च हुआ?

श्री सभापति : आप सवाल ही पूछिये। यह तो लेक्चर हो गया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : फिर मुझे इतना ही पूछना है।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : मक्का का आपने भाव तय किया ३६।, ३६।। पर भालवाड़ा में २७ रुपया क्विन्टल में भी किसान से मक्का, ज्वार खरीदने वाला नहीं है, तो क्या सरकार उनसे खरीदने का प्रबन्ध करेगी? अगर यही हाल रहा तो वहां का सारा गल्ला मध्यप्रदेश में चला जावेगा। इसलिये सरकार जल्दी प्रबन्ध करे।

श्री मोतीलाल चौधरी : मुझे कुछ कहना था।

श्री सभापति : क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें।

श्री मोतीलाल चौधरी : हाउस में यह बात आई थी....

श्री सभापति : क्वेश्चन पूछना हो तो पूछें।

श्री मोतीलाल चौधरी : फिर यह पूछना है कि निश्चित भाव से नीचे सस्ती दर पर जो अनाज बाजार में मांगा जा रहा है किसानों

(श्री मोतीलाल चौधरी)

से, तो क्या सरकार उनसे निश्चित भाव पर खरीदने की व्यवस्था कर रही है और निश्चित भाव से नीचे नहीं बिकने देने की सिक्योरिटी दे सकती है क्या ?

(विराम)

क्या सदन में से खाद्य मन्त्रीजी चले गये हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, कृषि) : हम सुन रहे हैं।

श्री सभापति : आप तो कहिये, उत्तर नहीं मिले तो फिर पूछ सकते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : कोई लिख नहीं रहा है, नोट नहीं कर रहा है; तो फिर उत्तर कैसे देंगे ?

(विराम)

तो जो कुछ भी हालत हुई है दो कारणों से हुई है। एक तो ब्लैक-मनी से और दूसरी बैंक मनी से। तो ये दोनों ही व्यापारियों के पास नहीं पहुंचे जो उसके द्वारा ब्लैक करते हैं और करप्शन फैलाते हैं; इसके लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ? ये दो मेरे प्रश्न हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, एक सवाल मैं भी कर लेता हूं। क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि गवर्नमेंट का स्टॉक करने का नियम निर्धारित किया है और इसके लिये व्यापारी जो निकासी करेगा उसका १।४ हिस्सा सरकार को देगा, तो अगर वह सरकार को देता है तो किस भाव से ?

श्री सभापति : इसके पहले कि आप उत्तर दें, दो बातें मैं भी निवेदन कर दूं और उन पर भी आप रोशनी डालेंगे तो अच्छा होगा।

एक तो यह जानने में आया है कि हनुमानगढ़ में जब बड़े बड़े लोग गये थे, चीफ मिनिस्टर साहब भी गये थे, चीफ इन्जीनियर भी थे तो लोगों ने चीफ इन्जीनियर के सामने ही कहा था कि हमारा नुक्सान हुआ है बाढ़ आने से और शायद बाढ़ और आने वाली है तो इस इस पर मुख्य मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि बाढ़ वापिस नहीं आने दी जावेगी और इस आश्वासन पर वहां लोगों ने सरसों वगैरह की बोवनी भी कर दी थी। पर सात, आठ, दस दिनों में बहुत ज्यादा बाढ़ आई और उनकी फसल जो बोई थी वह बह गई, बड़ी तबाही उनकी हो गई। इसका क्या कारण था, क्या सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की जावेगी ?

दूसरी बात, ऐसा भी सुनने में आया है कि ३० अक्टूबर को ओखू बान्ध से पानी फिर रिलीज़ हो गया और बड़े भीषण रूप में राजस्थान में बाढ़ आने वाली है। तो क्या इसको आप पंजाब सरकार से बात करके रोकेंगे अथवा उसको किसी तरह कन्ट्रोल करेंगे ? क्या आपकी सरकार उसके प्रति जागरूक है अथवा राजस्थान में वह पानी ले लिया जावेगा या क्या किया जावेगा ? इस पर भी प्रकाश डालें।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य-मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, इस विषय पर बहस शुरू होने से पहले मैंने कुछ दिशाओं के बारे में संकेत किया था कि जिससे हम कुछ ज्यादा अच्छे कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दिमाग में रखते हुए समस्या पर विचार कर सकें और मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी सदन में माननीय सदस्यों ने आज इस बहस में हिस्सा लिया उन्होंने काफी इन दिशाओं के बारे में चर्चा की और उनके विचार सदन के सामने आये।

खास तौर से वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चर्चा की वह काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित थी। उन्होंने कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किये और मेरी जानकारी में भी जो आंकड़े हैं उनमें कुछ अन्तर हो सकता है, पर उन्होंने उस दिशा की ओर संकेत जरूर किया कि क्या परिस्थितियां है इस देश में जिनकी वजह से आज यह समस्या बन कर खड़ी हो गई।

उनका यह कहना था कि सरकार बाढ़ की बात कहकर, अकाल की बात कह कर अपनी जिम्मेदारी से बरी होना चाहती है। मुझे जहां तक ख्याल है जब कभी भी मैंने सदन में इस बात को कहा मैंने कभी यह नहीं कहा कि कम उत्पादन का यही एक मात्र कारण है; यह कारण है एक बहुत सों में से। मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं कि इसमें कई फेक्टर्स हैं। तो उन्होंने पार्टीशन के पहले के हिन्दुस्तान के कुछ आंकड़े दिये, यानी ४६ से पहले के, मुझे इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है। पर ५१ की आबादी के आधार पर बाद के आंकड़े उत्पादन के और इम्पोर्ट्स के ऑथोरिटेटिक्ली मालूम हैं। उन्होंने पार्टीशन के पहले उत्पादन बताया ५४० लाख टन का।

जो आंकड़े मेरी जानकारी में हैं, मैंने आपको बताये कि ५१ की सैंसस के अनुसार, पार्टीशन के बाद, भारत वर्ष की जन-संख्या करीब ३५ करोड़ की थी और उस समय के उत्पादन के आंकड़े जो अवेलेबल हैं उनके अनुसार ५०० लाख टन का अनाज का उत्पादन था और उसके बाद १९६१ में हमारे हिन्दुस्थान की जनसंख्या जो हमारे सामने है और जो ४५ करोड़ के लगभग है उस समय का उत्पादन हिन्दुस्तान का ७८० लाख टन के लगभग आता है। इस तरह से हम हिन्दुस्तान की योजनाओं के जरिये खाद्यान्न के उत्पादन का सालाना औसत प्रोडक्शन का निकालें तो करीब करीब हर साल पौने ३ परसेन्ट बढ़ रहा है। कहीं किसी स्टेट में उत्पादन में गति तेज हो, कहीं कम हो; लेकिन औसत उत्पादन पौने ३ परसेन्ट की रेट से बढ़ रहा है और हिन्दुस्तान की जनसंख्या का रेट २ परसेन्ट के करीब है। इस तरह हमारे हिन्दुस्तान की जन-संख्या और खाद्यान्न के उत्पादन के बीच ७५ परसेन्ट का औसत फर्क इन पिछले १० वर्षों में रहा है। अगर इसी रफतार से आगे हम जनसंख्या के उत्पादन को मानें तो हिन्दुस्तान की जनसंख्या आने वाले २० साल के बाद ६० करोड़ के लगभग होगी और इसी रफ्तार में अगर हम खयान्न के उत्पादन को आगे तेज नहीं कर पायेंगे तो हमारे देश के अन्दर खयान्न की समस्या आने वाले कई समय के लिए

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रहेंगी । इस बात को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं, इसलिए हमें खाद्यान्न के उत्पादन को तेज गति से बढ़ाना पड़ेगा और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के सामने मंत्रणा करके इस बात को रखा है कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के बचे हुए २ सालों में हमें खाद्यान्न के उत्पादन की रफ्तार औसत ७ से ८ परसेन्ट बढ़ानी चाहिए और ७-८ परसेन्ट खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इमीज़ियेटली कुछ कैश प्रोग्राम प्रोडक्शन्स को हाथ में लिया जाये और उसके साथ ही साथ फोर्थ प्लान करने की दृष्टि से और खाद्यान्न उत्पादन के सिलसिले में देश में योजनाओं के जरिये खेती के उत्पादन में जो खर्च किया गया ; चाहे सिंचाई के दृष्टिकोण से हो चाहे उन्नत साधनों के विकास करने के दृष्टिकोण से हो, उसके ऊपर और ज्यादा कॉन्सेन्ट्रेट करना पड़ेगा । यह मैं लोंग रेंज पॉलिसी की बात आपके सामने रख रहा हूं । इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देश का उत्पादन जिस तेज गति से बढ़ाना चाहिए वह नहीं बढ़ पा रहा है और जन संख्या उससे भी ज्यादा गति से बढ़ रही है । यह बुनियादी प्रश्न है । इसको चाहे हम किसी भी पार्टी के मानने वाले लोग हों, किसी भी विचारधारा के हों, बुनियादी तौर से ये फैक्ट्स हैं कि हमको जनसंख्या की औसत और खाद्यान्न के उत्पादन की औसत दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा । तो मैं सभापति महोदय, निवेदन कर रहा था कि इस तरह से यह आने वाली लंबी बात हुई और जल्दी में इस योजना में कुछ किया जाये और कुछ पहलू जोड़े जायें, उत्पादन को बढ़ाया जाये और इसके लिए इमें अभी से काम करना पड़ेगा । उसके साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि देश के उत्पादन के साथ वितरण का प्रश्न भी इस समस्या के साथ जुड़ा हुआ है । वितरण के समय में भी जब इस प्रकार की साइकोलोजी बढ़ती है, चाहे टेम्पोरेरी कभी कहीं अकाल की वजह से हो या बाढ़ आने से हो, हमारे पास जो भी सरप्लस था वह भी दो तीन वर्षों में ड्रेन आउट होकर इस स्थिति पर पहुंच गये कि कमी की स्थिति और भी आई ।

आपने इम्पोर्ट के बारे में कहा था । हमारे १६५१ के इम्पोर्ट के फिगर्स हिन्दुस्तान के सन् ५१ से लेकर ४–५ वर्ष पहले के और बाद के जो औसत आई वह २।। मिलियन टन से लेकर ४।। मिलियन टन तक है । यह ५१ के ४–५ साल पहले और ४–५ साल के बाद तक की बात है । यानी हमारे किसी भी वर्ष का इम्पोर्ट चाहे चावल का हो या गेहूं का हो, २।। से लेकर ४।। मिलियन टन तक रहा है । इसके बाद में पिछले १२ महीने से हमारे सामने यह कमी की समस्या उत्पन्न हुई । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस टेम्पोरेरी मुसीबत में हमारी बढ़ी हुई जनसंख्या और इतने कम उत्पादन के बावजूद भी मैं आपसे कह सकता हूं :

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि साल में जो मेज़िम्मम इम्पोर्ट करने की सोच

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रहे हैं वह ६ मिलियन टन होगा । इस साल में चाहे टार्गेट्स कुछ भी रखें जो हमारे एचीवमेंट की गुंजाइश है वह ज्यादा से ज्यादा ६ मिलियन टन के लगभग होगी । १२-१३ वर्षों के परिश्रम से हिन्दुस्तान की योजनाओं में जिस प्रकार से धन खर्च किया गया और ४॥ मिलियन टन का इम्पोर्ट ५१ में मौजूद था वही आज ६३-६४ के अन्दर हम मेग्ज़िमम इम्पोर्ट करेंगे ६ मिलियन टन के करीब; इसलिए खाद्यान्नों के अन्दर बहुत बड़ा अन्तर आगया हो, मैं इसको आज स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं । हमारा देश इम्पोर्ट करने वाला देश रहा है क्योंकि उत्पादन के बढ़ाने की बात को हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि बढ़ाना चाहिए, दिशा सही है लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रजातंत्र के अन्दर आज कठिनाइयां कभी धन की और कभी दूसरे प्लान की प्रायोरिटी की आती है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन की बात कहना चाहता हूं कि प्लान की प्रायोरिटी कुछ जो प्लान करने वाले लोग हैं उनके व्यूज़ में मतभेद हो सकते हैं और प्लान की प्रायोरिटी के बारे मे जैसा रंगमंच का नाम लिया और ४-५ और नाम गिनाये, वह सोच सकते हैं । इसकी देश में जरूरत नहीं है उनकी दृष्टीकोण से भी कई लोग सहमत हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रजातंत्र मे जो लोग इनका फैसला करने वाले हैं वह एक लेवल से दूसरे लेवल पर कुछ मंत्रणा करके प्लान के बारे में तय करते हैं । देश की पार्लियामेन्ट है, लेजिस्लेचर है, वहां पर सभी को सारी बातों पर बहस करने का अवसर है और इस तरीके से प्लान की प्रायोरिटी के बारे में राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार इस देश के अन्दर कुछ और निष्कर्ष पर पहुंचे और मैं समझता हूं कि उनका मत स्पष्ट मालूम हो गया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देश की बैकबोन है और जब तक वह तेजी से नहीं बढ़ायेंगे तब तक दूसरी तरफ भी विकास नहीं हो सकता । इसके साथ ही साथ आज देश की समस्या के साथ क्विकली कुछ किया जा सकता है उसके बारे में भी जब से इस समस्या ने उग्र रूप लिया, जैसा आपको याद होगा कि पिछले अक्टूबर और सितम्बर से इस समस्या की शुरुआत को लेकर हम चल सकते हैं उसके पहले ४-५ वर्षों में खाद्यान्न और देश की कई दूसरी चीजों की कीमतों में हालांकि हर साल में कुछ प्राइस इन्डेक्स में फर्क मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत बड़ा अन्तर नहीं पायेंगे जितना कि हम इन १२ महीनों के अन्दर देखते हैं । प्राइस इन्डेक्स में जब तेजी आयी तो सरकार को उस पर सोचने के लिए विवश होना पड़ा । इस दृष्टिकोण से उन्होंने यह फैसला किया कि इस देश के अन्दर हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, वितरण के दृष्टिकोण से उठाने पड़ेंगे । देश के अन्दर प्रोडेक्शन का इन्सेन्टिव काम न हो, इस दृष्टिकोण से भी कदम उठाने पड़ेंगे और सारी बातों को सामने रखते हुए आने वाली रबी की क्रोप के बारे में फैसला लेने के लिए कुछ कायदे कानूनों का सहारा लेना पड़ा । हमारे फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर, ५२ में था और उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ी और दिल्ली के अन्दर एक कमेटी के अन्दर विचार हुआ और एक मॉडल कानून राज्य सरकारों को भेजा और उसे अप्रेल में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लागू किया। उस समय सदन में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने कोई कानून बनाया, उसे थोड़े दिनों में बदला, फिर बदला और खास तौर से धारा ६ के बारे में इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पहले भी हमने जोर दिया था कि धारा ६ के अन्दर एक होलसेलर दूसरे होलसेलर को नहीं बेचेगा; यानी होलसेलर का एक ही ट्रान्जेक्शन रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बारे में पहले भी निवेदन किया है कि जिस पृष्ठभूमि में दिल्ली में मंत्रणा के बाद राज्य सरकार को लागू करने के लिए कहा गया और राज्य सरकारों ने उसी तारीख से लागू किया, उसी भावना की कद्र करते हुए कि देश में एक नीति होनी चाहिए एक फैसला एक जगह बैठ कर करें तो राज्य सरकारों को उसको मानना चाहिए और राजस्थान सरकार ने उनको लागू किया।

उसके बाद में भारत सरकार ने उसके बारे में जब डीलर्स ने और कई लोगों ने विधान सभाओं और पालियामेंट के इस ऑर्डर के बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने अपने मन का बदला कि धारा ६ के अन्दर जिस प्रकार की हालत अपने देश के व्यापार की हैं उनकी वजह से कुछ उलझनें हो सकती हैं और भारत सरकार ने दुबारा गौर किया और राज्य सरकारों के पास में दुबारा इस पर गौर करने के लिए भेजा कि आपको दुबारा इस प्रश्न पर गौर करना चाहिए। वह पृष्ठ भूमि थी जिस दशा के अन्दर उसको ध्यान में रखते हुए दुबारा इस चीज पर गौर किया।

(४ म०प०)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल,जयपुर): इसमें राजस्थान सरकार का क्या विचार था धारा ६ को लगाने का या हटाने का ?

श्री नाथूराम मिर्धा: उस समय वहां पर विचार किया गया उस समय सब सरकारों ने यह तय किया था कि कानून जिस रूप में पास किया गया है उसी रूप में लागू किया जाय। युनेनिमसली यह बात तय की गई थी।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : कई राज्यों ने मन्जूर नहीं किया था।

श्री नाथूराम मिर्धा: मुझे मालूम था। मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था। आप नहीं बैठे थे।

श्री फूलचन्द जैन: कई राज्यों ने लागू नहीं किया।

श्री नाथूराम मिर्धा : लागू नहीं किया गया था, उसके बारे में आलोचना नहीं करना चाहता हूं। एक कमेटी में १० आदमी बैठकर फैसला करें और सब करें कि यह होना चाहिए और पांच जाकर फिर यह कहें कि नहीं होना चाहिए, किसकी नियत में क्या है, उसके बारे में आप विचार करें। जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए उस कानून की धारा ६ के बारे में जब आपने कहा, फिर भी भारत सरकार को हमने उसी वक्त कह दिया था कि इसके बारे में हमने यह फैसला किया है कि यह फसल का सीजन आ रहा है, तुरन्त बदलने की जरूरत नहीं। वापिस भारत सरकार से यह निवेदन किया। उसके बाद में रबी की फसल के लिए इस धारा को नहीं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बदला, इस दृष्टिकोण से कि इसके बदलने के कई रिपरकशन्स हो सकते हैं; हमने इस धारा ६ को वैसे का वैसा ही रखा। उसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान की जैसी हालत थी और हमारे डूंगरपुर के महारावल साहब हैं, जैसे कि वे आंकड़े देते हैं कि राजस्थान की जनता को ३० लाख टन से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, और राजस्थान का उत्पादन जो अभी तक हुआ है जैसा कि आप देखेंगे एक साल में ५४ लाख टन तक पहुंचा है; कभी ४७, कभी ४२ और अब पिछले साल करीब ३२-३२ लाख टन उत्पादन हुआ है। राजस्थान में खाने वालों की खुराक आपने बताई १२-१५ औंस और आपने बताई १८ औंस....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ५४ लाख टन कब हो गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : १९६१ में।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया ५७ में।

श्री मानिकचन्द सुराणा: आपने खुद ने एवरेज प्रोडक्शन बताया है।

श्री भैरोंसिंह: एक साल का अलग से उत्पादन बताया है। मेग्ज़ीमम उत्पादन ५४ लाख टन हुआ था।

श्री मानिकचन्द सुराणा: किस साल में इतना गया है? कोई स्टेटिस्टिक्स की किताब निकाल कर बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा: माफ कीजिये। आपको अगर जानकारी नहीं है तो मुझे क्यों अटेच करते है? दूसरे सदस्यों से जानकारी कर लें। मैंने औसतन प्रोडक्शनराजस्थान का ४४-४५ लाख टन कहा है। कभी ४७ और कभी ४२-४३ टन हुआ है। औसत चार पांच साल का प्रोडक्शन मानते हैं वह ४७ लाख या ४६ लाख टन है वह मानलें। पोटेन्शियल हमारा इतना तो क्रियेट हुआ है, किन्तु ५४ लाख टन के उत्पादन का आपसे कहता हूं। इतना जो कुछ आप कह गये कि राजस्थान के सैकण्ड प्लान में हमने कहा था कि जो टार्गेट्स थे उनके ऊपर गये तो वे निश्चित तौर से आंकड़े हैं, फेक्ट्स हैं, फीगर्स हैं और भारत सरकार भी इनको देखती है जो कुछ हमने किया है। उसके बावजूद भी पिछले साल की हालत जो राजस्थान में विन्टर की वजह से या कम वर्षा की वजह से, आपने कुछ आंकड़े पेश किये थे, इस सिलसिले को लेकर कि केवल राजस्थान में लैंण्ड कितनी है और उसमें से कितनी वेस्ट पड़ी हुई है, वह कल्टीवेट नहीं की गई है या कल्चरेबल वेस्ट है उसके करीब सवा करोड़ एकड़ के आंकड़े आपने बताये हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं कोई उन आंकड़ों को गलत नहीं बताता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह जानकारी की है और प्रश्न पूछा है उस जानकारी को लिया है; मगर एक किसान के दृष्टिकोण से दुबारा आंकड़ों पर गौर फरमावें तो आप उनको कतई अस्वाभाविक नहीं कहेंगे। साढ़े तीन लाख का कल्टीवेशन है उस जमीन में, लाख सवा लाख जमीन किसान पड़त रखता है, क्योंकि राजस्थान की सोइल कन्डी-

Page No. 119

(श्री नाथूराम मिर्धा)

शन अलग अलग इलाकों में इतनी वैराई करती है कि....

श्री भैरोंसिंह : वैस्ट नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं आपको बता रहा हूं आप खुद किसान हैं इसलिए महसूस करेंगे कि राजस्थान में कुछ जमीनें ऐसी हैं कि तीन फसलें देती हैं और उस पर एग्रीकलचर करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, सिंचाई करते हैं और बरसात की फसलें लेते हैं। कई जमीनें ऐसी हैं जिनकी केपेसिटी ऐसी है कि २ फसलें तक पैदा करती हैं खाद डालने के बाद और कई जमीनें ऐसी हैं कि एक साल के अन्दर कल्टीवेशन करने के बाद लगातार उसको फैलो रखना पड़ता है। राजस्थान में ऐसे बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं। खास तौर से बाड़मेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर के, कि इन इलाकों के अन्दर एक जमीन पर एक साल काश्त करने के बाद कम से कम तीन साल तक आपको उसको फैलो रखना पड़ता है। खाद है नहीं, पानी है नहीं और दूसरी चीजें काम में ला सकते नहीं, इसलिए यह स्वभाविक है कि राजस्थान में एक चौथाई जो कल्टीवेबल है आसानी से उनको फैलो रखना पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान में जमीनों पर काश्त नहीं हो सकती है।

आपने यह पूछा कि हमने कल्चरेबल वैस्ट के बारे में आगे क्या प्रयत्न किये हैं; तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि राजस्थान की पिछली दो योजनाओं के दौरान में राजस्थान के अन्दर लगभग ५० लाख एकड़ नई जमीनें नई कल्टीवेशन के अन्दर आई हैं। मैं नहीं कहता हूं कि अब आगे स्कोप नहीं है। स्कोप है और जमीनें एलॉट होनी चाहिए, लेकिन वे मार्जिनल लैण्ड हैं, ज्यादा अच्छी जमीनें नहीं हैं। इनके बारे में एलॉटमेण्ट हो और प्रोजेक्ट की जमीनें हैं और माइनर प्रोजेक्ट की जमीनें हैं उनका एलॉटमेन्ट बाकी है और उसमें गुन्जायश है उसको ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में नियम बने हैं। राजस्थान कैनाल की लैण्ड के एलॉटमेंट के बारे में सवाल खड़ा हुआ है कि उसके बारे में कहीं रूल्स नहीं बनाये। राजस्थान कैनाल एरिया के बारे में केवल अकेले राजस्थान के ही आदमी नहीं हैं, कई लोगों को लेना पड़ता है। राजस्थान सरकार जितने रूल्स के लिए कर सकती है कि राजस्थान कैनाल के रूल्स फाइनेलाइज़ किये जायं तो उसके लिए वह कोशिश कर रही है। इसलिए राजस्थान की जमीनों के विषय में इम्प्रूवमेन्ट करने की दृष्टि से आप काफी बड़े आंकड़े लगाते हैं कि एक करोड़ एकड़ फैलो लैण्ड है। मैं किसान की हैसियत से जानकारी देना चाहता हूं। बहुत कोशिश करें और एक साल के बाद दुबारा उन पर कल्टीवेशन की जाय तो सिवाय घास के उसमें कुछ पैदा नहीं होता है, और हल का भाड़ा ही भार पड़ जाता है। इसलिए उसको फैलो रखना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : यह भी बता दें कि राजस्थान में खातेदार के नीचे कितनी जमीन है, उससे पता लग जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस समय उसके ठीक आंकड़े मुझे याद नहीं हैं कि कितनी जमीन खातेदारी में है। एक रफ आइडिया है।

श्री भैरोंसिंह : रफ् आइडिया बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि जो कुछ आंकड़े उन्होंने दिये तो ऐसा लगा कि राजस्थान के अन्दर इतनी जमीन पड़ी रह गई और इसकी वजह से उत्पादन में कमी आ रही है, वह भ्रम न रह जाय इसलिए इस विषय में कहना चाहता हूं। मैंने नहीं कहा कि सुधार की गुन्जायश नहीं है। मार्जीनल लैण्ड को रिक्लेम किया जा सकता है। उसके बारे में बड़ा इन्वेस्टमेन्ट चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि चम्बल के रेविन्स में करीब ८ लाख एकड़ जमीन पड़ी हुई है। उस चम्बल रेवीन्स के अन्दर २-२।। लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिन पर मिट्टी ३-३ फुट तक आई है, लेकिन उसको रिक्लेम करने की कोस्ट ५८० से १०००) रु० पर एकड़ आती है। वह जमीन वेस्ट लैंड में शामिल है। उसको रिक्लेम किया जा सकता है, और उसके बारे में योजनाएं बना रहे हैं और बनायेंगे; पर उन योजनाओं को मीट करने के लिए कितना पैसा चाहिये, उसका भी आपको हिसाब रखना पड़ेगा। इसलिये मैं यह नहीं कहता कि जमीन को रिक्लेम नहीं करना चाहिये, लेकिन कुछ को रिक्लेम करने के लिये ज्यादा पैसा चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये कि राजस्थान में उत्पादन ठीक नहीं हो सका और यहां तक कहा कि राजस्थान सरकार की जमीन के लिये नीति नहीं है। मुझे दुःख होता है जब जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की बात सुनता हूं कि सरकार की जमीन के लिए कोई नीति नहीं है। सरकार की नीति से करोड़ों किसानों का भला हो गया। उन किसानों को राजस्थान में पहले हक क्या था? ८० परसेन्ट जमीन राजा, महाराजाओं और जागीरदारों के कब्जे में थी। किसानों को उस जमीन पर कोई हक नहीं था, मन चाहा तब उनको टोल कर निकाल दिया, इतनी लाग उन्होंने नहीं दी तो जमीन से छुट्टी। यह हालत किसानों की आज से १० वर्ष पहले की थी। अब यह हो गया, मुझे डेट याद नहीं, शायद ५५ या ५६ में टिनेन्सी एक्ट पास किया था, उसमें कई बातें लिखी थी सदन ने। यदि सरकार की जमीन के बारे में कोई नीति नहीं थी तो इतनी बड़ी बात पैदा क्यों करवाई जाती? पहले किसान की कोई जमीन नही थी। अब वह जमीन का मालिक बना, उसको खातेदारी हक मिला, अब वह मर्जी चाहे तो अपने खेत में कूआ बनवाए, नाली लगावे बीज मनमाना डालकर लोग खेती करें, उत्पादन बढावें, सरकार की तरफ से कोई लाग-बाग नहीं, पुराने जमाने के हिसाब से लगान नहीं, केवल उनको बंधा हुआ लगान देना पड़ेगा। पहले जमीन का सेटलमेन्ट नहीं हुआ था। १०-१२ वर्षों से सैटलमेन्ट का इतिहास है। ८० परसेन्ट लैंड का सैटलमेन्ट नहीं था, आज राजस्थान में कोई ऐसी जमीन नहीं है कि जिसका सेटलमेन्ट नहीं हुआ हो। उनको खातेदारी के अधिकार देने के लिये कानून बना, टिनेन्सी कानून बना, युटिलाइजेशन का कानून बना। उसके बाद सीलिंग कानून बना। आप सीलिंग के बारे में कह सकते हैं कि सीलिंग लागू नहीं हुआ।

श्री रामकिशन (वेर) : खास तौर मे सीलिंग के बारे में ही कहा गया था।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सीलिंग की बात मत करें। स्लिपरी ग्राउन्ड है इस पर मत दौडिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पक्के पर चलना पसन्द करता हूं, इसीलिये उपाध्यक्ष महोदय, अब वे कहते हैं कि हमारा मतलब सीलिंग से था। सीलिंग के बारे में सुन लीजिये दूसरी अच्छी नीति है, यह तो आप मान गये ....

श्री मानिकचंद सुराणा: यदि आप इस खातेदारी को ही अच्छी नीति मानते हैं तब तो बलिहारी है....

श्री नाथूराम मिर्धा : अजी, मानिकलाल जी आप तो बड़े विद्वान् हैं, मैं तो कम विद्वान हूं। जमीन की नीति में क्या है, ऊखल है या मूसल है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी सरकार १० साल तक सीलिंग के कानून को कार्यान्वित नहीं कर सकती, यह हमारा चार्ज है आप पर।

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छा, सीलिंग के बारे में कह रहा हूं। नीति तो सुन ली यह भी सुनलीजिये....

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : १५० एकड़ आप छोड़ दीजिये....

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं उपाध्यक्ष महोदय, प्रोटेक्शन चाहूंगा। चार आदमी एक साथ बोलें तो मैं सुन नहीं सकूंगा। मैंने सभी माननीय सदस्यों को बड़ी गंभीरता से सुना, चुपचाप सुना; अब वे भी सुन लें।

जमीन की नीति का जहां तक प्रश्न है पहले किसानों के लिये फिक्सिटि ऑफ टेन्योर नहीं था, फिक्सिटि ऑफ रेन्ट नहीं था, वह सब हुआ और इसके साथ साथ फिक्सिटी ऑफ लैंड सीलिंग के कानून के जरिये कितनी जमीन उनके पास रहेगी, यह हमेशा के लिये मालूम पड़ जायगा। इस ओर भी आखिरी चरण बढ़ रहा है। हमने सीलिंग का कानून बनाया और राज्य सरकार इसको इम्पलीमेंट १० साल तक नहीं करेगी, यह समाजवादियों का प्रचार हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इसमें १० साल नहीं लगेंगे। राजस्थान में सीलिंग का इफेक्ट जिन किसानों पर पड़ने वाला है उनकी संख्या हजारों में है, लाखों में नहीं है। इस जमीन पर सीलिंग लगाने के बारे में जो कानून सदन ने बनाया है वह काफी पेचीदा है, यह सभी मानेंगे। किस जमीन में ३० मण गेहूं पैदा करेंगे या दूसरी चीजें कितनी कितनी पैदा करेंगे, यह अलग अलग तहसीलवाइज़ वर्क आउट करने में बहुत लम्बा समय लग गया....

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

जितनी तेजी से आप चाहते हैं हो सकता है उतनी तेजी से न हो सका, आप में से कुछ लोग जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको नाराजगी हो....

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपकी मोहब्बत है उनके प्रति इसलिये इम्पीमेन्ट नहीं हो रहा है....

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री नाथूराम मिर्धा : सीलिंग के कानून का जहां तक इम्पलीमेन्टेशन का प्रश्न है, राज्य सरकार....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order...

श्री उपाध्यक्ष : There is no point of order.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा पोइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि इस मामले में जिसको उठाया गया है, यह मालूम होना चाहिए, सरकार को मालूम है स्टे आर्डर सुप्रीम कोर्ट से और हाईकोर्ट से मिला हुआ है इसलिए सरकार की तरफ से देरी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। इस सदन में सबजुडिस मामले पर एजीटेट नहीं किया जा सकता। सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं हो रही है, मामला सबजुडिस है इस वजह से एजीटेट नहीं किया जा सकता।

एक माननिय सदस्य : आपको शायद सूचना नहीं है कि कॉस्टीट्यूशन के अमेन्डमेन्ट के बाद यह स्टेज खत्म हो गयी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ऐसा लगता है....

श्री नाथूराम मिर्धा : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य का मैं आभार जाहिर करता हूं कि कानून की रुकावट है वह उन्होंने यहां बताई, यह मुझे मालूम भी था, लेकिन मैं यहां कह नहीं रहा था, उन्होंने कह दिया।

सीलिंग कानून में, इम्पलीमेन्टेशन में रुकावट होने से आपने कहा कि सरकार की कोई लैंड पोलिसी नहीं है, यह कोई बात नहीं है, सरकार का काम है इम्पलीमेन्ट करे। इसके इम्पलीमेन्ट नहीं होने से इतनी हल्लाहल बात कह दी कि सरकार की कोई लैंड पोलिसी नहीं है, सरकार की यह जो तस्वीर रखी है वह सही नहीं है इसलिए इसका जिक्र किया। मैं निवेदन कर रहा था कि लैंड पोलिसी को लेकर, उत्पादन राजस्थान की जनसंख्या और हिन्दुस्तान की जनसंख्या इन सारी बातों को लेकर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहना चाहता हूं कि यह समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। यह समस्या न किसी सरकार की, न किसी हुकूमत की और न किसी पार्टी की पैदा की हुई है। देश में कुछ फैक्टर्स, कुछ वजुहात ऐसे पैदा हुए हैं जिनके कारण यह पैदा हुई है। इस समस्या को हल करने के लिए कौनसा भी रास्ता अख्त्यार करें, पर वह तरीका प्रजातांत्रिक होगा, विधान के अनुसार होगा और इन परिस्थितियों में हम क्या उसका बेस्ट उपयोग कर सकते हैं यह देखना होगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं खाद्यान्न आर्डर का जिक्र कर रहा था....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक बात बता दीजिये, आपके कहने के अनुसार, आपके एस्टिमेंट के अनुसार कितने वर्षो तक समस्या और बनी रहेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं मेरे मुताबिक सोचता हूं क्योंकि कोई वर्ष अच्छा वर्ष हो सकता है, किसी वर्ष में कुछ समस्या पैदा हो जाय; फिर भी यह समस्या आने वाले ५ वर्षों तक रहेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। जैसा कि मैंने कहा सीजन्स में वेरिएशन, अच्छा हार्वेस्ट, इसकी उग्रता, कम उग्रता के अनुसार उतार-चढ़ाव रहेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): पांच साल तक आपके अनुसार यह समस्या रहने वाली है, तो कितने रुपये इस समस्या को हल करने के लिए खर्च करने के बारे में सरकार सोच रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बारे में तीसरा प्लान खत्म हो रहा है, फोर्थ प्लान बन रहा है, वह इस समस्या को हल करने के बारे में ही है। उसके आंकड़े २२ करोड़ के आये हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस लाइसेन्सिंग ऑर्डर को लागू करने के बाद जैसी राजस्थान की परिस्थिति थी उस समय हमारे यहां रबी की फसल पर असर था, खरीफ का प्रोडक्शन भी कम हुआ; इसीलिए भारत सरकार से विशेष प्रार्थना करके चने के लिए स्पेशल कानून बनवाया। उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि ३३ पर्सेन्ट चना भेजने के लिए अलाउ किया। हमने परमिट सिस्टम इसलिए इसमें नहीं रखा कि चना लेने, लाने में कई प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती थीं। इसीलिये हमने यह ऑर्डर में रखा कि हर आदमी ३३ पर्सेन्ट एक्सपोर्ट करने के बाद ६७ पर्सेन्ट चना और ७५ परसेन्ट जो राजस्थान के लोगों को बेचेगा। इसका व्यापारियों ने जहां मिसयूज़ किया उसमें से जिन लोगों को पकड़ सकते थे, जहां हम हैंड्स ले ऑफ कर सकते थे वहां चार सौ, पांच सौ व्यापारियों को पकड़ा और कानून के अधीन एक्शन लिया और सख्त से सख्त कार्यवाही, की उनको जेल भेजा और सज़ा मिली होगी कोर्ट से........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप बता सकते हैं कि कितनों का प्रोसीक्यूशन किया और कितनों को सजा मिली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सजा कितनों को मिली, वह मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम है कि चालान चार सौ, पांच सौ का हुआ।

सूरतगढ़ के लिये कई माननीय सदस्यों ने कहा। यह कानून हमने उनके लिये नहीं बनाया था, सारे राजस्थान की स्थिति को ध्यान में रख कर बनाया था। कुछ जगह डेफिसिट में थीं और कुछ जगहों में सरप्लस था। तो सप्लस जहां है वहां से होलसेलर डेफिसिट की जगहों पर ले जा सकें, इसीलिए व्यवस्था की थी। सूरतगढ़ और गंगानगर के लिए, वहां के व्यापारियों के लिए राजस्थान सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। अब सूरतगढ़ वाले व्यापारियों की क्या हालत हुई है, वह सब माननीय सदस्यों के सामने है....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : जिनके पास मिल गया, जिनके पास पकड़ा गया उनको तो सजा मिल गई, लेकिन जिनके यहां से गया वे तो वैसे के वैसे ही रहे।

श्री नाथूराम मिर्धा : हरिराम जी। सब हो जायेगा, आप सब्र रखिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मुझे इस बात की खुशी है कि सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया में जाने का ऑर्डर दिया। लेकिन जिन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया उनका चालान किया जायगा, सजा दी जायेगी?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब पकड़े जायेंगे!

यहां माननीय सदस्यों ने पहले इस बात को कहा था कि एन्फोर्समेंट स्टाफ को रखने की क्या जरूरत है। पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, एक्साइज वालों के द्वारा पकड़े जा सकते हैं। हम एन्फोर्समेंट स्टाफ बना रहे हैं, तो हमें कोई महकमों का शौक नहीं है। हम कोई शौक के लिए महकमे नहीं बना रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो पुलिस वाले कर सकते हैं, कुछ काम एक्साइज़ वालों को एन्ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ दूसरों को कर सकते हैं। लेकिन कुछ बुनियादी काम हैं इस कानून के अन्दर, जैसे रिटर्न्स पेश करने के लिए कहा, उनकी स्क्रूटिनी करें, उनकी छान-बीन करें और उनके जो इन्फरेन्स निकलें तो देखें कि किसने गड़बड़ी की है और फिर चैक करके लोगों को डिटेल्स में जाकर देखें। इस सारी चीज की व्यवस्था जमाने के लिए सप्लाई डिपार्टमेंट है। मैंने कहा कि ऐसा काम दिनों तक चलेगा। इसको ध्यान में रखकर कुछ स्टाफ हो तो जो प्राबलम्स हैं, उसके लिए जो कानून आये उसको इम्पलीमेंट करने की दृष्टि से क्या रोल प्ले कर सकते हैं, उस सब पर विचार किया और एन्फोर्समेंट स्टाफ को लेना तय किया जाय।

अब इस दिशा में जो कानून आते हैं, उनके लिए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कानूनों के अन्दर बार बार परिवर्तन किये जाते हैं। धारा ६ के बारे में प्रस्ताव रखा था, उस वक्त उसे चेंज करने की बात उचित नहीं समझी; हालांकि भारत सरकार ने कहा था, लेकिन हमारे यहां फसल खड़ी थी। खरीफ की फसल के बारे में विचार है कि इस साल काफी अच्छी है। जितनी बड़ी आशा हम लेकर चले थे, उसमें कमी आई है, कुछ जिलों में बरसात कम रह गई है, उसके बावजूद भी राजस्थान में खरीफ की फसल काफी ठीक है। उसको लेने के पहले फिर भारत सरकार से सलाह लेंगे। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है उसमें राजस्थान सरप्लस हो जायगा। डेफिसिट राजस्थान में नहीं रहेगा। उसके बाद खरीफ के खाद्यान्न का फ्री मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है। लेकिन राजस्थान अकेला नहीं है, देश की समस्याओं के अन्दर जैसा हम चाहें, वैसा अकेले रोल प्ले नहीं कर सकते। भारत सरकार से बात करने के बाद, निर्णय करने के बाद हम राजस्थान में बफर स्टॉक बनाना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि किसानों को फूड प्रोडक्शन के बारे में इन्सेंटिव मिले। जो प्राइसेज़ फिक्स को हैं उन प्राइसेज़ के बारे में ज्यादा लोगों ने चर्चा नहीं की। सिर्फ करौल साहब ने कहा–आप किसान हैं, मैं किसान हूं। किसानों के लिए कीमत तय की है, खास तौर से हिन्दुस्तान में राजस्थान में सबसे कम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के बारे में जितना कहूं उतना कह सकते हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लेकिन हमको किसानों के बारे में एक प्रेक्टिकल व्यू लेकर चलना पड़ेगा कि जो कीमत प्रोड्यूसर को देना चाहते हैं, उसको क्या मिलनी चाहिए। उसके बाद व्यापारी के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, या स्टेट एजेंसी करे तो उनका मार्जिन क्या हो और अल्टीमेटली कन्ज्यूमर को कितने में मिले; ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिये। इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो जो मजदूर कारखानों में काम करते हैं, गरीब लोग हैं, उनके हित को हम नहीं देखेंगे। उनकी ओवर ऑल केपेसिटी कितनी है, वे गेहूं के लिए कितना दाम दे सकेंगे, बाजरे का कितना दे सकेंगे, जौ और ज्वार का कितना दे सकेंगे, यह पहलू, जिस समय प्राइस कल्टीवेटर की तय करें उस समय सोचने पड़ेंगे। यह भी सोचना पड़ेगा, जैसे उन्होंने कहा कि पांच रुपये की जगह पन्द्रह रुपये बीज के हो गये, लोहा और सीमेंट के इतने दाम हो गये। तो किसान को कितना मिलता रहेगा, यह हमें सोचना पड़ेगा....

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़): यह अभी सोचा नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप विराजिये।

आप कहते हैं, मैंने सोचा नहीं है। मैंने किसानों से बात की है। उसके बाद भी कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं है, तो मैं आकड़े बता दूं।

श्री रामकिशन (वैर) : नये नये भाई का अपमान हो जायगा। कांग्रेस के भाई की भी बात नहीं सुनते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बीच-बीच में खड़े होते रहेंगे, तो मैं छः बजे तक चलता जाऊंगा; मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : नत्थीसिंहजी जब इधर से बोलते थे तब आप सुनते थे। आप अब उनको डांटते हैं, जब उधर चले गये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बैठें, मैं सुन सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक किसान आम तौर से....

श्री नत्थीसिंह : On a point of information, केल्कुलेशन बताइये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खरीफ खाद्यान्न की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इस बात का केल्कुलेशन किया है, वह हमने नहीं बल्कि भारत सरकार ने और एक्सपर्ट्स ने किया है....

श्री नत्थीसिंह : केल्कुलेशन का बेसिस क्या रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इतनी बात मैं नहीं कर सकता। केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री सुब्रह्मण्यमजी ने जो कमेटी मुकर्रर की है उसने किसानों के मिनिमम प्राइसर के बारे में मिनिमम कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, इन्सेटिव प्राइस क्या हो, उसके सामने स्टेट्स के फिगर्स रखे हैं। फिर भी किसानों के लिए जो आज कहते हैं....

श्री नत्थीसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि वह दृष्टिकोण बता दें; उसको जस्टीफाई करता है या नहीं ? जो कन्ज़्यूमर को देने की बात करते हैं उसमें कनेक्शन है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कनेक्शन कर रहा हूं। आप बैठें। आप कनेक्शन....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप माफ करेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात पूछना चाहूंगा, कन्ज़्यूमर की खरीदने की शक्ति, जिसके आधार पर प्रोड्यूसर की कीमत तय की जायगी इसकी क्या नीति है ? भारत सरकार की जो कमेटी की रिपोर्ट है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कमेटी की रिपोर्ट में है और चर्चाओं में आया है।

श्री भैरोंसिंह : चर्चाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं । रिपोर्ट की बात मैं कह रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : रिपोर्ट आई नहीं है। यह इन्टेरिम प्राइस फिक्स की है।

श्री भैरोंसिंह : आपने पॉलीसी की बात कही है, कन्ज़्यूमर की पर्चेज़िंग पॉवर कितनी है इस फैक्टर के ऊपर और बाकी के मुद्दों पर सोचा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर उनका ध्यान रखा है और इस पर कमेटी ने गौर किया है।

श्री भैरोंसिंह : किसानों की कीमत तय करने में यह फेक्टर काम में नहीं लाया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : किसानों की प्राइस तय की हैं....

श्री भगराज चोधरी (रानीवाड़ा) : कन्ज़्यूमर के बारे में आप ए० बी० सी० डी० जानते नहीं और बारबार उसकी बात करके इन्टरप्ट करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सबको ए० बी० सी० डी० आती है, हम इसको मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा वे आसन ग्रहण करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : पिछले साल और आखिरी तीन साल के जो फिगर्स हैं; बाजरा, ज्वार जिस भाव पर बिका है, मक्का जिस भाव पर बिका है, अब मैं इसके आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। पिछले साल ज्यादा से ज्यादा भाव जो रहे हैं, जो बाजरा मंडियों के अन्दर गया है उसके ३१), ३२) रुपये मिले हैं और नीचे से नीचा २६) और २७) रु० क्विन्टल; लास्ट ईयर मक्का २०) रु० या २१) रु० क्विन्टल और ज्वार २३) रु० और २४) रु० क्विन्टल मिली है। जहां पिछले साल किसान उन्हीं चीजों को प्रोड्यूस करता है और उनकी कीमतें पिछले साल रही हैं अगर उन बारह महीनों के पहले की कीमतों को ध्यान में रखें, और उनको ध्यान में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रखते हुए ३१) रु० के बजाय ४०) रु० या ४०), ५०) रु० दिये जावें और जिस जगह २०) रु० या २१) रु० का मक्का था उसके ३६) रु० दिये, उसके बावजूद भी सदन के सदस्य कहें कि कम प्राइसेज़ मुकर्रर की गई....

श्री मानसिंह महार (अमेर) : आपके भंडार भर गये है क्या ? यह आपकी अक्ल का नमूना है जो आप यह कहते हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य न तो सदन में बैठे हैं और न बहस में हिस्सा लिया है, और अब अपनी नाक को दिखा रहे हैं इस तरह से....

श्री मानसिंह महार : आपने कब सुना जब हमने बहस की ? आप तो यहां पर नहीं थे । हम इतने इम्पोर्टेन्ट मसले पर बोले हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : Please listen to me.

श्री मानसिंह महार : आप बैठ जाइये, जब हम खड़े हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय मंत्रीजी से मैंने कई बार निवेदन किया कि आप कृपया बता दें कि झा कमेटी ने प्राईसेज मुकर्रर की हैं व इनसेटिव हैं मै समझता हूं कि झा कमेटी ने ये प्राइसेज़ इस वजह से मुकर्रर की हैं कि अगर इन प्राइसेज़ से नीचे प्राइसेज़ गिरें तो काश्तकारों के गल्ले सरकार खरीदेगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सारी बातें कर रहा हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये प्राइसेज़ इन्सेंटिव प्राइसेज़ हैं; तो क्या राजस्थान सरकार की यह ड्यूटी है कि काश्तकारों से उन्हीं भावों से खरीदना चाहती है ? क्या यह राजस्थान सरकार की नीति है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने जो मिनिमम प्राइसेज़ फिक्स की है उनके वेल्यूएशन में ज्यादा अन्तर नहीं है ; सिर्फ ५० नये पैसे का अन्तर है । मैंने आपको बताया कि पहले साल की प्राइसेज़ बहुत कम हैं । हम चाहते हैं कि इन प्राइसेज़ के नीचे किसानों के इस माल के दाम नहीं गिरें ।

अभी झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि अभी तक १० प्रतिशत ही नाज निकला है और ९० प्रतिशत अनाज अभी निकलना बाकी है । तो मैं समझता हूं कि उन प्राइसेज़ पर, रेस्ट्रिक्शन के साथ जब कि हमारी प्राइसेज़ में १।। जा चुकी है उससे ज्यादा बाद हमने यह तय किया है कि २५ परसेन्ट माल बाहर जा सकेगा बशर्ते कि उतना ही माल बाहर भेजने वाला व्यापारी किसी कलेक्टर का या उसके एजेन्ट को जमा करावे । यह जानकारी मैं अभी नहीं दूंगा कि वे प्राइसेज क्या होंगी मैं यह बाद में दूंगा ।

Page No. 128

श्री भैरोंसिंह : जब तक प्राइसेज़ फिक्स नहीं करेंगे तब तक क्या माल का एक्सपोर्ट नहीं होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तब तक नहीं हो सकेगा।

(श्री हीराभाई बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री नाथूराम मिर्धा : आप उतावले न हों। आपका मतलब मैं समझ गया और मैं यह कहूंगा कि मैं कोई भी माननीय सदस्य के पोइन्ट के उत्तर बाकी नहीं रखूंगा। आप जरा शांति से बैठे रहें तो जल्दी समाप्त कर दूंगा, अन्यथा ज्यादा समय लगेगा। आप सुनने के इच्छुक हैं, इसलिए जरा सुनिये।

भीलवाड़ा से आपने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके लिये मैं उनको विश्वास दिलाना जाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपके यहां इस प्रकार का इन्तजाम हो कि किसानों की मक्की को मिनिमम प्राइसेज़ पर लेने को तैयार नहीं हों तोसरकार उसको लेने को तैयार है। हमें ४-५ लाख टन का स्टोक रखना है और हम मार्केट में आना चाहते हैं। चावल राजस्थान के लिए इतना महत्व का नहीं है। जो नोट हमने आपके सामने रखा है उसकी किसी ने आलोचना नहीं की। इससे मैं समझता हूं कि सबको संतोष है और क्योंकि हमने यह बात रखी है कि कोर्स ग्रेन इम्पोर्टेन्ट है उसके लिये जो हमने पोलिसी काम में ली है वह मान ली। हमारे सामने देश की जो नीति है उसके अनुसार राजस्थान को आगे टेकल करना पड़ेगा।

अब मैं आपको ५० क्विन्टल से ज्यादा पर स्टोक बताने के लिये कानून बनाया और बाद में उसमें परिवर्तन करना पड़ा उसके सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। हमने पहले इस प्रकार का कानून बनाया कि जिस डीलर के पास ५० क्विन्टल से ज्यादा अनाज हो वह अपना स्टोक डिक्लेअर करे। इसका असर यह हुआ कि कि कई लोगों ने अपना स्टोक डिक्लेअर किया और बहुत से लोगों ने अपना स्टोक डिक्लेअर नहीं किया। मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही समस्या के बारे में कई बार जल्दी जल्दी में कई उतार-चढ़ाव आते हैं और उस समय हमारी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। उस समय हमारी हालत ऐसी थी कि हमें जानना जरूरी था कि टोटल स्टोक कितना है। उस समय हमारी यह इच्छा थी, जहां कहीं भी माल है और जो व्यापारी लाइसेन्स के नीचे काम करने वाले हैं उनसे जानकारी के लिये व किसानों के पास जो स्टोक है वह कितना है उसकी जानकारी के लिये डिक्लेरेशन ऑफ स्टोक का कानून बनाया था। हमने उसको इस दृष्टिकोण से हटाया कि खरीफ की फसल अच्छी है और किसानों के पास ५० क्विन्टल से काफी ज्यादा नाज होगा और इस कानून से काफी दिक्कत होगी, इसलिए इस डिफिकल्टी को महसूस करते हुए हमने यह किया कि इसको एबेयेन्स में रखा जावे। नई फसल आ रही है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस भावना से यह कानून लगाया था क्या उससे आपको स्टोक मालूम हुआ या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हुआ।

श्री मानकिचन्द सुराणा : कितना स्टोक मालूम हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे इस वक्त मालूम नहीं है, मगर वह बहुत थोडा था।

श्री हीराभाई : भा कमेटो ने कीमतें निर्धारित की हैं। अब लोग १४) और १७॥) से भी कम भावों में मक्का हमारे उधर खरीद रहे हैं, उसको रोकने के लिये भी सरकार ने क्या कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको रोकने के लिये आपको जल्दी छुट्टी दे देंगे, ताकि आप वहां जाकर अपने भाषण दें और लोगों को बता दें। दीपावली के बाद आप कभी भी सभाएं करें और लोगों को खूब समझावें।

श्री हीराभाई : कम से कम राजस्थान सरकार की कोई नीति तो होनी चाहिए इस सबंन्ध में।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी बात समझ गया। आप बैठ जाइये। आपने कहा कि इसके लिये कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि राजी-खुशी में अगर कोई अपना माल कितनी ही कीमत में बेचे तो बेच सकता है।

श्री हीराभाई : व्यापारी उनको लूटते हैं, वे लोग बाजार में कपड़ा लेने जाते हैं तो उनको महंगा मिलता है, कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो महंगी मिलती है, पर उनका मक्का व्यापारी ६ रुपये मन के भाव से खरीद रहे हैं, यह उन गरीबों के साथ अन्याय, जुल्म नहीं है क्या, सरकार क्यों उनको लुटवा रही है ?

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : भैरोंसिंहजी, इनको बैठाओ न ? इस तरह से तो मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कह सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : इनका मूल प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के अनुसार अलग अलग डिस्ट्रिक्टस में, अलग अलग तहसीलों में अपने एजेन्ट अनाज खरीदने के लिए मुकर्रर कर दिये हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अर्ज कर रहा था कि किन मन्डियों पर मक्का, किन मंडियों पर ज्वार और किन मन्डियों पर बाजरा हम खरीदेंगे, इन सारी डिटेल्स को वर्क आउट करेंगे, तब यह कर सकेंगे। हम यह सब वर्क आउट कर रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह सब आप तब करेंगे जब कि सारा अनाज व्यापारियों के पास, ब्लैक मार्केटियर्स के पास जा चुकेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : अरे भाई। मेरी बात तो सुनी नहीं, आप तो आसमान में हवा से बात करते हैं। मैंने बताया कि ५ परसेन्ट भी अनाज अभी निकला नहीं है।

श्री हीराभाई : ६ रुपये मन के भाव से किसानों से व्यापारी अनाज खरीद रहे हैं, आपने खुली लूट की छूट इन व्यापारियों को दे रखी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कहने को जो जी में आये कह दिया जाय, इसका तो मैं क्या कर सकता हूं ?

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसी प्रकार कानून में समय समय पर परिवर्तन लाने का कहा गया उसकी जमीन मैंने सदन के सामने रखी। आने वाली पोलिसी के बारे में हम क्या करना चाहते हैं, यह भी मैंने कहा। देश की क्या समस्याएं हो सकती हैं, उनका हम कब तक मुकाबला कर सकते हैं, उसकी भूमिका मैंने सदन के सामने रखी।

चीनी के बारे में कहा गया, अब मैं चीनी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने मेग्ज़िमम प्राइसेज़ गेहूं की और दूसरे अनाजों की तय की है, तो क्या राज्य द्वारा घोषित की गई इन कीमतों पर साधारण नागरिकों को अनाज दिलाने की सरकार गारन्टी लेती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गेहूं की एक क्वालिटी ५३) रुपये क्विन्टल और दूसरी क्वालिटी ६४) रु० क्विन्टल, ये कीमतें राज्य सरकार ने फिक्स की थीं कि अगर किसी के पास है तो इन कीमतों से ज्यादा वह नहीं ले सकेगा। राज्य सरकार के पास न यह माल है और न राज्य सरकार ने देने की गारन्टी उस ऑर्डर में की थी, क्योंकि राज्य सरकार के पास इनका स्टॉक ही नहीं है। पर राज्य सरकार इस बात की गारन्टी करती है कि किसी को भूखों नहीं मरने दिया जायगा और जो माल है सरकार के पास वह १६ रुपये मन के भाव से बेचेगी, यह गारन्टी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मन्त्रीजी ने जो भी जवाब दिया है वह राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह कहा कि हमारी कोई गारन्टी नहीं है, मेग्ज़िमम प्राइसेज़ पर देने की।

श्री नाथूराम मिर्धा : देने की हमारी गारन्टी नहीं है। जो व्यापारी इन फिक्स्ड कीमतों से ज्यादा लेगा तो उसको जेल भेजेंगे, यह हमारी गारन्टी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : ऐसा आप कर नहीं सकते और न आपने ऐसा आज तक किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हम तो रोज ही करते हैं। दो-चार ऐसे आदमियों को लाओ, मैं जेल भेजता हूं कि नहीं, यह देखें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : धौलपुर के कांग्रेसी मठाधीश के पास बहुत गल्ला मिला, पर आप कुछ नहीं कर सके।

श्री नाथराम मिर्धा : माननीय सदस्यों को नई नई मिसालें नहीं जोड़नी चाहिये, नये नये मसले नहीं जोड़ने चाहिये, नहीं तो दो दिन तक भी मैं अपना जवाब पूरा नहीं कर सकूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न मूल प्रश्न है। राज्य सरकार जो प्राइसेज़ फिक्स करती है, साधारण नागरिकों को गवर्नमेन्ट गारन्टी नहीं दे सकती कि मेग्ज़िमम प्राइस पर धान उन्हें उपलब्ध करा सके तो आपकी घोषणाएं केवल कागजी घोषणाएं होंगी। आज भी आपसे छिपा नहीं कि जयपुर में ८० रुपया क्विन्टल के भाव से गेहूं व्यापारियों द्वारा दिया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस पर बहस नहीं करें, आपने कह दिया कि ठीक नहीं है, मैंने कह दिया कि ठीक है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो कीमतें राज्य सरकार ने फिक्स की हैं, उन कीमतों पर साधारण नागरिकों को अनाज मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है उन कीमतों पर तो आपकी घोषणायें किस काम की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इस कानून की मंशा ही नहीं समझे हैं। इसमें अगर हमने यह लिखा होता कि गेहूं की एक क्वालिटी ५३ रुपया क्विन्टल और एक क्वालिटी ६४ रुपया क्विन्टल के हिसाब से कीमतें इसलिए मुकर्रर करते हैं कि अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो राज्य सरकार देगी। यह लिख देते तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती, पर हमने यह नहीं लिखा। हमने यह लिखा कि जिसके पास ये चीजें हैं वह इन कीमतों सेज्यादा कीमत पर बेचेगा तो उसको सजा होगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि शिकायत होगी तो जांच की जायगी, जयपुर में लोग ८० रुपया प्रति क्विन्टल के भाव से गेहूं बेच रहे हैं।

श्री हीराभाई : बागीडोरा में पुलिस वालों ने गल्ला पकड़ा, पर कुछ भी नहीं हुआ।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह ऐसी पार्टी है जिसका नया डिसिप्लिन बन रहा है। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं कि कुछ तो डिसिप्लिन रखें, जब चाहे कोई भी खड़े हो जायं, यह तो ठीक नहीं। मैं आपकी बातों को गौर से सुनता रहा, आपकी बातों का मुझे जवाब देना है। आप यदि यह कहें कि राजस्थान सरकार को इन कीमतों पर गेहूं देना चाहिए तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि यह माल हमारे पास स्टॉक में नहीं है और न हमने यह माल इस भाव पर देने की गारन्टी की थी। हमने यह कहा था कि यदि इन कीमतों से ज्यादा कीमत पर कोई बेचेगा, इन कीमतों को कोई तोड़ेगा, ज्यादा कीमतें बढ़ा कर, तो उसको हम सजा देंगे। हमने इस बारे में पुलिस को, सी. आई. डी. को कहा है, आम लोगों को भी इन अनाजों के स्टॉक बताने के लिए प्रोत्साहित किया है।

अध्यक्ष महोदय, शक्कर की बात का जिक्र किया गया। गुड़ और शक्कर की सहकारिता के बारे में बार बार कहते रहते हैं, उस लंबी बहस में मैं अभी नहीं पड़ूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मेरा एक प्रश्न है ।....

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पहले भाषण को समाप्त होने दें, फिर यदि कोई प्रश्न रह जायं तो पूछ लिये जायं। इस प्रकार प्रश्न पूछने से कोई हल नहीं निकलेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने अभी फरमाया उस पर माननीय सदस्य गौर करेंगे ।

चीनी के बारे में कहा गया कि एक प्रकार की चीनी आई है जो हलवाइयों को दी जाती है । उसका एनेलिसिस करवाइये कि क्योंकि वह मनुष्य के खाने के लिए ठीक नहीं है । इस प्रकार की शिकायतें भारत सरकार के पास आई तो भारत सरकार ने शीघ्र ही एनेलाइज़ करवाया और एनेलिसिस करने के बाद एक्सपर्टस की जो रिपोर्ट आई उसमें यह बताया गया कि सर्टेन मात्रा में कार्बन आदि होना चाहिए वह कम है, इसलिए हानिकारक नहीं है । यह प्रश्न सारे देश में खड़ा हुआ और भारत सरकार ने जांच करवाई, भारत सरकार का जांच करवाने के बाद निश्चित मत है कि यह शक्कर हलवाइयों के लिए काफी अच्छी चीज़ है, इसकी बनी मिठाइयां लोगों के लिए हानिकारक नहीं हैं । इसलिए यह शुगर उनको दी है, और क्वालिटी के बारे में जितनी चिंता कर सकते हैं उतनी ही करते हैं, पर अवेलेबिलिटी का प्रश्न हमारे सामने जरूर है; इसलिए शक्कर और गुड़ के बारे में प्रश्न है नहीं । गुड़ तो खत्म हो गया । आप इस बारे में ४–५ बार कह भी चुके हैं, वह अलग सा प्रश्न है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा ।

श्री रामकिशन (वैर) : चीनी के बारे में आपकी नई नीति क्या है ? आपने वायदा किया था कि शहर और गांव को बराबर देंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई नयी नीति का निर्माण नहीं हुआ । अब ६ हजार टन के बजाय ७ हजार का कोटा होता है, उसका प्रोपोर्शन हमने तीन हिस्सों में कर रखा है; गांव, शहर और हलवाई और कुछ २००-३०० टन स्पेशल फैक्टरीज़ वगैरह के लिए । इन हिस्सों में शुगर बंटती है । शहर के लोगों को कलेक्टर देता है । कुछ कलेक्टर्स ने इसके अन्दर शहर के कोटा का गांव के कोटा में से ज्यादा कर रखा है....

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : गांव वाले कलेक्टर के खिलाफ सत्याग्रह करें या सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब्र रखो ।

मैं निवेदन कर रहा था कि चीनी के बारे में कोई नीति में परिवर्तन लाने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि चीनी के बारे में हमारा नया सीज़न आ रहा है । चीनी के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है वह काफी अच्छा मालूम पड़ता है कि हम इस साल ज्यादा चीनी का उत्पादन कर सकेंगे । करीब ३३ लाख टन चीनी के उत्पादन का अन्दाजा है और देश में कन्ज़म्पशन २५ लाख टन है । अब कितना एक्सपोर्ट करने की बात होगी, आगे के लिए क्या नीति रहेगी, उसके लिए आने वाले दो चार महीने में पता लग जायगा और उस समय राजस्थान भी अलग से विचार करेगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): एक सूचना का सवाल है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप क्या आदमी हो ?

श्री रामकिशन (वैर) : आप बाढ़ पर आइए। फिर कामां और घग्घर पर।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ऐसा आऊंगा कि एक बात भी आपके मन की नहीं रहेगी।

आपके हुक्म से बाढ़ के प्रश्न पर आ जाता हूं। मैं कामा के बारे में कहना चाहता हूं। कामां पहाड़ी इलाके के अन्दर इस बार बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानियां हुईं, उस बात के लिए सरकार को भी काफी दुख है। उन परिस्थितियों में बाढ़पीड़ितों को जो कुछ मदद करनी चाहिए थी वह हमारी सरकार की तरफ से की गई। मैं भी मौके पर कम से कम दो बार गया, वह स्थिति निकल चुकी। इस बार खास तौर से पंजाब के इलाकों में, राजस्थान के नोर्थ इस्टर्न पोर्शन में बरसात काफी ज्यादा हुई। कामा पहाड़ी में ४ स्कीम्स हैं जिनको १९६४ की इस बरसात से पहले पूरा करने का इरादा था और इन स्कीमों के अन्दर पंजाब, राजस्थान और यू० पी० तीनों की मिलीजुली स्कीम है। ५० माइल ड्रेन यू०पी० में, ३० माइल ड्रेन राजस्थान में और करीब २२ माइल पंजाब में। पंजाब ने वह काम पूरा कर दिया। उसने अपने हिस्से का बैंक बना दिया, उसमें एक एग्रीमेंट है पंजाब से। राजस्थान का ८०० क्यूसेक्स पानी जुड़कर और यू० पी० का १५०० क्यूसेक्स, पानी, इस तरह से बड़ा ड्रेन बनकर यमुना नदी में जाकर मिलेगा। एक मीटिंग हुई राजस्थान सरकार और यू० पी० सरकार और पंजाब सरकार की रुपयों के अलॉटमेंट के बारे में और दूसरे कई पोइंट्स का डिस्प्यूट होने की वजह से काम जितना जल्दी शुरू होना चाहिए था वह उतना जल्दी शुरू नहीं हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब ने एक ड्रेन का बैंक बना लिया और एक खुला रख दिया और पंजाब में ज्यादा बरसात होने की वजह से और ज्यादा पानी होने की वजह से उन्होंने राजस्थान के न्दर पानी डिस्चार्ज बहुत ज्यादा किया। ५००-६०० क्यूसेक्स पानी घुसा। हमने भारत सरकार से कहा, भारत सरकार और पंजाब सरकार की मजबूरियां थीं। उन्होंने कोई रेग्यूलेटर नहीं बनाया है और ५००-६००से लेकर आज १३०० क्यूसेक्स पानी राजस्थान में घुस रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि कामां पहाड़ी इलाके में करीब ४५ हजार एकड़ जमीन पानी के नीचे आ गई, उसमें ७०-७१ गांव हैं और २३-२४ गांवों में काफी ऊंचाई तक पानी गया। फिर मीटिंगें हुईं और यू० पी० वालों ने इस बात को एग्री किया कि वह ५० क्यूसेक्स से शुरू करके पहले दिन करीब ३०० क्यूसेक्स तक पानी यू० पी० में लाने को कोशिश करेंगे। राजस्थान का ३५० क्यूसेक्स पानी यू० पी० के अन्दर जा रहा है। इससे हम दूसरा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट यह भी सोचते कि गोरधन के पास कैनाल में पानी पम्प करें जहां ४० पम्प काम कर रहे हैं, हरेक पम्प दो क्यूसेक्स कैपेसिटी का है और इस तरह से ८० क्यूसेक्स पानी प्रतिदिन कैनाल में डाल रहे हैं। इस तरह से राजस्थान से १३० क्यूसेक्स पानी जा रहा है। आज पोज़ीशन यह है कि राजस्थान के अन्दर जो ४५ हजार एकड़ जमीन इस कामां पहाड़ी इलाके में पानी के नीचे थी वह करीब २५-२६ हजार एकड़ जमीन पानी के बाहर निकल जायगी, जब तक क्रोप की कल्टीवेशन का टाइम होगा। इसलिए २५-२६ हजार एकड़ जमीन में जो फसलों का नुकसान रबी के अन्दर मानकर चलते थे उसमें सुधार हुआ। खरीफ के अन्दर काफी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नुकसान हुआ, उसके लिए क्या कम्पेन्सेशन दें या राहत दें, उसको रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट देख रहा है। ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर निकले और राजस्थान के अन्दर रबी की फसल ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसमें जितनी एफर्ट्स हो सकती हैं कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ के जरिये इस दिशा में इस समस्या का हल जो हो सकता था हमारे ऑफिसर्स ने किया। हम इस बात की चिंता करते हैं कि आने वाली १९६५ की बरसात से पहले इस काम को पूरा कर सकें। राजस्थान के हिस्से को पूरा करें और यू०पी० भी पूरा कर सके। यह काम काफी बड़ा है, पानी के आ जाने से समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि जिस जगह पर ड्रेन खुद रहा है वहां पानी जाता है। कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जहां हम होपफुल ये वहां कोशिश करेंगे। तो हम सोचते हैं कि इस ड्रेन के काम को पूरा करके आने वाली बरसात का मुकाबला करें और राजस्थान के लोगों को राहत दिलाएं।

जहां तक गंगानगर की बाढ़ का प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि लसाड़ा नाली के बाबत पंजाब से राजस्थान को छूट के बाबत हो कर लिया है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई कमिटमेन्ट हमने नहीं किया है।

(१ म०प०)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : डिसिल्टिंग का हां कर लिया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : ओटी से १६ क्युसेक्स अधिक पानी डिस्चार्ज नहीं होगा और साइफन के पास में इतना ही लेंगे। लिसाड़ा की डिसिल्टिंग की बात कर रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। १६ हजार ओटी और १६ हजार डिसिल्टिंग पर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तय कर चुके थे १६ हजार क्युसेक्स से अधिक पानी नहीं लेंगे। लेकिन आपने २० हजार लिया, बल्कि २५ हजार क्युसेक्स पानी लिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : मौके पर एक्चुअली क्या होता है, वह अलग बात है। इस साल २१–२२ हजार क्युसेक्स पानी आया, उसको कहां रोकते? ओटी को बन्द कर देते तो क्या होता? तलवाड़ा टूट जाता, राजस्थान कैनाल इटसेल्फ टूट सकती थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरहिन्द के वाटर के डाइवर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी नदी में उसका पानी डाला जा सकता था।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी बात सुन लीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने सुन ली।

श्री नाथूराम मिर्धा: दुबारा हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि १६ हजार की आपने बात कही इससे अधिक वहां पानी नहीं आवेगा; पंजाब के मिनिस्टर से जोर देकर कहा था, एक बूंद पानी इससे अधिक नहीं आने देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न पूछता हूं। फ्लड के वाटर को केल्कुलेट करने के लिए क्या केवल बोस्टन फॉर्मूला ही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो इन्जीनियर नहीं हूं—इस माने में कि टेक्निकल आदमी नहीं होने के कारण मैं आपनी अनभिज्ञता मान लेता हूं। बोस्टन फार्मुला मैं नहीं जानता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर आप उत्तर ही न दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बैठ जाइये आप कौन होते हैं, यह कहने वाले कि मैं उत्तर ही न दूं ? आपके कहने से मैं उत्तर ही न दूं ? बड़े जानकार आ गये आप। आप फॉर्मूला बोस्टन का समझ सकते हे। टैक्निकल बात है। इन्जीनियर तो मैं हूं नहीं। लेकिन जो बात हुई है वह मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने यह आश्वासन दिलाया कि एक बूंद पानी भी अधिक नहीं आने देंगे। अधिक आ गया। ये सारे केल्कुलेशन्स इन्जीनियर्स रेनफाल आदि को लेकर करते हैं।

गांधीसागर की बात कहता हूं। ४ मीलियन स. वाटर आ गया। २२ इन्च वर्षा में १.६ मीलियन और २४ इन्च वर्षा में ४ मीलियन; तो कई फेक्टर्स हैं। कैचमेन्ट एरिया भी देखा जाता है। पहली बरसात अधिक हो जाय और आजाय, लेकिन घास उग जायं, पहली बरसात की वजह से दरख्त उग जाय, फिर भी उतना इन्सेन्टिव नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने बोस्टन फॉर्मूला बताया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मुझे यह बताइये ऊंटी हैड में पानी आने से इसमें क्या तुक है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें यह तुक है कि हम टैक्निकल हैंड्स को मुसीबत में डाल देते हैं, यह कह कर कि ऐसा क्यों नहीं कर दिया। उनके काम करने के कुछ तरीके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी बात सुन लीजिये और मेरे सवाल का जवाब दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : जितनी बात मैं कह रहा हूं उतनी तो आप सुन लीजिये। दस मिनट आपको दे दूंगा, आप पूछ लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न पूछता हूं। मैंने नीचे बैठ कर सुना, मैं भी वही दरकार करता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब वे अपना भाषण समाप्त कर देंगे तब ही इन्फोर्मेशन पूछने का अधिकार है ?

श्री उपाध्यक्ष : Let him ask his question.

श्री राधाकृष्ण गोयल : हाउस को अधिक समय तक बैठना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Now hear him please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने गांधी-सागर डैम और ऊटी हैड को बना दिया। प्रश्न यह है कि पंजाब पानी बढ़ाता चला जा रहा है और कन्टीन्यूअसली बढा रहा है और आपके केल्कुलेशन्स एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं.सीज़नल एट्रीब्युशन बताते हैं। जो ड्रेनेज से पानी फेलने का है उसको क्यों मिनिमाइज़ करते हैं? सीज़नल बता कर गंगानगर की तरफ निकालने वाली बात को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न आपका यह है कि आप पंजाब के पानी को कितनी हद तक लेते जावेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पानी की लिमिट होनी चाहिए। पानी एक रास्ते से फ्लो करता है। ५४ तक एक रास्ते से करता था। यह निश्चित किया जाय कि कितना मेग्ज़िमम पानी आयेगा। पंजाब में और भी ड्रेनेज वर्क कर रही हैं और वह उसको कहां डाइवर्ट कर सकता है? अल्टीमेटली घग्घर में कितना पानी आयगा? भारत सरकार से नम्र निवेदन किया था और कहा कि अब के २१ हजार आया तो आगे कितना आयेगा, उसका अमा-उन्ट निश्चित किया जाय और उसके डिस्पो-ज़ल का निर्णय किया जाय। ८ हजार क्युसेक्स सोचा। १२ हजार ले लीजिये। २१ हजार आया तो बाकी का क्या होगा? ३ करोड़ और २१ लाख की भारत सरकार को हमने एक स्कीम दी है। जी० डब्यू.पी.सी. को दी। दोनों का आग्रह था कि काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाय। १७-१८ लाख रुपया खर्च किया। एक बैंक का काम शुरू किया। इस पानी का क्या होगा? उसके लिए इन्जीनियर्स जागरूक हैं, हम जागरूक हैं क्योंकि ऐसा अनकन्ट्रोल्ड पानी जाने से जनता को काफी तकलीफ होती है, हम भी महसूस करते हैं। जिस समय पानी आता है सड़कें टूटती है, रेल कनेक्शन्स टूटते हैं, लोगों को गांवों में तकलीफें होती हैं। इस समय भी १.३० हजार एकड़ जमीन पानी में डूब में है। उसको बाहर निकालने के लिये लेटेस्ट जानकारी देना चाहता हूं, वह इस प्रकार है कि हमने पानी साइफन के ऊपर की तरफ गेट्स बन्द करके रख दिया है। अब २५०-३०० क्यूसेक्स पानी रहा है। इस पर एक कट मोशन भी रखा है कि वह कच्चा है, टूट-टाट गये हैं पिलर्स। हम उसको राजस्थान कैनाल में डालने वाले हैं। कहा गया तलवाड़ा का बन्द खतरे में है। एक कट मोशन हांडा साहब, आपने भी लैफ्ट बैंक में क्रैक आ गई, इसलिये आप कहते हैं कि लापरवाही बरती गई और हम कहते हैं अपनी बात तो आप कहते हैं हम गर्व महसूस करते हैं। ८ का था और १५ डिस्चार्ज कर रहा है तो हम इसमें गौरव महसूस नहीं करते। यह तो विज्ञान की बात है। ८ हजार के लिये बनाया था। पंजाब ने कहा कि १६ होगा तो एक और बनाना होगा। नीचे की स्कीम कम्प्लीट होगी तब तक नया साइफन नहीं खोलेंगे। पर एक साइफन है उसमें गेट कैनाल के उधर रखा जावे, उधर का प्रैशर बढ़ जावे और ८ हजार कैपेसिटी वाला पालन साइफन १४-१५ हजार निकाल लें तो न यह गर्व करने की बात है, न और करने की बात है। वह तो पानी ऊपर हैल्ड अप हो गया। इससे वैलोसिटी ज्यादा हो गई। इससे ज्यादा निकलने लग गया।

Page No. 137

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अब राईट प्लान्क के क्रैक होने की बात करते हैं। लैफ्ट प्लांक में २०-२५ फीट पर दीवाल टूट गई यह ठीक है, पर यह इसीलिए टूट गई कि पक्की नहीं की गई थी, पक्की इसलिये नहीं की गई कि एक साइफन और बनाना है और जब बनाना है तो किस तरफ बनाना है, कैसे बनाना है, इसको देखना है; तो इसलिये उनको कच्चा रहने दिया, यह भी तय करना था कि इस साल बनेगा या अगले साल बने,

अब तलवाड़ा के लिये कहा गया। तो उस इलाके के सभी लोग मन्जूर करेंगे कि जब पानी आ रहा था बाढ़ का, दुबारा आ गया और इससे ऊपर एक मरकण्डा नदी का डैम टूट गया।

अब क्रैक आने से नुकसान हो गया तो यह नुकसान भी बहुत मामूली है कोई, हजारों का नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप नाराज न हों तो एक सवाल और पूछ लूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सारी रात पूछते जावें, मुझे ऐतराज नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री ने कहा कि १६ हजार तो हमने मान ही लिया और २१ हजार आ गया और आगे ३० हजार भी आ सकता है और ६२ में जब सुखाड़ियाजी आये उस वक्त भी पानी दस हजार से ऊपर गया था और यह साइफन ८ हजार क्यूसेक्स का है, और मान रहे हैं आप। सारी स्पीच में स्वीकार किया है यह कि हमारा यह मेन डिफेन्स है। इसकी वजह से सारा हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ का इलाका बचा है। तो यह अकेली दलील दी है कि दूसरा साइफन बनाना है इसलिये प्लाक्स मजबूत नहीं किये। क्या यह दलील रीज़नेबल है ? और जब ६२ के बाद में दस हजार से ज्यादा प्रेशर आया तब रिएन्फोर्स इसको नहीं करना चाहिये था, मजबूत नहीं करना चाहिये था।

श्री नाथूराम मिर्धा: इसलिये जरूरत नहीं थी कि स्कीम उसकी फाइनल नहीं थी कि कैसे यह बनेगा : पानी का डिस्पोज़ल अल्टीमेटली कहां होगा ? ३२१ लाख की प्रिलिमिनरी स्कीम है, वह बेस है। इसको फाइनेलिटी देने के लिये कितना पानी होगा, कहां रोकना पड़ेगा, साइफन से कैसे पास करेंगे, नीचे वाटर कन्ट्रोल कैसे जावेगा, तो इनको फाइनल करना है। इसके बारे में भारत सरकार से निवेदन करके फाइनल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिये जो क्रैक डेवलप हुआ है वह हुआ है, पर उससे खतरे की कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा कोई यह लोस नहीं है। हजार, पांच सौ का काम है।

अब तलवाड़ा के बन्ध के टूटने के बारे में निवेदन कर दूं कि २१ हजार के प्रेशर को भी वह स्टेंड कर गया, इसलिये टूटने की गुंजाइश नहीं है। अब पानी का सवाल नहीं है आने का। इसलिये राजस्थान कैनाल के गेट बन्द कर दिये हैं। जो पानी आ रहा था २५०-३०० क्यूसेक्स था अब वह कैनाल में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आ रहा है। लेकिन उसका इतना नीचा है कि ६२४ पर नीचे आ रहा है, उससे भी नीचे आ रहा है; फीट, डेढ फीट नीचे आ रहा है। राजस्थान कैनाल का पानी सिंचाई में जा रहा है। नीचे पानी जाना बन्द है। आने वाले महीने तक यह स्थिति रहेगी। हां, अगर जनवरी–फरवरी में बहुत बरसात हो तो सोचेंगे। कम होगा तो वहां रोक देंगे, नीचे नहीं जाने देंगे; पर अभी ऐसी स्थिति है कि राजस्थान कैनाल के नीचे १३० हजार एकड़ जमीन में से हजार पांच सौ की तो मैं बात नहीं कहता, बाकी सारी जमीन से दिसम्बर के मिडल तक लेटेस्ट निकल जावेगा और उसमें बहुत अच्छी बम्पर क्रोप हम एक्सपेक्ट करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कब तक निकल जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया। फिर आप और हम यहीं बैठे हैं। मैं गलत हुआ तो आप कह देना।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दिसम्बर के अन्त से पहले नहीं निकलेगी और अभी गंगानगर जिले में सिंचाई नहीं होगी।

श्री केसरीसिंह (पाली) : मुझे यह समाचार मिला कि २६ सितम्बर को हनुमानगढ़ में चीफ मिनिस्टर पधारे। उस समय वहां पर चीफ इन्जीनियर मौजूद थे। उनके सामने गांव के लोगों ने कहा कि हमने सुना है कि मारकण्डे डैम टूट गया है और पानी और आ रहा है। पर आपने कहा कि काश्त करो, चिन्ता नहीं। तब चीफ इन्जीनियर ने कहा कि पानी नहीं आवेगा। तो उनमें से एक काश्तकार ने तो यहां तक कहा कि क्या आवेगा तो उसे पी जावेंगे थोड़े ही। पानी आवेगा और हम बर्बाद....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर दूं। मैं आपकी बात समझ गया। मैं स्वयं वहां मौजूद था। आपको जो यह सूचना दी गई है वह गलत है।

श्री केसरीसिंह: आप मुझे पूरा कह दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझ गया आपकी बात, मैं जवाब देता हूं।

श्री केसरीसिंह : मैं डिस्टर्ब अमूमन करता नहीं। आप थोड़ी ठंडी तबियत से सुन लें। मैं अभी पूरा कर देता हूं। तो कहा कि २० तारीख को ओटू से पानी छोड़ेंगे और आप रोक नहीं सकेंगे। आप इसका मुकम्मिल प्रबन्ध करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : २६ तारीख का ही मैं वर्णन कर रहा हूं। पानी नहीं आने देंगे इस तरह की कोई बात नहीं कही गई। अब मारकण्डे डैम टूटने का पता है। ५ हजार क्यूसेक्स आवेगा कल तक और ३ हजार और आवेगा अगले दिन तक। इसलिये उस समय न तो हमने ऐसी बात कही थी, न किसानों ने हमारे से कहा था कि बीज बो दिया है, नुकसान हो जावेगा। उस समय तक बीज बोने का सवाल नहीं था। कोई बीज नहीं बोया। मारकण्डे नदी पर डैम टूट गया है इसलिये बाढ़ आवेगी यह हमें पता था,

(श्री केसरी सिंह)

टेलीग्राम आ चुका था और इसलिये यह पानी लेना पड़ेगा, यह हम जानते थे क्योंकि पानी लेक हैड पर पूरा भरा है और इसलिये उस पानी को आगे पास करना पड़ेगा। इसलिये जो सूचना आपको दी गई है वह गलत है। आगे के लिये क्या बन्दोबस्त कर रहे हैं, इसके लिये सुन लीजिये।

आगे के लिए दिसम्बर के महीने तक कोई बरसात की आशा नहीं है तब तक एक ड्रॉप भी पानी नहीं आने दिया जायेगा। जनवरी और फरवरी में कितनी सी बरसात होती है और उसमें फिर पानी को कुछ रोक सकेंगे। हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि पानी को जहां तक हो सके खड़ी हुई फसल में से पास नहीं होने देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मैं आपको फिर भविष्यवाणी कर देता हूं कि दिसम्बर के बाद फिर हैवी फ्लड्स आयेंगे और आप पानी को आने से नहीं रोक सकेंगे। आप फैक्ट्स को कन्सील कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: कोई फैक्टस को कन्सील करने की बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इसके अलावा आपने अपने सारे भाषण में पंजाब का कहीं जिक्र नहीं किया। न तो कोई स्टेटमेंट है और न कोई कमिटमेंट है; you should not do advocacy of Punjab.

श्री नाथूराम मिर्धा; आप पंजाब को अलग निकालिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: दिसम्बर में गेर रहे हैं। पता नहीं आप पंजाब को कैसे डिफेन्ड कर रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं डिफेन्ड नहीं कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: I don't understand why you should defend Punjab.

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे जनवरी और फरवरी में अगर फ्लड्स आ गये तो कितने हजार क्यूसेक्स फ्लड को आप रोक सकेंगे, क्योंकि जैसे १९६१ के अन्दर ८ हजार क्यूसेक्स फिट पानी आया था और घग्घर के एरिया के अन्दर करोड़ों रुपये का अनाज खेतों में पानी भरने के कारण खराब हो गया था, तो मेरे पूछने का मतलब यह है कि अगर अभी जनवरी या फरवरी में फ्लड आया तो आप उस समय कितने क्यूसेक्स पानी रोक सकेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा: करीब २-३ हजार क्यूसेक्स पानी जब तक आयेगा तो मैं राजस्थान कैनाल के अन्दर ले लूंगा, इतना कह सकता हूं। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि किसानों की खड़ी खेती पर से पानी नहीं आने दिया जाये। हां, कोई ऐसे ही कारण हो जाये; जैसे बरसात ही बहुत ज्यादा हो जाये या कोई बांध ही टूट जाये या कोई नेचुरल और केलेमिटी आ जाये, उसकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): कह दें तो भी कौन रोकता है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी तरह गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हूं। हम २-३ हजार क्यूसेक्स पानी जब तक आयेगा तब तक उसको रोकने की कोशिश करेंगे। आज भी जो पानी हम ले रहे हैं वह काम आ रहा है। इसलिए घग्घर की वजह से जो लोगों को पुरानी तकलीफ हुई—और मैं आपको बताऊं कि पानी के टूटने से जो हनुमाननढ़ आदि का इलाका आवागमन के दृष्टिकोण से बन्द हो गया था तो आज २७ तारीख है। वे रोड कनेक्शन्स रेस्टोर हो जायेंगे और रेल के भी हो चुके हैं। आखिर यह स्थिति सरकार तो पैदा करती नहीं है, ईश्वर ही इस प्रकार की स्थिति को पैदा करता है और सरकार उसका मुकाबिला आपके सहयोग से करती है। जो उस इलाके के रहने वाले परिचित लोग हैं इस बाढ़ के समय में राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के लोगों ने, राजस्थान सरकार के रेवेन्यू विभाग के लोगों ने तथा और भी विभागों के लोगों ने किस प्रकार से रात और दिन वहां पर खड़े रहकर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस परिस्थिति का सामना किया। तो सरकार ऐसे वक्त में आपकी मदद ही कर सकती है और उसमें भी एक हद तक मदद कर सकती है····

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : टोटल लोस फ्लड से कितना हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खरीफ की क्रोप का ४० लाख के करीब आता है।

श्री भैरोंसिंह : गंगानगर का ही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: जी हां। इसके अलावा कामा में भी करीब ४०-४२ लाख के लोस हुआ है, ये सब आंकड़े मैंने दिये हैं, आप उसे पढ़ने की कोशिश तो करें।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो समस्या बाढ़ से और खास तौर से उन्होंने जिक्र किया था बानसूर का। इस साल में बरसात का औसत ४-५ इन्च ऊंचा रहा है इसलिए उसकी वजह से डैम हरसोरा और दो एक छोटे छोटे बांध टूट गये और वहां की खरीफ की फसल को थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन इस बार जो फसल होगी वह बम्पर होगी क्योंकि वहां का पानी सब सूख चुका है और सोइल ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई। फिर भी लोगों को राहत देने के लिए जो कार्यवाही हम कर सकते थे वह की गई।

श्री हरिराम चौहान : कितने गांवों को नुकसान हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान सरकार ने और राजस्थान सरकार के साथ सहयोग करने वाले लोगों ने जितनी भी कोशिश हो सकती थी जन मानस की मदद करने के लिए वह हमने मदद की है। इन्हीं रीति-नीतियों को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और जो समस्यायें देश में और राजस्थान के लोगों के सामने हैं उनको पार करना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग इसमें रहा वह आगे भी रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा ही इंपोर्टेन्ट प्रश्न रह गया है। इसी विधान सभा में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और सिंचाई मन्त्री जी ने, दोनों ने एक

(श्री भैरोंसिंह)

एक घोषणा की थी कि पंजाब सरकार हम पर दबाव डाल रही है कि तलवाड़ा के पास दूसरा साइफन तैयार करो और हमने बिल्कुल स्थाई रूप से यह निश्चित कर लिया है कि हम तलवाड़ा के पास दूसरा साइफन नहीं बनायेंगे, इसके लिए पंजाब सरकार को मना कर दिया है और भारत सरकार को भी मना कर दिया है और आज मन्त्रीजी ने अपने भाषण में कहा है कि साइफन बनाने का विचार है। इसलिए उस क्षेत्र में सीमेन्ट से काम नहीं किया। मैं समझता हूं कि उनका स्टेटमेन्ट पंजाब सरकार के काम आयेगा और राजस्थान का केस साइफन के अगेन्स्ट में वीक होगा। इसलिए ज्यादा अच्छा हो कि माननीय मन्त्री जी उस स्टेटमेन्ट में कुछ सुधार कर लें।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु०) : डूंगरपुर के अकाल क्षेत्र का क्या हुआ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जो ज़िक्र किया, मेरी बात को थोड़ा सही तौर से आपने सुना नहीं। मैंने यह कहा था कि दूसरा साइफन बनाने की योजना इस ओरिज़िनल योजना का एक पार्ट था। लेकिन हमने पंजाब और भारत सरकार से कहा कि जब तक इस योजना का अन्तिम रूप होकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हम दूसरा साइफन बनाने की कतई स्थिति में नहीं हैं जबकि उन्होंने जोर दिया कि इस काम को तुरन्त चालू किया जाये। हमने यह कहा था कि साइफन के काम को हाथ नहीं लगायेंगे जब तक यह मालूम न हो कि हमको राजस्थान में कितना पानी लेना है और उसका फाइनली डिस्पोज़ल कैसे होना है। यह हमारा स्टेण्ड था और वही आज भी है और इस योजना का अन्तिम रूप आने पर भारत सरकार और पंजाब राजस्थान सरकार सरकार कहेगी और बनाना भी आवश्यक है या नहीं, उसके बारे में आज कुछ कहकर नहीं चलते हैं।

खास तौर से डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अकाल के बारे में कहा। मैं कहूंगा अक्टूबर के आखिर तक गिरदावरी की रिपोर्ट और एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कलेक्टर भेजते हैं और डूंगरपुर के कलेक्टर ने अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बारे में-हालांकि मुझे अभी बताया था फेमिन वर्क्स की उप-मंत्राणी जी ने कि उन्होंने सब कलेक्टर्स को लिखा है कि आपके यहां क्रोप की क्या स्थिति है, तो डूंगरपुर के कलेक्टर ने यह लिखा हैं कि करीब २५ परसेन्ट एरिया में जैसी क्रोप होनी चाहिये वैसी नहीं है और यहां पर कमी की स्थिति रह सकती है। इसलिये उनकी यह प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है। उनकी रिपोर्ट गिरदावरी की बाद में आयेगी और जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी उठाये जायेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात का क्लेरीफिकेशन चाहिये कि इस मंहगाई के सिलसिले में प्राइसेज़ आगे बढ़ने के सिलसिले में जो सरकार ने घोषणा की थी कि ५ रुपया भत्ता दिया जायेगा सब को और राजस्थान सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला था, उस सिलसिले में ५ रुपये तो यह कहा था कि सेन्टर ने नहीं माना

(ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है और अब पता चला है कि वहां के ५ रुपये तो मिल गए और आपने जो ५ रुपये दिये थे तो वह १० रुपये उनको कब तक मिल जायेंगे ? उनको देने का इरादा है या नहीं ? दूसरे इसकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि जो कीमतें सोर कर रही हैं और जो तन्ख्वाहें मिलती हैं उससे उनका काम नहीं चलता और उनके घरों में शांति लाने का सरकार का क्या विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न बहस में भी उठाया, मैंने जान बूझकर इस प्रश्न पर इस लिये विचार नहीं किया क्योंकि यह प्रश्न वित्त मंत्री और डिप्टी मंत्री और कई लोगों से सम्बन्धित है, और मैं तो इतना ही आपकी जानकारी के लिए कह सकता हूं कि जो ५) रुपये राजस्थान सरकार ने मंहगाई के भावों को देखते हुए बढ़ाए वह हिन्दुस्तान में किसी ने भी नहीं किये थे, तो उसके इम्प्लीकेशन के कारण भी ८० लाख के रुपये का खर्चा बढ़ता है, क्योंकि ऐसा आर्थिक स्थिति होते हुए भी जो कुछ भी हम कर सकते थे किया। उसके बाद में आपने जानकारी दी है कि ५ रुपये भारत सरकार ने देने के बात कही है और मैंने वित्त मंत्रीजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई जानकारी नहीं है। भारत सरकार ने दिये हैं और राजस्थान सरकार ने दिये हैं, उसका आइडिया देंगे कि नये तोर से देंगे या क्या होगा, उसके बारे में तो ऑथोरिटेटिवली वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ही कहेंगे। हमारी सलाह तो केबीनेट में लेंगे तब दे देंगे। आपकी हमदर्दी कम तनख्वाह वालों के लिये है, तो अच्छी बात है; क्योंकि हमदर्दी नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा ? उनके लिये हमदर्दी हम भी रखते हैं और समय समय पर जैसी स्थिति है और जैसे साधन हैं उस तरह की कोशिश की है। आगे साधन बढ़ेंगे तो कम तनख्वाह वालों को और पैसे देंगे, लेकिन वह कब होगा उसके बारे में और विचार करने के बाद कहें तो ज्यादा अच्छा हो, मैं नहीं करूं और कन्सर्न्ड आदमी कहे तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिक्स्ड प्राइस पर फूडग्रेन्स मिल जायं, part of their salary should be paid in foodgrains.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा जैसे सब्सिडी का प्रिन्सिपल इन्वोल्व्ड है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सब्सिडी का नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिक्स्ड कीमत पर ही दे रहे हैं। १६) रुपये पर धान दे रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एम्प्लॉईज़ हैं उनको वहां से मिले। फिक्स्ड इन्कम ग्रुप की ज्यादा मुश्किल है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकारी कर्मचारियों में सेक्रेटेरियेट के लिये स्टोर खुला हुआ है। वहां से हम उनको चावल देते हैं, चीनी देते है और दूसरी चीजें देते हैं। उनको सरकार की तरफ से व्यवस्था है और दूसरे खर्चे के लिये जो मदद हो सकती है सरकार करती

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है । इसलिये सरकारी कर्मचारियों का सेक्रेटेरियेट का जहां तक प्रश्न है सरकार करती है । बाकी के लोग जो बिखरे हुए हैं उनके लिये इस प्रकार की व्यवस्था कैसे की जाय, उसका क्या खर्चा हो, उसके बारे में सोचा नहीं गया है, इसलिये इस वक्त मैं इस स्थिति के बारे में कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

माननीम उपाध्यक्ष, मैं सोचता हूं कि मैंने माननीय सदस्यों को हर तरह से संतोष मिले, ऐसी कोशिश की है । मैंने जो कुछ भी बातें खाद्यान्न के बारे में सदन के समक्ष रखी हैं, मैं सोचता हूँ कि माननीय सदस्यों को संतोष होगा । इसलिये इस बहस को आज यहीं पर समाप्त करें और आने वाले तीन दिनों में जो बहस हो रही है उसमें इन मुद्दों को नहीं उठायें ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : कोट कासिम में ५४ गांवों में से ५० गांव बरबाद हो गये....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज की समाप्त हुई । सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बज कर ३५ मिनट पर दिनांक २८ अक्टूबर, १९६४ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई]

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

खाली भवनों का उपयोग-चेचट

६३०. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Chief Minister please reply :—

(1) How many Tehsils were abolished by the Government on the recommendation of the Reorganlsation Committee ? How many of these Tehsils have been re-established or substituted as Sub-Tehsils and at what places ?

(2) What arrangement has the Government made to utilize the buildingsvacated by the Tehsil staff and what percentage of these buildings have so far been utilized ?

(3) Is it a fact that the Tehsil building at Chechat, the S. D. M S. residential quarter, the Purani Kacheri and many other buildings have remained unutilized inspite of the fact that there is derth of acommendation in the Higher Secondary School bulding adjoining and that there is no building for Primary School or other Public Institutions loke the Panchayat etc. in this place ?

(4) How does the Government inttend to utilize these buildings in future to utilize these buildings a the chat and by what time ?

उत्तर

(१) १७ तहसीलें समाप्त की गई थीं। बाद में जैसलमेर जिले की तीन तहसीलें सब-तहसीलें बनाई गई। झालावाड़ जिले में असनावर सब-तहसील को तोड़कर झालरापाटन तहसील में बकानी सब-तहसील कायम की गई।

(२) कोटा जिले की पांच तहसीलों (अन्ताइटावा अरोड़, कनवास, चेचट) को समाप्ति पर तहसील भवन खाली हुए वे सरकारी विभागों के वास्ते दे दिये जैसे कृषि, पुलिस, मलेरिया, डिस्पेन्सरी इत्यदि।

(३) तहसील चेचट टूट जाने के कारण तहसील भवन एवं अन्य रिहायशी मकान खाली हुए। तहसील भवन में इस समय सब-जेल है और वार्ड्स वगैहरा वहां रहते हैं। एक ब्लॉक में कोऑपरेटिव विभाग का कार्यालय भी है। सब जेल की नई इमारत का निर्माण रामगंजमंडी में चल रहा है और इमारत एनकरीब तैयार होने को है। ज्योंही जेल की इमारत तैयार होकर सब उसमें जेल स्थानान्तरितहोगी तहसील भवन एवं अन्य रिहायशी मकान हायर सैकन्डरी स्कूल व उसके अध्यापकों के रहने के लिए निर्धारित किये जा सकेंगे।

(४) ज्यों ही नई जेल की इमारत रामगंजमंडी में बन कर तैयार हो जायेगी और चेचट से सब जेल उस इमारत में चली जावेगी तो तहसील भवन व अन्य रिहायशी मकान हायर सैकन्डरी स्कूल व उसके अध्यापकों के रहने के लिए काम आयेंगे।

माध्यमिक शाला सूरजपोल, बांसवाड़ा का भवन

६३१. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) माध्यमिक शाला भवन, सूरजपोल, बांसवाड़ा की क्या स्थिति है ?

(२) जिलाधीश, बांसवाड़ा व इंजीनियरों की क्या यह रिपोर्ट है कि शाला भवन किसी भी वक्त गिर जायगा और छात्रों के जीवन हानि का भय है ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने इस बारे में क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(१) माध्यमिक शाला के दो भाग हैं; एक नया व दूसरा पुराना। पुराने भाग में १९६२ में कुछ अधिक टूट हो गई थी जिसकी मरम्मत की जाकर काम में आने लायक बना दिया गया है।

(२) जी हां, सन् १९६२ में इंजीनियर, भवन व पथ निर्माण विभाग ने रिपोर्ट की थी। भवन की मरम्मत १९६२ में हो कर दो गई। इसकी पहली मंजिल का काम में नहीं लाया जा रहा है। स्थानाभाव को दूर करने हेतु सरकार ने जुलाई ६४ में ५०,०००) रु० मन्जूर कर दिया है और एक दूसरा भवन २००) माहवार किराये पर ले लिया है।

जागीरदारों की सम्पत्ति में दर्ज भूमि–जिला पाली

६३२. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सच है कि भूतपूर्व जोधपुर रियासत के हजूरी दफ्तर द्वारा सन् १६१६ में सनद बही में मारवाड़ के गांवों की जमीन, खालसा, सासण, जागीर इनामी आदि दर्ज की हुई है ?

(२) क्या यह भी सच है कि मारवाड़ के जागीर गांवों का बन्दोबस्त करते वक्त राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (Recognized) जागीर, सासण, माफी, इनामी, देवस्थान आदि जो सनद बही सन् १६१६ में दर्ज है, को आधार मान कर ही उनको दर्ज करना चाहिए था ?

(३) क्या यह भी सच है कि सनद बही सन् १६१६ को टाइटल का आधार न मानने से बहुत सी जमीन जो सनद बही में दर्ज है व जो जोधपुर राज्य की आज्ञा नं० १२७६ दिनांक २६ जुलाई, १६४६, जो जोधपुर राज्य के बजट नं १३ दिनांक ३-८-६४ को प्रकाशित हुई है के द्वारा राज्य सरकार में निहित होनी चाहिए, जागीरदारों की सम्पत्ति दर्ज करा ली गई ? यदि हां, तो पाली जिले से ऐसे जागीर गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिनकी जमीन जागीरदारों की सम्पत्ति दर्ज की गई व ऐसा करने का क्या कारण है ? सूची में जमीन का रकबा व लगान भी बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) बन्दोबस्त का रेकॉर्ड कब्जेवार तैयार किया गया है।

(३) सनद बही १६१६ को टाइटल का आधार माना गया है और जोधपुर राज्य की आज्ञा दिनांक २६ जुलाई, १६४६ की खिलाफवर्जी नहीं की गई।

फ्लोराइट का बेनीफिकेशन प्लांट

६३३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि फ्लोराइट का बेनिफिकेशन प्लान्ट लगाने के सम्बन्ध में एक्सपर्ट्स की फिज़िबिलिटी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार यह प्लान्ट लाभदायक माना गया है ?

(३) यदि हां, तो इस योजना को चालू करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

(४) उक्त प्लान्ट सरकार खुद लगायेगी या किसी प्राइवेट पार्टी को देने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) योजना को कार्यान्वित करने से पहले विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता है, उसके लिए आवश्यक फीस की रकम १६,००० डॉलर है। भारत सरकार से इतनी विदेशी मुद्रा के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है और आगे की कार्यवाही की जा रही है।

(४) प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाने पर सरकार इस विषय में कोई उपयुक्त निर्णय करेगी।

मकानों और कुओं के लिए स्वीकृत धनराशि–जिला जालौर

६३४. श्री विरदाराम फुलवारिया (जालौर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला जालौर के लिए इस साल कितनी सहायता की धनराशि स्वीकार की गई है और उसमें से कितनी राशि मकान बनाने हेतु दी गई और कितनी कुओं के लिए दी गई है ?

(२) क्या समस्त स्वीकृत धनराशि वितरित हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला जालौर के लिए इस वर्ष २२,२१५ रुपये की धनराशि सहायता हेतु स्वीकृत की गई है जिसमें से ४,५०० रुपये मकान बनाने के लिए व १०,००० रुपये कुए बनाने हेतु पंचायत समितियों को दिये गये थे।

(२) जी नहीं क्योंकि यह वर्ष अप्रेल १९६४ से आरम्भ हुआ है व मार्च १९६५ तक रहेगा अतः पंचायत समितियों द्वारा रकम इस विविध वर्ष तक खर्च की जा सकती है ।

चौधरहक वसूली का भुगतान

६३५. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि राजस्व वसूली के लिए गांव चौधरियों को चौधहरक वसूली का ५ प्रतिशत दिया जाता था ?

(२) क्या यह भी सच है कि तहसीलदार सांचोर में चौधरहक के वेतन की सम्वत् २०१३ से २०२० तक की पूरी रकम उपरोक्त नियम के अनुसार नहीं दी गई ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(३) क्या यह सच है कि अगर राजस्व वसूली निर्धारित तिथि के बाद राजस्व अधिकारियों की गलती से हो तो चौधरहक के वेतन की रकम कानूनन नहीं कटनी चाहिए ?

(४) क्या सरकार ऐसे चौधरियों के वेतन की काटी हुई रकमें अब दिलवाने की व्यवस्था करेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हैड कांस्टेबिलों के भत्ते

६३६. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर) : Will the Home Minister be pleased to state—

(I) How much allowance is being paid per month to Head Constables, Civil Police, D.S.B. and C.I.D. each ?

(२) क्या यह भी सच कि सर्दी के कारण जो फसल नष्ट हुई है उसकी जांच जिलाधीश द्वारा की गई थी ?

(३) क्या यह सच है कि पंचायत समिति हिन्डौन ने भी कोई इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार को भेजा था कि फसल नष्ट हो जाने के कारण जमीन का लगान माफ कर दिया जावे और तगाई की किश्तों की वसूली रोक दी जावे ? यदि हां, तो सरकार ने हिन्डौन सब-डिविज़न में कहां २ पर कितनी धन-राशि सहायतार्थ दी व कहां पर लगान माफ किया है ? और यदि नुकसान होते हुए भी लगान माफ नहीं किया है, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) पंचायत समिति हिन्डौन ने दिनांक २०-३-६४ को ऐसा प्रस्ताव पास कर जिलाधीश सवाईमाधोपुर को भेजा था, परन्तु हिन्डौन पंचायत समिति में नुकसान की मात्रा एक रु० में आठ आने से कम होने के कारण अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया और इसी कारण तकावी आदि की वसूली स्थगित नहीं की गई। भू-राजस्व की छूट के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

* शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २७ अक्टूबर, १९६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१	११	श्री मानिकचन्द मुराणा !	श्री मानिकचन्द सुराणा !
,,	अन्तिम से ३	मानिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्दसुराणा
३	शीर्ष	(श्री भानिकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
५	अन्तिम से २	श्री मानिकचम्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
२१	शीर्षक	तारांकितप्र श्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
२६	शीर्ष	(श्री परसराम मदेरणा)	(श्री परसराम मदेरणा)
३६	,,	(श्री माणिकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
,,	११	श्री चन्दनमल वैद	श्री चन्दनमल वैद
४६	अन्तिम से ५	(१–१०–६४)	(१६-१०-६४)
५३	शीर्षक	२६ अक्टूबर,	२७ अक्टूबर,
६०	,,	प्रश्नोर	प्रश्नोत्तर
६२	,,	अताराकित	अतारांकित
६६	अन्तिम से ६ के ऊपर		(११. ८ म. पू.)
६७	१	श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई)	श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री)
६६	शीर्षक	मल्स	मिल्स
७०	५,२४	श्री उरावसिंह ढाबरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
७१	शीर्ष	(श्री उमरावसिंह दबरिया)	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
,,	अन्तिम	अध्यक्ष पीठ के	अध्यक्ष-पीठ के
७५	शीर्षक	२४ अक्टूबर,	२७ अक्टूबर,
७६	,,	प्रस्तव	प्रस्ताव
७७	,,	स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	अन्य स्थगन-प्रस्ताव
८३	,,	२४ अक्टूबर,	२७ अक्टूबर,
९०	२३	श्री हरिश्चन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
९४	शीर्षक	सड़क	सड़कों
९६	,,	सड़क विषयकों	सड़कों विषयक

[redacted]

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
९८	शीर्षक	सड़कों की	सड़कों
१०१	,,	खाद एवं	खाद्य एवं
१०५	,,	खाद एवं	खाद्य एवं
१३३	२१	श्री नाथूराम मिर्चा	श्री नाथूराम मिर्धा
१५१	शीर्षक	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
१५५, ६५२	,,	एव	एवं
१६४	,,	वादवि–वाद	वाद–विवाद
१६५	अन्तिम से ३	श्री सतीशचद्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१७६	शीर्षक	सनस्या	समस्या
१८१	२६	श्री मातालाल चोधरी	श्री मोतीलाल चौधरी
१८५	१२ के बाद	शीर्षक	(२.२० म. प.)
१९५	शीर्षक	२६ अक्टूबर,	२७ अक्टूबर,
२०३	,,	एघं	एवं
२०४	,,	सामन्य	सामान्य
२१०	१४	श्री हुरिराम चौहन	श्री हरिराम चौहान
२१६	शीर्षक	बाद	वाद
२१७	,,	लखाद्य एव	खाद्य एवं
२१८	,,	विवद	विवाद
२२३	शीर्ष	(श्री विजयपाल कटारिया)	(श्री विजयपाल कटारा)
२२३	३	श्री नाथूराम मिर्घा	श्री नाथूराम मिर्धा
,,	११	(मंडल)	(मांडल)
२२४	१०	श्री गौवन्सिंह	श्री गोविन्दसिंह
२२५	अन्तिम से ६	भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
२३०	अन्तिम से २ के ऊपर		(३.५५ म. प.)
२३१	शीर्षक	२६ अक्टूबर	२७ अक्टूबर
२३७	,,	२७ अट्रूबर	,, ,,
२४०	,,	वादवि–वाद	वाद–विवाद
,,	अन्तिम से २	(वेर)	(वैर)
२४३	७	श्री नाथूराम मिर्घा	श्री नाथूराम मिर्धा
२४७	शीर्षक	एव	एवं

(३)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२४८	,,	विवद	विवाद
२५०	अन्तिम से ८	श्री नथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
२५१	२१	,, ,,	,, ,,
,,	२१	श्री भौरोसिह	श्री भैरोंसिंह
२५३	७	(अमेर)	(आमेर)
,,	१८	श्री नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
२५६	अन्तिम से ४	श्री मानिक वन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
२५७	१	श्री मानकिचन्द सुराणा	,, ,,
२५६	शीर्षक	एव	एवं
२६०	४	श्री नाथूराम मिधा	श्री नाथूराम मिर्धा
२६६	१०	श्री योग्यन्द्रानथ : हांडाः	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :
,,	१२	श्री नाथूराम मिध :	श्री नाथूराम मिर्धा :
२७४	शीर्षक	वादवि–वाद	वाद–विवाद
२७५	१६	श्री योग्यन्द्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
,,	२१	श्री योंगेन्द्रनाथ हांडा	,, ,,
२७७	शीर्षक	(श्री केसरी सिह)	(श्री केसरीसिंह)
,,	१६	श्री योगेन्द्रनाश्र हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
,,	अन्तिम से २	श्री नाथूराम मिर्धा;	श्री नाथूराममिर्धा :
२८०	अन्तिम से ४	श्री भैरांसिह	श्री भैरोंसिंह
२८३	शीर्ष	(ज्वालाप्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
२८७	२	तारांकिस	तारांकित
२६५	३	वैद्य श्री गोविद सहाय	वैद्य श्री गोविन्दसहाय
२६८	शीर्षक	परिशिप्ट	परिशिष्ट
,,	१५	तहलीस	तहसील

* विस्तृत शुद्धि–पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।